हरियाणा में पशुपालन विकास

पर

कार्यदल की रिपोर्ट

हरियाणा किसान आयोग

हरियाणा सरकार

पशुपालन विकास पर कार्यदल

अध्यक्ष

प्रो. एम.एल.मदान

पूर्व कुलपति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा, उ.प्र.
पूर्व कुलपतिः डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, अकोला (महाराष्ट्र)
पूर्व उप महानिदेशक (पशु विज्ञान) : भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली

सदस्य

डॉ. अरूण वर्मा

पूर्व सहायक महानिदेशक, भा.कृ.अ.प. नई दिल्ली

डॉ. एन.के.खुराना

सचिव, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड

नोडल अधिकारी

डॉ.एम.पी.यादव

पूर्व कुलपति, एसवीपीयू कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.)
पूर्व निदेशक, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर (उ.प्र.)

हरियाणा किसान आयोग

अनाज मण्डी, सैक्टर-20, पंचकुला - 134116

हरियाणा सरकार

अध्यक्ष
हरियाणा किसान आयोग
चौ.च.सिं.ह.कृ.वि.वि परिसर हिसार– 125004

आमुख

हरियाणा राज्य ने कृषि, शिक्षा, उद्योग एवं खेलों के क्षेत्र में सराहनीय प्रगति की है। यह गेहूं की सर्वोच्च उत्पादकता के साथ ऐसा अग्रणी राज्य है जिसने देश में भैंस के दूध में भी उच्च उत्पादन स्तर प्राप्त किया है। तथापि, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण घटती हुई जोतों, मृदा एवं जल संसाधनों के अपघटन और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के कारण वर्तमान परिदृश्य में विद्यमान कृषि प्रथाओं में पुनर–अभिमुखन की आवश्यकता है, ताकि पशुधन, मात्स्यकी और बागवानी जैसे अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा देकर कृषि में त्वरित वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके। अतः छोटे किसानों को उनकी आजीविका में सुधार हेतु सहायता पहुंचाने के लिए फार्मिंग प्रणाली में नव–प्रवर्धनों की आवश्यकता है।

राज्य में कृषि की वृद्धि में तेजी लाने के लिए डेरी, कुक्कुटपालन, मात्स्यकी और बागवानी को और अधिक स्थान उपलब्ध कराने तथा नीतिगत सहायता की आवश्यकता है। वर्तमान में पशुधन क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान देता है जिसे नई–नई विधियां एवं नवीन प्रौद्योगिकियां अपनाकर अगले दशक में दुगना किया जा सकता है और इसके साथ ही मुर्रा भैंस ब्राण्ड के स्थानीय उत्पादों, जैसेः मोजेरेला चीज़ और ए2 दूध के साथ न्यूजीलैंड और डेनमार्क की तर्ज पर हरियाणा को 'डेरी हब' में रूपांतरित करने के लिए सक्षम नीतिगत वातावरण तैयार किया जा सकता है। चूंकि गोपशुओं को मीथेन उत्पादन के लिये रेखांकित किया जाता है, अतः हरित तथा स्वच्छ पशुपालन संबंधी विधियों को अपनाए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए और पशु पोषण, पशुशालाओं व स्वास्थ्य प्रबंध संबंधी नवीन विधियों को अपनाना चाहिए।

मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि डॉ. एम.एल.मदान के नेतृत्व में पशुपालन पर इस कार्य दल ने उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने, उच्चतर आय के लिए समेकित/विविधीकृत फार्मिंग प्रणालियों के लिए नई अनुसंधान प्राथमिकताएं निर्धारित करने व नीतिगत सहायता से संबंधित प्रयासों को विकसित करने के साथ–साथ पशुधन विकास को प्रभावित करने वाले

विभिन्न घटकों और मुद्दों का वृहत विश्लेषण किया है। कार्य दल ने ''पशुधन मिशन'', पशुधन विकास लक्ष्य–दृष्टि 2020 की संकल्पना सृजित की है और अनेक मूल्यवान अनुशंसाएं की हैं। इस दल ने पशुधन स्वामियों/किसानों, उद्यमियों, अनुसंधानकर्ताओं, फील्ड कार्यकर्ताओं, संबंधित विभागों और नीति नियोजकों के साथ अनेक बैठकें आयोजित की हैं।

मैं डॉ. मदान और उनके दल के सदस्यों नामतः डॉ. एन.के.खुराना, डॉ. अरुण वर्मा और डॉ. एम.पी.यादव को यह बहुमूल्य रिपोर्ट तैयार करने हेतु किए गए गंभीर प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पशुपालन एवं डेरी विभाग, हरियाणा सरकार; लाला लाजपत राय वेटरिनरी एवं एनीमल हज़बेंडरी, हिसार; फार्म सलाहकार एजेंसियां तथा किसान इन अनुशंसाओं का पूरा लाभ उठायेंगे। यह महत्वपूर्ण प्रकाशन योजनाकारों, प्रशासकों, वैज्ञानिकों तथा सभी संबंधित हितधारियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। मुझे यह भी आशा है कि सभी संबंधित पक्षों द्वारा विभिन्न अनुशंसाओं के कार्यान्वयन से हरियाणा में पशुधन के विकास में तेजी आएगी।

(आर.एस.परोदा)

भूतपूर्व
कुलपति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश
कुलपति, पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, अकोला, महाराष्ट्र
उप महानिदेशक (पशुविज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
अध्यक्ष
हरियाणा में पशुपालन के विकास पर कार्यदल

प्राक्कथन

हरियाणा में पशुधन क्षेत्र राज्य की कृषि के लिए सर्वाधिक समुत्थानशील योगदाता है और साथ ही इसका राज्य की अर्थव्यवस्था में भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य में भारतीय पशुधन का लगभग 1.8 प्रतिशत भाग है तथा इसका भारत के डेरी मानचित्र में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि देश के कुल वयस्क गोपशुओं की मात्र 2.79 प्रतिशत संख्या होने के बावजूद भी इसका राष्ट्र के दुग्धोत्पादन में 5.5 प्रतिशत का योगदान है। राज्य में 90.50 लाख पशु हैं तथा इसके साथ ही 287.00 लाख कुक्कुट पक्षी हैं। राज्य का वार्षिक दुग्धोत्पादन बढ़कर 66.61 लाख टन, अंडों का उत्पादन 4.11 बिलियन और मांस का उत्पादन 3.24 लाख टन हो गया है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 660 ग्रा. से बढ़कर 708 ग्रा. प्रति दिन तथा अंडों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 60 से बढ़कर 160 प्रति वर्ष हो गई है।

चूंकि कृषि और इसके साथ–साथ उद्योगों (प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र के उद्योगों) के निष्पादन के समक्ष राज्य की कार्यनीति के विकास के संदर्भ में गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, अतः राज्य के आर्थिक विकास में पशुधन उप क्षेत्र के योगदान से वास्तव में कृषि तथा इससे संबंधित क्षेत्रों की सकल वृद्धि 3.4 प्रतिशत बनाए रखने में बहुत सहायता मिली है। पिछले दशक के दौरान पशुधन क्षेत्र का आर्थिक योगदान खाद्यान्नों के आर्थिक योगदान से कहीं अधिक रहा है। वास्तव में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ वर्षों में केवल कृषि क्षेत्र की वृद्धि ऋणात्मक तक रही है। हाल ही में खाद्य एवं पोषणिक सुरक्षा तथा भूमि युक्त व भूमिहीन जनसंख्या के लिए आर्थिक लाभदायकता की दृष्टि से कृषि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक 'पशुधन' रहा है।

पशुधन विकास पर कार्य दल की इस रिपोर्ट में हरियाणा में पशुधन तथा इसके अन्य पणधारियों की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन किया गया है, और अधिक विकास के लिए भविष्य में उत्पन्न होने वाले अवसरों और चुनौतियों की पहचान की गई है तथा जैसा कि कार्य दल के कार्य क्षेत्र में निर्धारित किया गया था, राज्य के भावी विकास और वृद्धि के लिए उचित प्रौद्योगिकीय, विकासात्मक तथा नीतिगत विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। इस रिपोर्ट में विशेष रूप से किसानों के संदर्भ में पशुधन क्षेत्र की वृद्धि और आर्थिक विकास का विस्तार से मूल्यांकन किया गया है और न केवल समस्याओं के हल/उत्तर उपलब्ध कराने के लिए

अनुशंसाएं की गई हैं बल्कि राज्य के पशुपालन विभाग व राज्य सरकार के लिए नीति संबंधी विकल्पों को भी बताया गया है, ताकि पशुधन क्षेत्र की कार्य प्रणाली की अवस्था में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन लाया जा सके।

इस रिपोर्ट में, कार्य दल की कार्य शर्तों के अनुसार पशुधन उत्पादन के सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया गया है। मैं पद्मभूषण डॉ. आर.एस.परोदा की अध्यक्षता में गठित हरियाणा सरकार के हरियाणा किसान आयोग का आभारी हूं कि मुझे इस कार्य दल की अध्यक्षता करने का अवसर प्रदान किया गया तथा मेरे कार्यदल में मेरे विशिष्ट वैज्ञानिक साथियों, नामतः डॉ. अरुण वर्मा, पूर्व सहायक महानिदेशक (पशुविज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद; डॉ. एन.के.खुराना, सचिव, हरियाणा पशुधन विकास मंडल; सदस्य के रूप में तथा डॉ. एम.पी.यादव, पूर्व कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ तथा निदेशक, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर ने कार्य दल के नोडल अधिकारी के रूप में मुझे बहुमूल्य सहायता प्रदान की। हम सभी इस रिपोर्ट को तैयार करने के दौरान वांछित सहायता और सक्रिय परिचर्चा का अवसर उपलब्ध कराने के लिए डॉ. परोदा का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

कार्य दल ने हरियाणा सरकार के वित्त एवं सचिव पशुपालन, कृषि, सहकारिता विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, पशुपालन के महानिदेशक, डॉ. के.एस.डांगी व अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों तथा विभाग के फील्ड अधिकारियों और पंजाब के पशुपालन एवं डेरी विभाग के निदेशक एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गहन और गंभीर चर्चाएं कीं। किसान मेलों तथा विभिन्न उप प्रभागों व जिलों में विशेष रूप से आयोजित बैठकों में किसानों, विशेष रूप से खेतिहर महिलाओं के साथ अनेक पारस्परिक चर्चाएं आयोजित की गईं। सदस्यों ने राज्य के कुछ प्रगतिशील किसानों व पंजाब तथा हरियाणा के निजी संस्थानों तथा डेयरियों का दौरा भी किया। विभिन्न पशुधन औद्योगिक इकाइयों, बैंकों तथा विश्वविद्यालयों में विभिन्न विभागों/आहार और चारा एजेंसियों के सदस्यों के साथ अनेक परामर्श किए गए। अनुशंसाओं का मसौदा 42 विशेषज्ञों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया तथा राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के विचारोत्तेजक सत्र में हुई चर्चाओं के माध्यम से निकलकर आए वैध सुझाओं के आधार पर रिपोर्ट को संशोधित किया गया। इस विचारोत्तेजक सत्र में प्रतिष्ठित पशुधन विशेषज्ञ, डेयरी प्रबंधक, राज्य के पशुपालन विभाग, केन्द्र सरकार के डीएएचडीएफ के अधिकारी, पशुविज्ञान संस्थाओं के निदेशक, पशुधन परामर्शक और शिक्षाविद सम्मिलित हुए थे। दूध के मूल्य निर्धारण पर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में एक विशेष परामर्श बैठक का आयोजन किया गया।

इस रिपोर्ट में पशुधन सुधार, अनुसंधान एवं विकास के विभिन्न पहलुओं पर 21 अध्यायों में विस्तृत चर्चा करने के पश्चात् अनुशंसाएं की गई हैं, जिनमें प्रमुख हैं : प्रजनन तथा श्रेष्ठ

पशुओं की पहचान व पंजीकरण, भैंस उत्पादों के लिए ब्राण्ड हरियाणा का विकास, मांस के लिए भैंस स्पॉट्स, देसी मवेशियों के विकास के लिए 'गोवर्धन कार्यक्रम', उत्पादन प्रोत्साहन एवं अनुदान, आहार और चारे की उपलब्धता के लिए कार्यक्रम 'चारामणि', वृहत ग्रामीण घरेलू कुक्कुट उत्पादन प्रणाली, प्रजनन और आनुवंशिक सुधार, लिंगित वीर्य तथा जैवप्रौद्योगिकी युक्तियों का उपयोग करना, पशु संरक्षण, आवारा पशुओं का नियंत्रण, दूध एवं दुग्धोत्पादों का मूल्य निर्धारण, बाजार संबंधी सुविधा उपलब्ध कराना, विभिन्न क्षमता वाले स्वच्छ पशु वधगृह एवं वधस्थल जिनमें कुक्कुटों की प्रजातियां भी शामिल हों, पशु कल्याण, पर्यावरणीय प्रबंध तथा पारिस्थितिकी टिकाऊपन और गुणवत्ता संबंधी विनियमों एवं मूल्यांकन के लिए संस्थाएं और नीतियां। ऐसी वृद्धि प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण प्राचलों का उल्लेख किया गया है तथा विकासात्मक परिदृश्य में एक निश्चित समय में उपरोक्त प्राचलों की मात्रात्मक व गुणात्मक भूमिका के लिए एक भावी मानचित्र भी प्रस्तुत किया गया है।

ये अनुशंसाएं इसलिए की जा रही हैं ताकि हरियाणा के किसानों की महत्वाकांक्षाओं को साकार किया जा सके। कार्य दल यह अनुभव करता है कि यदि राज्य को कृषि के क्षेत्र में पांच प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर प्राप्त करनी है तो तत्काल ही राज्य पशुधन विकास मिशन की स्थापना करके पशुधन क्षेत्र में होने वाली प्रगति को बढ़ाया जाना चाहिए। इस मिशन के निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य और कार्य योजनाएं होनी चाहिए जिनके बारे में इस रिपोर्ट में विस्तार से उल्लेख किया गया है, ताकि पशुधन के क्षेत्र में त्वरित विकास और वृद्धि प्राप्त की जा सके।

यदि सुझाए गए कार्यक्रमों, परियोजनाओं तथा नीतिगत मुद्दों से जुड़ी अनुशंसाओं को मिशन मोड में एक निर्धारित समय–सीमा में कार्यान्वित किया जाता है तो इससे राज्य के किसानों की बेहतर स्थिति सुनिश्चित होगी और इसके साथ ही पशुपालकों व पशुस्वामियों की आर्थिक अवस्था में सुधार होगा, सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि सक्षम होगी तथा हरियाणा राज्य देश के भावी कृषि विकास एवं वृद्धि के मामले में एक आदर्श राज्य के रूप में उभर कर सामने आएगा।

मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि यदि हरियाणा किसान आयोग सचिवालय और विशेष रूप से इसके सचिव डॉ. आर.एस.दलाल की बहुमूल्य सहायता प्राप्त न हुई होती तो यह रिपोर्ट तैयार करना संभव न हुआ होता, क्योंकि उन्होंने सभी चर्चाओं, भ्रमणों व दौरों, अधिकारियों, संस्थाओं तथा एजेंसियों के साथ होने वाली बैठकों व चर्चाओं को सुगम बनाने का सदैव गंभीर प्रयास किया और इसमें सफलता प्राप्त की। मैं हरियाणा किसान आयोग को संगठनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं।

(एम.एल.मदान)

डॉ. एम.एल.मदान

पूर्व उप महानिदेशक (पशु विज्ञान), पूर्व कुलपति, पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा; पूर्व कुलपति पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, अकोला

डॉ. अरुण वर्मा

पूर्व सहायक महानिदेशक, भा.कृ.अ.प.

डॉ. एन.के.खुराना

सचिव, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड एवं पूर्व प्रधान, हरियाणा पशुचिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान, हिसार

डॉ. एम.पी. यादव

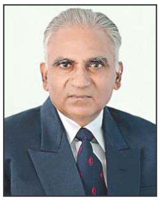

पूर्व कुलपति, एसवीपीयू कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.)
पूर्व निदेशक, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर (उ.प्र.)

आभार ज्ञापन

पशुपालन को ग्रामीण समृद्धि के मुख्य क्षेत्रों में से एक तथा पोषणिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इसकी भूमिका को पहचानने तथा व्यापक दृष्टिकोण के लिए हरियाणा किसान आयोग के अध्यक्ष पद्म भूषण डॉ. आर.एस.परोदा का आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए स्वतंत्र कार्यदल का गठन और हरियाणा राज्य में 'पशुधन मिशन' की स्थापना के विचार को प्रतिपादित करना राज्य के कृषक समुदाय के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह विशाल अध्ययन तथा वृहत रिपोर्ट तैयार करना संभव न हुआ होता, यदि श्री हरदीप कुमार, आईएएस तथा श्री पी.के.दास, आईएएस, दोनों हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव, पशुपालन एवं डेरी विभाग; डॉ. के.एस.डांगी, महानिदेशक, पशुपालन एवं डेरी, हरियाणा; डॉ. एच. एस.सांधा, निदेशक, पशुपालन, पंजाब; डॉ. ए.के.श्रीवास्तव, निदेशक, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल; डॉ. आर.के.सेठी, पूर्व निदेशक, केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार; डॉ. आर.के.सिंह, निदेशक, एनआरसीई, हिसार, डॉ. बी.के.जोशी, निदेशक, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, करनाल; डॉ. ए.के.प्रूथी (पूर्व डीन), डॉ. एस.सी.आर्य, डीन, पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, लाला लाजपतराय पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार; एचडीडीसीएफ के वरिष्ठ प्रबंधक तथा अनेक लोगों का मूल्यवान सहयोग व बहुमूल्य सुझाव प्राप्त न हुए होते।

कार्य दल लक्ष्य डेरी, जींद तथा हरियाणा व पंजाब के उन अनेक प्रगतशील कृषकों व उद्यमियों को धन्यवाद देते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है जिन्होंने अपनी सफलता की कहानियां हमें सुनाई तथा हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, करनाल, चंडीगढ़, दिल्ली और अम्बाला आदि स्थानों पर आयोजित विभिन्न परिचर्चात्मक बैठकों व कार्यशालाओं में भाग लिया।

यहां पशुपालन एवं हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड; संकाय, पशुचिकित्सा महाविद्यालय, लाला लाजपतराय पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार; हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों, नाबार्ड, बैंकरों, उद्योगों के प्रतिनिधियों तथा विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञों का उनके बहुमूल्य योगदान तथा अनुभवों के बांटने के लिए उल्लेख करना असंगत न होगा।

हम डॉ. आर.एस.दलाल, सदस्य–सचिव व हरियाणा किसान आयोग के सम्पूर्ण दल का पशुधन पालकों/किसानों, अन्य हितधारियों तथा सरकारी अधिकारियों के साथ सभी बैठकों के त्वरित व प्रभावी आयोजन व उत्कृष्ट सहयोग के साथ–साथ सभी वांछित सहायता प्रदान करने के लिए उनका धन्यवाद देते हैं।

डॉ. एम.एल. मदान | **डॉ. अरूण वर्मा** | **डॉ. एन.के. खुराना** | **डॉ. एम.पी. यादव**

विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय का शीर्षक	पृष्ठ
	आमुख	iii
	प्राक्कथन	v
	आभार ज्ञापन	ix
	शब्द संक्षेप	xii
	विशिष्ट सारांश	xiii
1.	परिचय	1
2.	अर्थव्यवस्था की स्थिति तथा क्षेत्रीय वृद्धि	5
3.	हरियाणा में पशुधन क्षेत्र की वर्तमान अवस्था	17
4.	पशुधन उत्पादन	30
5.	हरियाणा में पशुधन क्षेत्र का घटक विश्लेषण	40
6.	मुद्दे तथा चिंताएं	45
7.	आहार एवं चारा	61
8.	पशुधन आनुवंशिक संसाधन	64
9.	पशु स्वास्थ्य	73
10.	पशुधन उद्योग	80
11.	जैव–प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग	89
12.	शिक्षा एवं अनुसंधान	91
13.	विस्तार	98
14.	हरियाणा में गौशालाएं	101
15.	अनुसंधान एवं विकास प्राथमिकताएं	104
16.	सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यक्रमों में संश्लिष्टता और एकीकरण	110
17.	पर्यावरण, पशु कल्याण एवं खाद्य सुरक्षा	113
18.	नीतिगत प्रभाव	119
19.	पशुधन मिशन	130
20.	पशुधन विकास के लक्ष्य – दृष्टि 2020	136
21.	मुख्य अनुशंसाओं का सारांश	147

शब्द संक्षेप

केसीसी	:	किसान क्रेडिट कार्ड
केजी	:	कि.ग्रा.
केवीके	:	कृषि विज्ञान केन्द्र
एलएलआरयूवीएएस	:	लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय
एलएस	:	पशुधन
एलएसयू	:	पशुधन इकाई
एमएमपीओ	:	दूध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश
एमएसपी	:	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एनएएएस	:	राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी
एनबीएजीआर	:	राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो
एनसीए	:	राष्ट्रीय कृषि आयोग
एनजीओ	:	स्वयं सेवी संगठन
एनएसएस	:	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण
ओआईई	:	आफिस इंटरनेशनल डेस इपिजूटीएस
ओएनबीएस	:	मुक्त नाभिक प्रजनन स्कीम
पीएफए	:	खाद्य अपमिश्रण बचाव अधिनियम
पीपीपी	:	सार्वजनिक–निजी साझेदारी
पीपीआर	:	पेस्टे डेस पेटाइट्स रुमिनेंट्स
पीयूएफए	:	बहु असंतृप्त वसा अम्ल
आर एंड डी	:	अनुसंधान एवं विकास
एसएफए	:	संतृप्त वसा अम्ल
एसएचजी	:	स्वयं सहायता समूह
एसएमएस	:	लघु संदेश सेवा
एसएनएफ	:	वसाहीन ठोस
एसवीयू	:	राज्य पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय
यूपी	:	उत्तर प्रदेश
यूटी	:	संघ शासित क्षेत्र
वीएटी	:	मूल्य वर्धित कर
डब्ल्यूएचओ	:	विश्व स्वास्थ्य संगठन
डब्ल्यूटीओ	:	विश्व व्यापार संगठन

विशिष्ट सारांश

1. पशुधन परिदृश्य

देश के कुल भूक्षेत्र का मात्र 1.3 प्रतिशत भाग होते हुए हरियाणा की कृषि सशक्त देसी पशुधन आधारित उत्पादन प्रणाली से समृद्ध है तथा यह देश में गोपशु तथा भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्लों का मूल स्थान है।

हरियाणा में पशु उत्पादन प्रणाली ग्रामीण आधारित बनी हुई है, जो पूरे राज्य में लाखों छोटी/एकल इकाइयों में फैली हुई है और 95 प्रतिशत पशु ग्रामीण क्षेत्रों में पाले जाते हैं। कुल 32 लाख ग्रामीण परिवारों में से दो तिहाई से अधिक परिवारों के पास पशु हैं।

राज्य में पशुधन संख्या 95.50 लाख है और इसके अतिरिक्त 287.00 लाख कुक्कुट हैं। राज्य में वार्षिक दुग्धोत्पादन 66.61 लाख टन, अंडा उत्पादन 4.11 बिलियन और मांस उत्पादन 3.24 लाख टन तक पहुंच गया है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता प्रति दिन 660 ग्रा. से बढ़कर 708 ग्रा. और अंडों की उपलब्धता 60 से बढ़कर 160 प्रतिवर्ष/व्यक्ति हो गई है।

खाद्य एवं पोषणिक सुरक्षा के साथ–साथ भूमियुक्त या भूमिहीन, दोनों प्रकार की जनसंख्याओं के बीच आर्थिक लाभप्रदता की दृष्टि से 'पशुधन' को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि घटक के रूप में पहचाना गया है।

पशुधन एवं पशुपालन का भावी परिदृश्य जनसंख्या, विज्ञान, पर्यावरण, रोग, प्रौद्योगिकी व आर्थिक परिवर्तनों 'पूर्व दृष्टि वाली प्रौद्योगिकी' की मांगों के उपयोग व चुनौतियों को पहचानने से गंभीर रूप से प्रभावित होगा।

2. अर्थव्यवस्था की स्थिति तथा क्षेत्रीय वृद्धि

हाल ही में हरियाणा में पशुधन क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ–साथ कृषि का सर्वाधिक ऊर्जावान योगदाता बन गया है। पशुधन से प्राप्त होने वाला धन संबंधी योगदान वर्ष 2005–06 में खाद्यान्नों द्वारा दिए गए योगदान से अधिक था।

कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के कुल निर्गत 'जीडीपी' में पशुधन क्षेत्र का योगदान जो 1981–82 में 15 प्रतिशत था, 2009–10 में फसल कृषि का लगभग 50 प्रतिशत हो गया।

राज्य की आर्थिक वृद्धि के लिए कृषि के साथ–साथ उद्योगों (प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के) का निष्पादन राज्य की विकास संबंधी कार्यनीति के समक्ष गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है। वास्तव में पशुधन तथा मात्स्यकी क्षेत्रों द्वारा राज्य के आर्थिक विकास में किए गए योगदानों से कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों द्वारा 3.4 प्रतिशत की सकल वृद्धि प्राप्त करना संभव हुआ है। 11वीं योजना के दौरान फसल कृषि के कुछ उप क्षेत्रों में तो कुछ वर्षों के दौरान नकारात्मक वृद्धि रिकॉर्ड की गई।

जीडीपी में उल्लेखनीय योगदान के बावजूद हरियाणा में पशुधन क्षेत्र को (11वीं योजना में) कृषि

क्षेत्र के सार्वजनिक परिव्यय का केवल 8.2 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ और 11वीं योजना के स्वीकृत कुल परिव्यय का मात्र 0.38 प्रतिशत हिस्सा ही प्राप्त हुआ।

पशुधन क्षेत्र का ग्रामीण निर्धनता, ग्रामीण रोजगार, महिला सशक्तिकरण, युवाओं की भागीदारी, महिला एवं बाल पोषण, प्रोटीन की कमी, मृदा गुणवत्ता प्रबंध तथा उत्पादन प्रणाली के टिकाऊपन के साथ–साथ पारिस्थितिक प्रणाली की स्थिरता पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त पशु अधिकांशतः सीमित संसाधनों वाली निर्धन जनसंख्या द्वारा पाले जाते हैं तथा निर्धन लोगों की वृद्धि, उनका विकास तथा उनका सशक्तिकरण केवल पशुधन की तेज प्रगति से ही संभव है। यदि अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित होती है तो इससे संसाधनहीन वर्ग को सहायता प्राप्त होती है। अतः राज्य को अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों जैसे पशुधन की वृद्धि में तेजी लाने पर ध्यान देना चाहिए जो सर्वाधिक निर्धनों पर अधिक प्रभाव डालते हैं।

3. पशुपालन की वर्तमान स्थिति

राज्य में भारतीय पशुधन का लगभग 1.8 प्रतिशत है तथा यहां घरेलू गोपशुओं की समृद्ध सम्पदा है। हरियाणा को भारत के डेरी मानचित्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और यह राष्ट्रीय दुग्धोत्पादन में 5.5 प्रतिशत का योगदान करता है, जबकि यहां वयस्क गोपशुओं की संख्या देश की कुल संख्या की मात्र 2.79 प्रतिशत है। भैंसों से राज्य के कुल दुग्धोत्पादन का 84 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है (66 लाख टन)। देसी गायों से औसतन प्रतिदिन 4.9 कि.ग्रा. दुग्धोत्पादन होता है, विदेशी/संकर गायों से प्रतिदिन 7.9 कि.ग्रा., भैंसों से प्रतिदिन 7.1 कि.ग्रा. और बकरियों से प्रतिदिन 0.8 कि.ग्रा. दूध प्राप्त होता है।

कुक्कुट पालन इस क्षेत्र के सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक है जिसकी वार्षिक वृद्धि औसतन 6 से 9 प्रतिशत के बीच है। पिछले एक दशक के दौरान कृषि जिंसों में दूध, मांस और अंडा उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि रिकॉर्ड की गई। तथापि भेड़ों की संख्या में गिरावट आने के कारण ऊन के उत्पादन में कमी आई है।

अतिरिक्त पारिवारिक श्रम के उपयोग और पशुओं के पालने के लिए स्थानीय रूप से फसल अपशिष्टों, घासों व खरपतवारों की उपलब्धता के कारण पशुपालन आजीविका के महत्वपूर्ण साधनों में से एक है क्योंकि इससे पोषणिक सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ–साथ नियमित रूप से आय प्राप्त होती रहती है तथा इसके द्वारा संसाधनहीन पशु स्वामियों व किसानों को सर्वाधिक टिकाऊ आजीविका उपलब्ध होती है। श्रेष्ठ मुर्रा भैंसों की पहचान के लिए प्रोत्साहन आधारित फील्ड निष्पादन रिकॉर्डिंग कार्यक्रम और खुरपका व मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम पशुधन विकास से संबंधित सफलता की कहानियां हैं।

4. पशुधन उत्पादन

हरियाणा राज्य विश्व प्रसिद्ध मुर्रा भैंस जिसे अब भारत का काला सोना नाम दिया गया है, जैसी समृद्ध पशुधन सम्पदा के लिए विख्यात है। कुल 59.53 लाख भैंसों में से राज्य की लगभग 76

प्रतिशत भैंसें मुर्रा नस्ल की हैं। कुल 15.52 लाख गोपशुओं की संख्या में से 6.27 लाख हरियाणा नस्ल की, 5.66 लाख विदेशी नस्ल की व उनके संकर हैं।

पशुओं के घनत्व को पशुधन की प्रति वर्ग कि.मी. इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। यह इकाई राज्य में 141 है जो पंजाब की 113 पशुधन इकाई प्रति वर्ग कि.मी. से अधिक है, राजस्थान के घनत्व (64 पशुधन इकाई / वर्ग कि.मी.) की तुलना में दुगने से अधिक है, और हिमाचल प्रदेश के घनत्व (49 पशुधन इकाई / वर्ग कि.मी.) की तुलना में लगभग तीन गुनी अधिक है। राज्य में प्रति वयस्क गोपशु 5.10 लिटर का औसत दैनिक दुग्धोत्पादन राष्ट्रीय औसत 2.61 लिटर की तुलना में लगभग दुगना है। पंजाब को छोड़कर (6.67 लिटर) अन्य पड़ोसी राज्यों में पशु उत्पादकता इससे बेहतर नहीं है जो हिमाचल प्रदेश में 1.61 लिटर, राजस्थान में 2.31 लिटर और उत्तर प्रदेश में 2.99 लिटर है।

इस क्षेत्र में निम्न निष्पादन के प्रमुख कारणों को पहचानना कठिन नहीं है। घटिया आनुवंशिकी के अतिरिक्त अधिकांश पशु उपयुक्ततम से निम्न स्थितियों में पाले जाते हैं। पशुओं के उच्च घनत्व के कारण गुणवत्तापूर्ण आहार और चारे की उपलब्धता इस क्षेत्र की एक प्रमुख बाधा बनी हुई है। इसका कारण बढ़ती हुई मानव जनसंख्या भी है। सदियों पुरानी, परंपरागत पशुपालन की विधियों में न्यूनतम वैज्ञानिक / प्रौद्योगिकी नवीन खोजें व परिवर्तन हुए हैं। मूल्यवर्धन तथा संगठित विपणन का स्तर भी काफी निम्न है।

हाल के वर्षों में डेरी उत्पादन प्रणाली में स्वागत योग्य परिवर्तन हुए हैं। परंपरागत, परिवार आधारित, निम्न निवेश वाली, गहन और संसाधन संचालित प्रणाली का स्थान सघन, उच्च निवेश वाली, मांग आधारित व वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक उत्पादन प्रणाली ने लिया है।

राज्य में गुणवत्तापूर्ण पशु बीजोत्पादन को उच्च प्राथमिकता दी है तथा 2011–12 में 29 लाख गर्भाधान कराए गए। इसके साथ ही ऐसे श्रेष्ठ पशुओं के लिए प्रोत्साहन आधारित फील्ड निष्पादन परीक्षण कार्यक्रम चलाए गए जिनकी न्यूनतम दैनिक दुग्धोत्पादन क्षमता 13 लिटर दूध है।

राज्य ने दुग्ध सहकारी डेरी फेडरेशन का गठन किया है जो दुग्ध संघों को मिलाकर गठित की गई है तथा यह फेडरेशन द्वारा चलाए जा रहे संयंत्रों को दूध बेचती है। वर्ष 2011–12 के दौरान औसत दूध की खरीद 5.23 लाख लिटर प्रतिदिन थी, जिसमें से अधिकांश को तरल दूध के रूप में बेचा गया और केवल अतिरिक्त दूध को ही उत्पादों में बदला गया।

यद्यपि राज्य में दो विशिष्ट अलग–अलग कृषि पारिस्थितिक अंचल हैं जो परंपरागत रूप से पशुधन प्रजातियों के संदर्भ में क्षेत्रीय पसंदगियों वाले हैं, लेकिन कुल दुग्धोत्पादन में प्रत्येक जिले में जो अंतर है, उसका कारण सम्बद्ध जिले में पशुओं की संख्या है न कि पशु उत्पादकता में अंतर। उपलब्ध दुग्धोत्पादन के आंकड़ों के आधार पर विभिन्न जिलों को निम्न या उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों में समूहीकृत नहीं किया जा सकता है। कम जल उपलब्धता वाले शुष्क क्षेत्रों में छोटे रोमंथियों की संख्या अधिक है क्योंकि ये मुख्यतः राज्य के असिंचित जिलों में संसाधनहीन या कम संसाधन वाले वर्ग द्वारा पाले जाते हैं। कुक्कुटों की सर्वोच्च सघनता बड़े महानगरीय कस्बों के आस–पास है जिसका स्पष्ट कारण विपणन संबंधी लाभ है।

वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य में मांस का उत्पादन 3.24 लाख टन था जिसमें से कुक्कुट मांस का योगदान 96 प्रतिशत था। हरियाणा में प्रति व्यक्ति मांस की प्रति वर्ष उपलब्धता 12.60 कि.ग्रा. रही। कुक्कुटों की संख्या भी 2003 में 13.60 मिलियन थी, वह 2007 में बढ़कर 28.70 मिलियन अर्थात् दुगने से भी अधिक हो गई। वर्तमान वार्षिक ऊन उत्पादन 12.87 लाख कि.ग्रा. वार्षिक दर पर नीचे आ गया जबकि यह वर्ष 2003–04 में सर्वाधिक 25.18 लाख कि.ग्रा. था।

5. आहार और चारा

सममिश्रित 'संतुलित' गोपशु एवं पशुधन चारे की वार्षिक आवश्यकता राज्य में लगभग 7 मिलियन टन है जो दुग्ध की उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ने के साथ बढ़ सकती है। हरियाणा देश के अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन वाले राज्यों में से एक है। तथापि, मानव से पशु आहार में लाया जाने वाला परिवर्तन मनुष्यों व पशुओं की संख्या संबंधी प्रकृति तथा पर्यावरणीय घटकों पर निर्भर होगा। सामुदायिक चरागाहों/चरण भूमियों के लुप्त होने से आहार व चारे की बहुत कमी है तथा कोई भी सरकारी एजेंसी चारा बीजोत्पादन का उत्तरदायित्व वहन नहीं कर रही है। इसके साथ ही राज्य में आहार एवं चारा से संबंधित विकास की कोई प्रभावी कार्यनीति भी नहीं है।

6. हरियाणा में पशुधन क्षेत्र का विश्लेषण

विशेषज्ञों तथा पणधारियों के साथ हुई चर्चाओं और किसानों के द्वारा उठाए गए मुद्दों के आधार पर वर्तमान निष्पादन बनाम किसानों के परिदृश्य का विश्लेषण किया गया। घटिया पशु आनुवंशिकी के कारण राज्य में पशुधन की उत्पादकता चिंता का विषय बना हुआ है। पशुधन में सुधार के संदर्भ में डेरी सहकारिताओं और डेरी फेडरेशन की उपस्थिति बहुत सीमित है। डेरी के 3 महत्वपूर्ण खण्डों नामतः उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन की संरचनात्मक कार्यप्रणाली दोषपूर्ण है तथा गोपशुओं, भेड़ों व बकरियों, सूअरों और कुक्कुटों के विकास में राज्य की बहुत कम क्रियाशील भूमिका है।

स्वास्थ्य संबंधी देखभाल केवल अचल पशुचिकित्सा संबंधी चिकित्सालयों तक सीमित है जो सुरक्षात्मक (आपदा/प्रतिक्रियाशील भूमिका) उपचार प्रदान करते हैं। यहां अपकुशल प्रोइफाइलेक्सिस है तथा पशु झुण्ड स्वास्थ्य प्रबंध भी अपर्याप्त है। स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं किसानों/पशुपालकों के घर के दरवाजे पर उपलब्ध नहीं हैं। बांझपन के कारण कम से कम 25 प्रतिशत उत्पादन क्षति होती है।

दूध में प्रसंस्करण व मूल्यवर्धन सीमित है तथा मांस सर्वाधिक उपेक्षित क्षेत्र है जिसकी साज–संभाल असंगठित विधि से होती है।

पशुधन के लिए अपर्याप्त बजट सहायता कृषि के इस निम्न प्राथमिकता वाले उप क्षेत्र के लिए सदैव कम रही है तथा संस्थागत ऋण का बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होना इस क्षेत्र की प्रमुख बाधाओं में से एक है।

पशुचिकित्सा एवं पशुपालन संबंधी विस्तार सेवाएं लगभग नहीं के बराबर हैं तथा कुशलता के

उन्नयन, क्षमता निर्माण व मानव संसाधन के प्रशिक्षण व विकास पर बहुत कम बल दिया गया है।

अनेक विभाग/एजेंसियां सामान्य लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रहे हैं लेकिन उनमें कोई तालमेल या समन्वयन नहीं है। इसके कारण अधिक व्यय होने पर भी बहुत कम लाभ प्राप्त होता है।

विचारधारा या मत बनाने वाले निकाय/मंच/एसोसिएशनों/नस्ल सोसायटियों की अनुपस्थिति में कोई सशक्त नीति नहीं है। इसके साथ ही अनाज वाली फसलों के स्थान पर चारे के उत्पादन के लिए कोई प्रोत्साहन का प्रावधान नहीं है। क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था नहीं है जबकि खेती करने वालों को होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति होती है। अतः अचानक रोग फैलने या किसी आपदा के आने अथवा किसी ऐसी महामारी के होने पर जब पशु सर्वाधिक प्रभावित होते हों, विशेषकर छोटे रोमंथी पशुओं और पक्षियों पर उन महामहारियों का अधिक प्रभाव होता हो तो क्षतिपूर्ति हेतू कृषि में होने वाली क्षति की पूर्ति के समान व्यवस्था नहीं है।

7. पशुधन सुधार

राज्य में पशुधन उत्पादन में सुधार के संबंध में अनेक मुद्दों और चिंताओं को पहचानकर उन पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। इसमें हरियाणा में गोपशुओं का प्रवर्धन, पशुओं की पहचान व रिकॉर्ड रखना और आवारा पशुओं से निपटना तथा नर गोपशुओं की संख्या से निपटना जैसे मुद्दे शामिल हैं।

भैंस तथा इसकी आनुवंशिक श्रेष्ठता का लाभ उठाया जाना चाहिए। हरियाणा के लिए ब्राण्ड के रूप में इसे पहचाना जाना चाहिए तथा भैंस के दूध का गुणवत्ता एवं संघटन के संदर्भ में लाभ लिया जाना चाहिए। ऐसा विशेषकर उन उत्पादों के निर्माण में किया जाना चाहिए जो केवल भैंस के दूध से ही तैयार होते हैं और जिनका वैश्विक बाजार है।

मांस पशुओं के रूप में नर भैंसों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है तथा प्रति वर्ष पैदा होने वाले लाखों कटड़ों की उपेक्षा के माध्यम से नर भैंसों को मृत्यु से बचाने की आवश्यकता है। इसके लिए नरों के उत्पादन के लिए उर्वर बछड़ों को संगठित रूप में पालने की एक सुगठित नीति बनाई जानी चाहिए और साथ ही मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाले नर भैंसों के लिए भी उचित नीति होनी चाहिए। भैंसों में पोषण, पोषक तत्वों का विभाजन व परिवर्तन दक्षता संबंधी लाभ का उपयोग इस प्रजाति की उर्वरता संबंधी कमी के उत्तर में किया जाना चाहिए।

किसानों/पशुपालकों के लिए दूध का मूल्य निर्धारण एक प्रमुख मुद्दा है जिसका वर्तमान मानक दूध में वसा अंश है (4%)। इससे कम वसा वाले गाय के दूध तथा संकर नस्ल के उन पशुओं की समस्या हल नहीं होती है जिनमें दूध की मात्रा अधिक होती है और वसा कम होने के कारण वे हानि की अवस्था में रहते हैं। अधिकांश अन्य राज्यों में यह मानक 3.5 प्रतिशत है जो इस राज्य की तुलना में कम है तथा संकर नस्ल के गोपशुओं के दूध में मौजूद वसा अंश से मेल खाता है। गाय के दूध में वसा अंश को इस राज्य में विद्यमान 4.0 प्रतिशत से घटाकर 3.5 प्रतिशत तक कम करने की तत्काल आवश्यकता है। इस संबंध में राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी कर सकती है और यदि कोई वैधानिक वांछित औपचारिकता हो तो उसे पूरा कर सकती है, ताकि राज्य में संकर नस्लों को प्रोत्साहन मिल सके और दूध का उत्पादन बढ़ सके।

पशु स्वामियों को अल्प समय में वांछित सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक समर्पित पोर्टल आरंभ करके पशुधन क्षेत्र को सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना चाहिए।

ग्रामीण और शहरी खाद्य पदार्थों की मांग में होने वाले परिवर्तन, पशुओं तथा मानव जनसंख्याओं के भोजन व आहार में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए आहार एवं पोषक तत्व संबंधी आवश्यकता में बदलाव लाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से भावी पशुधन उत्पादन में वृद्धि से अनाज व पोषक तत्वों की मांग भी बढ़ेगी, इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए।

ए–2 /ए–1 जीन के परिप्रेक्ष्य में दूध के बीटा कैसीन में आनुवंशिक विविधता की सम्बद्ध भूमिका तथा इसके मानव स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव को परस्पर सह–संबंधित करने की आवश्यकता है।

गाय के दूध का प्रश्रयशील मूल्य निर्धारण तथा अनुदानित दर पर सांद्र मिश्रण उपलब्ध कराने के साथ श्रेष्ठ गोपशुओं तथा भैंसों के लिए नगद प्रोत्साहन को पशुधन उत्पादन प्रवर्धित करने वाले कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। फसल कृषि के लिए उपलब्ध सभी प्रोत्साहन समान आधार पर पशुधन के लिए भी उपलब्ध होने चाहिए।

आनुवंशिक सुधार के लिए प्रमुख मुद्दों तथा चिंताओं को रेखांकित करते हुए उन पर विचार किया गया है।

इस तथ्य के बावजूद भी कि राज्य में अर्थव्यवस्था तथा कुल कृषि उत्पादन प्रणाली में पशुपालन का बड़ा हिस्सा है, इस क्षेत्र में व्यवसाय विद, कार्मिकों की संख्या अत्यधिक अपर्याप्त है, ऐसा विशेष रूप से तेजी से बढती हुई विशेषज्ञतापूर्ण/विशेषज्ञ मांग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिक है; अस्पतालों, चिकित्सीय निदान, घर के आस–पास देखभाल, अति विशिष्टता, अति श्रेष्ठ नैदानिक चिकित्सालयों तथा निधियों की इस क्षेत्र में विशेष कमी है।

सस्ती दर पर, नए संयुक्त/ पॉलीवैलेंट/ताप प्रतिरोधी पशु टीके उत्पन्न करने के लिए विशेष अनुसंधान एवं विकास प्रयासों की आवश्यकता है। ये टीके ऐसे होने चाहिए जो सुरक्षित हों, अधिक प्रभावी हों, तथा लम्बे समय तक चलने वाली रोगरोधिता से युक्त होने के साथ लगाने में आसान हों। प्रभावी तथा सस्ती नैदानिकी/नैदानिक किटों/पशु स्थलों पर परीक्षणों/जैविक युक्तियों की बहुत मांग है और इन्हें प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने की आवश्यकता है।

एफएमडी–सीपी के अतिरिक्त राज्य में किसी अन्य पशुरोग के विरुद्ध कोई विशिष्ट नियंत्रण कार्यक्रम नहीं है। अन्य मारक रोगों जैसे एचएस, पीपीआर, शूकर ज्वर और ब्रूसेलॉसिस आदि के लिए इसी प्रकार के नियंत्रण कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। चूंकि रोग नियंत्रण संबंधी उपायों की सफलता भरोसेमंद तथा सशक्त महामारी विज्ञानी आंकड़ा आधार पर निर्भर करती है, अतः रोग पैटर्न का पूर्वानुमान, प्रशिक्षित तथा अति निपुण जनशक्ति और निवेशों की गुणवत्ता के मामले में राज्य को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि इस क्षेत्र में बेहतर और अनवरत सफलता प्राप्त हो सके।

8. पशु स्वास्थ्य

इस रिपोर्ट में राज्य द्वारा किए जाने वाले पशु स्वास्थ्य, रोग की निगरानी, अंचलीकरण, टीकाकरण और नियंत्रण तथा पशुचिकित्सा देखभाल से संबंधित अनुशंसाएं की गई हैं तथा कम से कम बड़े

वाणिज्यिक झुण्डों के लिए निजी स्वास्थ्य प्रबंध प्रणाली की संभावना तलाश करने की सिफारिश की गई है। इसमें उन आउट सोर्सिंग क्रियाकलापों के लाभों को भी पहचाना गया है जो दैनंनीय और पुनरावृत्ति प्रकार के हैं। राज्य में स्वास्थ्य प्रबंध के लिए विशेष प्रबंधन संवर्ग हेतु प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता है और इसके साथ ही राज्य पशुचिकित्सा सेवाओं, डेरी विकास और डेरी फेडरेशन के पुनर्गठन की भी आवश्यकता है।

9. पशु उद्योग एवं उत्पादन उपरांत साज–संभाल

दूध, मांस, कुक्कुट (अंडा, ब्राइलर), आहार, औषधियों तथा टीकों के लिए उद्योग के संदर्भ में पशु उत्पादन के दोहन की बहुत संभावना है जिसका उपयोग राजस्व सृजन, मूल्यवर्धन और विपणन की निहित क्षमता की दृष्टि से अभी तक नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप पशुधन उत्पादकों को बहुत हानि होती है क्योंकि वे अपने उत्पाद का सही मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं और लाभ का अधिकांश हिस्सा बिचौलियों की जेब में चला जाता है। उपयुक्ततम परिचालन की स्थितियों में भी राज्य के अतिरिक्त दूध का केवल 35 प्रतिशत (कुल दूध का 16.2%) ही डेरी संयंत्रों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अतिरिक्त दूध का बहुत बड़ा भाग अब भी असंगठित क्षेत्र (मिठाई की दूकानों, दूधियों, खोमचे वालों आदि) द्वारा नियंत्रित है। असंगठित क्षेत्र से संरक्षित क्षेत्र को अतिरिक्त दूध की साज–संभाल व प्रसंस्करण का काम सौंपा जाना डेरी फार्मिंग की टिकाऊ लाभदायकता की कुंजी सिद्ध हो सकता है। भैंस के मांस उत्पादन का राज्य में अतुलनीय अवसर मौजूद है जिससे पशुओं की अवस्था में तेजी से सुधार हो सकता है, निवेश से उच्च लाभ प्राप्त हो सकता है, किसानों/पशु स्वामियों का लाभ बढ़ सकता है, आर्थिक वृद्धि हो सकती है और मानवीय विकास हो सकता है। ग्रामीण कुक्कुट मांस व अंडा उत्पादन स्वास्थ्य एवं पोषण के संबंध में निर्धनों के लिए रूपांतरण एजेंट की भूमिका निभा सकता है।

अनिवार्य पोषक तत्वों/सूक्ष्म पोषक तत्वों की चिरकालिक कमी हमारे पशुधन की आनुवंशिक क्षमता पर अपना पूरा–पूरा प्रभाव डाल रही है। सममिश्रित गोपशु आहार, खनिज मिश्रण तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ सम्पूरित आहार खिलाने की विधि पशु स्वामियों/पालकों के बीच अब भी लोकप्रिय होनी बाकी है। सामान्य चरण स्थलों व चरागाहों का गहन फसल उत्पादन, तेजी से बढ़ते शहरीकरण के साथ–साथ उद्योगों की वृद्धि के कारण गायब होना तथा शिक्षित युवाओं की पशुपालन में रुचि न होना इन रुकावटों को और अधिक बढ़ाने वाले कारक हैं।

अपर्याप्त बजट सहायता के साथ अपर्याप्त संस्थागत ऋण इस संबंध में सीमाकारी घटक बने हुए हैं। प्रौद्योगिकी की नई–नई खोजें तथा अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा इन्हें अपनाना न्यूनतम स्तर पर है। मूल्यवर्धन के निम्न स्तर तथा असंगठित विपणन संरचना प्राथमिक उत्पादकों को कम लाभ दिलाने के प्रति उत्तरदायी हैं। यह क्षेत्र निजी निवेश को आकर्षित करने में असफल रहा है। मूल्यवर्धन के लिए स्वयं सहायता समूहों, सहकारिताओं व उत्पादक कंपनियों का आगे आना तथा फसलों की खेती के समान अग्रगामी सम्पर्क स्थापित करना पशुधन के क्षेत्र में अभी स्वप्न ही बना हुआ है।

10. अनुसंधान एवं विकास संबंधी क्रियाकलाप

किसानों, पशुस्वामियों, पशुपालन संबंधी व्यवसायविदों तथा पणधारियों के मुद्दों और चिंताओं से निपटने के लिए विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु अनुसंधान एवं विकास संबंधी अनेक अनुशंसाएं की गई हैं। प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है, कार्यनीतियों का भावी मानचित्र तैयार किया गया है और निम्न कार्य बिंदु सुझाए गए हैं:

- गहन पशुधन उत्पादन
- अर्ध–गहन परिनगरीय या ग्रामीण समेकित पशुधन उत्पादन प्रणाली
- आहार संसाधनों को बढ़ाना तथा पशुधन पोषक तत्वों के वैकल्पिक संसाधन
- भेड़ों, बकरे–बकरियों व सूअरों के लिए आनुवंशिक सुधार की कार्यनीतियां तथा नीतियां
- सहायी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से कुशल प्रजनन प्रबंध
- उत्पाद विकास/भैंस ब्राण्ड के लिए मूल्यवर्धन; पशुधन उत्पाद का प्राथमिक प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं विपणन
- सीमा पारीय तथा उभरते हुए रोगों के विरुद्ध स्वास्थ्य सुरक्षा प्रबंध
- चारे, आहार, नस्लों, पशुओं के व्यवहार, स्वास्थ्य एवं उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव
- परंपरागत प्रमाणित बुद्धिमत्ता/ज्ञान का प्रलेखन तथा लागत प्रभावी, पारिस्थितिक मित्र व हरित पशुधन उत्पादन के लिए परीक्षण
- पशु स्वास्थ्य, कार्यिकी, उत्पादन, प्रजनन और व्यवहार पर जैविक व अजैविक प्रतिबलों (आर्द्रता, तापमान) का प्रभाव
- फार्म इकाइयों, डेरी फार्मों, कुक्कुट फार्मों, डेरी और मांस संयंत्रों, चमड़ा उद्योगों, आहार कारखानों आदि में सृजित पशुधन अपशिष्ट का प्रसंस्करण व उसका परिवर्तन

11. कार्यक्रमों का एकीकरण

विशेष रूप से, योजनाओं की अधिक संख्या के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के बीच परस्पर तालमेल और एकरुपता विकसित करने की आवश्यकता है जिसका विवरण इस रिपोर्ट में किया गया है। इसके साथ ही कृषि में वित्तकरण तथा प्रबंध, ग्रामीण विकास, पशुपालन एवं अन्य विभागों के बीच भी पारस्परिक समन्वयन की आवश्यकता है।

12. सहायी प्रजननशील प्रौद्योगिकियां

तेजी से आनुवंशिक सुधार तथा पशु उत्पादकता एवं स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए उपलब्ध प्रजनन संबंधी जैवप्रौद्योगिकीय तकनीकों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि परंपरागत प्रौद्योगिकियों में मौजूद कमियों को दूर किया जा सके। गोपशुओं तथा भैंसों, दोनों के मामले में गुणवत्तापूर्ण जननद्रव्य की मौजूदा कमी को इन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से प्रभावी रूप से दूर किया जा सकता है। वांछित लिंग की संतति के प्रश्रय को इन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से प्रभावी रूप से हासिल किया जा सकता है।

13. नीति संबंधी मुद्दे

इस रिपोर्ट में पशुधन से संबंधित उन अनेक मुद्दों और क्रियाकलापों की पहचान की गई है (अध्याय 18 में) जिनके लिए सरकार तथा राज्य के पशुपालन एवं डेरी विभाग के स्तर पर नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। इनमें सभी पशुओं की पहचान व उनका पंजीकरण, सभी पशुधन प्रजातियों के लिए नस्ल तथा प्रजनन संबंधी नीति और वृहत गोपशु केन्द्रित विकास स्कीम/कार्यक्रम – गोवर्धन जैसी योजनाएं शामिल है। गोवर्धन और चारामणि (चारा उत्पादन कार्यक्रम) स्कीमों के कार्यान्वयन से गोपशु विकास कार्यक्रम को एक नया बल मिलेगा जिसका अनुरोध सशक्त रूप से किसानों द्वारा किया गया है तथा इसे पशुधन या पशु स्वामियों/किसानों की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक भी पाया गया है। इसके अंतर्गत **राज्य के लिए ब्राण्ड के रूप में भैंस** को विकसित करना शामिल है।

नीति संबंधी उपायों से जननद्रव्य विकास और वितरण, आवारा पशुओं की जनसंख्या, पशुधन/नस्ल संरक्षण, महिला स्वयं सहायता समूहों का निर्माण व उनकी सहायता, चारा, आहार, नस्लों, पशुधन स्वास्थ्य व उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, पशु बीमा आदि जैसे मुद्दों से भी निपटा जा सकता है।

14. पर्यावरण तथा जैव–सुरक्षा

गहन ग्रामीण से अर्ध–सघन और सघन परिनगरीय से ग्रामीण पशुधन उत्पादन प्रणाली की दिशा में परिवर्तन की आवश्यकता है जिसके अंतर्गत जैव–सुरक्षा, खाद्य स्वच्छता तथा पर्यावरणीय मुद्दों के साथ–साथ उत्पाद की गुणवत्ता नियंत्रण और उत्पादों के साथ–साथ पशुधन उत्पादन के लिए वांछित निवेशों को भी शामिल किया जाना चाहिए। सुधार हेतु जलवायु के प्रभाव के मात्रात्मक निर्धारण तथा इस हेतु कार्यनीतियों को तैयार करने की आवश्यकता है। पर्यावरण को टिकाऊ बनाने के लिए प्रदूषण तथा कार्बन फुट प्रिंट की निगरानी की भी जरुरत है।

15. पशुधन मिशन

किसी भी विभागीय कार्यनीति में मुख्य ध्यान उस गरीब ग्रामीण जनसंख्या की ओर दिया जाना चाहिए जिनमें से अधिकांशतः अपनी आजीविका पशुधन के माध्यम से चलाते हैं। विभागीय कार्यक्रमों में इस संदर्भ में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की आवश्यकता है। राज्य के लिए **पशुधन मिशन** के अंतर्गत समन्वित दृष्टिकोण को पशुपालन संबंधी सभी कार्यक्रमों में एकरूपता लाते हुए लागू किया जाना चाहिए, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में राज्य के विभागों के बीच तालमेल को और उजागर किया जाना चाहिए तथा इसके लिए (अन्य बातों के साथ) मानदंड निर्धारित किया जाना चाहिए, ताकि इन कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जा सके व इनकी निगरानी हो सके। यदि हमें हरियाणा राज्य में कृषि के क्षेत्र में 5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर प्राप्त करनी है तो राज्य पशुधन विकास मिशन की स्थापना के माध्यम से पशुधन क्षेत्र को तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस मिशन की अपनी योजना को तथा पशुधन तथा कुक्कुट संबंधित विभिन्न विकासात्मक स्कीमों

का संचालन इसके हाथ में हो, जैसे चारा और आहार विकास, रोगों से बचाव व उनका नियंत्रण, जैव–विविधता का संरक्षण, प्रजनन नीति, कार्यनीतियां व प्रसंस्करण, पशुधन उत्पाद का मूल्यवर्धन व विपणन।

पशुधन मिशन को पशुधन के वर्तमान और भावी संदर्भ में क्षेत्रीय/विभागीय परिप्रेक्ष्यों की जांच करनी चाहिए क्योंकि राज्य में उद्योग के रूप में अनूठे पशु संसाधन व आनुवंशिक श्रेष्ठता मौजूद है, स्थानीय पशुधन उत्पाद उपलब्ध हैं, राज्य पशुधन व पशु उत्पादों के लिए ब्राण्ड समानता विकसित करने के अवसर हैं, अनुकूल कृषि पारिस्थितिक विज्ञान है, अनुकूल भौगोलिक स्थिति है, पशुधन श्रेष्ठता है, ग्रामीण खाद्य प्रश्रय है, तथा कृषि अर्थव्यवस्था व सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में भोजन, दूध एवं दुग्धोत्पादों, मांस एवं मांस उत्पादों, पशु चिकित्सा संबंधी औषधियों, डेरी फार्मिंग आदि से संबंधित संकल्पनाओं को उचित स्थान प्राप्त है।

इस प्रकार का प्रस्तावित **पशुधन मिशन** पशुपालन तथा अन्य विभागों के कार्यक्रमों में मौजूद प्रोत्साहनों तथा सहायता की जांच करेगा व उसकी आवश्यकता के बारे में बताएगा, ताकि यह विभाग गरीबी को दूर करने में प्रभावी भूमिका निभा सके, त्वरित लाभ प्रदान कर सके, लाभ को तेजी से बढ़ा सके, ग्रामीण और शहरी रोजगार उपलब्ध करा सके, स्थानीय व छोटे पैमाने वाले उद्योगों व उद्यमों को बढ़ावा दे सके, फसल उत्पादकता को और सक्षम बना सके, महिलाओं के लिए लाभदायक रोजगार सृजित कर सके, बच्चों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित कर सके तथा बेहतर पोषण व प्रोटीन उपलब्धता के माध्यम से परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कर सके। ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो पशुधन तथा पशुपालन के क्षेत्र में आदि से लेकर अंत तक हल किए जाने हैं।

16. पशुधन विकास संबंधी प्राचल और लक्ष्य – दृष्टि 2020

इस रिपोर्ट में पशुधन विभाग के लिए उद्देश्यों और लक्ष्यों के संदर्भ में 2020 के लिए दृष्टि या परिदृश्य का मात्रात्मक निर्धारण किया गया है। हरियाणा में पशुधन विकास की अवस्था व स्थिति की समझ के आधार पर एक भावी मार्गदर्शी मानचित्र विकसित किया गया है जो इस रिपोर्ट का एक भाग है, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था के इस सर्वाधिक ऊर्जावान क्षेत्र का सकल विकास सुनिश्चित हो सके।

17. अनुशंसाओं का सारांश

कार्यक्रमों, परियोजनाओं तथा नीति संबंधी मुद्दों से जुड़ी सिफारिशों को एक साथ संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। यदि इन अनुशंसाओं को निर्धारित समय–सीमा के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाता है तो इससे राज्य के किसानों की अग्रगामी स्थिति सुनिश्चित होगी तथा इसके साथ ही पशु स्वामियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि सक्षम होगी तथा हरियाणा का ऐसे राज्य के रूप में रूपांतरण होगा, जो देश में कृषि वृद्धि व विकास की दृष्टि से एक आदर्श राज्य सिद्ध होगा। इस प्रकार की वृद्धि प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण प्राचलों के बारे में बताया गया है तथा विकासात्मक परिदृश्य में उनकी मात्रात्मक एवं गुणात्मक भूमिका की पहचान की गई है।

अध्याय 1

1.0 परिचय

1.1 प्रस्तावना

हरियाणा राज्य का पशुधन उत्पादन के मामले में देश में अत्यंत प्रमुख स्थान है तथा कृषि उत्पादकता में भी इसका उल्लेखनीय योगदान है। देश के कुल भूक्षेत्र का मात्र 1.3 प्रतिशत भाग होते हुए भी हरियाणा की कृषि को सशक्त देसी पशुधन का वरदान प्राप्त है जिसपर आधारित सबल उत्पादन प्रणाली है। यह राज्य देश में गोपशुओं और भैंसों की सर्वश्रेष्ठ नस्लों का मूल स्थान है। वर्ष 2007 की गणना के अनुसार पशुओं की संख्या 90.50 लाख थी और इसके साथ ही 287.00 लाख कुक्कुट वर्गीय पक्षी थे। वर्ष 2011–12 के दौरान वार्षिक दुग्धोत्पादन 66.61 लाख टन हो गया था जो 2003–04 के दौरान कुल` 52.21 लाख टन उत्पादन की तुलना में काफी अधिक था। इसी अवधि के दौरान अंडों का उत्पादन 1.28 बिलियन से बढ़कर 4.11 बिलियन हो गया और मांस का उत्पादन 1.60 लाख टन से बढ़कर 3.24 लाख टन हो गया। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 660 ग्रा. प्रतिदिन से बढ़कर 708 ग्रा. प्रति/दिन हो गई और अंडों की प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति उपलब्धता 60 से बढ़कर 162 हो गई। पशुधन उत्पादन से होने वाली वृद्धि दर फसल समूह से रिकॉर्ड की गई वृद्धि की तुलना में काफी आगे रही (2004 से 2012 की अवधि के दौरान अंडों की 321%, मांस की 203%, दूध की 28%) तथा इससे कुल कृषि वृद्धि टिकाऊ बनी रही।

टिकाऊ आधार पर कृषि उत्पादन को सक्षम बनाना तथा पशुधन से अधिक लाभ सुनिश्चित करना, उत्पादन प्रणाली तथा जिस पर्यावरण में कार्य किया जा रहा है, उसे भली प्रकार समझने पर निर्भर करता है।

1.2 पशुधन – भावी परिदृश्य

भारतीय कृषि को जो सर्वाधिक प्रभावित करता है वह आसपास तेजी से होने वाला परिवर्तन है। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या पर बहुत दबाव है जिसके विविध कारण हैं, लेकिन इनकी जड़ें भोजन, कृषि और व्यवस्था को माना जा सकता है। हाल ही में भूमिहीन या भूमियुक्त जनसंख्या के लिए खाद्य एवं पोषणिक सुरक्षा तथा आर्थिक लाभप्रदता के लिए कृषि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक माना गया है और कृषि में भी पशुधन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटकों में पहचाना गया है। पशुपालन, पशुचिकित्सा आयुर्विज्ञान, पशु स्वास्थ्य तथा पशुचिकित्सा आयुर्विज्ञान शिक्षा, जनसंख्याविज्ञान, पर्यावरण, रोग, प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक परिवर्तनों पर अत्यधिक उल्लेखनीय प्रभाव डालते हैं। कुछ प्रमुख परिवर्तनों में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है :

- आर्थिक दबाव के कारण उर्वर उत्पादन भूमि का कृषि इतर उद्देश्यों हेतु आबंटन।
- इस प्रकार मानव तथा पशु जनसंख्या का दबाव टिकाऊ उत्पादन वृद्धि के मामले में एक सीमित संसाधन सिद्ध हो रहा है। जनसंख्याओं के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा उत्पादन प्रणाली पर दबाव डाल रही है।
- जनसंख्या, जनसांख्यकी, संजातिय, सामाजिक तथा जाति संबंधी मुद्दे, बढ़ते हुए सामाजिक–आर्थिक दबाव अक्सर एक–दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं और विकासात्मक उपलब्धियों को निष्फल कर देते हैं। समाज में विविधता निरंतर बढ़ती रहेगी और इसका प्रभाव मूल्यों पर पड़ेगा।
- सिकुड़ती हुई जोतें, उत्पादन प्रणाली का चुकना, मृदा से पोषक तत्वों का गहन खनन, जल संसाधन की अत्यधिक कमी, फसल उत्पादन प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं जिससे फसल क्षेत्र के वार्षिक उत्पादन तथा इससे प्राप्त होने वाले लाभ में कमी आ रही है।
- पशुधन से कृषि कार्यों में अधिक लाभ तथा टिकाऊपन प्राप्त होता है। युवा पीढ़ी पशुधन उद्यमों से जुड़े व्यापार की ओर अधिक आकर्षण का अनुभव कर रही है क्योंकि इससे भूमि संबंधी कार्यों की तुलना में नियमित आय होती है, जबकि खेती से होने वाली आय अनिश्चित, अर्ध–वार्षिक और मौसमी है।
- गरीबी को हटाने, महिला सशक्तिकरण, बाल पोषण, तथा दूध पिलाने वाली माताओं तथा शिशुओं का स्वास्थ्य पशुधन से सीधे–सीधे संबंधित हैं।
- पशुधन क्षेत्र में 3.5 प्रतिशत से अधिक टिकाऊ वार्षिक वृद्धि हो रही है तथा सक्षम उप क्षेत्रों की वृद्धि 8–11 प्रतिशत प्रतिवर्ष का आंकड़ा छू रही है।
- सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना तथा संचार प्रणाली के बीच का अंतर कम कर रही है। सूचना समूल्य होती जा रही है तथा आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तिगत समूहों तक इसकी पहुंच को सुगम बनाने की आवश्यकता है।
- जलवायु, मौसम और वर्षा संबंधी स्थितियों में होने वाले परिवर्तन फसल उत्पादन, फसल उपजों तथा पूर्वानुमानित लाभों को सशक्त रूप से प्रभावित कर रहे हैं, जबकि पशु संबंधी कार्यों में ये स्थितियां यदि संबंधित कार्य प्रबंधित स्थिति में किए जाएं तो उतनी हानिकारक सिद्ध नहीं हो रही है।
- शहरी तथा ग्रामीण स्थितियों में उपभोक्ताओं की व्यय करने की शक्ति स्पष्ट रूप से बढ़ रही है जो पहले से निश्चित रूप से अधिक है जिसके कारण उपभोक्ता दूध, मांस, अंडों व विशेष डेरी, मांस उत्पादों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
- शहरी जनसंख्या में भोजन संबंधी पसंद में स्पष्ट बदलाव आ रहा है जिसके अंतर्गत वे पशु प्रोटीन तथा पशु खाद्य उत्पादों की अधिक खपत कर रहे हैं।

- ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बीच अमीर और गरीब के बीच का अंतर बढ़ रहा है। इस प्रकार, विशेष रूप से उन निर्धनों के बीच प्रौद्योगिकी के अपनाए जाने में बाधा आ रही है जिनके पास आजीविका चलाने, गरीबी को दूर करने तथा खाद्य सुरक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशुधन उपलब्ध है।
- भूमिहीन या सीमित भूमि वाले किसान अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से परिनगरीय स्थिति में गहन पशुधन उत्पादन की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। पशुधन (डेरी, सूअर पालन, कुक्कुट पालन तथा अन्य गौण उद्योग) के साथ–साथ वैकल्पिक कृषि को अपनाते हुए फसलोत्पादन लेने की दिशा में सशक्त परिवर्तन हो रहे हैं।
- रोगजनकों के उभरने से पशु तथा मानव के स्वास्थ्य को होने वाले खतरे बढ़ते जा रहे हैं – पिछले 25 वर्षों के दौरान पूरे विश्व में 38 रोगजनक उभरे हैं जिनमें से 75 प्रतिशत पशुओं से उद्भूत हैं।
- नए प्राणिरुजा (जूनोटिक) रोगों का संकट गरीब व अमीर दोनों को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी, दोनों जनसंख्याओं को इन रोगों से खतरा है, भले ही उनके पास पशु हों या न हों।
- खाद्य स्वच्छता तथा खाद्य सुरक्षा मूल्य तथा बाजार संबंधी स्थितियों को बहुत प्रभावित करते हैं।
- रोग संबंधी सूचना, नैदानिकी तथा प्रोफाइलैक्टिक्स अधिक प्रासंगिक और मूल्यवान हो गए हैं जिसके कारण सूचना तक पहुंच तथा अनुप्रयोग की समस्या के समाधान की आवश्यकता अनुभव की जा रही है।
- अधिक लाभप्रदता के कारण पशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए राज्य तथा सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भर रहने की वर्तमान स्थिति की तुलना में निजी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली व्यावसायिक सहायता का महत्व बढ़ता जा रहा है।

1.3 पशुधन के परिप्रेक्ष्य में पूर्व दृष्टि

पशुधन क्षेत्र को समाज के घटकों तथा समग्र कृषि के एक भाग के रूप में जांचे जाने तथा विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है। अब आवश्यकता है कि परंपरागत क्रियाविधि से हटकर वर्तमान में सोचने की बजाय भविष्य की ओर ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही पूर्व सोच संबंधी प्रौद्योगिकी को स्थान दिया जाना चाहिए जिसमें वर्तमान पर ध्यान देते हुए भविष्य के संदर्भ में भी कार्य किया जाए। इसके लिए विभिन्न युक्तियों से काम लेना होगा जो चुनौतीपूर्ण तो हैं ही, परिदृश्य के विकास के लिए आवश्यक भी हैं। यह क्रियाविधि पशुधन क्षेत्र का दस्तावेज तैयार करने में लागू की गई है। निम्नलिखित चुनौतियों, प्रश्नों तथा उनसे सम्बद्ध परिदृश्यों का लाभ उठाने व उनका उपयोग करने की आवश्यकता है।

- हरियाणा के 2020–2030 के पशुधन परिदृश्य को खंडित जोतों, घटते हुए मृदा पोषक तत्वों, कम उत्पादकता व जल की कमी वाली कृषि के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
- मानव और पशु जनसंख्या में होने वाली वृद्धि से विभेदनशील वृद्धि हो रही है, मानव तथा पशु संख्याओं में भिन्नता आ रही है, अनुपात भिन्नता है (प्रजातियों/जातियों के बीच) तथा रुपांतरित प्रजातियों का एक बिल्कुल नया संसार सृजित हो रहा है। इस प्रकार, एक नई प्रतिस्पर्धात्मक पशु कृषि प्रणाली जन्म ले रही है।
- गहन पशुधन उत्पादन के लिए संसाधनों की कमी है तथा सघन पशुधन उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी की कमी बनी हुई है।
- परिनगरीय क्षेत्रों में जमीनों के आसमान छूते मूल्यों के कारण परिनगरीय पशुधन संबंधी क्रियाकलाप ग्रामीण क्षेत्र की ओर हस्तांतरित हो रहे हैं।
- ग्रामीण पशुधन उत्पादन एक व्यावहारिक आर्थिक कृषि विकल्प है जिसके साथ सम्बद्ध पर्यावरणीय मुद्दे और उत्पादों की मांग जैसे पहलू जुड़े हुए हैं।
- ग्रामीण पशु/जोत जनसंख्या के बीच पशुधन संबंधी क्रियाकलापों में भागीदारी या इससे संबंधित मानवीय इच्छाशक्ति सीमित है।
- प्रति पशु उत्पादन/दूध का और/अथवा मांस का अर्थशास्त्र पशुपालन या पशुधन फार्मिंग के क्षेत्र में ध्यान में रखे जाने वाले अधिक सशक्त मुद्दे हैं न कि नस्ल या पशुओं के प्रति प्रेम इतना महत्वपूर्ण है। मूल्यवर्धन तथा विपणन पशु उत्पाद द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ की कुंजी हैं।
- पशु उत्पाद तथा उत्पाद जैव सुरक्षा/स्वच्छता विकास तथा आर्थिक लाभ के उत्पादन मानदंडों से कहीं आगे हैं।
- उत्पादन पर बल देना तथा लाभप्रद अर्थशास्त्र सार्वजनिक निजीकरण के लिए छत्रछाया/मानदंड के अंतर्गत किसानों के लिए या उनसे संबंधित प्रमुख मुद्दे हैं। उपचार तथा उपचारात्मक औषधि (स्वास्थ्य) को निजी उद्यम के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।
- बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार पशुचिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान को पुनअर्भिमुखित किया जाना चाहिए। व्यावसायिक रूप से ध्यान देने वाले क्षेत्रों को पुनः निर्धारित किया जाना चाहिए, व्यवसाय विदों की मांग बढ़ाई जानी चाहिए तथा पशुचिकित्सकों को एक विश्व, एक स्वास्थ्य तथा एक इलाज की संकल्पना सृजित करने में सक्षम होना चाहिए और इससे पशुओं तथा मनुष्यों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए।
- शैक्षणिक पशुचिकित्सा पाठ्यक्रम में समाज की पूर्वानुमानित व वर्तमान विविधता, उत्पादकता पर पड़ने वाले प्रभावों, उत्पाद की किस्म, पशुओं/उनके उत्पादों के प्रति उपभोक्ता की पसंद और उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करना जैसे विषयों को शामिल किया जाना चाहिए।

अध्याय 2

2.0 आर्थिक तथा क्षेत्रीय वृद्धि की स्थिति

2.1 हरियाणा कृषि की स्थिति

हरियाणा राज्य का 2011–12 का आर्थिक सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि 2011–12 के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी की वृद्धि दर 8.1 प्रतिशत थी जो देश की 6.0 वृद्धि की तुलना में बेहतर थी। वर्ष 2005–06 तथा 2011–12 की अवधि के दौरान हरियाणा राज्य की वृद्धि में 8.1 और 11.2 प्रतिशत के बीच उतार–चढ़ाव होता रहा। तथापि, जब हम 11वीं योजना में अर्थात् 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान कृषि के क्षेत्र में हुई वृद्धि को देखते हैं तो पाते हैं कि कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों की वृद्धि में –1.3 और 7.3 के बीच उतार–चढ़ाव आता रहा तथा इसका औसत 3.4 प्रतिशत रहा। केवल कृषि वृद्धि (फसल) को ही देखा जाए तो इसका निष्पादन नकारात्मक और चिंता का विषय रहा है (2002–03, 2005–06, 2007–08 और 2009–10 के लिए क्रमशः –1.1, –1.8, 0.0 और –1.3 प्रतिशत)।

वास्तव में उपरोक्त वर्षों के दौरान सम्बद्ध क्षेत्रों, नामतः पशुधन और मात्स्यकी से प्राप्त होने वाले योगदान में 15 प्रतिशत तक की उच्च वृद्धि दरें रजिस्टर की गईं जिससे कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों की जीडीपी वृद्धि कुल मिलाकर कृषि के लिए 3.4 की सकल जीडीपी वृद्धि दर को बनाए रखने में सक्षम हुई।

राज्य में कृषि निष्पादन के अन्य प्राचलों में, इस सर्वेक्षण के दौरान, सीमित वृद्धि देखी गई। यह बताया गया है कि कृषि में सकल अचल पूंजी निर्माण 9.6 से घटकर 8.1 प्रतिशत रह गया। हरियाणा में क्षेत्र सूचकांक, उपज तथा उत्पादन के साथ–साथ कृषि उत्पादन संबंधी सूचकांकों के मामले में अनाज उत्पादन में थोड़ी वृद्धि देखी गई, लेकिन दलहनों, तिलहनों व रेशों के मामले में गिरावट दर्ज की गई। अनेक विशेष निवेशों के बावजूद जिनसे वर्ष 2006 और 2011 की अवधि के दौरान अपेक्षाकृत अधिक उत्पादकता सुनिश्चित हुई थी, कुल खाद्यान्न तथा कुल खाद्यान्न इतर उत्पादन में बहुत कम वृद्धि रिकॉर्ड की गई।

एक अन्य महत्वपूर्ण कृषि वृद्धि संबंधी परिदृश्य यह है कि कुल जीडीपी में कृषि से प्राप्त होने वाला क्षेत्रीय योगदान न केवल कम हो रहा है, बल्कि कृषि उप क्षेत्र में निवल वृद्धि दर में होने वाली गिरावट अत्यधिक स्पष्ट दिखाई दे रही है। सेवा क्षेत्र का राज्य की जीडीपी में हिस्सा 2011–12 के दौरान सशक्त होकर 54.6 प्रतिशत हो गया, जबकि कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में कम होकर 16.3 प्रतिशत रह गया। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों के निष्पादन के मामले में और भी अधिक क्षोभजनक हुआ है।

वास्तव में सेवा क्षेत्र जीडीपी की वृद्धि के लिए उत्तरदायी रहा है तथा इसने उद्योग तथा कृषि के निष्पादन को प्रभावित किया है। यही वह स्थिति है जो राज्य की विकासात्मक कार्यनीति के समक्ष गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत कर रही है। वास्तव में सेवा के उप क्षेत्र में रियल एस्टेट का प्रभुत्व है जो राज्य के कृषि के विकासात्मक मॉडल को आगे बढ़ाने में बाधक हो रहा है। वास्तविकता यह है कि राज्य में पशु व फसल उत्पादन की प्रमुखता होनी चाहिए क्योंकि यहां की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या इस पर निर्भर है। चूंकि राज्य के जीडीपी में उद्योग क्षेत्र का हिस्सा जो 2004–05 में 33 प्रतिशत था, वह भी 2011–12 में घटकर 28 प्रतिशत रह गया, अतः कृषि आधारित ग्रामीण उद्योग के आधार पर विकसित अर्थव्यवस्था के मूल तत्व राज्य के विकास पर गंभीर प्रभाव डाल रहे हैं। सेवाओं से संचालित वृद्धि तथा इसका प्रभुत्व कृषि की तुलना में अधिक है तथा उद्योगों की वृद्धि फार्मिंग क्षेत्र के लिए एक झटका है।

अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक रूपांतरण की गति को बनाए रखने के लिए निवेश को उन क्षेत्रों में केन्द्रित किया जाना चाहिए जो शेष अर्थव्यवस्था से सशक्त रूप से जुड़े हुए हैं तथा जिनका वृद्धि एवं विकास पर अधिक बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। पशुधन क्षेत्र के सबल निष्पादन के कारण यह क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि का इंजन सिद्ध हो सकता है, अतः पशुधन को ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था को लाभप्रद बनाने की इसकी निहित क्षमता के कारण यथासंभव सहायता प्रदान की जानी चाहिए। कृषि में एक प्रतिशतु की वृद्धि भी निर्धनता को कम करने में, कृषि इतर क्षेत्रों से होने वाली समान दर की वृद्धि से दूर होने वाली निर्धनता की तुलना में 2 से 3 गुनी अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकती है।

हाल ही में, हरियाणा में पशुधन क्षेत्र कृषि तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक ऊर्जावान योगदाता बन गया है। पशुधन से होने वाला धन संबंधी योगदान 2005–06 में खाद्यान्नों द्वारा किए गए योगदान से अधिक हो गया है। तथापि, इस महत्वपूर्ण संकेत की नीति निर्माताओं ने राज्य में कृषि तथा पशुधन क्षेत्र के विकास की योजना तैयार करने में उपेक्षा की है।

पशुधन तथा मात्स्यकी, दोनों घटक पिछले एक दशक के दौरान फसलों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़े हैं तथा पशुधन से समग्र वृद्धि तथा जीडीपी में स्थायित्व आया है। हाल में पशुधन से होने वाला कुल निर्गत खाद्यान्नों, फलों व सब्जियों को मिलाकर होने वाले निर्गत की तुलना में अधिक मूल्य का रहा है। कृषि क्षेत्र के कुल निर्गत में पशुधन क्षेत्र का योगदान 1981–82 में 15 प्रतिशत था जो 2009–10 में फसलों की खेती का लगभग 50 प्रतिशत था (फसल = 37000 करोड़ रुपये; पशुधन = 18000 करोड़ रुपये)। वर्तमान मूल्यों पर 2011–12 में पशुधन का योगदान 21313 करोड़ रुपये रहा है। वर्ष 2011–12 के दौरान दूध, अंडों और मांस का योगदान क्रमशः 18600 करोड़ रुपये, 1585 करोड़ रुपये और 1123 करोड़ रुपये था (इसमें गोबर/खाद, बालों, खाल, खुरों, सींगों, भारवाही शक्ति तथा वृद्धिपूर्ण स्टॉक आदि के निर्गत को शामिल नहीं किया गया है)।

जीडीपी में उल्लेखनीय योगदान के बावजूद पशुधन को कृषि क्षेत्र के कुल सार्वजनिक परिव्यय का

मात्र 8.2 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त हुआ (11वीं योजना में) तथा 11वीं योजना के कुल स्वीकृत परिव्यय का मात्र 0.38 प्रतिशत हिस्सा मिला। पशुधन क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा कम वित्त उपलब्ध कराना इस क्षेत्र के प्रति सरकार की उपेक्षा को दर्शाता है जिसके कारण कार्यक्रम तैयार करने तथा बजट आबंटन में असंतुलन स्पष्ट होता है। किसी भी नीति संबंधी भावी दस्तावेज में इस परिवर्तन को स्वीकार किया जाना चाहिए तथा जीडीपी में पशुधन के बढ़े हुए योगदान को ध्यान में रखते हुए यह तथ्य पहचाना जाना चाहिए कि कृषि वृद्धि पशुधन में होने वाली वृद्धि से ही सम्बद्ध है।

पशुधन क्षेत्र का ग्रामीण निर्धनता को दूर करने, ग्रामीण रोजगार सृजित करने, महिला सशक्तिकरण, युवाओं की भागीदारी, महिला व बाल पोषण, प्रोटीन की कमी, मृदा के गुणवत्ता प्रबंध व उत्पादन प्रणाली के टिकाऊपन के साथ पारिस्थितिक प्रणाली की स्थिरता पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त चूंकि पशुधन अधिकांशतः सीमित संसाधन व निर्धनता से प्रभावित जनसंख्या के पास है, अतः निर्धनों की वृद्धि, उनका समग्र विकास और सशक्तिकरण केवल पशुधन के माध्यम से ही तेजी से किया जा सकता है।

2.2 पशुपालन की वर्तमान स्थिति

2.2.1 भारत में पशुधन संसाधन, जनसंख्या और उत्पादन

2.2.1.1 पशुधन जनसंख्या

वर्ष 1951 से 2007 की अवधि में राष्ट्रीय पशुधन जनगणना से यह प्रदर्शित हुआ कि 1992 तक देश में गोपशुओं की संख्या में वृद्धि हो रही थी। तथापि, 1992 में गोपशुओं की संख्या 204.58 मिलियन थी जो 1997 में घटकर 198.88 मिलियन रह गई तथा 2003 में और घटते हुए 185.18 मिलियन हो गई। वर्ष 2007 में यह बढ़ी और 199.08 मिलियन हुई। वर्ष 2003 से 2007 की अवधि के दौरान अंतर जनगणना अवधि में गोपशुओं की संख्या में 7.5 प्रतिशत; भैंसों की संख्या में 7.6 प्रतिशत; भेड़ों, बकरे–बकरियों व याक की संख्या में क्रमशः 16.4 प्रतिशत, 13.0 प्रतिशत और 28.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी 2.1)।

सारणी 2.1. 2003–07 से भारत में पशुधन जनसंख्या के रुझान (मिलियन में)

क्र.सं.	प्रजाति	पशुधन जनगणना 2003	पशुधन जनगणना 2007	2003 की तुलना में वृद्धि दर (%)	वार्षिक वृद्धि दर (%)
1	गोपशु	185.2	199.1	7.50	1.83
2	भैंस	97.9	105.3	7.58	1.84
3	याक	0.1	0.1	27.95	6.36
4	मिथुन	0.3	0.3	-4.92	-1.25
	कुल गोपशु	**283.4**	**304.8**	**7.52**	**1.83**

5	भेड़	61.5	71.6	16.41	3.87
6	बकरे–बकरी	124.4	140.5	13.01	3.10
7	सूअर	13.5	11.1	-17.65	-4.74
8	अन्य पशु	2.2	1.7	-22.93	-6.30
	कुल पशुधन	**485.0**	**529.7**	**9.22**	**2.23**
9	कुक्कुट	489.0	648.9	32.69	7.33

मिथुन और सूअरों की संख्या में क्रमशः 4.9 प्रतिशत और 17.6 प्रतिशत की गिरावट आई। ऊंटों, घोड़ों, टट्टुओं, खच्चरो और गधों की संख्या में क्रमशः 18.2 प्रतिशत, 18.6 प्रतिशत, 22.1 प्रतिशत और 32.6 प्रतिशत की गिरावट आई। विदेशी तथा संकर नस्ल की संख्या में 33.9 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई जबकि देसी गोपशुओं में केवल 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विदेशी तथा संकर नस्ल के दुधारू पशुओं की संख्या में 28.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, देसी दुधारू गोपशुओं की संख्या में 2.5 प्रतिशत व दुधारू भैंसों की संख्या में 3.0 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। कुल दुधारू पशुओं में से दूध दे रहे पशुओं का अनुपात संकर नस्ल के गापशुओं के मामले में 72.8 प्रतिशत से बढ़कर 74.4 प्रतिशत, देसी गोपशुओं के मामले में 59.0 प्रतिशत से बढ़कर 63.9 प्रतिशत और भैंसों के मामले में 70.6 प्रतिशत से बढ़कर 73.3 प्रतिशत हो गया।

भारत में पशुधन और कुक्कुट वर्ग का वृहत संसाधन है जो ग्रामीण समुदायों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सुधारने में प्रमुख भूमिका अदा करता है। पशुपालन क्षेत्र से स्वरोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध होते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार (एनएसएस 66वां राउंड; जुलाई 2009–जून 2010) आकस्मिक स्तर के कर्मियों की कुल संख्या में से पशुओं की फार्मिंग में जुड़े व्यक्तियों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 13.6 मिलियन थी, जबकि शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में मिलाकर यह संख्या 14.9 मिलियन थी। पशुओं तथा मात्स्यकी के कार्यों से जुड़े कुल कर्मियों की संख्या ग्रामीण क्षेत्र में 14.9 मिलियन, जबकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मिलाकर यह संख्या 16.5 मियिलन थी।

2.2.1.2 पशुधन उत्पादन

पशुधन क्षेत्र से न केवल दूध, अंडों, मांस आदि द्वारा अनिवार्य प्रोटीन तथा पोषक मानव आहार प्राप्त होता है बल्कि यह अखाद्य कृषि उपोत्पादों के उपयोग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पशुओं से खाल और त्वचा, रक्त, अस्थ्तियां, वसा आदि जैसे कच्चे माल/उपोत्पाद प्राप्त होते हैं। केवल दूध का ही योगदान (2,62,214.51 करोड़ रुपये) 2010–11 के दौरान धान के योगदान (1,51,634 करोड़ रुपये), गेहूं (99,667 करोड़ रुपये) और गन्ने (58,470 करोड़ रुपये) की तुलना में अधिक था। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) के आंकलन के अनुसार 2010–11 के मूल्यों के आधार पर मांस के निर्गत का मूल्य 72,444.22 करोड़ रुपये था। पशुधन, कुक्कुटों तथा सम्बद्ध उत्पादों से 2010–11 के दौरान 25,408.86 करोड़ रुपये की कुल निर्यात आय प्राप्त हुई।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुमानों के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर वर्ष 2010–11 के दौरान पशुधन और मात्स्यकी क्षेत्र से प्राप्त होने वाले निर्गत का कुल मूल्य 4,61,434 करोड़ रुपये था (पशुधन क्षेत्र से 3,88,370 और मात्स्यकी क्षेत्र से 73,064 करोड़ रुपये) जो कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले कुल 16,23,968 करोड़ रुपये के निर्गत मूल्य की तुलना में लगभग 28.4 प्रतिशत था। वर्ष 2011–12 के दौरान दूध का उत्पादन 127.3 मिलियन टन होने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 2010–11 में बढ़कर प्रतिदिन 281 ग्राम हो गई। 2010–11 में विदेशी/संकर नस्ल की गायों, देसी/अवर्णित गायों, भैंसों तथा बकरियों का दुग्धोत्पादन में कुल हिस्सा लगभग क्रमशः 24.3 प्रतिशत, 20.8 प्रतिशत, 51.2 प्रतिशत और 3.8 प्रतिशत रहा। वर्ष 2010–11 में अंडा उत्पादन के 65.5 बिलियन तक पहुंचने का आकलन है और इस वर्ष प्रति व्यक्ति अंडों की उपलब्धता बढ़कर 53 अंडे प्रतिवर्ष हुई। वर्ष 2011–12 के अंत में ऊन का 44.4 मिलियन कि.ग्रा. उत्पादन रहने का अनुमान लगाया गया। कुक्कुट मांस सहित मांसोत्पादन 4.9 मियिलन टन आंका गया।

2.2.1.3 पशुधन क्रांति

विश्व कृषि में आने वाली घटनाओं का वर्णन करते समय 'पशुधन क्रांति' पद का उपयोग करना किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं है। ऐसा भारतीय संदर्भ में पिछड़े एक दशक तथा पशुधन क्षेत्र की भावी संभावना को देखते हुए सटक प्रतीत होता है। सुविख्यात 'हरित क्रांति' के समान यह पद साधारण है तथा पशुधन के माध्यम से उत्पादन, खपत और आर्थिक वृद्धि में परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं व परिणामों की जटिल श्रृंखलाओं को संक्षेप में व्यक्त करने का एक सुविधाजनक तरीका है। क्रांति का पहलू इस तथ्य से उजागर होता है कि पिछले एक दशक के दौरान पशुधन की वृद्धि ने राष्ट्रीय जीडीपी में उल्लेखनीय योगदान दिया है और इसके कारण ही कृषि की सकल वृद्धि स्थिर बनी रही है। यह अवस्था तब भी रही जब निवल फसल आधारित कृषि वृद्धि नकारात्मक या ऋणात्मक स्थिति में पहुंची। पिछले कई वर्षों से देश की खाद्य टोकरी में बड़े पैमाने पर रूपांतरण हुए हैं। जनसंख्या के बड़े भाग का कैलोरी उद्ग्रहण पशुधन पर आधारित है। विश्व कृषि में भी पशुधन के योगदानों से इसी प्रकार के परिवर्तन हुए हैं जो सकल कृषि जीडीपी के 40 प्रतिशत से अधिक के स्तर पर पहुंच गया है। तथापि ये दोनों क्रांतियां एक–दूसरे से इस मूल पहलू की दृष्टि से भिन्न हैं कि हरित क्रांति आपूर्ति पर आधारित थी, जबकि पशुधन क्रांति मांग पर आधारित है।

पशुधन क्रांति से कृषि नीति में परिवर्तन लाए जाने की तात्कालिक आवश्यकता स्पष्ट होती है। इस परिवर्तन से वर्तमान उत्पादन तथा वितरण प्रणाली की क्षमताओं में एक साथ विस्तार हुआ है और इसके द्वारा पर्यावरणीय तथा जन–स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के साथ–साथ कुछ तुलनाएं व विरोधाभास भी उभरकर सामने आए हैं। अतः यह आवश्यक है कि सभी संबंधित वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता, सरकार तथा उद्योग नवीन तथा सार्थक दृष्टिकोणों के आधार पर स्वयं को इस

रूपांतरण के लिए तैयार करें। ये दृष्टिकोण उत्पादन से जुड़े तथ्यों, सांख्यिकी तथा क्रांतिक विश्लेषण पर आधारित होने चाहिए।

यही वह अवस्था है जब विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न होती है क्योंकि जहां सरकार एक ओर फसल कृषि पर आधारित भूमि को क्षेत्रीय सहायता प्रदान करने के पुराने मॉडल पर कार्य कर रही है, वहीं दूसरी ओर उद्योग पशुधन क्षेत्र की मांग संबंधी नाजुक स्थिति को पहचानने में असफल रहे हैं। शैक्षणिक संस्थाओं, सरकार तथा उद्योगों को ऐसी दीर्घावधि नीतियां तैयार करनी चाहिए जिससे यह रूपांतरण चलता रहे तथा भूमिहीन व सीमांत पशुपालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, गुणवत्तापूर्ण पशु उत्पादन इकाइयां स्थापित होना सुनिश्चित हो सके तथा गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले उन लोगों की पोषणिक स्थिति व प्रत्यक्ष आय बढ़ाने के अवसरों में सुधार हो सके जो आजीविका के लिए पशुधन पर ही निर्भर हैं।

कृषि अर्थव्यवस्था का संघटन फसल तथा पशुधन उपक्षेत्रों में सशक्त मेल–मिलाप या संश्लेषण का संकेत देते हैं क्योंकि ये दोनों ही उप–क्षेत्र एक–दूसरे के पूरक हैं। तथापि, पिछले अनेक वर्षों से कृषि अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय संघटनात्मक परिवर्तन हुए हैं। 1980 के दशक के दौरान पशुधन के क्षेत्र में तेजी से वृद्धि आरंभ हुई जो 1981 में लगभग 17 प्रतिशत थी और 1991 में बढ़कर 22 प्रतिशत व 2011 में 26 प्रतिशत तक पहुंच गई। मात्स्यकी उप–क्षेत्र में मूल्य वृद्धि 2005 में लगभग 5 प्रतिशत रही, जबकि यह 1991 में 3 प्रतिशत थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि कृषि विविधीकरण उच्च मूल्य वाले पशुधन तथा मात्स्यकी के पक्ष में है।

2.2.1.4 भारत में आहार और चारे की मांग व उपलब्धता

राष्ट्रीय स्तर पर हरे व सूखे चारे और सांद्र की मांग, उपलब्धता और कमी को सारणी 2.2 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.2 आहार और चारे की मांग व उपलब्धता (शुष्क पदार्थ – मिलियन टनों में)

क्र.सं.	आहार	मांग	उपलब्धता	अंतर
1	शुष्क चारा	416	253	163(40%)
2	हरा चारा	222	143	79(36%)
3	सांद्र	53	23	30(57%)

2.3 पशुधन वृद्धि

वर्ष 1950–51 से 2010–11 तक देश में दूध, अंडों व ऊन के उत्पादन की वृद्धि दर के संदर्भ में दूध और अंडों के उत्पादन में 1973–74 के बाद से निरंतर वृद्धि हुई, जबकि ऊन का उत्पादन 1990–91 के बाद कम हुआ सारणी 2.3)।

सारणी 2.3. प्रमुख पशुधन उत्पादों की वार्षिक वृद्धि दरें – अखिल भारतीय

वर्ष	वार्षिक वृद्धि दर (%)		
	दूध	अंडे	ऊन
1950-51 से 1960-61	1.64	4.63	0.38
1960-61 से 1973-74	1.15	7.91	0.34
1973-74 से 1980-81	4.51	3.79	0.77
1980-81 से 1990-91	5.48	7.69	2.32
1990-91 से 2000-01	4.11	5.67	1.62
2000-01 से 2010-11	4.22	5.58	-1.18

10वीं योजना के बाद से दूध, अंडों, मांस और ऊन की वृद्धि दर की प्रवृत्तियां सारणी 2.4 में दर्शायी गई हैं।

सारणी 2.4 वर्तमान मूल्यों पर प्रमुख पशुधन उत्पादों की अनुमानित वृद्धि दर

उत्पाद	10वीं योजना (2002—03 से 2006—07)	11वीं योजना (2007—08 से 2011—12)	2011—12
दूध	3.64	4.5	5.0
अंडे	5.61	5.6	5.4
मांस*	3.9	7.0	13.2
ऊन	—1.77	—1.2	4.05

*11वीं योजना के पिछले 4 वर्षों के दौरान मांस उत्पादन की वृद्धि दर

कृषि सकल घरेलू उत्पाद ने पशुधन के योगदान में निरंतर वृद्धि हो रही है। वास्तव में राष्ट्रीय स्तर पर पशुधन क्षेत्र में वृद्धि 1970 से फसल क्षेत्र में होने वाली वृद्धि की तुलना में सदैव अधिक रही है। यह स्थिति हरित क्रांति की उस अवधि में भी थी (1970 और 1980 के दशक में) जब फसल क्षेत्र की ओर अधिक बल देने की नीति थी। पशुधन क्षेत्र की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर को सारणी 2.5 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 2.5. कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दरें तथा राष्ट्रीय जीडीपी

वर्ष	फसल क्षेत्र	पशुधन	वानिकी	मात्स्यकी	कृषि	जीडीपी
1950-60	3.1	1.4	0.3	5.8	2.6	3.68
1960-70	1.7	0.4	3.3	4.0	1.7	3.29
1970-80	1.8	3.9	-0.6	2.9	2.0	3.45
1980-90	2.2	4.9	-0.3	5.6	2.8	5.17
1990-00	3.0	3.8	0.9	5.3	3.2	6.05
2000-07	2.7	3.7	1.2	2.9	2.9	6.88

स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, नास, 2009

स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर डाकुमेंट (नास 2009) में बताया गया है कि पशुधन क्षेत्र में होने वाली त्वरित वृद्धि के कारण न केवल कृषि वृद्धि को बढ़ावा मिला है, बल्कि ग्रामीण निर्धनता कम हुई है और ग्रामीण समानता को बढ़ावा मिला है। पशुधन का वितरण भूमि के वितरण की तुलना में अधिक संतुलित है। छोटी जोत वाले तथा भूमिहीन ग्रामवासियों के पास कुल पशुधन संसाधनों का 75 प्रतिशत भाग है। इस प्रकार, पशुधन छोटे जोतदारों तथा भूमिहीनों की आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत हैं और इस क्षेत्र में होने वाली त्वरित वृद्धि से सर्वाधिक लाभ सबसे गरीब परिवारों को होगा। प्रमाणों से यह स्पष्ट हुआ है कि पशुधन छोटे जोतदारों की कुल आय में लगभग आधे भाग का योगदान करते हैं। इस दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि पशुधन क्षेत्र से लैंगिक तथा सामाजिक समानता को भी बढ़ावा मिलता है।

कुल कर्मियों का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा उन महिलाओं का है जो पशुधन क्षेत्र में लगी हुई हैं। पशुपालन की तुलना में कृषि सहित अन्य क्रियाकलापों में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम है। इसके अतिरिक्त पशुधन क्षेत्र से जुड़े अधिकांश कर्मी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए समुदायों के हैं। अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछले वर्ग के लोगों का लगभग 70 प्रतिशत भाग पशुधन क्षेत्र में रोजगार रत है।

2.4 हरियाणा के पशुधन संसाधन

हरियाणा में भारत में 1992 से 2007 तक भैंसों, देसी व संकर नस्ल के गोपशुओं, बकरे–बकरियों, भेड़ों तथा कुक्कुटों की जनसंख्या संबंधी प्रवृत्तियां सारणी 2.6 में दी गई हैं। वर्ष 1992 से 2007 के दौरान हरियाणा में जिला व पशुधन की संख्या को सारणियों 2.7, 2.8 तथा चित्र 2.1, 2.2 तथा 2.3 में दर्शाया गया है। इस राज्य में भारतीय पशुधन का लगभग 1.8 प्रतिशत हिस्सा है तथा यह विश्व प्रसिद्ध मुर्रा भैंस जिसे भारत का काला सोना के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, के सहित घरेलू गोपशुओं की समृद्ध सम्पदा मौजूद है। राज्य में कुल 59.53 लाख भैंसों में से 76 प्रतिशत मुर्रा नस्ल की हैं। कुल 15.52 लाख की गोपशुओं की संख्या में से 6.27 लाख हरियाणा नस्ल की, 5.66 लाख

विदेशी नस्ल की व उनके संकर, 34721 साहीवाल और 5896 थारपार्कर पशु हैं और इसके अतिरिक्त 3.18 लाख अवर्णित, कम दूध देने वाले देसी गोपशु हैं। हरियाणा को भारत के डेरी मानचित्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है क्योंकि यह राष्ट्रीय दुग्धोत्पादन में 5.5 प्रतिशत का योगदान देता है जबकि यहां वयस्क गोपशुओं की संख्या देश के कुल वयस्क गोपशुओं की तुलना में मात्र 2.79 प्रतिशत है।

सारणी 2.6. पशुधन जनसंख्या (मिलियन) – हरियाणा बनाम भारत

प्रजाति	हरियाणा				भारत			
	1992	1997	2003	2007	1992	1997	2003	2007
भैंसें	4.37	4.82	6.04	5.95	84.21	89.91	97.92	105.34
देसी गोपशु	1.72	1.55	0.97	0.99	189.37	178.78	160.50	166.01
संकर गोपशु	0.42	0.85	0.57	0.57	15.22	20.10	24.69	33.10
बकरे–बकरियां	0.80	0.97	0.46	0.54	115.28	122.72	124.36	140.54
भेड़ें	1.04	1.28	0.63	0.60	50.78	57.49	61.47	71.56
कुक्कुट	8.58	9.23	13.62	28.79	307.07	347.61	489.01	648.70

सारणी 2.7. हरियाणा में जिलावार पशुधन जनसंख्या ('000 में)

जिला	भैंस			गोपशु		
	1997	2003	2007	1997	2003	2007
अम्बाला	128	242	223	92	70	61
भिवानी	351	442	472	99	94	94
फरीदाबाद	221	413	358	117	53	69
फतेहाबाद	347	304	300	136	83	82
गुड़गांव	206	351	132	128	63	31
हिसार	538	427	486	205	163	168
झज्जर	154	256	238	44	37	40
जींद	683	502	502	116	130	121
कैथल	277	400	384	126	92	85
करनाल	500	447	394	301	125	123
कुरुक्षेत्र	132	272	257	118	85	83
महेन्द्र गढ़	220	227	226	54	31	32
मेवात	0	0	295	0	0	48

पंचकुला	34	69	68	36	36	28
पानीपत	155	286	260	61	45	41
रेवाड़ी	87	205	174	28	22	28
रोहतक	171	304	277	74	62	55
सिरसा	210	307	324	233	177	191
सोनीपत	559	403	365	320	63	70
यमुनानगर	164	178	216	112	109	106
हरियाणा	4823	6035	5953	2400	1539	1552

सारणी 2.8. हरियाणा में जिलावार पशुधन जनसंख्या ('000 में)

जिला	भेड़			बकरे–बकरी			कुक्कुट		
	1997	2003	2007	1997	2003	2007	1997	2003	2007
अम्बाला	28	17	19	15	6	7	595	556	622
भिवानी	112	88	90	103	74	90	315	280	795
फरीदाबाद	51	20	16	45	25	24	148	84	66
फतेहाबाद	70	39	32	32	14	16	467	248	290
गुड़गांव	115	26	6	129	77	14	931	953	935
हिसार	107	66	82	45	26	31	250	678	2373
झज्जर	27	26	26	21	11	14	43	104	140
जींद	137	48	44	49	10	10	1131	47	4241
कैथल	35	23	22	17	5	6	193	230	653
करनाल	46	22	24	24	9	11	1303	2335	5097
कुरुक्षेत्र	38	12	13	17	4	5	246	655	1439
महेन्द्र गढ़	89	39	44	47	70	79	108	198	395
मेवात	0	0	22	0	0	83	0	0	124
पंचकुला	5	4	2	19	8	14	2012	4449	5730
पानीपत	34	12	9	14	5	6	158	122	1581
रेवाड़ी	28	26	11	39	35	31	75	333	496
रोहतक	53	47	24	31	12	11	103	141	419
सिरसा	213	87	87	86	50	61	287	102	271
सोनीपत	87	18	15	34	6	10	187	935	1567
यमुनानगर	31	14	14	31	12	14	676	1169	1551
हरियाणा	**1275**	**633**	**601**	**969**	**460**	**538**	**9225**	**13619**	**28785**

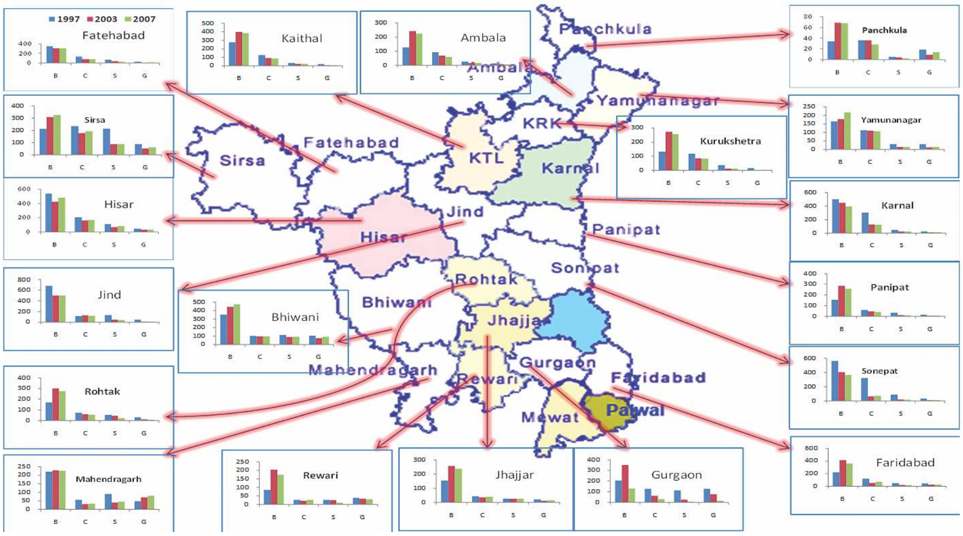

चित्र 2.1 हरियाणा में भैंसों (B), गोपशुओं (C), भेड़ों (S) और बकरे-बकरियों (G) की संख्या

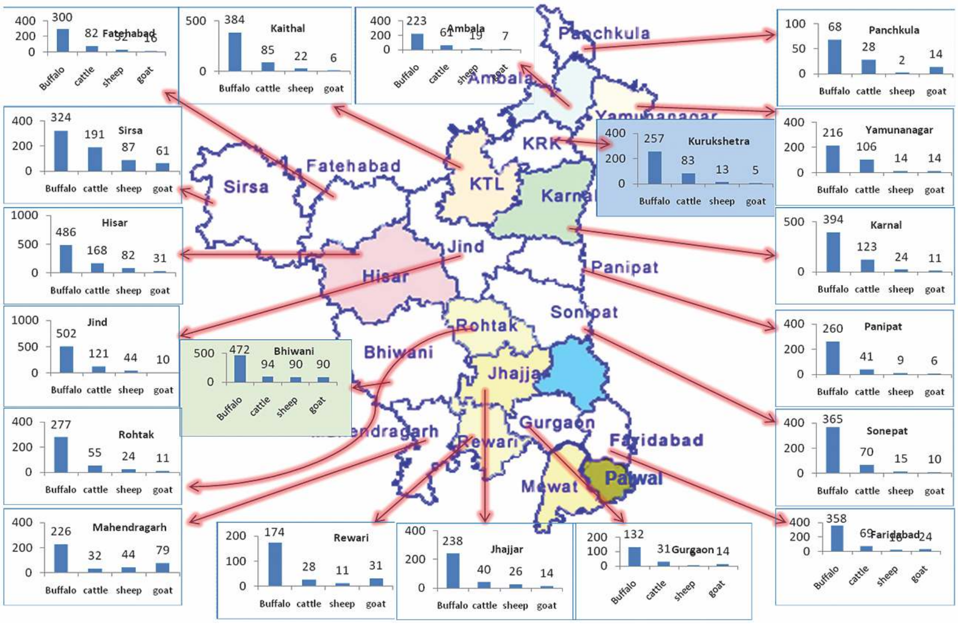

चित्र 2.2 हरियाणा में पशुधन संख्या (2007) ('000 में)

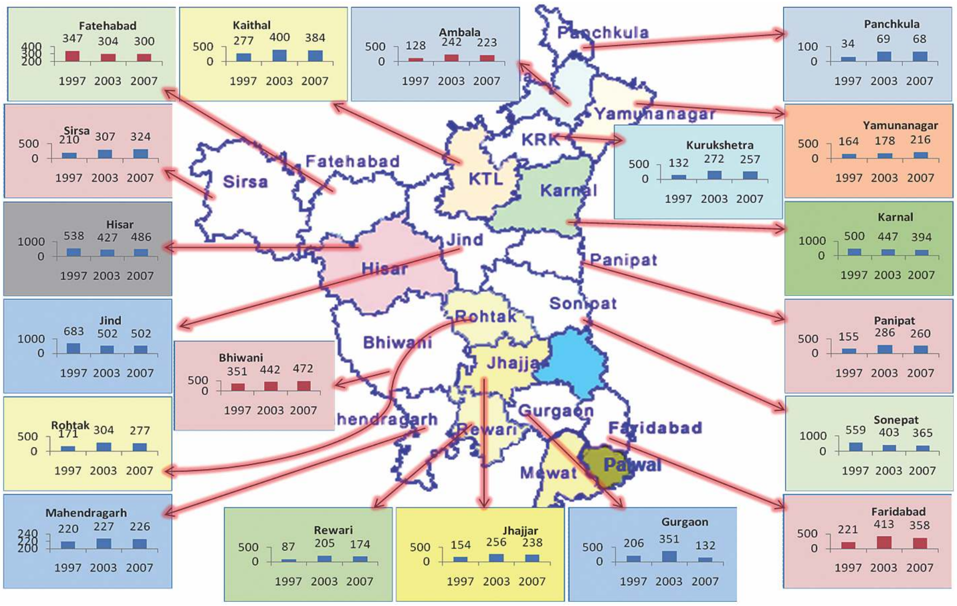

चित्र 2.3 हरियाणा में भैंसों की संख्या ('000 में)

अध्याय 3

3.0 हरियाणा में पशुधन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति

3.1 पशुपालन

3.1.1 उत्पादन प्रणालियां

हरियाणा में पशु उत्पादन कुटीर आधारित बना हुआ है जो सम्पूर्ण राज्य में लाखों छोटी–छोटी/एकल इकाइयों के रूप में फैला है। लगभग 95 प्रतिशत पशु ग्रामीण क्षेत्रों में पाले जाते हैं। राज्य के 32 लाख ग्रामीण परिवारों में से दो तिहाई से अधिक के पास पशु हैं। चूंकि पशुधन हजारों परिवारों की आजीविका का स्रोत है और एकमात्र परिसम्पत्ति है। अतः पशुपालन को सामाजिक–आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है।

जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णित किया गया है कि राज्य विश्व प्रसिद्ध मुर्रा भैंसों जिन्हें भारत का काला सोना लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, जैसी पशुधन सम्पदा से समृद्ध है। राज्य की 59.53 लाख भैंसों में से 76 प्रतिशत मुर्रा नस्ल की हैं। राज्य में 15.52 लाख गोपशुओं में से 6.27 लाख हरियाणा नस्ल के, 5.66 लाख विदेशी तथा उनके संकर, 34721 साहिवाल व 5896 थारपार्कर पशु हैं। इसके अतिरिक्त 3.1 लाख अवर्णित, कम दूध देने वाले गोपशु हैं। हरियाणा को भारत के डेरी मानचित्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और इसका राष्ट्रीय दुग्धोत्पादन में 5.5 प्रतिशत का योगदान है, जबकि यहां वयस्क गोपशुओं की संख्या देश की कुल संख्या की मात्र 2.79 प्रतिशत है। भैंसों से राज्य के कुल दुग्धोत्पादन का 84 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। इस प्रकार, भैंस पशुधन क्षेत्र में सबसे केन्द्रीय और प्रमुख स्थान रखती है। भैंस के गुणों के कारण पशुपालकों ने इसे अपेक्षाकृत बेहतर रूप से स्वीकार किया है और वर्तमान में इस पशु ने पशुधन क्षेत्र में प्रमुख भूमिका प्राप्त कर ली है।

हरियाणा अन्य राज्यों के लिए तथा अन्य देशों के लिए गुणवत्तापूर्ण मुर्रा जननद्रव्य का स्रोत रहा है। यहां प्रति व्यक्ति प्रति दिन दूध की उपलब्धता 708 ग्रा. है जो देश में दूसरे सर्वोच्च स्थान पर है (पंजाब में यह 944 ग्रा. है), जबकि राष्ट्रीय औसत का यह लगभग 2.5 गुना है। पशुपालन संसाधन संचालित क्रिया रही है जिसमें स्थानीय रूप से उपलब्ध फसल अपशिष्टों, खरपतवारों, घासों, उपोत्पादों व अतिरिक्त पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है तथा यह कार्य फसलें उगाने के साथ–साथ सम्पन्न किया जाता है। पशुओं का घनत्व प्रति वर्ग कि.मी. इकाई में व्यक्त किया जाता है और राज्य में यह 141 है जो पंजाब के 113 पशुधन इकाई/वर्ग.कि.मी. की तुलना में उच्च है। इसके साथ ही राजस्थान (64 पशुधन इकाई/वर्ग कि.मी.) की तुलना में यह दुगने से अधिक और हिमाचल प्रदेश (49 पशुधन इकाई/वर्ग कि.मी.) की तुलना में लगभग 3 गुना है। इस राज्य का पशुधन घनत्व उत्तर प्रदेश के 145 पशुधन इकाई/वर्ग कि.मी. के लगभग बराबर है।

समृद्ध पशुधन सम्पदा और राज्य की समृद्धि, कल्याण और आर्थिक विकास में इसके उल्लेखनीय योगदान के बावजूद उत्पादकता के संदर्भ में इस क्षेत्र का निष्पादन विकसित राष्ट्रों की तुलना में कहीं पिछड़ा हुआ है। पशुधन क्षेत्र की वृहत क्षमता का अपेक्षाकृत कम दोहन हुआ है और इसे अक्सर 'स्लीपिंग जाइंट' कहा जाता है। राज्य में प्रति वयस्क गोपशु दूध का दैनिक औसत उत्पादन राष्ट्रीय औसत 2.61 लिटर की तुलना में लगभग दुगना है। पशु उत्पादकता पंजाब को छोड़कर (6.67 लिटर) अन्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में बेहतर है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में यह 1. 61 लिटर, राजस्थान में 2.31 लिटर और उत्तर प्रदेश में 2.99 लिटर है।

भेड़ तथा बकरे–बकरियां सर्वाधिक निर्धन व्यक्तियों द्वारा पाले जाते हैं जो उन्हें परंपरागत आहार देते हैं और उनके प्रजनन में पीढ़ियों से चले आ रहे ज्ञान का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार, संगठित सूअर पालन राज्य में नहीं हो पा रहा है। यह केवल घर के पिछवाड़े या गलियों तक ही सीमित है तथा बहुत स्वच्छ स्थितियों में किया जाता है।

इस क्षेत्र के निम्न निष्पादन के कारणों को देख पाना कठिन नहीं है। घटिया आनुवंशिकी के अतिरिक्त अधिकांश पशु उप–उपयुक्ततम स्थितियों में पाले जाते हैं। पशु सम्पदा के उच्च घनत्व तथा निरंतर बढ़ रही मानव जनसंख्या के कारण गुणवत्तापूर्ण आहार और चारे की उपलब्धि प्रमुख रुकावट बनी हुई है। इसके साथ ही सदियों पुरानी, परंपरागत पशुपालन की विधियों में न्यूनतम वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप हुए हैं और इस प्रकार परिवर्तन भी न्यूनतम रहे हैं।

कम प्रजनन दक्षता, अपर्याप्त बजट सहायता, अपर्याप्त संस्थागत ऋण संबंधी सुविधाएं और सबल नीतिगत पहलों की कमी इस क्षेत्र की वृद्धि और निष्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे हैं। छोटी कुटीर इकाइयां केवल आजीविका का साधन सिद्ध हो रही हैं या अतिरिक्त आमदनी का जरिया हैं और ये नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने की स्थिति में नहीं हैं।

किसी सुधार कार्यक्रम की मूल पूर्व आवश्यकता पशुओं की पहचान है जो इस राज्य में नहीं हुआ है तथा पशुपालक और किसान पशुओं के प्रजनन, स्वास्थ्य, उत्पादन, संतति आदि का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं।

मूल्यवर्धन तथा संगठित विपणन भी बहुत छोटे पैमाने पर हो रहा है।

औद्योगिक वृद्धि के साथ–साथ तेजी से हो रही शहरीकरण, फसल उगाने संबंधी गहन विधियों के अपनाए जाने, सामान्य चरागाहों/चरणभूमियों का गायब होना, कम आर्थिक लाभ, निम्न प्राथमिकता तथा पशुपालन में शिक्षित युवाओं की रुचि न होना इस क्षेत्र में वर्तमान में आने वाली कुछ अन्य प्रमुख चुनौतियां हैं।

समेकित दुग्धोत्पादन तथा प्रसंस्करण संबंधी कार्य जींद में 'लक्ष्य डेरी' द्वारा किए जा रहे हैं तथा सोहना, साहू, सिहार्वा, बुगाना, अहिर्का, सिंगपुरा, निर्जन, तराउड़ी, सिंघरा, पंछी गुजरान और लाहली आदि में विभिन्न वाणिज्यिक डेरियां (>100 पशु) हैं, जो हाल की सफलता की कहानियों को दर्शाती हैं।

हाल के वर्षों में डेरी उत्पादन प्रणाली में स्वागत योग्य परिवर्तन हुआ है। परंपरागत, परिवार आधारित, निम्न निवेश वाली, गहन तथा संसाधन संचालित प्रणाली के स्थान पर सघन, उच्च निवेश, मांग से संचालित व वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक दुग्धोत्पादक प्रणाली अपनाई जा रही है। 1000 से अधिक उच्च तकनीक वाली वाणिज्यिक डेरियां (जिनमें 20 से अधिक पशु हैं) स्थापित हो चुकी हैं और अन्य अनेक स्थापित होने जा रही हैं। 15 डेरियों में 100 से अधिक पशु हैं। इन अधिकांश डेरियों में या तो केवल संकर गायें पाली जा रही हैं जो अधिक दूध देती हैं या इनके साथ–साथ श्रेष्ठ मुर्रा नस्ल की भैंसें भी पाली जा रही हैं। वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उपयुक्त अधिक दूध देने वाले पशुओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। राज्य का पशुपालन एवं डेरी विभाग विभिन्न प्रोत्साहनों, अनुदानों, प्रशिक्षणों तथा अन्य प्रवर्धनात्मक स्कीमों के माध्यम से इस प्रकार की वाणिज्यिक डेरियों को प्रोत्साहन व सहायता दे रहा है।

तथापि, भेड़, बकरी तथा सूअरपालन में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। कुक्कुट क्षेत्र अधिकांशतः परिनगरीय क्षेत्रों में ही वाणिज्यीकृत है और इस उद्योग ने पिछले तीन दशकों के दौरान नाटकीय वृद्धि रिकॉर्ड की है।

हाल ही में उन्नत बुनियादी ढांचे, निपुण जनशक्ति तथा बढ़ी हुई बजट सहायता के माध्यम से राज्य में पशुपालन तथा पशुचिकित्सा सेवाओं को सबल बनाने के प्रयास किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप अब हरियाणा गुणवत्तापूर्ण पशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में बेहतर स्थिति में है। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना से गुणवत्तापूर्ण प्रजनन सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ–साथ कृत्रिम गर्भाधान को अधिक क्षेत्र में विस्तारित करने में बहुत सहायता मिली है। वर्ष 2011–12 के दौरान कुल 27.96 लाख गर्भाधान कराए गए (गायें: 8.28 लाख, भैंसें : 19.68 लाख), जबकि इसकी तुलना में 2003–04 में 9.25 लाख कृत्रिम गर्भाधान कराए गए थे (गायें: 2.71 लाख, भैंसें : 6.54 लाख)। इस प्रकार, 8 वर्षों में 300 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई (सारणी 3.1 और चित्र 3.1)।

सारणी 3.1. कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से प्रजनन में प्रगति

गर्भाधानों की संख्या (लाख में)			
वर्ष	**गाय**	**भैंस**	**कुल**
2003-04	2.71	6.54	9.25
2004-05	3.32	8.81	12.13
2005-06	3.73	10.49	14.22
2006-07	4.33	13.06	17.39
2007-08	4.73	13.72	18.45
2008-09	5.17	14.31	19.48
2009-10	5.85	14.52	20.37
2010-11	6.53	15.78	22.31
2011-12	8.28	19.68	27.96

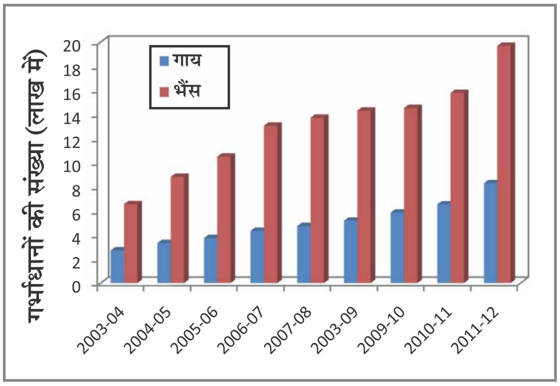

चित्र 3.1. हरियाणा में गायों और भैंसों के कृत्रिम गर्भाधान में प्रगति (2003–04 से 2001–12)

इसके साथ ही गुणवत्तापूर्ण वीर्योत्पादन को उच्च प्राथमिकता दी गई है। राज्य के तीनों शुक्राणु केन्द्रों को केन्द्रीय निगरानी इकाई, भारत सरकार द्वारा 'A' ग्रेड प्रदान किया गया है। कृत्रिम गर्भाधान वाले गोपशुओं के प्रजनन का अनुपात जो 1 दशक पूर्व 10 प्रतिशत था, अब बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है, जबकि इसकी तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर यह 25 प्रतिशत से कम है। इससे संबंधित पड़ोसी राज्यों के आंकड़े 11.8 प्रतिशत (उ.प्र.), 10.9 प्रतिशत (राजस्थान), 33.5 प्रतिशत (हिमाचल प्रदेश) और 65 प्रतिशत (पंजाब) हैं।

रोगों के कारण पशुओं को होने वाली मृत्यु को भी न्यूनतम स्तर पर लाया गया है। पिछले एक दशक से अधिक समय से राज्य में किसी रोग का गंभीर प्रकोप नहीं हुआ है। खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी बहुत सफल रहा है (बॉक्स–1)।

राज्य गुणवत्तापूर्ण मुर्रा नस्ल के सांडों के उत्पादन तथा इसके श्रेष्ठ जननद्रव्य के संरक्षण के लिए अत्यंत सफल फील्ड निष्पादन रिकॉर्डिंग कार्यक्रम चला रहा है (बॉक्स–2)।

मुर्रा सांडों (सायर्स) के मूल्यांकन हेतु एक गहन फील्ड संतति कार्यक्रम, अनुर्वरता के कारण होने वाली बड़ी आर्थिक हानि को कम करने के लिए नियंत्रित प्रजनन स्कीम तथा फील्ड कार्यकर्ताओं के उनके सेवा के दौरान ज्ञान व निपुणता के उन्नयन के लिए हरियाणा पशुचिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, हाल ही में उठाए गए कुछ ऐसे कदम हैं जिनके द्वारा विभाग किसानों को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान कर रहा है और इसके साथ ही यह क्षेत्र प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

बॉक्स 1 सफलता की कहानी

खुरपका तथा मुंहपका रोग पशुओं की उत्पादकता कम करके व उनकी कार्य क्षमता को घटाकर और इसके साथ ही पशु उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए पशुधन क्षेत्र को गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचाता रहा है। खुरपका और मुंहपका रोग के कारण अनुमानित वैश्विक क्षति प्रति वर्ष 5 बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक है और यह इस तथ्य के बावजूद है कि अनेक विकसित देशों ने इस रोग का उन्मूलन कर दिया है। भारत को खुरपका और मुंहपका रोग से होने वाली प्रत्यक्ष अनुमानित क्षति 20,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है।

खुरपका मुंहपका – नियंत्रण कार्यक्रम (एफएमडी–सीपी) हरियाणा में जनवरी 2004 में आरंभ किया गया। राज्य के सभी संवेदनशील पशुओं को अनुशंसित अंतराल पर बड़े पैमाने पर क्रमबद्ध ढंग से टीके लगाये गए। चौकसी संबंधी अध्ययनों के साथ–साथ टीकाकरण के पूर्व व टीकाकरण के पश्चात् हिसार स्थित क्षेत्रीय खुरपका व मुंहपका रोग केन्द्र द्वारा सीरो–निगरानी का कार्य जारी रखा गया। बड़े पैमाने पर टीकाकरण से खुरपका तथा मुंहपका रोग के प्रकोप को कम करने में बहुत सहायता मिली। जैसा कि चित्र 3.2 से स्पष्ट है, 2004–05 से इस रोग के वर्षभर में केवल एक या दो मामले ही सामने आए हैं जबकि 2003–04 में अर्थात् एफएमडी–सीपी कार्यक्रम आरंभ होने के पूर्व यह संख्या 94 थी। टीकाकरण की चौथी प्रावस्था तक हरियाणा में पशुओं में >80

प्रतिशत झुंडों में एफएमडी विषाणु सीरोटाइप के विरुद्ध रोगरोधिता उत्पन्न हुई जो अब तक बनी हुई है। इसके साथ ही एंटी–एनएसपी एंटिबॉडी प्रोफाइल में उल्लेखनीय कमी यह दर्शाती है कि राज्य में एफएमडी विषाणु का प्रसार वृहत टीकाकरण कार्यक्रम के कारण बहुत कम हो गया है। इस कार्यक्रम में प्राप्त हुई अपार सफलता से यह पता चलता है कि इस रोग का बहुत बड़े पैमाने पर नियंत्रण हो चुका है।

खुरपका और मुंहपका रोग – नियंत्रण कार्यक्रम

चित्र 3.2. हरियाणा में खुरपका और मुंहपका रोग के प्रकोप पर एफएमडी –सीपी का प्रभाव

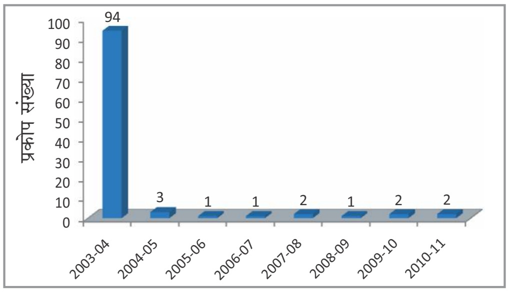

बॉक्स 2 सफलता की कहानी

मुर्रा सांड उत्पादन कार्यक्रम

पशुपालन एवं डेरी विभाग श्रेष्ठ मुर्रा भैंसों की पहचान के लिए फील्ड निष्पादन रिकॉर्डिंग पर आधारित एक गहन कार्यक्रम चला रहा है। इस प्रकार के रिकॉर्ड किए गए भैंसों के स्वामियों को 5000/–रु. से 25000/–रु. तक के नकद प्रोत्साहन दिए जाते हैं जो पशु की सर्वोच्च दुग्ध उत्पादन पर निर्भर करता है। इसके बदले में पशु स्वामी के लिए यह आवश्यक होता है कि वह भैंस को कम से कम एक वर्ष तक अपने पास रखे और कृत्रिम गर्भाधान द्वारा उसको प्रजनित कराए। पशु स्वामी के लिए यह भी आवश्यक होता है कि वह संतति, विशेष रूप से कटड़े को (स्वस्थाने संरक्षण) उचित रूप से पाले। इनमें से सर्वश्रेष्ठ नर कटड़े की पहचान की जाती है और विभाग द्वारा उसे खरीदकर नव मुर्रा सांड पालन केन्द्रों में वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत भावी सांडों के रूप में उपयोग करने के लिए पाला जाता है। अभी तक 4000 से अधिक ऐसे श्रेष्ठ कटड़े उत्पन्न किए गए हैं, पाले गए हैं तथा वीर्य केन्द्रों सहित विभिन्न राज्यों को प्रजनन हेतु आपूर्त किए गए हैं। यह कार्यक्रम अत्यधिक सफल रहा है और इससे उन अन्य राज्यों को श्रेष्ठ भैंसे आपूर्त करने में सहायता मिली है जहां पहले इनका ब्यांत समाप्ति पर वध किया जाता था।

इसके अतिरिक्त इस स्कीम से पशुधन प्रजनकों के बीच श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले पशुओं को पालने के मामले में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना का जन्म हुआ है। अब तक अपने सर्वाधिक

दुग्ध काल में 13 कि.ग्रा. या इससे अधिक दूध देने वाली 76084 मुर्रा भैंसें पाली जा चुकी हैं जिनमें से 2476 ऐसी श्रेष्ठ मुर्रा भैंसें हैं जिनकी सर्वोच्च दूध देने की क्षमता 19 कि.ग्रा. से अधिक है तथा 25 अति श्रेष्ठ भैंसें ऐसी हैं जो सर्वोच्च दूध देने की अवस्था में 25 कि.ग्रा. या इससे अधिक देती हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पहचान करके 22825 उत्तम नव सांडों का उत्पादन किया गया है जिनका उपयोग देशभर में किया जा रहा है। दाता (डैम) तथा उनकी नर संततियों की कान में टैग लगाकर उचित पहचान की गई है तथा उनका विवरण विभागीय वैबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है, ताकि सक्षम खरीददारों की सहायता की जा सके। इस अनूठे कार्यक्रम से घटिया जननद्रव्य के प्रवर्धन को न्यूनतम करने में काफी हद तक सहायता मिली है क्योंकि पहले प्रजननशील सांड या तो दलालों से या बिचौलियों के माध्यम से खरीदे जाते थे जिनकी संतति ज्ञात नहीं होती थी और जिनका निष्पादन भी संदेहप्रद होता था।

श्रेष्ठ मुर्रा भैंस की पहचान की गई

सर्वोच्च दूध देने की अवस्था में **13 कि.ग्रा. या अधिक** दूध देने वाली भैंसें = **76084**

सर्वोच्च दूध देने की अवस्था में **19 कि.ग्रा. या अधिक** दूध देने वाली भैंसें = **2476**

सर्वोच्च दूध देने की अवस्था में **25 कि.ग्रा. या अधिक** दूध देने वाली भैंसें = **25**

पूरे देश में उपयोग के लिए **श्रेष्ठ युवा सांडों का उत्पादन** = **22825**

3.1.2 कुक्कुटपालन

कुक्कुटपालन हरियाणा में पशुधन क्षेत्र का सबसे तेजी से विकसित होने वाले खंडों में से एक है। पिछले 2 या 3 वर्षों के दौरान अंडों तथा कुक्कुट मांस की औसत वृद्धि दरें औसतन लगभग क्रमशः 6 प्रतिशत और 9 प्रतिशत रही। कुक्कुट क्षेत्र की वृद्धि का कारण अनेक घटकों को माना जा सकता है जैसे समाज के मध्यम वर्ग का तेजी से प्रसार व इस वर्ग की बढ़ती हुई आय तथा समेकित कुक्कुट उत्पादकों का बड़े पैमाने पर प्रसार होते हुए तेजी से उभरना। इसके साथ ही उत्पादन तथा विपणन लागतों को कम करके कुक्कुट उत्पादों का उपभोक्ता मूल्य भी कम किया गया है। समेकित उत्पादन, सजीव पक्षियों के मांस के स्थान पर अति शीतल तथा हिमीकृत उत्पादों का परिवहन तथा ऐसी नीतियों का निर्धारण जिनसे प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर आपूर्ति सुरक्षित होती है। कुक्कुटों के लिए मक्का तथा सोयाबीन आधारित आहार भी अपेक्षाकत कम मूल्य पर उपलब्ध है। ये ऐसे कारण हैं जो राज्य में कुक्कुट उद्योग के भावी विकास की कुंजी सिद्ध हो सकते हैं।

वर्तमान में राज्य में कुक्कुट पालन के लिये सहायता अभी बहुत सीमित है। रोग की चौकसी, निगरानी और नियंत्रण के मामले में इसे बढ़ाया जाना चाहिए जिससे इस उद्योग को वृद्धि का नया आयाम मिलेगा तथा इस क्षेत्र का भाग्य निर्धारित होगा, क्योंकि कुक्कुटों के प्राणिरुजा (जूनोटिक) प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वर्तमान में राज्य को असंगठित तथा घर के पिछवाड़े मुर्गीपालन के लिए कार्यक्रम विकसित करने होंगे व सहायता प्रदान करनी होगी क्योंकि यह उद्योग अनेक भूमिहीन/सीमांत किसानों की अतिरिक्त आय सृजन का एक सक्षम उपाय है और इससे ग्रामीण निर्धनों की पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है।

3.1.3 अवसंरचना

हरियाणा में प्रजनन, पशु स्वास्थ्य देखभाल तथा पशुधन के लिए नैदानिक व विशेषज्ञ निदानी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी ढांचे को सबल बनाया है। किसानों के घर के दरवाजे पर सप्ताह के सातों दिन व 24 घंटे प्रजनन व मूल स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य की प्राथमिकता हो गया है। कुल 1145 पशुधन विकास केन्द्र गोपालों द्वारा प्रबंधित किए जा रहे हैं (विशेष रूप से प्रशिक्षित स्थानीय युवा) और ये केन्द्र निजी–सार्वजनिक–साझीदारी के रूप में स्थापित किए गए हैं। जैसा कि नीचे दी गई सारणी 3.2 में दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है राज्य के लगभग प्रत्येक दूसरे गांव में पशुचिकित्सा संस्था है जो अपने कार्यक्षेत्र में औसतन 2300 पशुओं को सेवाएं प्रदान कर रही है।

सारणी 3.2. पशुचिकित्सा संस्थाओं का विवरण

क्र.सं.	संस्था का प्रकार	संख्या
1.	सरकारी पशुचिकित्सालय	942
2.	सरकारी पशुचिकित्सा औषधालय	1809
3.	पशुचिकित्सा पॉलीक्लिनिक	4
4.	शुक्राणु उत्पादन के केन्द्र	3
5.	वीर्य बैंक	10
6.	एच.एफ. व एचएफ संकरों, हरियाणा, साहीवाल व थारपार्कर, मुर्रा भैंसों के लिए सांड मातृ प्रजनन फार्म	प्रत्येक के लिए एक
7.	भेड़ व बकरी प्रजनन फार्म	एक
8.	सूअर प्रजनन फार्म	2
9.	युवा मुर्रा सांड पालन केन्द्र	2
10.	पालतू पशु औषधीय–व–प्रशिक्षण केन्द्र	एक

11.	हरियाणा पशुचिकित्सा टीका संस्थान	एक
12.	हरियाणा पशुचिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान	एक
13.	स्फुटनशालाएं (छोटे पैमाने के)	दो
14.	दूध तथा पशु आहार के लिए गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला	प्रत्येक के लिए एक
15.	एचडीडीसीएफ/अन्य एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	112
16.	पशुधन विकास केन्द्र (सार्वजनिक–निजी–साझेदारी)	1145

हरियाणा में राज्य का सरकारी पशुधन फार्म है जिसका गौरवपूर्ण इतिहास है। इसकी स्थापना 1809 में मेजर जेम्स लुम्सडेइने ने 40,000 एकड़ के क्षेत्र में की थी। हाल ही में अनेक केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी संस्थाएं इस फार्म भूमि में स्थापित हुई हैं। वर्तमान में यहां 7000 एकड़ से अधिक भूमि है जिसमें से 708 एकड़ केवल चारा बीज उत्पादन के लिए निर्धारित है (बीज फार्म)। यह फार्म महत्वपूर्ण पशु जननद्रव्य केन्द्र बना हुआ है। यह विभिन्न सैक्टरों और इकाइयों में बंटा है जिनमें से प्रत्येक के विशिष्ट उद्देश्य हैं।

सैक्टर–1 में हरियाणा, साहिवाल और थारपार्कर जैसी देसी नस्लों के गोपशु हैं। इसके साथ ही यहां एक छोटे अश्व अनुभाग में काठियावाड़ी घोड़े तथा पोटू गधर्व हैं। इस सैक्टर का मुख्य उद्देश्य देसी गोपशु नस्लों के सांड उत्पन्न करना तथा नाममात्र की लागत पर अश्व सांड़ सेवाएं उपलब्ध कराना है।

सैक्टर–2 भैंस प्रजनन के लिए निर्धारित है। मुर्रा भैंसों (मादा भैंसों) के श्रेष्ठ झुण्ड के अतिरिक्त फील्ड निष्पादन रिकॉर्डिंग स्कीम के अंतर्गत अधिक दूध देने वाली भैंसों की मुर्रा कटड़ियों का जन्म कराया जाता है और उन्हें इस सैक्टर में पाला जाता है।

तत्कालीन इंडो–आस्ट्रेलियन कैटल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट जिसे बाद में राज्य गोपशु परियोजना का नाम दिया गया है, इस फार्म का सैक्टर–3 है। इस सैक्टर में गुणवत्तापूर्ण सांडों के उत्पादन के लिए होल्सटेईन फ्राइसियन सांड तथा उनके संकर पाले जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस परिसर में राज्य का सबसे बड़ा शुक्राणु केन्द्र भी है जिसकी हिमीकृत वीर्य की उत्पादन क्षमता 4.0 मिलियन डोजिज हैं।

भेड़ तथा बकरी प्रजनन इकाई में 2000 से अधिक पशुओं का झुण्ड है जिसमें नली और हिसार डेल भेड़ तथा बीटल बकरियां शामिल हैं। इन नस्लों के भेड़े व बकरे वास्तविक प्रजनकों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

सूअर पालन इकाई में बड़े व्हाइट यार्कशायर सूअरियों का प्रजनन कराया जाता है। नाभिक प्रजनन स्टॉक निर्धन सूअर पालकों को उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वे उन अवर्णित, देसी पशुओं का उन्नयन व आनुवंशिक सुधार कर सकें जिनकी वृद्धि दर निम्न है। हैचरी इकाई में

कुक्कुटों की देसी नस्लें/वंशक्रम रखे जाते हैं तथा सीमित पैमाने पर घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन के लिए कुछ दिन आयु वाले चूजे आपूर्त किए जाते हैं।

राज्य में प्रत्येक जिला मुख्यालय में रोग नैदानिक प्रयोगशाला स्थापित करने/उसे सबल बनाने का कार्य प्रगति पर है। आवश्यक उपकरणों तथा अप्रशिक्षित जनशक्ति का प्रावधान प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय भी राज्य में अनेक स्थानों पर रोग अन्वेषण/नैदानिक सेवाएं उपलब्ध करा रहा है जिसमें हिसार स्थित इसका मुख्य परिसर भी शामिल है।

3.1.4 जनशक्ति

पशुपालन तथा डेरी विभाग की श्रेणीवार स्वीकृत जनशक्ति का विवरण निम्नानुसार है :

पर्यवेक्षक पशुचिकित्सा अधिकारी	:	100
पशुचिकित्सा शल्यचिकित्सक	:	1003
पशुचिकित्सा पशुधन विकास सहायक	:	2930
पशु परिचारक	:	6354

इसके अतिरिक्त 90 निजी कृत्रिम गर्भाधन कर्मी तथा 1145 गोपाल किसानों/पशुपालकों व पशु स्वामियों को अपने सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

3.1.5 बजट सहायता

राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अपर्याप्त धनराशि के साथ–साथ निजी क्षेत्र द्वारा सहायता व निवेश की कमी राज्य में पशुधन क्षेत्र के विकास व वृद्धि के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं हैं। जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है, इस क्षेत्र के लिए योजनागत आबंटन राज्य के कुल परिव्यय का मात्र 0.55 प्रतिशत है (सारणी 3.3)। इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में धनराशि की अत्यधिक कमी बनी हुई है। यह आबंटन जीडीपी के प्रति इसके योगदान (~5%) की तुलना में कहीं भी आनुपातिक नहीं है। इस प्रकार, समाज की पोषणिक सुरक्षा व सामाजिक व आर्थिक विकास में पशुधन की महत्वपूर्ण भूमिका के अनुसार इस क्षेत्र को अनुकूल आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हो रही है।

सारणी 3.3. राज्य के योजनागत परिव्यय में पशुपालन तथा डेरी का हिस्सा (करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राज्य का परिव्यय	प. एवं डे. के लिए आबवंटन	प. एवं डे. का प्रतिशत हिस्सा
2007-08	5500	22.00	0.40
2008-09	7130	58.63	0.82
2009-10	10400	60.00	0.57
2010-11	11100	60.50	0.54
2011-12	13200	70.00	0.53
2012-13*	16608	125.50	0.75

*अनंतिम आंकड़े

स्पष्ट है कि इस क्षेत्र को जिसे सामान्यतः 'स्लीपिंग जाइंट' कहा जाता है, पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि इसकी पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। पशुधन विकास संबंधी प्रमुख क्रियाकलापों को "मिशन मोड" आधार पर तत्काल आरंभ किया जाना चाहिए। इसके लिए '**राज्य पशुधन मिशन**' की शुरूआत को अब और अधिक विलंबित नहीं किया जाना चाहिए।

3.2 हरियाणा डेरी विकास सहकारी फेडरेशन लिमिटेड

हरियाणा डेरी विकास सहकारी फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य हरियाणा राज्य के दुग्धोत्पादकों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दुग्धोत्पादकों के आर्थिक हितों की रक्षा करना है। इसके लिए दूध को खरीदना तथा दूध का दुग्धोत्पादों में प्रसंस्करण करना और उसके विपणन की व्यवस्था करना इस फेडरेशन का कार्य है। ऐसा दूध संघों के माध्यम से किया जाता है। इसके साथ ही यह संघ ऐसे संबंधित क्रियाकलाप भी संचालित करता है जो डेरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल हों, जैसे दुधारू गोपशुओं का सुधार तथा दुग्धोत्पादन को बढ़ावा देना।

डेरी निगम का गठन 1970 में हुआ था और यह 1977 तक कार्य करता रहा। इसके पश्चात् इसका कार्य फेडरेशन में तीन स्तरीय प्रणाली को अपनाकर संभाला और यह प्रणाली अमुल पैटर्न पर आधारित थी। दूध संघों को राज्य डेरी फेडरेशन बनाने के लिए परस्पर जोड़ा गया और इसका प्रबंध निदेशक मंडल द्वारा संभाला गया जो सरकारी नामितियों से अलग है। दूध संघों के सभी अध्यक्ष इसके सदस्य हैं। वर्ष 2012 में डेरी फेडरेशन की संरचना को सारणी 3.4 में दर्शाया गया है।

सारणी 3.4. हरियाणा में डेरी फेडरेशन की संरचना (2012)

हरियाणा में गांवों की संख्या	6781
समितियों की संख्या	4688
अंतर्गत आने वाले गांवों की संख्या	4017
दूध संघों की संख्या	6
दूध संयंत्रों की संख्या	5
अति शीतलन केन्द्रों की संख्या	27

राज्य में **डेरी सहकारिताएं** तीन स्तरीय प्रणाली पर कार्य करती हैं, नामतः फेडरेशन स्तर (हरियाणा डेरी फेडरेशन– राज्य के स्तर पर), दूध संघ और दूध समितियां – गांव के स्तर पर। एक या इससे अधिक जिले की दूध सहकारी समितियां एक साथ मिलकर दूध संघों का गठन करती हैं। इनका प्रबंध दुग्धोत्पादकों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है जिनका चुनाव सहकारी समितियों के अध्यक्षों में से किया जाता है। राज्य में 6 दूध संघ हैं जो अम्बाला, कुरुक्षेत्र – करनाल,

हिसार–जींद, बल्लभगढ़, रोहतक और सिरसा के नाम से जाने जाते हैं। गांव में दुग्धोत्पादक परस्पर मिलकर ग्राम डेरी सहकारी समिति का गठन करते हैं। समिति का प्रबंध उत्पादकों द्वारा स्वयं किया जाता है। यह उत्पादकों से दूध खरीदती है तथा उसे दूध संघों को बेचती है। समितियों द्वारा कमाया गया लाभ उप–नियमों के अनुसार उत्पादक सदस्यों के बीच बांट दिया जाता है।

ग्राम स्तर की समितियां दुग्धोत्पादकों से दूध एकत्र करके दूध संघों को बेचती हैं। पहले दूध संघ फेडरेशन द्वारा चलाए जाने वाले संयंत्रों को दूध बेचते थे। वर्ष 1992 से फेडरेशन ने दूध संघों से पट्टे पर संयंत्र ले लिए हैं, अतः अब दूध संघ दूध को प्रसंस्कृत करती हैं तथा फेडरेशन से पट्टे पर लिए गए दुग्ध संयंत्रों में उस दूध को उत्पादों में परिवर्तित करती हैं और बाजार में बेचती हैं। तथापि, फेडरेशन दुग्ध संघों से उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले **वीटा** ब्राण्ड के लिए रॉयल्टी लेती हैं।

वर्ष 2011–12 के दौरान औसत दैनिक दूध की खरीद 5.32 लाख लिटर/दिन थी, जिनमें से अधिकांश तरल दूध के रूप में बेचा गया। अतिरिक्त दूध (तरल पास्चुरीकृत दूध के विपणन के पश्चात) को दुग्ध पाउडर के रूप में विनिर्माण के लिए उपयोग में लाया गया तथा इससे अन्य डेरी उत्पाद जैसे घी, तत्काल भोज्य मक्खन तथा सफेद मक्खन बनाए गए। विपणन प्रणाली के एक अंग के रूप में विभिन्न नगरों तथा कस्बों में 354 दूध बूथ तथा मिल्क बार स्थापित किए गए हैं जो **वीटा** ब्राण्ड के उत्पाद बेचते हैं। हरियाणा में विभिन्न डेरी संयंत्रों की क्षमता, विनिर्मित डेरी उत्पादों तथा प्रमाणीकरण की स्थिति सारणी 3.5 में दी गई है।

सारणी 3.5. हरियाणा में दूध संयंत्रों की क्षमता, उत्पाद तथा प्रमाणीकरण की स्थिति

क्र. सं.	दूध संयंत्र	स्थापना का वर्ष	उत्पाद	पंजीकृत क्षमता (टीएलपीडी)
1.	जींद	1970–71	तरल दूध, पाउडर, घी, पनीर, जलजीरा, आम पेय, दही	150.0
2.	अम्बाला	1973–74	तरल दूध, पनीर, दही, लस्सी, मिल्क केक, एसएफएम, खीर	120.0
3.	रोहतक	1976–77	पाउडर, घी, तत्काल भोज्य मक्खन, तरल दूध, दही, पनीर	250.0
4.	बल्लभगढ़	1979–80	तरल दूध, दही, घी, पनीर	250.0
5.	सिरसा	1996–97	पाउडर, घी, तरल दूध, मिल्क केक, पनीर, पिन्नी	110.0

वर्ष 2006–07 से 2011–12 की अवधि के दौरान दूध की खरीद, समितियों की संख्या, दूध के औसत मूल्य तथा निवल लाभ के संदर्भ में हुई प्रगति को सारणी 3.6 में दर्शाया गया है।

सारणी 3.6. हरियाणा में डेरी फेडरेशन द्वारा दूध की खरीद, औसत मूल्य तथा कमाया गया निवल लाभ

क्र.सं.	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2011-12
1.	दूध की खरीद (000' कि.ग्रा./दिन)	460	514	540	522	532
2.	कार्यशील समितियों की संख्या (औसत)	5028	5979	6167	5194	4160
3.	उत्पादक को प्रति कि.ग्रा. दूध का अदा किया गया औसत मूल्य (रु.)	14.5	16.44	17.64	19.79	25.01
4.	निवल लाभ (लाभ रुपयों में)	203	359.58	465	188	807

हरियाणा राज्य के किसानों/दुग्धोत्पादकों के कल्याण के लिए योजनाएं : हरियाणा डेरी फेडरेशन ने हरियाणा राज्य की डेरी सहकारी समितियों के किसानों/दुग्धोत्पादकों के कल्याण के लिए विभिन्न स्कीमें या योजनाएं लागू की हैं जिनमें दुर्घटना मृत्यु बीमा, सूक्ष्म बीमा स्कीम, संसाधन व्यक्ति स्कीम, आईडीडीपी परियोजना, एसटीईपी परियोजना, महिला सहकारिताओं को सहायता शामिल हैं।

पशुचिकित्सा प्राथमिक सहायता केन्द्र : विभिन्न दूध संघों द्वारा 153 पशुचिकित्सा प्राथमिक सहायता केन्द्र चलाए जा रहे हैं जो दुग्धोत्पादकों के पशुओं को सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इन पशुचिकित्सा प्राथमिक सहायता केन्द्रों का पर्यवेक्षण वीएलडीए द्वारा किया जाता है। दूध यूनियन वार कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का 2009–10 के लिए विवरण सारणी 3.7 में दिया गया है।

सारणी 3.7. हरियाणा में विभिन्न संघों द्वारा चलाए जा रहे कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का विवरण

क्र.सं.	दूध संघ	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	2009-10 के दौरान किए गए कृत्रिम गर्भाधान	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के अंतर्गत गांव
1	अम्बाला	40	23618	178
2	करनाल–कुरुक्षेत्र	38	19229	99
3	सिरसा	20	10040	20
4	बल्लभगढ़	7	2234	20
5	जींद – हिसार	8	1212	18
6	रोहतक	6	483	14
	कुल	122	56816	349

खनिज मिश्रण संयंत्र : खनिज मिश्रण संयंत्र की स्थापना 2004 में रोहतक में की गई थी और तब से यह **वीटा** ब्राण्ड नाम से खनिज मिश्रण का विनिर्माण कर रहा है। इस संयंत्र में प्रति वर्ष लगभग 200 टन खनिज मिश्रण तैयार किया जाता है।

उपरोक्त वर्णित क्रियाकलापों के बावजूद ऐसा प्रतीत होता है कि यह फेडरेशन दुग्धोत्पादकों की सक्रिय भागीदारी को आकर्षित करने में सफल नहीं हो पाई है। वास्तव में परिचर्चा के दौरान अनेक किसानों ने बताया कि समिति का गठन, दूध इकट्ठा करने के लिए सहायता, सहायता सेवाएं उपलब्ध कराना, मूल्य निर्धारण तथा दूध का प्रसंस्करण, डेरी सहकारिता की वृद्धि व विकास इसकी कार्य प्रणाली में आने वाली प्रमुख बाधाएं हैं तथा फेडरेशन ने दूध इकट्ठा करने व उसके मूल्य निर्धारण में बहुत कम सक्रिय भूमिका निभाई है।

3.3 पंजाब डेरी विकास निगम (मिल्क फेडरेशन पंजाब)

पड़ोस के राज्य पंजाब में डेरी फेडरेशन, मिल्कफेड ने वर्ष 2009—10 के दौरान 13 प्रतिशत की आकर्षक बिक्री वृद्धि प्राप्त की थी, जो पिछले वर्षों की तुलना में अधिक थी क्योंकि इस फेडरेशन ने यह राशि 1110.32 करोड़ रुपये से बढ़ाकर इस वर्ष 1253.20 करोड़ रुपये कर दी। यह मिल्क फेडरेशन वर्ष 2009—10 के दौरान प्रति दिन औसतन 9.49 लाख कि.ग्रा. दूध एकत्र करने में सफल रही। जबकि, वर्ष 2008—09 में यह 9.21 लाख कि.ग्रा. प्रतिदिन था। मिल्कफेड ने वर्ष 2009—10 के दौरान विभिन्न स्वरूपों में प्रति दिन 7.27 लाख लिटर पैकबंद दूध का विपणन किया, जबकि 2008—09 के दौरान इसने प्रतिदिन 6.58 लाख लिटर दूध का ही विपणन किया था। इस प्रकार, 10.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गई।

मिल्कफेड ने एक शीर्ष निकाय के रूप में वर्ष 2009—10 के दौरान 628.02 लाख रुपये का निवल लाभ कमाया जबकि पिछले वर्ष इसका लाभ 558.78 लाख रुपये था। मिल्कफेड तथा इससे सम्बद्ध संघों को होने वाला निवल लाभ 2009—10 के दौरान 2021.49 लाख रुपये था। फेडरेशन का दावा है कि यह लाभ विभिन्न कार्यनीतियां अपनाने के कारण संभव हुआ है, जैसे बिक्री टर्नओवर बढ़ाना, दूध की खरीद, आक्रामक विपणन प्रणाली को अपनाना, धनराशि का कुशल प्रबंध, लागतों को अनुकूल बनाना तथा अतिरिक्त संसाधनों को गतिशील बनाना।

अध्याय 4

4.0 पशुधन उत्पादन

4.1 दुग्धोत्पादन

राज्य में 2011–12 के दौरान अनुमानित दुग्धोत्पादन 66.61 लाख टन था जिसमें 0.6 लाख टन बकरियों द्वारा उत्पन्न दूध भी शामिल है। यह दूध छोटी/एकल डेरी इकाइयों द्वारा उत्पन्न किया गया जो 22 लाख घरेलू परिवारों, 1000 वाणिज्यिक डेरियों तथा 15000 से अधिक छोटी इकाइयों द्वारा उत्पन्न हुआ था। इन सबकी स्थापना पिछले 5 वर्षों के दौरान हुई है। पशुधन जनसंख्या का जिला तथा प्रजातिवार वितरण पैरा 2.4 में दिया गया है। हिसार, भिवानी, जींद, सिरसा और करनाल जिलों में पशुधन की सर्वोच्च संख्या है। जींद एकमात्र ऐसा जिला है जहां 5.00 लाख से अधिक भैंसे हैं जिसके पश्चात् हिसार तथा भिवानी जिलों का स्थान है। पंचकुला, रेवाड़ी तथा गुड़गांव जिलों में, प्रत्येक में 2.00 लाख से कम भैंसे हैं। भैंसों की संख्या का वितरण मानचित्र 4.1 में दर्शाया गया है, जबकि भैंसों का प्रति वर्ग कि.मी. घनत्व मानचित्र 4.2 में दर्शाया गया है। पानीपत, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, फरीदाबाद और मेवात जिलों में भैंसो का घनत्व 150 से अधिक है, जबकि भिवानी, सिरसा, गुड़गांव और पंचकुला में भैंसों का घनत्व 100 से भी कम है। देसी, विदेशी तथा संकर नस्ल के गोपशुओं का वितरण मानचित्र 4.3 में दर्शाया गया है। लगभग 45 प्रतिशत संकर नस्ल के/विदेशी पशु उत्तर/उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाले जा रहे हैं जिनमें अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल जिले आते हैं। इसका कारण इन जिलों में हरे चारे की बेहतर उपलब्धता है। इसके अतिरिक्त सिरसा में भी संकर नस्ल के कस्बों की पर्याप्त संख्या है (15 प्रतिशत)। देसी गोपशुओं का अधिकांश भाग (57%) उस क्षेत्र में पाला जा रहा है जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद और कैथल जिले आते हैं। वर्ष 2007 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल गोपशुओं की संख्या 75.0 लाख थी जिसमें से 60.84 लाख मादाएं थीं। कुल दुग्धोत्पादन में 1 प्रतिशत का योगदान देने वाली बकरियों की संख्या का वितरण मानचित्र 4.4 में दर्शाया गया है। मेवात तथा भिवानी, दोनों जिलों में 80,000 से अधिक बकरे–बकरियां हैं।

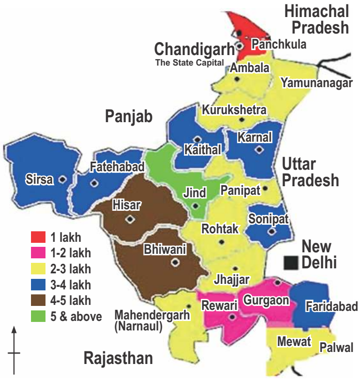

चित्र 4.1. हरियाणा में भैंसों की संख्या का जिलावार वितरण

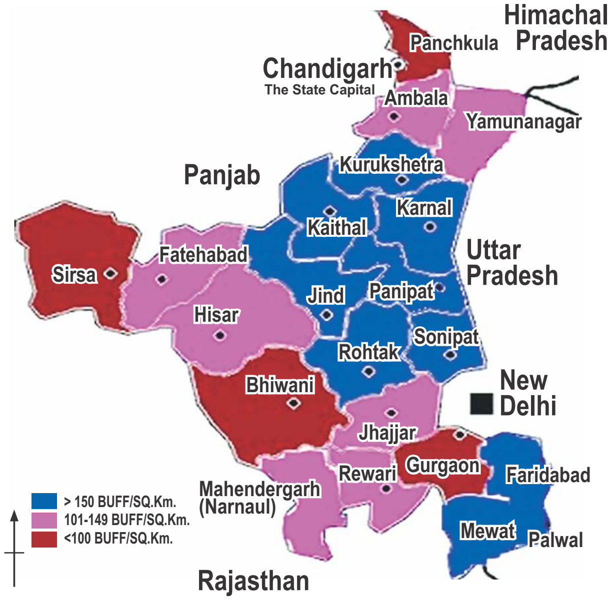

चित्र 4.2. हरियाणा में भैंसों की जनसंख्या का जिलावार घनत्व

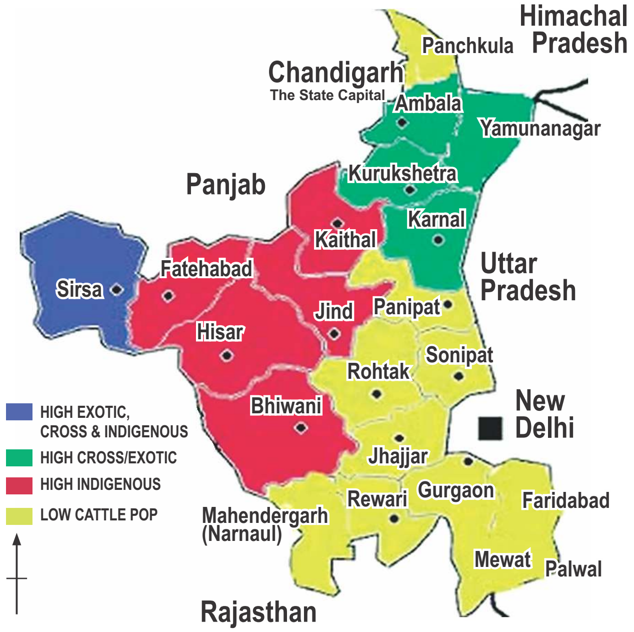

चित्र 4.3. हरियाणा में देसी, विदेशी तथा संकर नस्ल के गोपशुओं की संख्या का जिलावार वितरण

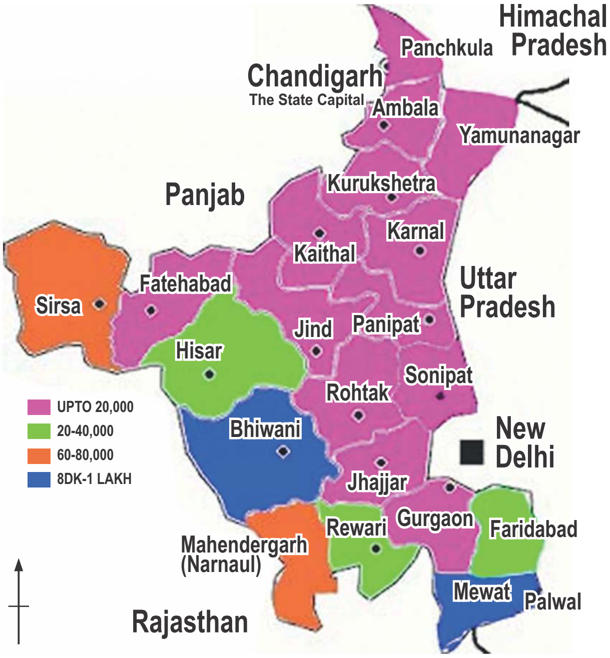

चित्र 4.4. हरियाणा में बकरे-बकरियों की संख्या का जिलावार वितरण

कुल दुग्धोत्पादन के साथ दूध दे रहे पशुओं का जिलावार वितरण सारणी 4.1 में प्रस्तुत किया गया है। सर्वाधिक पशुधन संख्या से युक्त पांच जिलों में राज्य के कुल दुगधोत्पादन का 37 प्रतिशत से अधिक भाग उत्पन्न हुआ। हिसार तथा भिवानी, प्रत्येक जिलों में प्रतिवर्ष 0.5 मियिलन टन दूध का उत्पादन हुआ। रेवाड़ी सर्वोच्च (प्रति पशु) वार्षिक उत्पादकता 3043 कि.ग्रा. रिकॉर्ड की गई जिसके पश्चात् हिसार का दूसरा स्थान था जहां ये आंकड़े 2899 कि.ग्रा. थे। तथापि, कुल दुग्धोत्पादन में जिलावार अंतर का कारण पशुओं की संख्या है न कि पशुओं की उत्पादकता में अंतर। विभिन्न जिलों को, उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर निम्न या उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों में समूहीकृत नहीं किया जा सकता है।

मौसम, प्रजातियों और श्रेणीवार अनुमानित दुग्धोत्पादन का विवरण सारणी 4.2 में दिया गया है। भैंसों का कुल दुग्धोत्पादन में 84 प्रतिशत का योगदान रहा है, जबकि बकरियों का हिस्सा मात्र 1 प्रतिशत तक सीमित रहा है। गायों से शेष 15 प्रतिशत दूध प्राप्त हुआ जिसमें विदेशी तथा उनकी संकर नस्लों का 9.4 प्रतिशत हिस्सा ही शामिल है। सर्दियों के मौसम में थोड़ा अधिक दूध उत्पन्न हुआ (34.9 प्रतिशत), लेकिन विभिन्न मौसमों संबंधी आंकड़े या इन आंकड़ों की भिन्नता बहुत उल्लेखनीय नहीं थी। कुल प्रजननशील 35.63 लाख पशु संख्या में से 24.10 लाख पशु दूध दे रहे थे जिसमें 19.87 लाख भैंसें, 2.27 लाख देसी गायें और 1.95 लाख विदेशी नस्ल के पशु व उनके संकर शामिल थे। दूध दे रहे पशुओं की औसत दैनिक उत्पादकता 7.57 कि.ग्रा. थी। 2.0 लाख

गोपशुओं के प्रजनन आयु प्राप्त कर लेने के बावजूद भी, उनसे बच्चे नहीं जन्में। दूध दे रहे तथा डेरी पशुओं का अनुपात भैंसों तथा विदेशी गायों /उनके संकरों की गायों के मामले में 68:32 था, जबकि इसकी तुलना में भैंसों व देसी गायों का अनुपात 60:40 था। पड़ोस के राज्य पंजाब का दूध उत्पादन तथा प्रति पशु दुग्धोत्पादकता अपेक्षाकृत उच्चतर है। ऐसा आधुनिक पशुपालन की विधियों का उपयोग करके फार्म संबंधी कार्यों का स्वचालीकरण करके, गुणवत्तापूर्ण चारा उत्पन्न करके व डेरी फार्मिंग के लिए आवश्यक निवेश अपनाते हुए वाणिज्यिक डेरी उत्पादन के द्वारा करना संभव हुआ है। साइलेज का आहार पशुओं को व्यापक रूप से दिया जाता है। बेहतर सिंचाई सुविधाओं, अच्छे ज्ञान से समृद्ध व नवप्रवर्तक किसान इस सफलता का कारण हैं।

दूध की गुणवत्ता का नियंत्रण दूध नमूनों में ठोस लेकिन वसा नहीं (एसएनएफ) अंशों को नापकर मिलावट की जांच करने के द्वारा की जाती है। पशुपालन तथा डेरी विभाग की अपनी दुग्ध गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला है जो रोहतक में स्थित है। पहले बड़े पैमाने पर दूध की साज–संभाल करने वालों से एमएनपीओ–92 के अंतर्गत एकत्र किए गए नमूनों का प्रयोगशाला में विशेषण किया गया। सूक्ष्मजीवों, संदूषकों, औषधियों तथा नाशकजीवों के अपशिष्टों व अपमिश्रकों के संदर्भ में स्वच्छ दुग्धोत्पादन तथा दूध की गुणवत्ता के नियंत्रण में नहीं शामिल किया गया। हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक स्वतंत्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग स्थापित किया है, जैसा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में अपेक्षित है। पीएफए/एमएमपीओ जैसे विद्यमान अधिनियम इस अधिनियम के लागू होने के बाद मात्र अपील दर्ज करने का स्थान रखते हैं। इस नए विधान का मुख्य उद्देश्य विद्यमान बहु–स्तरीय व बहु–विभागीय नियंत्रणों के स्थान पर एकीकृत कमान की स्थापना के द्वारा सुरक्षित खाद्य पदार्थों व गुणवत्तापूर्ण औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

सारणी 4.1. हरियाणा में जिलावार वार्षिक दुग्धोत्पादन (2010-11)

क्र.सं.	जिला	दुग्धोत्पादन (टनों में)	पशुओं की संख्या	प्रति पशु औसत वार्षिक उत्पादन (कि.ग्रा.)
1.	अम्बाला	225826	102178	2210
2.	भिवानी	501105	175155	2860
3.	फतेहाबाद	284046	112345	2528
4.	गुड़गांव	175084	66000	2652
5.	हिसार	535982	184874	2899
6.	झज्जर	253646	95956	2643
7.	जींद	444348	168576	2635
8.	कैथल	311819	137927	2260
9.	करनाल	414188	158049	2620
10.	कुरुक्षेत्र	287079	110466	2598
11.	महेन्द्रगढ़	242140	89686	2699

12.	पंचकुला	84407	34918	2417
13.	पानीपत	236422	96234	2456
14.	रेवाड़ी	215489	70795	3043
15.	रोहतक	279460	105344	2652
16.	सिरसा	428461	160951	2662
17.	सोनीपत	349745	143333	2440
18.	यमुनानगर	279559	105458	2650
19–21	मेवात / पलवल / फरीदाबाद (पूल किए गए)	718635	292217	2459

सारणी 4.2. हरियाणा में मौसम व प्रजातिवार अनुमानित दुग्धोत्पादन

प्रजाति / श्रेणी	प्रति दिन / पशु उत्पादन (कि.ग्रा.)	दूध दे रहे पशुओं की संख्या (000')	दुग्धोत्पादन (000' टन)
ग्रीष्म (मार्च–जून)			
i) देसी गायें	5.233	205.4	131.236
ii) संकर नस्ल की गायें	7.867	215.2	206.535
उप योग – गायें			**337.771**
iii) भैंसें	6.935	2139.4	1810.092
iv) बकरियां	0.926	209.3	23.640
मौसम का उप योग (कुल दुग्धोत्पादन का%)			**2171.503 (32.6%)**
वर्षा ऋतु (जुलाई–अक्तूबर)			
i) देसी गायें	4.844	206.5	123.057
ii) संकर नस्ल की गायें	8.101	215.1	214.329
उप योग – गायें		**337.386**	
iii) भैंसें	6.891	2128.7	1804.179
iv) बकरियां	0.801	212.7	20.963
मौसम का उप योग (कुल दुग्धोत्पादन का%)			**2162.527 (32.5%)**
शरद ऋतु (नवम्बर–फरवरी)			
i) देसी गायें	4.658	207.6	117.027
ii) संकर नस्ल की गायें	7.752	219.7	206.072
उप योग – गायें		**323.099**	
iii) भैंसें	7.478	2190.3	1981.863
iv) बकरियां	0.795	228.7	22.003
मौसम का उप योग (कुल दुग्धोत्पादन का%)			**2326.965 (34.9%)**

राज्य में प्रजातिवार दूध का हिस्सा, प्रति पशु प्रति दिन औसत दुग्धोत्पादन और कुल दुग्धोत्पादन का विवरण सारणी 4.3 में दिया गया है।

सारणी 4.3: हरियाणा में पशु प्रजातिवार दुग्धोत्पादन

पशु प्रजाति	कुल दूध (000' टन) (कुल का प्रतिशत)	पशु प्रजाति / श्रेणी	प्रति दिन / पशु दूध (कि.ग्रा.)
गाय (कुल का %)	998.256 (15%)	देसी गाय	4.911
भैंस (कुल का %)	5596.134 (84%)	विदेशी / संकर	7.907
बकरी (कुल का %)	66.606 (1.0%)	भैंसें	7.103
		बकरियां	0.839
कुल वार्षिक दुग्धोत्पादन	6660.996		

4.2 मांसोत्पादन

वर्ष 2011–12 में राज्य में 3.24 लाख टन मांस का उत्पादन हुआ जिसमें से 96 प्रतिशत योगदान कुक्कुट वर्ग के पक्षियों का था। हरियाणा में प्रति व्यक्ति मांस की वार्षिक उपलब्धता 12.26 कि.ग्रा. रही, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 4 कि.ग्रा. रहा और अनुशंसित मात्रा 11 कि.ग्रा. निर्धारित की गई थी। यद्यपि भैसों के वध पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है, लेकिन राज्य में गोपशुओं और भैंसों का वध नहीं किया जाता है, केवल भेड़, बकरों और सूअरों जैसे छोटे जानवरों का उपयोग ही मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। कुक्कुट वर्ग के पक्षियों के प्रमुख योगदान को छोड़कर बकरे–बकरियों का योगदान 42 प्रतिशत व भेड़ों तथा सूअरों का योगदान क्रमशः 28 और 30 प्रतिशत रहा। प्रति पशु मांस की औसत प्राप्ति भेड़ और बकरियों के मामले में 19 कि.ग्रा. तथा सूअरों के मामले में 42 कि.ग्रा. अनुमानित की गई। पशुओं का वध सामान्यतः छोटी दूकानों में कसाइयों द्वारा स्थानीय खपत के लिए ताजे मांस के उत्पादन के लिए किया जाता है। राज्य में उचित वध गृह या मांस प्रसंस्करण संयंत्र नहीं है। वध स्थलों के नाम पर स्थानीय निकायों ने पशुओं के वध के लिए 29 कस्बों का निर्धारण किया है। ये परिसर अत्यधिक स्वच्छ हैं, इनका रखरखाव बहुत घटिया ढंग से होता है, व्यर्थ पदार्थों के निपटान की कोई सुविधा नहीं है तथा अखाद्य अणुओं के मूल्यवर्धन के लिए प्रसंस्करण की कोई व्यवस्था नहीं है। गुणवत्ता नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा के मानक नहीं के बराबर हैं। इन परिसरों और कसाई घरों में शीत भंडारण तथा बिजली के चले जाने पर अलग से बिजली उपलब्ध कराने की मूल सुविधाएं भी नहीं हैं। हिमीकृत प्रसंस्कृत मांस की बिक्री हाल ही में कुछ बड़े कस्बों में सुपर बाजारों में आरंभ की गई है।

बढ़ी हुई आय तथा सामान्य सम्पन्नता के कारण गुणवत्तापूर्ण मांस और उसके उत्पादों की मांग में काफी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा अपने अत्यधिक निकट स्थित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उभरते हुए बाजार का भी लाभ उठा सकता है। हरियाणा के पशुधन के मामले में भैंसों का प्रभुत्व है क्योंकि यह राज्य की गोपशुओं की संख्या का 80 प्रतिशत है तथा कुल पशुधन में इसका भाग 67 प्रतिशत है। भैंसे का मांस हल्का, कम कोलेस्ट्राल वाला होता है और इसके साथ ही इसमें विभिन्न उत्पादों के उत्पादन की गुणवत्ता का उत्कृष्ट गुण भी मौजूद है। यदि भैंसे को उच्च प्रोटीन व ऊर्जावान आहार के साथ पाला जाए तो उसका मांस अधिक मुलायम व रसीला होता है। इसके साथ ही विश्व के किसी भी भाग से भैंसों में बीएसई की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। एफएडी 18 दिशानिर्देशों के अंतर्गत वध के साथ–साथ वर्तमान में चल रहे एफएमडी–सीपी की सफलता से भारत से भैंसे के मांस के निर्यात के नए अवसर उपलब्ध करा सकता है तथा इसका बाजार विदेशों में सृजित होने की बहुत संभावना है।

गुणवत्तापूर्ण मांस पशुओं को पालने के लिए 'फीड लॉट' स्थापित किए जाने चाहिए। राज्य द्वारा इसके लिए तकनीकी ज्ञान व उदार ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। स्वच्छतापूर्ण वध सुविधाएं उपलब्ध कराना स्थानीय निकायों का उत्तरदायित्व होना चाहिए। कसाइयों का नियमित प्रशिक्षण व उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच अनिवार्य होनी चाहिए। मांस की बिक्री की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि इसकी गुणवत्ता को प्राधिकृत पशुचिकित्सक द्वारा प्रमाणित न कर दिया जाए। मांस की दूकानों में बिजली चले जाने पर वैकल्पिक व्यवस्था के साथ–साथ शीत भंडारण की सुविधाएं भी होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त मांस देने वाली भेड़ की नस्लों को विकसित करने व उन्हें बढ़ावा देने की आवश्यकता है क्योंकि ऊन की मांग में तेजी से कमी आई है। इसी प्रकार, दोहरे किस्म की बकरी नस्लें (दूध तथा बकरा–मांस के लिए) पाली जानी चाहिए जिन्हें आसानी से घर में पाला जा सके, ताकि बदलती हुई परिस्थितियों में इस क्षेत्र का भविष्य बेहतर हो सके।

4.3 ऊन उत्पादन

कृत्रिम रेशे के आगे ऊन की चमक फीकी पड़ गई है। वर्ष 2003–04 में 25.18 लाख कि.ग्रा. के उच्चतम उत्पादन स्तर पर पहुंचने के पश्चात् अब ऊन का औसत वार्षिक उत्पादन घटकर 12.87 लाख कि.ग्रा. रह गया है। इसकी तुलना में पंजाब में ऊन का उत्पादन हरियाणा राज्य के उत्पादन की तुलना में आधे से भी कम है। श्रेष्ठ ऊन देने वाली नस्लों के स्थान पर मांस देने वाली नस्लों (मुंजाल) को पाला जा रहा है। ऊन उत्पादन उपोत्पाद के रूप में जारी रह सकता है, जबकि भेड़ पालन का भावी उद्देश्य मांसोत्पाद भी होना चाहिए। गहन फसल उगाने की विधियों के अंतर्गत खेतों से अपशिष्टों को तत्काल हटाने की आवश्यकता होती है और इसके साथ ही प्राकृतिक चरागाह तथा चरण भूमियां गायब हो रही हैं, जिसके कारण भेड़ों की संख्या कम होती जा रही है।

भेड़ों की अधिक संख्या मुख्यतः पश्चिम–दक्षिणी हरियाणा में ही सीमित है (मानचित्र 5)। भिवानी, हिसार और सिरसा जिलों में, प्रत्येक में, 80,000 भेड़ें हैं। लोहारू स्थित ऊन श्रेणीकरण केन्द्र पशुपालन एवं डेरी विभाग द्वारा चलाया जा रहा है जहां ऊन की खरीद और उसका श्रेणीकरण किया जाता है, ताकि ऊन उत्पादकों को उनके घर के दरवाजे तक लाभदायक मूल्य उपलब्ध कराया जा सके। यह अपनी क्षमता की तुलना में कम कार्य कर रहा है।

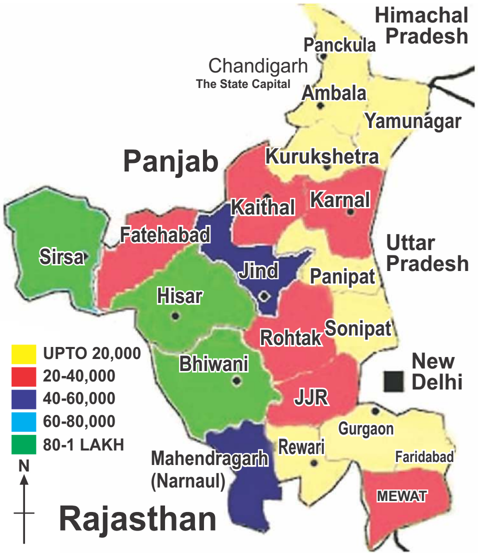

चित्र 4.5. हरियाणा में भेड़ों की संख्या का वितरण

4.4 अंडा उत्पादन

कुक्कुटों की कुल संख्या 2003 में 13.6 मिलियन थी जो 2007 में दुगनी होकर 28.70 मिलियन हो गई। वर्ष 2011–12 के दौरान कुल 4114.21 मिलियन अंडों का उत्पादन हुआ, जबकि उसकी तुलना में पड़ोस के पंजाब राज्य में 3543 मियिलन टन अंडों का उत्पादन हुआ था। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 180 अंडों की आवश्यकता की तुलना में पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्य में अंडों की उपलब्धता 160 अंडे रही है। अंडों को अंडा पाउडर या अन्य उत्पादों में प्रसंस्कृत करके इसके मूल्यवर्धन की कोई सुविधा नहीं है। तत्काल भोज्य अंडों का मूल्य मौसम के अनुसार बदलता रहता है जो मांग में कमी के कारण गर्मियों के महीनों में 10–20 प्रतिशत कम हो जाता है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है तथा यहां के अधिकांश निवासी अपने दैनिक आहार में अंडे को पसंद नहीं करते हैं। अंडों का अतिरिक्त स्टॉक मुख्यतः दिल्ली में बेचा जाता है।

4.5 पशुधन तथा आजीविका

अधिकांशतः पशु संसाधनों की कमी वाले भूमिहीन तथा सीमांत किसानों द्वारा पाले जाते हैं। इससे परिवार के अतिरिक्त श्रम का लाभदायक उपयोग होता है और स्थानीय रूप से उपलब्ध पशु अपशिष्ट घासों व खरपतवारों का उपयोग भी पशुपालन में हो जाता है। पशुपालन आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि इससे न केवल पोषणिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है बल्कि नियमित आय भी होती है। राज्य में हाल के वर्षों में किसानों द्वारा की जाने वाली दुर्भाग्यपूर्ण हत्याओं में बहुत कमी आई है क्योंकि हरियाणा के पास अब सबल पशुधन घटक उपलब्ध है। कुल 858389 ग्रामीण गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले या बीपीएल परिवार अपनी आजीविका तथा पोषण सुरक्षा के लिए पशुधन पर निर्भर हैं। कुल 32 लाख परिवारों में से लगभग 21 लाख पशुपालन में लगे हुए हैं और उनका जीवन स्तर अपेक्षाकृत बेहतर है।

4.6 पशुधन से निवेश पर होने वाला लाभ

पशुधन उत्पादन कुटीर आधारित बना हुआ है और यह वाणिज्यिक क्रियाकलाप नहीं है। अधिकांश मामलों में पशुपालन को खेती के साथ–साथ अपनाया जाता है। सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे का कार्य होने के साथ–साथ इस क्षेत्र में गहन श्रम की आवश्यकता होती है तथा फार्म क्रियाओं में स्वचालीकरण भी न्यूनतम है जिसके कारण युवा और उद्यमी पशुपालन की ओर आकृष्ट नहीं हो रहे हैं। होने वाला लाभ धीरे–धीरे और देर से मिलता है क्योंकि संतति को परिपक्व अवस्था में पहुंचने तथा प्रजनन करने में 3 से 4 वर्ष लगते हैं। फसलों की खेती के विपरीत पशु उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी निर्धारित नहीं किया जाता है। यह किसानों के लिए चिंता की बात है। कम उत्पादकता के साथ घटिया आनुवंशिकी निवेश से बेहतर लाभ प्राप्त करने के मार्ग में आने वाली एक अन्य बाधा है।

4.7 पशुधन प्रौद्योगिकियों का प्रभाव

कृत्रिम गर्भाधान, नई जैव तकनीकों, अधिकांश घातक रोगों की प्रभावी रोकथाम के लिए टीकाकरण, उन्नत स्वास्थ्य देखभाल, फार्म संबंधी कार्यों के स्वचालीकरण के लिए गुणवत्तापूर्ण उपकरणों की उपलब्धता तथा संगठित क्षेत्र द्वारा स्वच्छ दुग्धोत्पादन व दूध के अधिक से अधिक प्रसंस्करण के कारण हाल के वर्षों में पशु उत्पादकता का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है और इससे इस क्षेत्र के आंशिक वाणिज्यीकरण में सहायता मिली है।

4.8 पड़ोसी राज्यों में पशुपालन की तुलनात्मक स्थिति

हरियाणा तथा इसके आस–पास के राज्यों जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कुल पशुधन और कुक्कुट जनसंख्या, प्रति वर्ग कि.मी. पशुधन इकाइयों, कुल दुग्धोत्पादन,

प्रति पशु औसत दैनिक दुग्धोत्पादन, मांस तथा अंडा उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े सारणी 4.4 में दिए गए हैं।

सारणी 4.4. हरियाणा तथा इसके आसपास के राज्यों में पशुधन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	प्राचल	हरियाणा	हिमाचल	पंजाब	राजस्थान	उ.प्र.
1.	कुल पशुधन (000)	8859	5217	7408	56663	60272
2.	पशुधन इकाइयां / वर्ग.कि.मी.	141	49	113	64	145
3.	कुल कुक्कुट (करोड़ में)	2.87	0.073	1.06	0.49	0.87
4.	कुल दुग्धोत्पादन (2010–11 मी.ट.)	6.27	1.10	9.42	13.43	21.03
5.	दूध दे रहे प्रति पशु औसत दैनिक दुग्धोत्पादन (कि.ग्रा.)					
	क) सकल	6.75	3.30	9.10	4.68	4.01
	ख) विदेशी / संकर	7.58	4.66	10.95	7.53	7.07
	ग) देसी गायें	4.77	1.53	6.50	3.77	2.56
	घ) भैंसें	6.87	3.55	8.59	5.20	4.43
6.	वार्षिक मांस उत्पादन (000 टन)	319	3.0	175	107	845
7.	वार्षिक ऊन उत्पादन (000 कि.ग्रा.)	1287	1642	5061	2277	1543
8.	वार्षिक अंडा उत्पादन (लाख में)	39644	1021	35449	6679	10991

अध्याय 5

5.0 हरियाणा में पशुधन क्षेत्र का घटक विश्लेषण

5.1 किसानों के परिप्रेक्ष्य तथा पशुधन क्षेत्र का निष्पादन

राज्य के किसानों तथा पशुधन उद्यमियों व राज्य के सभी राजस्व प्रभागों में मौजूद पणधारियों के साथ अनेक पारस्परिक चर्चाएं आयोजित की गई जिनमें व्यक्तिगत किसानों ने अपनी समस्याएं रखीं तथा राज्य की पशुधन अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए अपने सुझाव दिए। कृषि, पशुपालन, डेरी, चारा उत्पादन, सहकारिताओं, अर्थशास्त्र तथा पशुधन स्वास्थ्य व उत्पादन संबंधी अन्य क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों के साथ परामर्श किए गए तथा मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इन चर्चाओं के आधार पर तथा किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों के आधार पर वर्तमान निष्पादन बनाम कृषकों के परिप्रेक्ष्य का विश्लेषण किया गया जिसका सारांश नीचे प्रस्तुत है।

5.1.1 घटिया पशु आनुवंशिकी : राज्य की पशुधन उत्पादकता चिंता का विषय बना हुआ है।

5.1.2 गायब होते सामुदायिक चरागाहों/चरणभूमियों के साथ–साथ अपर्याप्त आहार व चारा।

5.1.3 कोई भी सरकारी एजेंसी चारा बीजोत्पादन का उत्तरदायित्व वहन करने के लिए तैयार नहीं।

5.1.4 राज्य के लिए प्रभावी आहार तथा चारा विकास कार्यनीति की कमी।

5.1.5 छोटी डेरी इकाइयों से युक्त डेरी पालन एक पारिवारिक उद्यम है जिसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग बहुत कम हो रहा है तथा पशुपालन व प्रबंध की पिछड़ी हुई व अनुपयुक्त विधियां अपनाई जा रही हैं।

5.1.6 डेरी सहकारिताओं तथा डेरी फेडरेशन की उपस्थिति सीमित है। डेरी के तीन प्रमुख खंडों नामतः उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित कार्य प्रणाली दोषपूर्ण है।

5.1.7 महत्वपूर्ण पशु सुधार संबंधी मानदंडों के लक्ष्य न्यून हैं।

5.1.8 व्यवसायविदों के लिए उत्पादन संबंधी क्रियाकलाप निम्न प्राथमिकता वाले हैं।

5.1.9 गोपशु, भेड़ तथा बकरे–बकरियों, सूअरों तथा कुक्कुट विकास के लिए राज्य की क्रियाशील भूमिका अपर्याप्त है।

5.1.10 बेहतर अर्थव्यवस्था, गरीबी को दूर करने तथा निर्धन भूमिहीन ग्रामीण जनसंख्या की पोषणिक सुरक्षा से निपटने में सक्षम ग्रामीण कुक्कुट विकास पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है।

5.1.11 स्वास्थ्य देखभाल संबंधी क्रियाकलाप केवल अचल पशुचिकित्सालयों में सीमित हैं जो उपचारात्मक (अति तात्कालिक/प्रतिक्रियाशील भूमिका) सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। किसानों को उनके घर के दरवाजे पर प्राप्त होने वाला प्रोफाइलेक्सिस तथा झुण्ड के स्वास्थ्य की देखभाल की सुविधा (अर्थात् पूर्व सक्रिय भूमिका) अपर्याप्त है।

5.1.12 निम्न प्रजनन दक्षता : अनुर्वरता से उत्पादन में कम से कम 25 प्रतिशत की क्षति हो रही है।

5.1.13 पशुधन क्षेत्र एक गाय/भैंस – एक वर्ष एक बछड़ा लक्ष्य/उद्‌देश्य के निकट नहीं है।

5.1.14 संस्थागत ऋण की अनुपलब्धता प्रमुख बाधा बना हुआ है।

5.1.15 प्रसंस्करण तथा मूल्यवर्धन सीमित है जो केवल दूध के मामले में ही केवल कुछ हद तक हो रहा है।

5.1.16 मांस क्षेत्र सर्वाधिक उपेक्षित बना हुआ है और इसकी साज–संभाल असंगठित विधि से हो रही है।

5.1.17 कृषि के उप क्षेत्र के रूप में सदैव से कम प्राथमिकता होने के कारण पशुधन के लिए बजट सहायता का अपर्याप्त होना।

5.1.18 इस दिशा में वृद्धि अभी तक संसाधन संचालित रही है अर्थात् ऐसा पशुओं की संख्या को बढ़ाकर किया गया है जहां कृषि उत्पादों, फसल अपशिष्टों, चरण भूमियों तथा सस्ता/अतिरिक्त (पारिवारिक) श्रम उपलब्ध था और इस मामले में स्टॉक की गुणवत्ता या वाणिज्यिक व्यवहारिकता पर अधिक नहीं दिया गया। उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक युक्तियों को उचित स्तर पर नहीं अपनाया गया या इस दिशा में ईमानदारी से प्रयास नहीं हुए।

5.1.19 मानव संसाधनों के प्रशिक्षण व विकास तथा उनकी कुशलता के उन्नयन व क्षमता निर्माण पर न्यूनतम बल दिया गया।

5.1.20 पशुचिकित्सा व पशुपालन विस्तार सेवाएं लगभग नदारद रहीं।

5.1.21 राज्य कृषि/पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय की कम संसाधन वाले पशुपालकों/किसानों के लिए उपस्थिति सीमित रही अर्थात् उन्हें इनका पर्याप्त लाभ नहीं मिला।

5.1.22 पशुओं की अचानक मृत्यु होने पर या कोई आपदा आने पर अथवा ऐसी महामारी फैलने पर जिसमें पशुओं के समूह, विशेष रूप से छोटे रोमंथी पशु तथा पक्षी अत्यधिक प्रभावित होते हैं, क्षति की प्रतिपूर्ति की वह व्यवस्था उपलब्ध नहीं है जो खेती करने या फसलों के उगाने के मामले में उपलब्ध कराई गई है।

5.1.23 अनाज वाली फसलों के स्थान पर चारा उत्पादन के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है।

5.1.24 समेकित अभिसारी दृष्टिकोण की कमी : अनेक विभाग/एजेंसियां एक सामान्य लक्ष्य के लिए कार्य कर रही हैं लेकिन उनमें परस्पर कोई तालमेल या समन्वय नहीं है जिससे अधिक व्यय होने पर भी कम लाभ प्राप्त होता है।

5.1.25 मत निर्माण करने वाले निकाय/मंच/एसोसिएशनों/नस्ल सोसायटियों की अनुपस्थिति में किसी सबल नीति की कमी बनी हुई है।

5.1.26 'स्टाल फेड' भैंसों (जो अन्यथा मौसमी हैं या कम प्रजननशील हैं) तथा अन्य गोपशुओं की प्रजातियों में निम्न प्रमुख मुद्दों की पहचान की गई है :

क) आहार और चारा : डेरी फार्मिंग में निवेश का प्रमुख घटक

ख) वाणिज्यिक डेरी फार्मिंग के लिए सहायता

ग) संस्थागत ऋण : विशेष रूप से जिन्हें सबसे अधिक आवश्यकता है (भूमिहीन, सम्पत्तिहीन, सीमांत किसान), उनके लिए ऋण का उपयोग न होना पशुधन क्षेत्र की वृद्धि में तेजी लाने के मार्ग में मुख्य रुकावट बना हुआ है।

घ) पशु बीमा

ड.) बजट सहायता

च) प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन संबंधी हस्तक्षेप

छ) पुनर–अभिमुखित तथा कुशल पशुपालन विस्तार सेवाएं

ज) सभी डेरी यंत्रों तथा चारा उत्पादन यंत्रों के लिए अनुदान

5.1.27 पशुधन उत्पादन के बदलते हुए परिदृश्य में वांछित **नीतिगत पहलों** में शामिल है : नस्ल तथा श्रेष्ठ पशुओं की पहचान व उनका पंजीकरण, उत्पादन सेवाओं का प्रदानीकरण, उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन, गुणवत्तापूर्ण आहार और चारे की उपलब्धता, पशु विपणन, स्वास्थ्य संबंधी सहायता, टीकाकरण, सीमा पार रोग नियंत्रण, राज्य के बाहर तथा राज्य में पशुओं की आवाजाही, बछड़ों/कटड़ों का पालन, प्रजनन तथा आनुवंशिक सुधार के लिए नरों का पालन, केवल उच्च आनुवंशिक गुणों के वीर्य का उपयोग, पशु संरक्षण, आवारा पशुओं का नियंत्रण, दूध एवं दुग्धोत्पादों का मूल्य निर्धारण, विपणन को सुविधाजनक बनाना, भिन्न–भिन्न क्षमता वाले स्वच्छतापूर्ण पशुवध तथा पशु गृह जिसमें कुक्कुट प्रजातियां शामिल हैं, ग्रामीण कुक्कुट कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य/रोग चौकसी व निगरानी, नियंत्रण व आंकड़ा प्रबंध, माल तथा सेवाओं की प्रदानीकरण प्रणाली, उत्पादों की जैव–सुरक्षा, उत्पादन निवेशों का गुणवत्ता नियंत्रण, पशु कल्याण, पर्यावरण प्रबंध तथा पारिस्थितिकी टिकाऊपन, विनियमन तथा मूल्यांकन।

5.2 'स्वॉट' विश्लेषण

इस क्षेत्र की प्रमुख शक्ति समृद्धि पशुधन सम्पदा है, विशेषकर विश्व प्रसिद्ध मुर्रा भैंस जिसे काला सोना के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है और इसके साथ ही दोहरी उद्देश्य सम्पन्न हरियाणा गौपशु तथा अधिक दूध देने वाली साहिवाल गायें। मुर्रा एक बहूद्देशीय पशु है जिसकी दूध, मांस, मांसपेशी (भारवाही शक्ति) तथा मोजरेला चीज़ की विशिष्ट गुणवत्ताएं हैं। लगभग एक लाख गुणवत्तापूर्ण मुर्रा भैंसें प्रतिवर्ष अन्य राज्यों को निर्यात की जाती हैं जिससे किसानों को धन की प्राप्ति होती है, लेकिन श्रेष्ठ गुणवत्ता की इन भैंसों के राज्य के बाहर जाने के कारण राज्य से इस श्रेष्ठ जननद्रव्य की निरंतर निकासी हो रही है, लेकिन दूसरी ओर इससे भैंसों के और सुधार के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। राज्य के प्रगतिशील, कठोर परिश्रमी व विकासोन्मुखी किसान इस क्षेत्र की एक अन्य अमूल्य शक्ति हैं।

हरियाणा ने प्रजनन, पशुउत्पाद की देखभाल, पशुओं की नैदानिकी तथा विशेषज्ञतापूर्ण चिकित्सा सेवाओं के लिए अपने बुनियादी ढांचे को बढ़ाया है। सप्ताह के सातों दिन व 24 घंटे किसानों के घर के दरवाजे पर मूल स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य पशुधन विभाग के केन्द्रों के माध्यम से सम्पन्न किया गया है जिनका प्रबंध गोपालों (विशेष रूप से प्रशिक्षित ग्रामीण युवाओं) द्वारा किया जाता है। राज्य के लगभग प्रत्येक दूसरे गांव में पशुचिकित्सा संस्थान या सेवा उपलब्धकर्ता मौजूद है तथा प्रत्येक औसतन 2300 पशुओं को सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। वर्तमान में चल रहे खुरपका व मुंहपका नियंत्रण कार्यक्रम को बहुत सफलता मिली है। प्रत्येक जिला मुख्यालय में रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं हैं तथा हरियाणा पशुचिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान को फील्ड कार्यकर्ताओं को उनकी सेवाकाल के दौरान निपुणता के उन्नयन व क्षमता निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये सभी इस क्षेत्र को और अधिक शक्ति प्रदान करते हैं।

आनुवंशिक सुधार की निम्न गति और उप–इष्टतम पालन स्थितियों के साथ घटिया आनुवंशिकी इस क्षेत्र के समक्ष आने वाली गंभीर कमजोरियां/बाधाएं प्रतीत होती हैं। गुणवत्तापूर्ण आहार और चारे की पर्याप्त मात्रा में कमी उच्च उत्पादकता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है। अनिवार्य पोषक तत्वों/सूक्ष्म पोषक तत्वों की चिरकालिक कमी के कारण हमारे पशुधन की आनुवंशिक क्षमता कम बनी हुई है। सममिश्रित गोपशु आहार, खनिज मिश्रण तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों को आहार में मिलाना, पशुपालकों/पशुस्वामियों के बीच अभी लोकप्रिय नहीं हो पाया है। गहन खेती के कारण और औद्योगिक विकास के साथ–साथ शहरीकरण तथा पशुपालन में शिक्षित युवाओं की रुचि न होना तथा इसके अलावा सामान्य चरागाहों व चरण स्थलों का गायब होना, इस क्षेत्र की कुछ और प्रमुख रुकावटें हैं।

अपर्याप्त बजट सहायता के साथ–साथ अपर्याप्त संस्थागत ऋण इस क्षेत्र के अन्य सीमाकारी घटक हैं। प्रौद्योगिकियों का उपयोग तथा अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा इसे उचित रूप से न अपनाना

इस क्षेत्र की एक अन्य कमी है। ज्ञान का प्रसार तथा श्रजक से अंतिम उपयोगकर्ता तक प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण या तो देर से होता है या हस्तांतरण के दौरान इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। अधिकांश हरियाणावासी अब भी सदियों पुरानी परंपरागत तथा पिछड़ी हुई पशुपालन व पशु आहार संबंधी विधियां अपना रहे हैं। छोटी कुटीर इकाइयां मुख्यतः निर्धनों की आजीविका या अतिरिक्त आय का साधन हैं और यह वर्ग नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सक्षम नहीं है।

मूल्यवर्धन के निम्न स्तर तथा असंगठित विपणन ढांचा प्राथमिक उत्पादों को कम लाभ दिलाने के लिए उत्तरदायी है। गहन कम निवेश– कम निर्गत वाली उत्पादन प्रणाली के स्थान पर ऐसी सघन प्रणाली को अपनाना चुनौती बना हुआ है जिसमें उच्च निवेश तथा बेहतर लाभ की अपेक्षा की जाती है। यह क्षेत्र निजी निवेश को आकर्षित करने में असफल रहा है। मूल्यवर्धन के लिए स्वयं सहायता समूहों, सहकारिताओं तथा उत्पादक कंपनियों के साथ उस प्रकार के सम्पर्क जैसे फसल कृषि के मामले में स्थापित हुए हैं, इस क्षेत्र में अभी भी स्वप्न बने हुए हैं। चूंकि हरियाणा देश का एक बड़ा अनाज उत्पादक राज्य है अतः यहां बड़ी मात्रा में फसल अपशिष्ट तथा रफेज उपलब्ध हैं जिससे स्थानीय पशुओं को किफायती रुप से पालने के आदर्श अवसर उपलब्ध हैं क्योंकि इस क्षेत्र में निवेश लागत का 70प्रतिशत भाग केवल आहार पर व्यय होता है। भौगोलिक रूप से दिल्ली के निकट होने के कारण हरियाणा को वृहत विपणन अवसर का अतिरिक्त लाभ प्राप्त है।

अध्याय 6

6.0 मुद्दे तथा चिंताएं

6.1 हरियाणा में गोपशु प्रवर्धन

हाल के दशक में राज्य में देसी हरियाणा तथा साहिवाल नस्ल के गोपशुओं की संख्या व उत्पादन में होने वाली गिरावट को ध्यान में रखते हुए यह अनिवार्य अनुभव किया गया कि सरकार भैंस पालन के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले प्रोत्साहनों/निवेशों की तुलना में गोपशुओं के पालन के लिए अधिक प्रोत्साहन/निवेश उपलब्ध कराए। 3.5 प्रतिशत वसा युक्त गाय के दूध के लिए वही दरें निर्धारित की जानी चाहिए जो सामान्य एसएनएफ से युक्त 6 प्रतिशत वसा वाले भैंस के दूध के लिए दी जाती हैं। एचएफ तथा उनके संकरों से प्राप्त दूध में लगभग 3.5 प्रतिशत वसा अंश होता है जो गाय के दूध के लिए निर्धारित वर्तमान न्यूनतम मानक (वैधानिक रूप से अनुमत्य) 4 प्रतिशत से कम है। अतः गाय के दूध के लिए न्यूनतम मानक को संशोधित करके 3.5 प्रतिशत निर्धारित करने की आवश्यकता है, जैसा कि अधिकांश अन्य राज्यों में किया जा चुका है, राज्य सरकार को इस मामले में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने की जरुरत है, ताकि एक अधिसूचना के माध्यम से यह मानक कम करते हुए 3.5 प्रतिशत निर्धारित किया जा सके जिससे किसानों/पशुपालकों को लाभ हो और संकर प्रजनन को बढ़ावा मिले।

6.2 पशुओं की पहचान तथा रिकॉर्ड रखना

जब तक सभी पशुओं की पहचान नहीं की जाती है, तब तक पशु सुधार करना संभव नहीं है। उचित रिकॉर्ड रखने के लिए पशु स्वास्थ्य रिकॉर्ड, पशु राशन कार्ड, पशु पहचान कार्ड या पासपोर्ट सभी पशुओं के लिए जारी किए जाने चाहिए।

6.3 आवारा तथा नर गोपशुओं की संख्या

राज्य में गोपशुओं की संख्या के मामले में एक प्रमुख समस्या आवारा गोपशुओं की संख्या का अत्यधिक होना है। दूध न देने वाली गायों, बछड़ियों (जिन्होंने अभी तक जनन नहीं किया है) तथा अनुत्पादक गोपशुओं की उनके स्वामियों द्वारा देखभाल नहीं की जाती है और वे उपेक्षित रहते हैं। ये ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में भोजन की खोज में गलियों तथा सड़कों पर आवारा घूमते रहते हैं। छोटी जोतों के परिणामस्वरूप भूमि के निरंतर टुकड़े–टुकड़े होने के कारण यह स्थिति और भी गंभीर हो गई है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में गैर–कानूनी चराई होती है जिससे बचने के लिए फसलों की उचित सुरक्षा की जाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में पशुओं को रखने के लिए स्थान

की कमी है। बढ़वार, विकास की नाजुक प्रावस्थाओं के दौरान ऐसे पशुओं की उचित देखभाल नहीं की जाती है जिससे अर्थव्यवस्था को गंभीर क्षति होती है। इस प्रकार के पशु स्वामी उत्पादन प्रणाली के साथ खिलवाड़ करते हुए अपने पशुओं को तब अपने कब्जे में ले लेते हैं जब वे उत्पादनशील हो जाते हैं। ये स्थिति और जटिल हो जाती है क्योंकि अनुत्पादक पशुओं की संख्या तब और बढ़ जाती है जब बांझ, नर तथा अधिक आयु के चुक गए पशु सामान्य पशुओं की संख्या में शामिल हो जाते हैं। इन पशुओं के निपटान के किसी उपाय का उपलब्ध न होना किसानों तथा समाज के लिए एक भार हो जाता है जिसका वर्णन इस रिपोर्ट में अन्यत्र 'गौशालाओं' के अंतर्गत किया गया है। इस प्रकार के पशुओं की संख्या इतनी बड़ी है कि राज्य में मौजूद 556 से अधिक गौशालाएं भी इन आवारा पशुओं की देखभाल करने में असमर्थ हैं क्योंकि इनके पास स्थान, आहार और संसाधनों की कमी है। पशुओं का यह समूह न केवल पशुधन उत्पादन व पशु उत्पादकता को कम करता है और समाज को होने वाली हानि को बढ़ाता है बल्कि यह राज्य की प्रमुख आर्थिक क्षतियों के लिए उत्तरदायी है, जिसका वर्णन निम्नानुसार है :

क) आनुवंशिक सुधार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है क्योंकि आवारा सांडों से उत्पन्न संततियां घटिया आनुवंशिक गुणों वाली होती हैं।

ख) ये पशु संक्रमण का स्रोत बने रहते हैं तथा अनेक रोगों के फैलने का कारण बनते हैं क्योंकि इन्हें लगभग नहीं के बराबर पशु चिकित्सा संबंधी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध हो पाती हैं।

ग) संक्रामक रोगों के नियंत्रण सहित पशु सुधार कार्यक्रम अप्रभावी सिद्ध होते हैं तथा उनका कार्यान्वयन कठिन हो जाता है।

घ) अनेक सड़क दुर्घटनाएं सड़कों पर घूमने वाले इन आवारों पशुओं के कारण होती हैं।

ड.) राज्य के पशुपालन विभाग के निष्पादन संबंधी प्रयासों पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अतः आवारा गोपशुओं की बड़ी संख्या और पशुधन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले नर गोपशुओं व रोगों के प्रसार से जुड़ी इस समस्या को उचित प्रशासनिक व नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रभावी रूप से हल करने की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर नीति संबंधी प्रभावों के अंतर्गत अलग से चर्चा की गई है।

6.4 भैंस-हरियाणा के लिए एक ब्राण्ड के रूप में

सभी देसी पशुओं में भैंस उत्पादन के मामले में सर्वाधिक आशाजनक और सक्षम पशु है। स्वतंत्रता के पश्चात् के युग में भैंस पर इतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था, लेकिन आर्थिक लाभ के कारण वैज्ञानिकों तथा नीति निर्माताओं का ध्यान इस **काले सोने** की ओर

आकृष्ट हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से प्रक्रियाओं को अध्ययन करने वाले दृष्टिकोण तुलनात्मक रहे हैं तथा इस प्रजाति को पशुविज्ञान की दृष्टि से इतना प्राथमिकता नहीं दी गई जिसमें गोपशु प्रजनन तथा प्रबंध का प्रभुत्व चलता चला आया है।

हाल के वर्षों में यह माना गया है कि भैंस को हमारे देश का प्रमुख **डेरी पशु** मानते हुए इसे स्टार निष्पादक का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी उच्च मांस, दूध, उत्पादन व भारवाही क्षमता है। दूध, मांस, खाल /चमड़े, भार वहन के संदर्भ में आर्थिक योगदानों, रोजगार, महिला सशक्तिकरण व मांस तथा चमड़ा के निर्यात से होने वाली आय के संदर्भ में जींस उत्पादों की दृष्टि से यह पशु हमारी कृषि पशु व्यवस्था को स्थिर बनाने में प्रमुख स्थान रखता है तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा अकेला योगदाता सिद्ध हो सकता है।

यद्यपि हाल ही में भैंस उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं लेकि '**ब्राण्ड**' के रूप में भैंस को जनसामान्य के समक्ष लाने का प्रयास नहीं किया गया है। इसके दूध तथा अन्य पशु उत्पादों से होने वाला लाभ कुल गोपशु उत्पादों से होने वाले लाभ की तुलना में कहीं ढक जाता है। **इसे हरियाणा के भैंस समृद्ध क्षेत्र के लिए विशेष रूप से संशोधित करने की आवश्यकता है।**

6.5 भैंस से होने वाला लाभ तथा उत्पादकता संबंधी दुविधा

जनसंख्या संबंधी चित्र पर्याप्त रूप से यह दिखाने के लिए स्पष्ट है और सांख्यिकी दृष्टि से यह सिद्ध करता है कि भैंस पशु की वह प्रजाति है जिसे पशुपालक/किसान अधिक पसंद करते हैं। पशु गणना के पिछले रिकॉर्डों में इस पशु की 7 से 13 प्रतिशत वृद्धि/बढ़वार दिखाई दी है। संख्या में यह वृद्धि तब और भी उल्लेखनीय हो जाती है जब यह देखा जाता है कि अन्य प्रमुख बड़ी रोमंथी प्रजातियों, गोपशुओं की संख्या स्पष्ट रूप से कम हुई है। भैंस की संख्या में यह वृद्धि न केवल देश के उन भागों में हुई है जहां भैंसों को सदियों से पाला जा रहा है और हरियाणा जैसे क्षेत्र में यह लोगों के धार्मिक विचारों, संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, बल्कि उन अन्य भागों में भी हुई है जहां भैंस पालन हाल ही में आरंभ किया गया है।

पशुधन गणना संबंधी आंकड़ों के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि पसंदीदा पशु के रूप में भैंस को विशेष लाभ प्राप्त है। इस पशु में कई ऐसे गुण हैं जिससे इसे वास्तविक डेरी पशु माना जा सकता है क्योंकि यह दूध और मांस के उत्पादन में प्रमुख योगदान देता है और कृषि उत्पादन प्रणाली को टिकाऊपन प्रदान करने का एक प्रमुख घटक है। इस प्रजाति की सर्वश्रेष्ठ नस्ल से युक्त **अग्रणी राज्य के रूप में** इस राज्य ने पशु सुधार कार्यक्रम में नेतृत्व प्रदान किया है। प्रति पशु निवल उत्पादकता बढ़ाने के लिए वृहत कार्यक्रम पर बल दिया जाना चाहिए तथा प्रति पशु उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रणाली व कार्यनीति तैयार की जानी चाहिए।

इस आवश्यकता की पूर्ति न तो हमारे अनुसंधान एजेंडे से पूरी की जा सकी है और न ही इस पशु की श्रेष्ठता को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक व निजी क्षेत्र से सहायता प्राप्त की जा सकी है।

6.6 पोषण, पोषक तत्व विभाजक व भैंसों में परिवर्तन दक्षता का लाभ

यह सुविख्यात है कि भैंसों में आहार परिवर्तन की उल्लेखनीय क्षमता होती है लेकिन अभी यह समझना बाकी है कि इस क्षमता को कैसे अथवा क्यों या क्या वास्तव में सुधारने की आवश्यता है। युवा भैंस का कटड़ा बिना किसी पूरक आहार के अपने भार में प्रति दिन 800 ग्रा. की वृद्धि कर सकता है। वर्तमान उपलब्ध आंकड़ों में पोषक तत्वों के विभाजन द्वारा प्रथम आमाशय या रुमेन एवं आंतरीय दक्षता को इस प्रकार पहचाना गया है कि स्तर प्रणाली में दुग्ध संश्लेषण की क्रिया विभिन्न संघटन वाला दूध प्रदान करने में सक्षम है। जहां एक ओर उच्च ऐसिटेट उत्पादन का संबंध दूध में वसा की अधिक मात्रा से है, वहीं दूसरी ओर आसानी से पच जाने वाले कार्बोहाइड्रेटों से अधिक लैक्टोज का निर्माण होता है और दूध का आयतन अधिक हो जाता है। दूध में उच्चतर वसा के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार किए जाने वाले कार्यक्रमों को न केवल अयन के स्तर पर आनुवंशिक क्रिया के संदर्भ में देखने की आवश्यकता है बल्कि इसे पोषक तत्वों के चयापचयजी विभाजीकरण के रूप में भी देखा जाना चाहिए।

दुर्भाग्य से हमारी सभी पोषण अनुसूचियों में जो गोपशु मॉडल पर आधारित हैं, इस महत्वपूर्ण जीवविज्ञानी घटक पर ध्यान नहीं दिया गया है। वाणिज्यिक राशन या हमारे आहार संबंधी मानकों में उत्पादन स्तरों को पोषक तत्वों की आवश्यकता की गणना करने के लिए मान्यता प्रदान की गई है, न कि उनकी जैव–भौतिक अथवा जैव–रसायनविज्ञानी आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है। यह विरोधाभासी स्थिति है जिसे दूर करने की आवश्यकता है, ताकि भैंस प्रणाली को जो प्राकृतिक लाभ प्राप्त है, उसका उपयोग उत्पादन तथा प्रजनन को बढ़ाने में किया जा सके।

6.7 परिरक्षण तथा सुधार संबंधी विरोधाभास

राष्ट्रीय रजिस्टर (एनबीएजीआर वर्गीकरण तथा आंकड़े) में भैंसों की उपलब्ध नस्लों का उनके पारिस्थितिक क्षेत्रों और इन नस्लों के सम्बद्ध जनसंख्या आकार का एक वृहत दृश्य प्रस्तुत किया गया है। तथापि, हम प्रजनन के लिए चाहे प्राकृतिक गर्भाधान को अपनाएं या कृत्रिम गर्भाधान संबंधी कार्यक्रमों को, नरों की नस्ल तथा गुणवत्ता की कोई प्रमाणिक पहचान नहीं होती है और यहां तक कि नियमित प्रक्रिया के लिए भी विशिष्ट प्रजनन अनुप्रयोग सुनिश्चित नहीं होता है। भैंस सुधार से संबंधित सभी संगठित कार्यक्रमों (विशेष रूप से कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से) में अनिवार्य रूप से मुर्रा नस्ल को शामिल किया जाना चाहिए। मुर्रा पशु के लिए परीक्षित भैंस वीर्य जिसकी पहचानी गई श्रेष्ठता है (परीक्षित संतति या वंशावली है), कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपलब्ध है, जिसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। राज्य की सीमा के बाहर प्रजनन/कृत्रिम गर्भाधान के लिए भैंस नरों/वीर्य का उपयोग करने वाली प्रमुख एजेंसियां उन स्थानों के लिए वीर्य का स्रोत हैं जहां गुणवत्तापूर्ण वीर्य उपलब्ध नहीं है। इस दृष्टि से इस दिशा में बहुत कुछ किया

जाना वांछित है और इससे सुधार कार्यक्रम में गहन टकराव या विरोधाभास उत्पन्न होता है।

भैंस की नस्लों के सुधार का प्रयास, ठोस सुधार कार्यक्रमों के संदर्भ में अभी टकराव या असमंजस की स्थिति में हैं। इसका समाधान तब तक केवल अनुमोदित नरों/संतति के परीक्षित वीर्य का उपयोग करना है, जब तक नीतिगत क्रियाविधि अपनाकर निर्धारित नहीं की जाती है।

6.8 भैंस के दूध का लाभ न लेना

मुर्रा भैंस के राज्य में विकास तथा प्रोत्साहन कार्यक्रमों के बावजूद अधिकांशतः हमारा कथित ध्यान पशु पर केन्द्रित रहा है और हमने इसके विशेष दूध की श्रेष्ठता और इसके प्रसंस्करण तथा **स्थानीय उत्पादों के विनिर्माण** की संकल्पना पर ध्यान नहीं दिया है। हम भैंस के दूध की साज–संभाल गाय के दूध के संदर्भ में करते हैं जबकि राज्य में 84 प्रतिशत दूध भैंसों से उपलब्ध होता है।

अधिकांश उपलब्ध तकनीकों, प्रक्रियाओं तथा क्रियाविधियों का वसा, प्रोटीन तथा एसएनएफ के संदर्भ में इस विशिष्ट संगठनात्मक लाभ के साथ भैंस के इस विशेष दूध में उपयोग नहीं किया गया है। हमारे अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों ने इस दूध के अंतरों की सूची बनाने तथा गाय के दूध से तुलना करने में व्यय किया है, लेकिन इसकी श्रेष्ठता का हमारे अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों में उपयोग नहीं हुआ है। राज्य का तथा अनुसंधान एवं विकास का ध्यान कभी भी भैंस के दूध की इस विशिष्टता को और अधिक सबल बनाने में नहीं रहा है। इस विशिष्ट जिंस की अधिकांश मात्रा का उपयोग विशिष्ट उत्पाद तैयार करने/या बाजार फ्रेंचाइजी तलाश करने में नहीं रहा है।

यही उपयुक्त समय है कि जब हम प्रतिस्पर्धात्मक वैश्विक पर्यावरण में कार्य कर रहे हैं तो भैंस के दूध को – **भैंस के दूध** के रूप में बाजार में उतारा जाना चाहिए, जिसका वसा, प्रोटीन की गुणवत्ता, मोजरेला चीज़ तथा राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर उत्पाद निर्माण में विशेष लाभ प्राप्त है। इस प्रकार के प्रौद्योगिकीय संलयन से उत्पादकों को और अधिक लाभ होगा और उसके साथ ही उद्योग भी लाभान्वित होगा। थक्का युक्त दुग्धोत्पाद (पनीर उत्पादन) का तैयार वैश्विक बाजार है। इस विरोधाभासी स्थिति को सुधारा जाना चाहिए, ताकि भैंस की श्रेष्ठता पर कार्य किया जा सके और दूध के आयतन तथा गुणवत्ता संबंधी लाभ को गवाँया न जाए।

6.9 नर भैंसों की दयनीय स्थिति

भैंसों के मामले में नर या कटड़े के जन्म के दिन से ही उसके अस्तित्व पर प्रश्न–चिह्न लग जाता है और इस उपेक्षा के कारण उसका नरत्व व्यर्थ हो जाता है। कटड़ों को पर्याप्त आहार नहीं दिया जाता और उन्हें मात्र दूध दुहने की प्रक्रिया के लिए जीवित रखा जाता है। 22 लाख से अधिक मादा भैंसों से प्रति वर्ष लगभग 13 लाख कटड़े जन्म लेते हैं (70 प्रतिशत प्रजननशील जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, 60 प्रतिशत कटड़ा जनन) जिसमें से जन्म अनुपात (प्रत्येक लिंग के लिए

50%) से प्रत्येक लिंग के लिए 6.5 लाख की आवर्तता बनी रहती है। वास्तव में पशुगणना के उपलब्ध विश्लेषण (2007) से यह स्पष्ट होता है कि 6.4 लाख भैंस के कटड़ों की संख्या ऐसी है जिसकी आयु एक वर्ष से कम है (सारणी 6.1)।

सारणी 6.1. वर्ष 2007 की पशुगणना के अनुसार हरियाणा में भैंस के नरों/कटड़ों की संख्या

आयु	भैंस	गोपशु	
		देसी	संकर नस्ल
1 वर्ष से कम	637100	75873	50058
1 से 3 वर्ष	139922	48280	14634
3 वर्ष से अधिक			
क) प्रजनन	10616	7395	1738
ख) कृषि तथा प्रजनन	22896	75660	6542
ग) बैलगाड़ी	98114	100726	20842
घ) अन्य	7619	86931	6159
कुल	**916267**	**394865**	**99973**

1–3 वर्ष के आय समूह के कटड़ों की सम्बद्ध संख्या घटकर मात्र 1.39 लाख रह गई है तथा 3 वर्ष की आयु के कटड़ों की संख्या और कम होकर केवल 1.0 लाख रह गई है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख कटड़ों की बर्बादी होती है (ये उपेक्षित रहते हैं और अथवा इन्हें मरने दिया जाता है)। यह किसानों के लिए बड़ी क्षति है क्योंकि यदि ऐसा न हुआ होता तो उन्हें प्रति वर्ष कम से कम 100.00 करोड़ रुपये का लाभ हुआ होता (5 लाख पशु जिनमें से प्रत्येक का काया भार 70 कि.ग्रा. तथा मांस का मूल्य 70 रु. प्रति कि.ग्रा. आँका गया है)।

संख्या में होने वाली क्षति के अतिरिक्त इसके कारण ऊर्जा क्षति, आर्थिक क्षति और जैविक क्षति भी होती है क्योंकि समृद्ध मादा पशु के ऊर्जा स्रोत को गर्भ धारण में 10 माह के लिए ऊर्जा निवेश करना पड़ता है। इस दौरान वे पोषक पदार्थों का सेवन करते हैं तथा ऊर्जा निवेश निर्मित होती है और यह सब कुछ बेकार चला जाता है। यदि हमारे किसान मात्र 50 प्रतिशत नर पशुओं (कटड़ों) को पाल सकें तो उनके जन्म के 16 माह बाद हमें उच्च गुणवत्ता वाला भैंस का मांस उपलब्ध हो सकता है जिसमें लाभ तथा निर्यात आय कमाने की बहुत क्षमता है। इसके साथ ही इससे लाभदायक चमड़ा उद्योग को भी कच्चा माल उपलब्ध होगा जिससे राज्य में पशुधन स्वामियों को अतिरिक्त नकद आय होगी तथा लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

निर्यात के लिए गुणवत्तापूर्ण मांस के उत्पादन हेतु स्वच्छ वध गृहों का बुनियादी ढांचा विकसित करने से इस क्षेत्र की मांग में लगभग 80 प्रतिशत की वृद्धि होगी तथा इसी अनुपात में निर्यात से होने वाली आय भी बढ़ेगी। नर कटड़ों को पालने के उपलब्ध मॉडलों से इस पशु से आर्थिक लाभ स्पष्ट हैं चाहे मादा भैंसों की दूध उत्पन्न करने की क्षमता पर विचार नहीं किया गया हो जो पिछली सभी गणनाओं को झुठलाते हैं। भैंस के विभिन्न लिंग के पशुओं को पालने में जो प्रबंध संबंधी टकराव की स्थिति चल रही है उससे पशु अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

गहन नर भैंसा पालन कार्यक्रम जिसे **बफलो स्पॉट्स (बीएस)** के रूप में परिभाषित किया गया है, में रफेज तथा सांद्रों का आहार में उपयोग करना, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, रोगों की रोकथाम व उनका नियंत्रण व उनकी पहचान , गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी मुद्दों व पशु अपशिष्ट के पुनश्चक्रण के लिए सुविधाओं को सृजित करना जैसे पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। ये बफैलो स्पॉट निर्यात इकाइयों के रूप में कार्य करेंगे जिन्हें केन्द्रीय वधकरण सुविधाओं से जोड़ा जाएगा जहां मृत पशुओं के कंकाल का सर्वाधिक लाभ के लिए उपयुक्ततम उपयोग होगा। बफलो स्पॉट पशुओं को पालने के संदर्भ में तथा उन पशु स्वामियों को लाभ पहुचांने के संदर्भ में एक उद्यम सिद्ध हो सकता है जो यह निर्णय लेते हैं कि वे नर कटड़ों को प्रतिशत के आधार पर इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे अथवा वे एक सहकारी उद्यम में शामिल होंगे या आहार संबंधी उद्यम से सीधे–सीधे जुड़ेंगे।

6.10 मांस पशु के रूप में भैंस

भैंस को भारतीय डेरी उद्योग तथा मांस निर्यात की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। भैंस की कुल 105 मिलियन संख्या में से केवल लगभग 11 मिलियन भैंसों का ही प्रति वर्ष वध किया जाता है। भैंस की मांस उत्पादन क्षमता (अस्थिहीन) लगभग 8.00 मियिलन टन है। हरियाणा के पड़ोसी राज्यों जैसे पंजाब व उत्तर प्रदेश में लगभग 12 वध गृह व मांस प्रसंस्करण संयंत्र हैं। इसके परिणामस्वरूप 4.62780 मी.टन मांस का निर्यात होता है। भैंस का मांस पिछले वर्षों में 60–75 देशों को निर्यात किया गया तथा वर्ष 2009 में इस निर्यातित मांस का मूल्य 48400 मिलियन रुपये था।

अल्प अंतरा मांसपेशीय वसा, कोलेस्ट्रॉल तथा कैलोरी से युक्त भैंस के मांस में अनिवार्य एमिनो अम्लों की उच्चतर मात्रा होती हैं जिसका जैविक मान अधिक होता है तथा इसमें लौह अंश उच्च होता है। इसके साथ ही इस मांस की अपशिष्टहीन स्थिति इसे खपत के लिए सर्वाधिक स्वास्थ्यपूर्ण उत्पाद का दर्जा प्रदान करते हैं। भैंस का मांस विभिन्न प्रकार के मांस उत्पादों को तैयार करने के लिए उपयुक्त है जिसमें पायस उत्पाद, धूम्रीकृत तथा प्रसंस्कृत उत्पाद, पुनर्रचित उत्पाद तथा परंपरागत मांस उत्पाद शामिल हैं।

उपरोक्त वर्णित गुणवत्ताओं के होते हुए यह तथ्य समझ से परे है कि इस मांस का मूल्य अन्य मांसों की तुलना में इतना कम क्यों है (सारणी 6.2)। राज्य में वध की सुविधाएं उपलब्ध होने के साथ–साथ किसानों के लिए मूल्य संबंधी लाभ तथा उन्हें प्राप्त होने वाले राजस्व की अनदेखी नहीं की जा सकती।

सारणी 6.2. विभिन्न श्रेणी के मांसों का फुटकर मूल्य (मूल्य रु./कि.ग्रा.)

मांस की श्रेणी/वर्ष	2006	2007	2008	2009	2010
कुक्कुट	58	60	52	65	75
बकरा	150	160	170	180	190
बकरा/भेड़	140	160	165	175	190
सूअर	55	60	55	65	75
भैंस	45	45	50	55	65

6.10.1 भैंस के मांस के गुण

अनेक देशों में अनुसंधानकर्ताओं ने भैंस से प्राप्त होने वाले मांस की गुणवत्ता की तुलना गोपशुओं के मांस से की है और यह बताया है कि भैंसों से प्राप्त होने वाली मांस की गुणवत्ता संबंधी गुण गोपशुओं से प्राप्त होने वाले मांस की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। भैंस की बढ़वार गोपशुओं की तुलना में तेजी से होती है, भले ही दोनों को समान स्थितियों में पाला जाए। भैंसों में भारी खाल और बड़े सिर के कारण गोपशुओं की तुलना में कम ड्रेसिंग प्रतिशत (लगभग 3 प्रतिशत कम) होता है लेकिन मांस की मात्रा गोपशुओं के मांस के बराबर होती है। सामान्य रूप से भैंस के शव में उच्चतर मांसपेशी अनुपात होता है तथा गाय की तुलना में हडिडयों तथा वसा का अनुपात कम होता है। भैंस के मांस में लगभग 17–21 प्रतिशत प्रोटीन, 1–3 प्रतिशत वसा, 1 प्रतिशत भस्म तथा 74–75 प्रतिशत नमी होती है। भैंस के मांस में एमिनो अम्ल संघटन गाय के मांस के लगभग बराबर पाया गया है। भैंस का वसा सफेद तथा मांस अधिक गहरे रंग का होता है जिसका कारण अधिक रंजकता या कम अंतरा मांसपेशी वसा का होना है। भैंस के मांस में ओलेइक और स्टीरिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है जो मनुष्यों में उदासीन कोलेस्ट्रोलेमिया के रूप में देखा जा सकता है। गाय तथा भैंस के मांस में पीयूएफए और एसएफए का अनुपात क्रमशः 0.22 और 0.91 रिपोर्ट किया गया है।

6.11 भूमि उपयोग संबंधी विरोधाभास और पशुधन उत्पादन

सिंचित कृषि में जहां बड़े रोमंथियों, संकर नस्ल के पशुओं तथा भैंसों को डेरी पशु के रूप में सर्वाधिक पसंद किया जाता है, वहां इनका गहन प्रबंधन होता है, इन्हें चरनी में चारा दिया जाता है, हरा चारा व सांद्र खिलाए जाते हैं, और इस प्रकार भूमि संसाधन का अनाज/फसल उत्पादन के साथ उचित रूप से बंटवारा होता है। लेकिन इससे कुल भूमि की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव

पड़ता है। इस प्रकार, अनाज उत्पन्न करने वाली वृहत भूमि कम हो जाती है, चूंकि डेरी व्यवसाय से बेहतर आर्थिक लाभ होने की अपेक्षा की जाती है, अतः सिंचित कृषि के मामले में भूमि उपयोग की दृष्टि से गंभीर विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हुई है। वाणिज्यिक बिक्री के लिए वर्षभर हरा चारा उगाना अनाज उत्पादन की तुलना में अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है। अनेक किसानों ने रबी तथा खरीफ फसलों के बीच भूमि का उपयोग करके गहन गोपशु तथा भैंस उत्पादन के लिए चारा उत्पादन की इस समस्या को चतुराई से सुलझाया है। गेहूं की कटाई के बाद मक्का की चारा फसलें उगाते हैं तथा वर्षभर हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए साइलेज तैयार करते हैं। पंजाब में कुछ किसानों की भैंसो से युक्त बड़ी डेरी इकाइयां, तथा शुद्ध विदेशी तथा संकर नस्ल की गायें (200 से 300 तक) केवल साइलेज पर पाली जाती हैं और इसे किराए पर ली गई भूमि में उगाए गए चारे से तैयार किया जाता है। यह चारा 79 से 80 दिनों की अंतर फसलन अवधि के दौरान तैयार हो जाता है। इस दौरान किसान अपनी भूमि पर कोई खेती नहीं करते हैं।

6.12 ग्रामीण पशुधन तथा सामान्य संपत्ति संबंधी संघर्ष

कृषि जोतों के सिकुड़ने तथा सामान्य संपत्ति वाली भूमि के दुरुपयोग के कारण आहार, चारे व चरागाहों की उपलब्धता पर गहन दबाव पड़ा है। अधिकांश भूमिहीन पशु स्वामी सामान्य भूमि, चरागाह क्षेत्रों तथा पशुओं को पिलाने वाले जल से युक्त तालाबों को पाने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। इसके साथ ही सामान्य संपत्ति के नियम तोड़ दिए गए हैं तथा परिवर्तित होने वाली स्थितियों के अनुकूल वातावरण तैयार नहीं हुआ है, वहां अनेक दुष्परिणाम सामने आए हैं। इनमें से एक संसाधन के अपघटन में तेजी आना है क्योंकि संपत्ति के बंटवारे से तृतीय पक्ष को लाभ हो रहा है तथा निजीकरण के कारण सामान्य भूमियों पर वाणिज्यिक उत्पादकों के समूहों का कब्जा हो रहा है और सामुदायिक विकास के नाम पर निजी हित की रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। इनमें से कोई भी सामान्य संपत्ति के प्रबंध की समस्या का हल नहीं है, विशेष तौर से तब जब सामान्य संपत्ति के प्रबंध में पशुओं की चराई, जल तालाबों तक पहुंच और चारों की उपलब्धता जैसे मुद्दे जुड़े हुए हों। बलपूर्वक खोजे गए हलों से सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दबाव उत्पन्न होते हैं जिनके परिणामस्वरूप कुल संसाधनों की क्षति होती है। यद्यपि उच्च उत्पादन देने वाले बड़े रोमंथियों को राज्य में ग्रामीण स्थितियों के अंतर्गत अलग–अलग आहार प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि यहां बड़ी पशुधन संख्या विद्यमान है, लेकिन सामान्य संपत्ति वाली भूमियों की अनुपलब्धता के कारण पशुधन उत्पादन को गंभीर झटका लगा है। सामुदायिक झुंडों से पशुधन उत्पादन द्वारा होने वाला आर्थिक लाभ वाणिज्यिक श्रेणी के व्यक्तिगत पशुओं से होने वाले लाभ की तुलना में अधिक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन के झुण्ड का अनेक उद्‌देश्यों से उपयोग होना एक गुण है तथा प्रति हैक्टर आर्थिक लाभ की उच्च दर तभी प्राप्त हो सकती है जब इस क्षेत्र के सभी कार्यों का मूल्यांकन हो।

जहां गहन पशुधन उत्पादन आजीविका प्रणाली का एक केन्द्रीय घटक है, वहां सामान्य संपत्ति वाली संस्थाओं को सुस्पष्ट व विशिष्ट आर्थिक तथा पारिस्थितिक लाभ प्राप्त होता है। वनों तथा चराई क्षेत्रों के उपयोग के लिए एक सर्वसम्मति हल वाला सूत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

ऐसा विशेष रूप से उन जिलों में छोटे पशुओं के मामले में किया जाना और भी आवश्यक है जहां आजीविका का एक बड़ा आधार भेड़ तथा बकरे–बकरियां हैं।

6.13 सभी पशुधन आवश्यकताओं के लिए पोर्टल-पशु स्वामियों के लिए सूचना

कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कोई नई बात नहीं है। सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा 80 से अधिक ऐसी वैबसाइटें तथा पोर्टल चलाए जा रहे हैं जो किसानों को मृदा, पादप सुरक्षा, रोगों, मौसम संबंधी पूर्वानुमानों, उर्वरक उपयोग तथा फार्म और फसल प्रबंध से संबंधित जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। निजी क्षेत्र में यह संख्या और भी अधिक हो सकती है। तथापि, पशु स्वामियों के लिए ऐसा कोई 'वन–स्टॉप पोर्टल' नहीं है। यहां तक कि कृषि पोर्टल पर जो सूचना दी जाती है उससे पशु स्वास्थ्य तथा प्रबंध संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के बारें में किसानों के भ्रमित होने की संभावना अधिक रहती है। इसके अतिरिक्त पशु स्वामी को जिस सूचना की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वह केवल प्रजाति/नस्ल विशिष्ट ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि पशु विशिष्ट भी होनी चाहिए।

इस समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकार ने यूनिफाइड पोर्टल तैयार किया है, ताकि प्रजनन सहित सभी कार्यक्रमों, स्कीमों/फार्मिंग संबंधी आवश्यकताओं पर सूचना उपलब्ध कराई जा सके जिसमें प्रजनन, कृत्रिम गर्भाधान, पुनरोत्पादन, पोषण, स्वास्थ्य, रोग, प्रबंधन, औषधियां, पशुधन उत्पाद, निवेश संसाधन व वस्तुओं, सेवाओं व नवीन खोजों सहित अन्य सूचनाएं पशु स्वामियों को दी जाती हैं। **पोर्टल** www.pashugyan.gov.in **या** www.pashukhabar.gov.in आरंभ किए जाने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत किसानों की आवश्यकताओं के समाधान होने चाहिए जिसमें आहार, चारा, पोषण, गुणवत्ता, स्वच्छता, मूल्यवर्धन तथा विपणन संबंधी पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए और ऐसा सजीव पारस्परिक चर्चा के सहित किया जाना चाहिए। मूल संस्करण में विभिन्न वैबसाइटों से सभी सम्बद्ध सूचना को प्राप्त करके समेकित किया जाना चाहिए। इस पोर्टल में प्रौद्योगिकियों के बीच ताल–मेल स्थापित करते हुए समेकित किया जाना चाहिए तथा किसानों को नवीनतम व अद्यतन सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए, न कि तिथिवार सूचना को अपलोड किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए दूध या सम्मिश्रित आहार डीलरों से संबंधित सूचना को एसएमएस के माध्यम से स्वतः अद्यतन बनाते हुए अपलोड किया जाना चाहिए। सरकार को इसे अगले कुछ महीनों में पशुधन स्वामियों/किसानों को उपलब्ध करा देना चाहिए।

6.14 आय तथा आहार संबंधी स्वभाव में परिवर्तन

हाल के प्रवृत्तियों से भोजन की खपत में परिवर्तित हो रहे पैटर्न का स्पष्ट पता चलता है। जहां एक ओर अनाज की खपत कम हो रही है वहां दैनिक आहार में, ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में अनाज इतर उत्पादों की खपत बढ़ रही है।

बढ़ती हुई आय तथा शहरीकरण के कारण अनाज इतर फसलें तथा पशु उत्पाद (डेरी और कुक्कुट उत्पाद तथा राज्य के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मांस) अगले दो दशकों के दौरान हमारी खपत के पैटर्न में मुख्य स्थान ले लेंगे।

राष्ट्रीय आकलनों के अनुसार कुल कैलोरी आपूर्ति में अनाज उत्पादों का योगदान जो वर्ष 2000 में 65 प्रतिशत था, वह 2025 और 2050 में घटकर क्रमशः 55 और 48 प्रतिशत रह जाएगा, ऐसा अनुमान है। तथापि, कुल कैलोरी आपूर्ति के 2025 और 2050 तक क्रमशः लगभग 2770 और 3000 किलो कैलोरी प्रति व्यक्ति तक बढ़ने की संभावना है। औसत कैलोरी आपूर्ति का यह स्तर उन लोगों को भी पोषणिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त है जिनकी न्यूनतम आय है।

परिवर्तित होते हुए आहार खपत संबंधी पैटर्नों का एक अन्य प्रभाव अनाज इतर फसलों (दलहनों, खाद्य तेलों, सब्जियों और फलों सहित) की खपत का उच्च स्तर है और ऐसी फसलें विकसित होते हुए पशु आहार उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। विशेष रूप से पशु आहार के लिए अनाजों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना चुनौती है। भविष्य में एक बड़ी चुनौती यह होगी कि खाद्यान्नों पर कम बल देने के कारण भूसे को होने वाली क्षति की किस प्रकार प्रतिपूर्ति की जाए।

फसल मांग संबंधी परिवीक्षणों (प्रोजेक्शंस) से भी यह प्रदर्शित होता है कि भोजन के लिए अधिक भावी व्यय के कारण आजीविका के अवसर बढ़ेंगे और ऐसा कृषि पर निर्भर जनसंख्या के मामले में अधिक होगा तथा इस मामले में पशुधन को सर्वश्रेष्ठ आर्थिक स्थिति प्राप्त होगी।

6.15 खाद्यान्न की मांग

परिवर्तनशील खपत पैटर्न का एक मुख्य प्रभाव पशु भोजन में अनाज की बढ़ती हुई मांग है। इस प्रकार, कुल अनाज की मांग में वृद्धि होगी। वर्तमान के विपरीत बढ़ती हुई अनाज की कुल मांग के बड़े भाग की पूर्ति आहार की मांग को बढ़ाकर की जा सकेगी। 2020 और 2030 तक परिवीक्षणों के संदर्भ में पशुधन सैक्टर की मांग तथा वृद्धि के संदर्भ में आहार की मांग के वर्तमान की तुलना में 6 से 8 गुने तक बढ़ने की संभावना है।

आहार या पशु चारे की मांग संबंधी परिवीक्षण आने वाले वर्षों में भोजन संबंधी या खाद्यान्न संबंधी मांग से अधिक होंगे। जैसा कि आहार संबंधी पसंदगियों तथा बाजार की मांगों की वर्तमान प्रवृत्तियों से भी स्पष्ट हो रहा है। राष्ट्रीय नियोजन की वर्तमान संकल्पनाओं के विपरीत हम यह सशक्त रूप से अनुभव करते हैं कि पशु आहार की मांग संबंधी परिवीक्षण वर्तमान में मौजूद परिवीक्षणों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से भिन्न होगी।

खाद्यान्नों की पोषणिक मांग में भी भविष्य में परिवर्तन प्रदर्शित होगा जिससे यह स्पष्ट होता है कि पशुधन उत्पाद, उल्लेखनीय रूप से पोषणिक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और इसके साथ ही इनसे खाद्यान्नों की परिवीक्षित आवश्यकता भी प्रभावित होगी। सीएसएसओ के 66वें राउंड के आंकड़े से भी यही निष्कर्ष निकलता है (कृपया चित्र और सारणियां देखें)।

6.16 हरियाणा तथा पड़ोसी राज्यों में उपभोक्ता व्यय

हरियाणा में वर्ष 2006–07, 2007–08 और 2009–10 के दौरान दूध और दुग्धोत्पादों, अंडों, मछलियों तथा मांस पर प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोक्ता व्यय को चित्र 6.1 और 6.2 में दर्शाया गया है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उ.प्र. तथा अखिल भारतीय स्तर पर पशुधन तथा

अनाज मूल के उत्पादों पर होने वाला आनुपातिक व्यय चित्र 6.3 तथा सारणी 6.3, 6.4, 6.5 और 6. 6 में दर्शाया गया है।

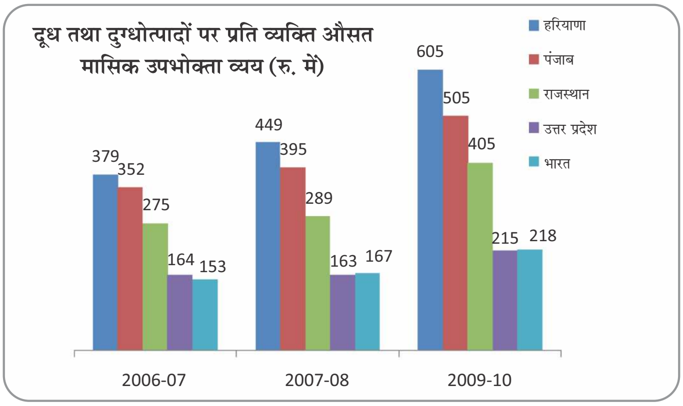

चित्र 6.1

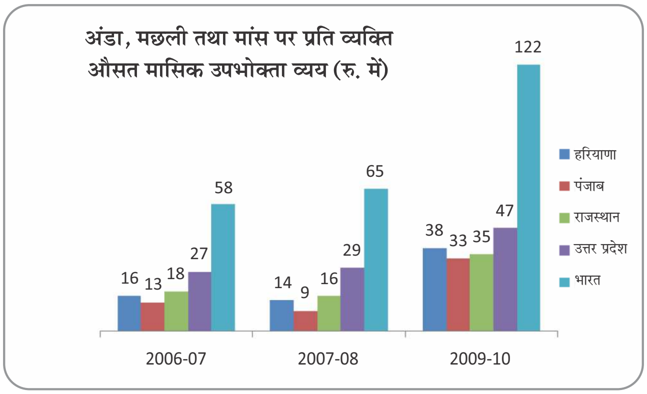

चित्र 6.2

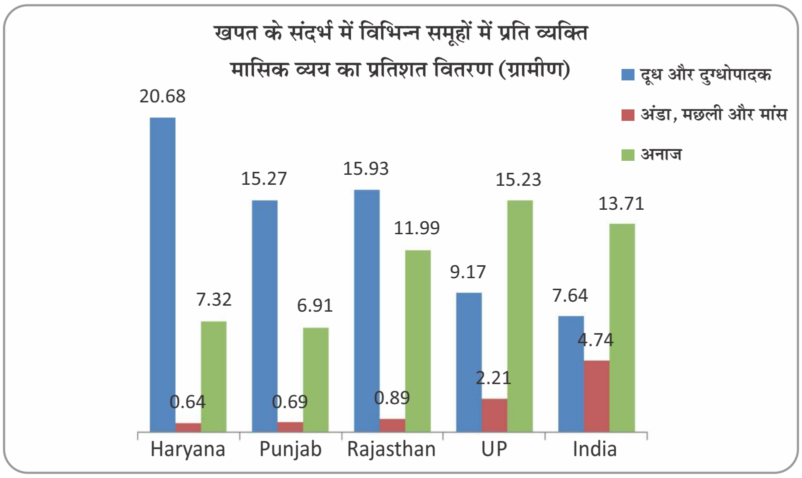

चित्र 6.3

सारणी 6.3. दूध तथा दुग्धोत्पादों पर प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोक्ता व्यय (रु. में)

	2006—07	**2007—08**	**2009—10**
हरियाणा	379	449	605
पंजाब	352	395	505
राजस्थान	275	289	405
उत्तर प्रदेश	164	163	215
भारत	153	167	218

सारणी 6.4. अंडा, मछली और मांस पर प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोक्ता व्यय (रु. में)

	2006—07	**2007—08**	**2009—10**
हरियाणा	16	14	38
पंजाब	13	9	33
राजस्थान	18	16	35
उत्तर प्रदेश	27	29	47
भारत	58	65	122

सारणी 6.5 खपत की मदों में विभिन्न समूहों के बीच प्रति व्यक्ति मासिक व्यय का प्रतिशत वितरण (ग्रामीण)

	दूध व दुग्धोत्पाद	**अंडा, मछली व मांस**	**अनाज**
हरियाणा	20.68	0.64	7.32
पंजाब	15.27	0.69	6.91
राजस्थान	15.93	0.89	11.99
उत्तर प्रदेश	9.17	2.21	15.23
भारत	7.64	4.74	13.71

सारणी 6.6 खपत की मदों में विभिन्न समूहों के बीच प्रति व्यक्ति मासिक व्यय का प्रतिशत वितरण (शहरी)

	दूध व दुग्धोत्पाद	**अंडा, मछली व मांस**	**अनाज**
हरियाणा	12.64	1.23	5.79
पंजाब	11.99	1.04	6.16
राजस्थान	13.04	1.46	8.45
उत्तर प्रदेश	8.45	1.72	9.27
भारत	3.63	6.9	8.12

6.16 पशुधन व जल का अर्थशास्त्र

पशुधन जल अर्थशास्त्र का एक सशक्त साधन है और राष्ट्रीय जल संबंधी परिदृश्यों से यह प्रदर्शित होता है कि हरियाणा राज्य में जहां जल की उपलब्धता व उसका उपयोग चावल/गेहूं उत्पादन प्रणाली पर एक गंभीर प्रश्न चिह्न लगा रहे हैं, वहां जल संबंधी समस्या से पशुपालन के माध्यम से जल उपयोग की दक्षता में कुछ हद तक वृद्धि करके निपटा जा सकता है।

6.17 संरक्षण तथा कैसीन जीन प्रोफाइल के माध्यम से आनुवंशिक सुधार

हमारी बहुमूल्य देसी नस्लों का आनुवंशिक सुधार व उनका संरक्षण राज्य में पशुपालन के विकास में एक प्रमुख मुद्दा बना रहेगा। पशुधन की नस्लों की आनुवंशिक श्रेष्ठता पिछले दशकों के दौरान आंशिक रूप से कम हुई है। पशुधन की नस्लों में दोनों लिंगों के लिए किसी चयन के मानदंड/विकल्प का न होना, किसानों के लिए श्रेष्ठ जननद्रव्य की उपलब्धता के मामले में कोई विकल्प उपलब्ध न होना, आहार और चारे की कमी, ऐसे रोगों की उपस्थिति जो नव तथा उत्पादक पशुओं की मृत्यु का कारण बनते हैं व पशु स्वामियों के बीच निर्बल संसाधन आधार का मौजूद होना, इन सभी ने आनुवंशिक क्षरण में अपना योगदान दिया है।

दूध में प्रोटीन कैसीन नामतः A2 या A1 जीन की अभिव्यक्ति ने प्रोटीन कैसीन की आनुवंशिक बनावट के संदर्भ में वर्तमान विवादों को हमारी ज़ेबू तथा भैंस की नस्लों में सुलझाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि A1 दूध को मनुष्यों में अनेक रोगों से जोड़ा जा रहा है।

यद्यपि अन्य देशों में कुछ उद्यमशील पशु स्वामियों के प्रयासों तथा सार्वजनिक सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के माध्यम से विशेषीकृत दूध मंच सृजित किए गए हैं तथा प्रजातियों और नस्लों की अनेक ब्राण्ड का विपणन किया गया है, लेकिन ऐसी छंटाई तथा जीन प्रोफाइलिंग की हमारे पशुओं के लिए भी आवश्यकता है। विविधतापूर्ण A2/A1 जीन प्रोफाइल से युक्त अधिक दूध देने वाली विदेशी नस्लों को हमारे देश में संकर प्रजनन के माध्यम से लाया और व्याप्त किया गया है। देसी भैंसों, गोपशु एवं संकरों के बीच मौजूद अंतर के मानचित्रण की आवश्यकता है। इस गुण के संबंध में नस्लों में कोई भी सुधार तब तक टिकाऊ नहीं होगा जब तक घरेलू पशुओं के गहन संरक्षण की कार्यनीति को उचित प्रकार से अपनाया नहीं जाएगा।

6.18 महिला तथा बाल स्वास्थ्य से संबंधित परिप्रेक्ष्य

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हरियाणा की अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी आहार की खपत करती है, विशेष रूप से गर्भित महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं, शिशुओं तथा वृद्धिशील बच्चों में गैर मांस वाले पशु प्रोटीन की बहुत मांग है। महिलाओं तथा बच्चों में पोषणिक अंतराल के अंतर को दूर करने के लिए राज्य को ऐसे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करना होगा जिनसे रक्ताल्पता या रक्त की कमी वाली माताओं व बच्चों में पशु प्रोटीन की उपलब्धता को बढ़ाकर इस कमी को दूर

किया जा सके। पोषणिक सुरक्षा के लिए मानव स्वास्थ्य संबंधी कार्यनीति तथा मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) को बढ़ाना केवल तभी संभव है जब पशु प्रोटीन की अधिक उपलब्धता के प्रावधान किए जाएं।

6.19 सांद्र मिश्रण के लिए अनुदान

हरियाणा का पशुपालन तथा डेरी विभाग पिछले कई वर्षों से उच्च उपजशील या अधिक दूध देने वाली भैंसों की पहचान के लिए मुर्रा भैंसों हेतु फील्ड निष्पादन रिकॉर्डिड कार्यक्रम चला रहा है। ऐसी भैंसों को नकद प्रोत्साहन दिए जाते हैं तथा इन्हें उनके दूध पीने वाले कटड़े/कटड़ियों के साथ उचित रूप से पहचाना जाता है। इस स्कीम से स्वःस्थाने मुर्रा जननद्रव्य बैंक की स्थापना में सहायता मिली है। निःसंदेह अधिक दूध देने वाली इन श्रेष्ठ मुर्रा नस्ल की भैंसों से जन्मे कटड़े या कटड़ियां भावी नर भैंसे/मादा भैंसें बनेंगे। तथापि, इस संबंध में एक राष्ट्रीय स्तर की चिंता भी है क्योंकि मुर्रा नस्ल पूरे देश में स्थानीय भैंसों के उन्नयन के लिए पसंदीदा नस्ल बनी हुई है। अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि सीमित संसाधनों के कारण किसानों को दूध देने की अवधि के दौरान पशुओं की ओर अधिक ध्यान देना होता है और उनकी पसंद का आहार उपलब्ध कराना होता है क्योंकि इससे प्राप्त होने वाले तात्कालिक लाभ सामान्यतः गैर–दूध देने वाले पशुओं की कीमत पर प्राप्त होते हैं। बढ़ते हुए युवा कटड़े या कटड़ियां आहार तथा देखभाल के मामले में उपेक्षित बने रहते हैं। इसके परिणामस्वरूप उनकी वृद्धि कमजोर होती है, उनमें तारुण्यता देरी से आती है और पूरे जीवन काल में उनका उत्पादन स्तर घटिया रहता है। पहचानी गई श्रेष्ठ भैंसों से उत्पन्न युवा कटड़ों या कटड़ियों को आहार देने के लिए सीमित अनुमोदित स्रोतों से सांद्र राशन खरीद के लिए 50 प्रतिशत तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाना चाहिए। नर कटड़ों को 4 और 12 माह की आयु के बीच अनुदान पाने का पात्र माना जाना चाहिए, जबकि मादा संततियों को उनकी 4 से 30 माह की आयु के दौरान अनुदानीकृत आहार का पात्र माना जाना चाहिए। इससे कटड़े व कटड़ियों की जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था के दौरान उनकी उचित वृद्धि व विकास सुनिश्चित होगा। प्रत्येक कटड़े या कटड़ी के कायाभार पर निगरानी रखी जानी चाहिए तथा क्षेत्र के पशुचिकित्सक द्वारा तिमाही आधार पर उसका वजन रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। यदि कटड़े या कटड़ी का कायाभार उसकी आयु से मेल न खाता हो तो आहार पर दिया जाने वाला अनुदान बंद कर दिया जाना चाहिए। प्रत्येक पात्र संतति को **पशु राशन कार्ड** जारी किया जा सकता है, ताकि इस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

6.20 गाय के दूध का प्रश्रयशील मूल्य निर्धारण

राज्य में कुल दुग्धोत्पादन में गाय का योगदान 15 प्रतिशत तक सीमित है। इसे और अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर कम से कम 30 प्रतिशत या इससे अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्तमान में इस दूध का विपणन संगठित क्षेत्र द्वारा टोंड, डबल टोंड, स्टैंडर्ड, फुल क्रीम या स्किम

मिल्क के रूप में बेचा जा रहा है जिसका आधार उसमें मौजूद वसा अंश है। इसमें दूध के स्रोत अर्थात् गाय या भैंस का ध्यान नहीं रखा जाता तथा मूल्य निर्धारण वसा अंश के अनुसार किया जाता है। फुटकर विक्रेता गाय और भैंस के दूध को मिलाकर ताजे/कच्चे दूध के रूप में बेचते हैं। कम वसा होने के कारण, जहां तक मूल्य का संबंध है, गाय का दूध भैंस के दूध के मुकाबले में मूल्य की दृष्टि से कम लाभ वाला सिद्ध होता है। गाय के दूध का कम बाजार मूल्य गायों के महत्व के कम होने के कुछ महत्वपूर्ण कारणों में से एक है और इस कारण इस पशु की संख्या में भी कमी आ रही है। दूसरी ओर अनेक उपभोक्ता विशेष रूप से कुछ छोटे बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों तथा स्वास्थ्य की समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति व अन्य जन अपने धार्मिक विश्वासों के कारण गाय के दूध को पसंद करते हैं व उसे अधिक प्राथमिकता देते हैं, लेकिन यह दूध बाजार में बहुत कठिनाई से व कम मात्रा में उपलब्ध है।

गाय पालन को बढ़ावा देने तथा कुल दूध पूल में गाय के दूध का हिस्सा बढ़ाने और गायों के विस्मृत महत्व को पुनः प्राप्त करने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि जहां तक मूल्य का संबंध है, **गाय और भैंस के दूध को एक समान माना जाना चाहिए, लेकिन इसे अलग–अलग बेचा जाना चाहिए** और इसका श्रेणीकरण डबल टोंड गाय के दूध या डबल टोंड भैंस के दूध के रूप में किया जाना चाहिए। गाय के दूध को मूल्य के मामले में प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। **3.5 प्रतिशत वसा तथा 8.5 प्रतिशत एसएनएफ वाले गाय के दूध को वही दाम/मूल्य प्राप्त होना चाहिए जो 6 प्रतिशत वसा और 9.0 प्रतिशत एसएनएफ से युक्त भैंस के दूध को दिया जाता है।** जो संयंत्र केवल गाय के दूध को ही प्रसंस्कृत करते हों उन्हें विशेष वित्तीय सहायता, अनुदान या प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। इसी प्रकार, केवल गाय रखने वाली वाणिज्यिक डेरियों को छोटी क्षमता वाले प्रशीतित वाहनों की खरीद के लिए अतिरिक्त सहायता/अनुदान दिया जाना चाहिए, ताकि दूध के परिवहन व विपणन में सहायता प्राप्त हो सके।

अध्याय 7

7.0 आहार और चारा

7.1 आहार और चारे की उपलब्धता

हरियाणा देश के मुख्य अनाजोत्पादक राज्यों में से एक है। यहां 17.621 मिलियन टन अनाज उत्पन्न होता है, जिसमें से गेहूं का 12.4 तथा चावल का 3.98 मिलियन टन योगदान है। राज्य में तिलहनों का 0.942 मियिलन टन उत्पादन होता है जिसमें से कपास तथा अलसी सर्वाधिक सामान्य रूप से उगाए जाते हैं। राज्य में गन्ने का उत्पादन 7.5 मिलियन टन है (हरियाणा इकोनॉमिकस सर्वे – 2012–13)। ये सभी ऊर्जा के सृजन तथा संकुल खाद्य उद्योग के लिए प्रोटीन समृद्ध सम्पूरक हैं।

हरियाणा के किसान प्रत्यक्ष रूप से या घर में तैयार किए गए मिश्रण के रूप में विविध श्रेणी के फसल उपोत्पादों का उपयोग करते हैं जिसमें तिलहनों की खली, गेहूं, चावल, मक्का, दालों और चने के अनाज व चोकर और प्रसंस्करण कारखानों से प्राप्त हुए उपोत्पाद शामिल हैं। राज्य के विभिन्न भागों के किसानों से हुई परिचर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि 70 प्रतिशत पशुपालक किसान फसल उपोत्पादों तथा फसल अपशिष्टों का उपयोग करते हुए विभिन्न आहार तैयार करते हैं और उसी का इस्तेमाल भी करते हैं। केवल 25 प्रतिशत किसानों ने अपने पशुओं को संतुलित सांद्र मिश्रण युक्त राशन को खिलाना आरंभ किया है। किसान घर में तैयार किए गए पानी में भिगोए, दले हुए व कुचले हुए अनाज (चूरी), चोकर तथा खली आदि अपने पशुओं को खिलाते हैं और इनकी मात्रा पशुओं की उत्पादकता के स्तर पर निर्भर करती है। और अधिक स्वादिष्ट बनाने के साथ–साथ पोषक बनाने के लिए फसल अपशिष्टों की कुट्टी काटना या उन्हें छोटे–छोटे टुकड़ों में काटने की प्रथा अधिकांश परिवारों द्वारा अपनाई जाती है। तथापि, उचित विस्तार संबंधी कार्यनीतियों तथा प्रदर्शन के माध्यम से सम्मिश्रित संकुल आहार के उपयोग को लोकप्रिय बनाने की तत्काल आवश्यकता है।

आवश्यकताओं का आकलन : राज्य में संकुलित, संतुलित गोपशु तथा पशु आहार की वार्षिक आवश्यकता लगभग 7 मिलियन टन है और जैसे–जैसे दूध का उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि होगी, इसके और अधिक बढ़ने की संभावना है। हरियाणा, देश के अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन वाले राज्यों में से एक है। तथापि, मानव के लिए अनाज उगाने के स्थान पर पशुओं के लिए आहार हेतु अनाज उत्पादन में परिवर्तन पशु, मानव तथा पर्यावरणीय घटकों की विशेषताओं पर निर्भर करता है। दृष्टि 2030 के आकलन यह दर्शाते हैं कि उस समय दूध उत्पादन का लक्ष्य 6.7

मिलियन टन से बढ़कर 12 मिलियन टन और मांस उत्पादन का लक्ष्य 324 हजार टन से बढ़ाकर 700 हजार टन निर्धारित करना होगा। इन लक्ष्यों को पाने के लिए संकुलित या संतुलित आहार की उपलब्धता को बढ़ाकर 10 मिलियन टन से अधिक करना होगा। राज्य की संतुलित आहार का उत्पादन बढ़ाने की एक ठोस नीति होनी चाहिए जिससे निजी उद्यम को हर प्रकार से लाभ प्राप्त होने का सक्षम वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। इसके अंतर्गत आहार में सुधार के लिए प्रौद्योगिकियों (भैंसों तथा गोपशुओं में बाईपास प्रोटीन/वसा का उपयोग, क्षेत्र विशिष्ट खनिज, आहार सम्पूरक आदि का उपयोग करना शामिल है) को अपनाना, आहार उद्योग की मशीनरी की खरीद पर अनुदान तथा उचित मूल्य पर सुनिश्चित बिजली की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

राज्य के लिए शुष्क चारे की कुल आवश्यकता के संदर्भ में पशुधन शक्ति को ध्यान में रखते हुए यह राज्य फसल अपशिष्टों (अधिकांशतः अनाजों) के मामले में अधिकता की स्थिति में है। तथापि यहां हरे चारे की 40 प्रतिशत तक अर्थात् लगभग 27 मिलियन टन की कमी है।

7.2 चारा की खेती को प्रोत्साहन

- किसानों को चावल–गेहूं प्रणाली के स्थान पर चारा फसलें (अनाज तथा फलीदार चारा फसलों सहित) की खेती तथा अपने पशुधन के लिए उच्च पोषणिक सम्पूरण से युक्त आहार सृजित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- विभिन्न प्रोत्साहनों, प्रवर्धनात्मक स्कीमों व न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करते हुए सुनिश्चित आर्थिक लाभ के माध्यम से चारा फसलों के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाया जाना चाहिए।
- चारा बैंकिंग तथा साइलेज बनाने को लोकप्रिय किया जाना चाहिए। राज्य/राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत साइलो–गड्ढों, साइलो–टावरों, भंडारण शैडों तथा सम्बद्ध मशीनरी/उपकरण आदि के लिए उपलब्ध अनुदान को कम से कम 25 प्रतिशत और बढ़ाना चाहिए।
- ऊर्जा से समृद्ध अनाज वाले चारों, चारा फसलों की ठेके पर की जाने वाली खेती को अनाज वाली फसलों के समान बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा इनके उत्पाद का सुनिश्चित व लाभप्रद मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही रियायती मूल्य पर सीमांत/छोटे किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण चारा बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- विभाग के माध्यम से चारा उत्पादन के लिए जागरूकता, प्रशिक्षण व विस्तार कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।

7.3 आहार, चारा व आहार सुरक्षा निगरानी कोष्ठ की स्थापना

राज्य में चारा व चरागाह विकास अधिकारियों के एक संवर्ग के सृजन का सुझाव दिया जाता है, ताकि हरियाणा के सिंचित व शुष्क, दोनों क्षेत्रों में चारा उत्पादन व संरक्षण कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया जा सके।

पशुओं के लिए संतुलित राशन की उपलब्धता को बेहतर ढंग से संगठित करने के लिए आहार तथा चारे के मूल्यांकन व प्रबंध पर एक नीति की आवश्यकता है। ऐसा राज्य आहार व चारा मूल्यांकन व प्रबंध कोष्ठ – एसएफएफएएमसी की स्थापना के माध्यम से किया जा सकता है जो पशु पालन तथा पशु चिकित्सा विभाग के अंतर्गत एक निदेशालय के रूप में कार्य कर सकता है।

इस कोष्ठ को किसानों के लिए आहार व चारे की उपलब्धता को सबल बनाने के लिए नीतियां व कार्यक्रम तैयार करके उन्हें लागू करना चाहिए तथा राज्य में आहार तथा चारा उद्योग आरंभ करने के लिए जिनमें रुचि है उनके लिए भी कार्यक्रम व नीतियां लागू की जानी चाहिए। इस कोष्ठ को तीन प्रावस्थाओं में कार्य करना चाहिए – नियोजन प्रावस्था, कार्यान्वयन प्रावस्था और अनुसंधान एवं विकास की सहायता के माध्यम से अद्यतनीकरण की प्रावस्था। इस कोष्ठ को चारा प्रबंध, फसल अपशिष्ट प्रबंध; संतुलित या सममिश्रित आहार मिश्रणों में प्रयुक्त घटकों (ऊर्जा और प्रोटीन सम्पूरकों), व विटामिनों से पूरित मिश्रणों, प्रमुख व गौण खनिजों, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स आदि का प्रबंध करना चाहिए।

अध्याय 8

8.0 पशुधन आनुवंशिक संसाधन

8.1 पशु आनुवंशिक संसाधन परिदृश्य

8.1.1 राष्ट्रीय संसाधन :

वर्तमान में भारत में पशुधन व कुक्कुटों की 144 पंजीकृत नस्लें हैं जिनमें से 37 नस्लें गोपशुओं की, 13 भैंसों की, 39 भेड़ों की, 23 बकरे–बकरियों, 6 घोड़ों और टट्टुओं की, 8 ऊंटों की, 2 सूअरों की, 1 गर्धव की तथा 15 कुक्कुट की हैं। इनके अतिरिक्त अनेक ऐसी नस्लें भी हैं जिनका लक्षण वर्णन तथा प्रत्यायन नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त याकों, मिथुनों, बत्तखों, बटेरों आदि जैसी कुछ अन्य प्रजातियों की जनसंख्याओं/नस्लों को भली प्रकार वर्णित नस्लों के रूप में अभी वर्गीकृत किया जाना है।

8.1.1.1 गोपशु

अधिकांश देशी **गोपशु** नस्लें कम उत्पादक हैं और प्राथमिकतः बैलों के उत्पादन के लिए पाली जाती हैं जिनका उपयोग कृषि कार्यों तथा परिवहन के लिए होता है। गोपशु नस्लों को मोटे तौर पर तीन प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है जो उनकी उपयोगिता के अनुसार है : (i) दुधारू नस्लें – साहिवाल, रैड सिंधी, गिर और राठी; (ii) भारवाही नस्लें – अमृत महल, बचौर, बारगुर, डांगी, हल्लीकर, कंगायन, केंकाथा, खेरीगढ़, खिलाड़ी, मालवी, नागोरी, निमारी, पोनवार, रैड कंधारी ओर सिरी; तथा (iii) दोहरे उद्देश्य वाली नस्लें – देवनी, गाओलाओ, हरियाना, कांकरेज, कृष्णा वेल्ली, मेवाती, ओंगोल और थारपार्कर। हरियाणा की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं हरियाना, मेवाती, साहिवाल तथा थारपार्कर नस्ल के कुछ पशु। हरियाणा हिसार नस्ल के लिए विख्यात है लेकिन अब राज्य में कोई पशु इस नस्ल का उपलब्ध नहीं है। यद्यपि साहित्य में पाकिस्तान में एक झुण्ड के विद्यमान होने का उल्लेख है।

हरियाना : हरियाना प्रसिद्ध दोहरे उद्देश्य वाली उत्तर भारतीय नस्ल है। इसे दुग्धोत्पादन की बजाय इसकी भारवाही क्षमता के कारण अधिक जाना जाता है। यद्यपि इसका मूल प्रजनन स्थल हरियाणा के रोहतक, हिसार और गुड़गांव जिलों में है, फिर भी यह नस्ल पूरे गंगा–यमुना के मैदानों में फैली हुई है। इस नस्ल के पशु सफेद या हल्के भूरे रंग के होते हैं। चेहरा लम्बा व संकरा होता है व माथा चपटा होता है। नरों में कूबड़ भली प्रकार विकसित होता है, सींग छोटे होते हैं, थन अच्छी तरह विकसित होते हैं, गायें दुग्ध काल के दौरान लगभग 1000 कि.ग्रा. दूध देती हैं और यह दुग्धकाल लगभग 270 दिनों का होता है।

मेवाती : ये सफेद रंग के पशु हैं जो राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मेवात क्षेत्र में पाए जाते हैं। दिखावट में मेवाती गोपशु हरियाणा के समान होते हैं। इनका भी चेहरा लम्बा तथा माथा संकरा होता है। सींग मध्यम आकार के होते हैं तथा ये ऊपर की ओर जाकर पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। कंठकंबल मध्यम आकार के होते हैं। आच्छद ढीला होता है तथा गायों के थन अच्छे होते हैं।

साहिवाल : साहिवाल जेबू गोपशुओं की सर्वश्रेष्ठ डेरी नस्लों में से एक है। इसका मूल प्रजनन स्थल पाकिस्तान में है, लेकिन कुछ झुण्ड पंजाब के फिरोजपुर जिले में और राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में भारत पाक सीमा के साथ–साथ भारत में भी पाए जाते हैं। साहिवाल पशुओं का उनकी उत्पादन क्षमता के उपयोग के लिए अनेक देशों ने आयात किया है। पशुओं का रंग सामान्यतः हल्का लाल होता है, लेकिन कुछ पशु पीलापन लिए हुए लाल या भूरे रंग के भी होते हैं। यह एक भारी नस्ल है जिसकी काया लम्बी और गहरी होती है। सींग छोटे व ठूंठदार होते हैं। नरों का कूबड़ बड़ा होता है। कंठकंबल बड़ा होता है। नाभि आच्छद पेंडुलम या दोलक जैसा होता है। गायों के थन बड़े होते हैं और वे 320 दिनों के दुग्ध काल में लगभग 2,300 कि.ग्रा. दूध देती हैं।

8.1.1.2 भैंसें

भैंस जननद्रव्य का सर्वाधिक स्रोत है तथा ये सर्वश्रेष्ठ डेरी नस्लें हैं जो देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में पाली जाती हैं। भारत में 10 मान्यता प्राप्त भैंस की नस्लें हैं (2N=50)। इनमें बड़े आकार की नस्लें जैसे मुर्रा, नीली–रावी तथा जाफराबादी; मध्यम आकार की नस्लें जैसे मेहसाना, मराठवाड़ा, नागपुरी, पंढरपुरी, भदावरी, सूर्ती और टोडा शामिल हैं। भारत में भैंसों की लगभग सभी महत्वपूर्ण नस्लें पाई जाती हैं। इन नस्लों के अतिरिक्त मिश्रित प्रकार की भैंसों की भी एक बड़ी संख्या हमारे यहां मौजूद है जिनमें से अधिकांशतः मुर्रा श्रेणी की हैं। भैंस के दूध को गाय के दूध की तुलना में अधिक प्रश्रय दिया जाता है जिसके कारण भैंसें धीरे–धीरे, विशेष रूप से देश के उत्तरी भागों में गोपशुओं का स्थान ले रही हैं। मुर्रा सर्वाधिक पसंद की जाने वाली नस्ल है और यह अन्य नस्लों का स्थान ले रही है। राज्य में पाई जाने वाली भैंसों की महत्वपूर्ण नस्लों का वर्णन नीचे दिया गया है।

इन देसी नस्लों की निम्न उत्पादकता के मुख्य कारण हैं : देसी पशुओं की आनुवंशिक क्षमता का कम उपयोग, उपलब्ध प्रौद्योगिकियों को कम स्तर पर अपनाना, आहार और चारा संसाधनों की अपर्याप्तता, अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल, अपर्याप्त विपणन तथा ऋण संबंधी सहायता।

मुर्रा: भैंसों की सर्वश्रेष्ठ डेरी नस्लों में से एक है। इसका मूल स्थान हरियाणा के रोहतक, हिसार, जींद और गुड़गांव जिले हैं। यह नस्ल पूरे भारत में देखी जा सकती है। मुर्रा भैंसों का अनेक देशों ने आयात किया है तथा ये उन देशों में डेरी उत्पादों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

इनका रंग सामान्यतः गहरा काला होता है, पशुओं का आकार बड़ा होता है, सींग छोटे तथा कुंडली के रूप में मुड़े हुए होते हैं। यह मुर्रा नस्ल की विशेष आकृति है। थन सुस्पष्ट होते हैं और यह भैंस लगभग 320 दिन के दुग्धकाल में लगभग 2,000 कि.ग्रा. दूध उत्पन्न करती है। मुर्रा नस्ल का उपयोग एशिया व विश्व के अनेक भागों में स्थानीय भैंसों की नस्लों के उन्नयन के लिए किया जा रहा है।

नीली–रावी : मूल रूप से नीली और रावी दो अलग–अलग नस्लें हैं जिनमें से बाद वाली को दिखावट में समानता के कारण एक ही नस्ल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस नस्ल का मूल स्त्रोत पाकिस्तान में है, लेकिन ये भैंसें भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर और फिरोजपुर जिलों में सतलुज नदी के किनारे भारत–पाक सीमा पर पाई जाती हैं। ये भैंसे मुर्रा के समान हैं। अंतर केवल इतना है कि इनकी बड़ी–बड़ी आंखों के धुर्र किनारों पर सफेद निशान होते हैं। नीली–रावी भैंसें काले रंग की होती हैं जिनके माथे, चेहरे, थूथन, पैरों तथा पूंछ पर सफेद निशान बने होते हैं। मुर्रा नस्ल की तुलना में सींग अपेक्षाकृत कुछ कम कड़े हुए होते हैं। नीली–रावी भैंसें लगभग 290 दिनों के दुग्ध काल में लगभग 1800 कि.ग्रा. दूध देती हैं।

8.1.1.3 बकरे-बकरियां

भारत में बकरियों की विविधता इसकी 23 नस्लों से व्यक्त होती है जो क्षेत्र की पारिस्थितिकी व भूगोल, पर्यावरणीय विविधताओं, उत्पादन प्रणाली व नस्ल की आनुवंशिक क्षमता से संबंधित है। शीतोष्ण हिमालय क्षेत्र की बकरियों (चांगथांगी और चेगू) के शरीर पर उत्तम गुणवत्ता वाला कवच होता है जो कश्मीरी या पश्मीना कहलाता है। बकरियों की नस्लें उत्तर तथा उत्तर–पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती हैं। इनमें से प्रमुख हैं : जमुनापारी, मेवाड़ी, जालावाड़ी, बीटल, कच्छी, सिरोही, मेहसाना, सूर्ती, झाकराना और गोहिलवाडी। ये नस्लें आकार में बड़ी होती हैं तथा इनका उपयोग मुख्यतः मांस तथा दूध के उद्देश्य से किया जाता है। भारत के दक्षिणी तथा तटवर्तीय भागों में मांस और दूध, दोनों के उत्पादन वाली बकरियों की नस्लें हैं : सांगामनेरी, उस्मानाबादी, केनाई आदु तथा मालाबारी। अत्यधिक जनन वाली मांस देने वाली नस्लें (गंजम और ब्लैक बंगाल) पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती हैं।

बीटल : बीटल नस्ल के बकरे–बकरियां पूरे पंजाब और हरियाणा राज्य में फैले हुए हैं। तथापि, इन पशुओं की सच्चे गुण वाली नस्लें पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में नामतः भारत के पंजाब राज्य के गुरदासपुर और अमृतसर जिलों में पाई जाती हैं। बीटल पशु लंबे होते हैं। इनमें जमुनापारी नस्ल के विशेष गुण होते हैं जैसे रोमन नाक तथा लंबे कान, लेकिन इनका आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। काले बालों का आवरण बहुत सामान्य है। इसके साथ सफेद धब्बों सहित भूरा आवरण भी पाया जाता है और ये धब्बे विभिन्न आकार के होते हैं। बीटल एक दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल है जिसका उपयोग दूध और मांस दोनों के लिए किया जाता है। 161 दिनों के दुग्ध काल में

इससे 157 कि.ग्रा. दूध प्राप्त होता है। इसके दूध में वसा तथा एसएनएफ का प्रतिशत क्रमशः 4.98 और 8.88 होता है। बीटल एक श्रेष्ठ डेरी नस्ल हैं जो आकार में जमुनापारी के बाद आती हैं लेकिन इनसे ये श्रेष्ठ है क्योंकि ये अधिक उत्पादन देती हैं तथा देश की विविध कृषि पारिस्थितिकी में स्वयं को बेहतर ढंग से ढाल लेती हैं और इन्हें घर के आस–पास बांध कर भी रखा जा सकता है।

8.1.1.4 भेड़

भारत में **भेड़** की 39 पंजीकृत नस्लें हैं। हरियाणा में इसकी कोई विशेष नस्ल नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की भेड़ों को इस राज्य के भिवानी, हिसार, सिरसा, रेवाड़ी और जींद जिलों में पाला जाता है। इन क्षेत्रों की प्रमुख नस्लें हैं : बीकानेरी, हिसार डेल, मुंजल, गद्दी, चोकला, नली और मुजफ्फरनगरी। भेड़ की ये नस्लें विशिष्ट पर्यावरण के प्रति स्वयं को अच्छी तरह ढाल लेती हैं तथा राज्य के विशिष्ट कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में टिकाऊ दुग्धोत्पादन करती हैं। विशेष रूप से राज्य की विरल वनस्पतियों, सीमांत भूमि तथा निर्धनता के कारण भेड़–पालन यहां की विशिष्ट पारिस्थितिकी को देखते हुए एक महत्वपूर्ण उद्यम है। भेड़ों को सामान्यतः सबसे निर्धन वर्ग के लोगों द्वारा पाला जाता है जो समाज के निचले वर्ग से आते हैं और यह व्यवसाय इस श्रेणी के लोगों की अतिरिक्त आय का एक मुख्य साधन सिद्ध होता है। भेड़ों का मांस तथा ऊन उत्पादन के लिए उपयोग होता है।

8.2 आनुवंशिक सुधार संबंधी चुनौतियां

राज्य के पशुपालन विभाग की प्राथमिकता आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण केवल कुछ नस्लों की उत्पादकता में सुधार करना है, न कि आनुवंशिक हल्केपन व अपघटन की प्रक्रिया के दौरान पशु आनुवंशिक संसाधन का विकास और संरक्षण करना। देसी नस्लों के आनुवंशिक रूप से श्रेष्ठ प्रजननशील नरों की पहचान करने, उनका मूल्यांकन करने व उनका चयन करने से संबंधित कार्यक्रम अपर्याप्त हैं। इसके अतिरिक्त किसानों के स्तर पर प्रजनन कार्यक्रमों को लागू करना भी कठिन है क्योंकि किसानों के पशु झुण्डों में पशुओं का प्रजनन कराना अधिकांशतः अनियंत्रित है जिसके परिणामस्वरूप नस्लों की आनुवंशिक शुद्धता घट जाती है। जो नस्लें लुप्त होने की कगार पर हैं उनकी निगरानी की कोई नियमित प्रणाली नहीं है। जैव–विविधता के संरक्षण के दीर्घावधि प्रभावों के बारे में किसानों में जागरुकता नहीं है और तत्काल वित्तीय लाभ न होने के कारण किसान व जनसामान्य संरक्षण कार्यक्रमों में या तो बिल्कुल ही रुचि नहीं लेते हैं या बहुत कम रुचि लेते हैं। अपर्याप्त प्रशिक्षित जन–शक्ति तथा बुनियादी ढांचा भी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के मार्ग में एक बाधा है। पशु आनुवंशिक संसाधन पर संरक्षण संबंधी लगभग सभी कार्यक्रमों को सरकारी एजेंसियों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करके कार्यान्वित किया जा रहा है तथा किसानों और निजी क्षेत्र की भागीदारी इस दिशा में लगभग नगण्य है। कुछ को छोड़कर प्रजनक संगठनों की अनुपस्थिति तथा जागरुकता की कमी व पशुधन पालकों/स्वामियों की भागीदारी न होना व

उनका प्रेरित न होना कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। सामाजिक परिवर्तनों में पशु आनुवंशिक संसाधन, विशेष रूप से छोटे रोमंथियों के संरक्षण को भी बहुत प्रभावित किया है क्योंकि वर्तमान पीढ़ी चराई की पलायन प्रणाली के अंतर्गत पशुओं को पालने के अपने पूर्वजों के व्यवसाय को अपनाने की दिशा में न तो रुचि रखती है और न ही इस ओर कोई ध्यान देती है। चरण भूमियों का सिकुड़ना तथा वन क्षेत्रों में पशुओं की चराई के संबंध में नीतियों का न होना व चरागाहों का उचित विकास न होना देसी पशु आनुवंशिक संसाधन को प्रभावित करने वाले कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटक हैं।

8.3 जैव-विविधता का संरक्षण

छोटे पैमाने के पशुपालकों/पशु स्वामियों तथा चरागाह स्वामियों ने पिछली गई सदियों से पशुओं की ऐसी नस्लें विकसित की हैं जो उनकी स्थानीय स्थितियों के लिए उपयुक्त हैं तथा जो उनकी अर्थव्यवस्था, संस्कृतियों, ज्ञान प्रणालियों व समाजों के अनुसार अनुकूल रहीं हैं। इससे इन नस्लों में जैविक तथा अजैविक प्रतिबलों को सहन करने के विशिष्ट गुण विकसित हुए हैं। ये उन क्षेत्रों में दूध, मांस, अंडे, ऊन आदि का उत्पादन जारी रख सकती हैं जहां घटिया स्तर के आवास, आहार तथा पशु चिकित्सा संबंधी अपर्याप्त देखभाल के कारण आयात की गई आधुनिक नस्लें असफल रही हैं। इनसे स्थानीय लोग अपनी आजीविका कमाते हैं तथा भावी प्रजनन प्रयासों के लिए इनके द्वारा बहुमूल्य आनुवंशिक संसाधन उपलब्ध हो सकता है। खेद है कि ये नस्लें भी अब लुप्त होने की कगार पर हैं क्योंकि आधुनिक उत्पादक तकनीकों तथा विदेशी नस्लों से प्रतिस्पर्धा के कारण ये पिछड़ गई हैं। आधुनिक कृषि के अंतर्गत ऐसी विशेषीकृत नस्लें विकसित की गई हैं जिनमें इष्टतम विशिष्ट उत्पादन संबंधी गुण हैं। उच्च उत्पादनशील नस्लों की यह कम संख्या कुल उत्पादन में अपना हिस्सा बढ़ा रही है, लेकिन इस प्रक्रिया से आनुवंशिक आधार संकरा होता जा रहा है क्योंकि बाजार के दबाव के कारण देसी नस्लों तथा प्रजातियों की उपेक्षा हो रही है। पशु आनुवंशिक संसाधनों में विविधता बहुत जरुरी है ताकि खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा के मामले में मनुष्य की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। आनुवंशिक विविधता में न केवल पशु नस्लों का उत्पादन व इसके कार्यशील गुणों को शामिल किया जाता है, बल्कि यह भी देखा जाता है कि विभिन्न पर्यावरणों के प्रति वे स्वयं को किस प्रकार ढाल सकती हैं व उनमें इसकी कितनी क्षमता है। इसमें भोजन तथा जल की उपलब्धता, जलवायु, नाशकजीवों व रोगों के प्रति अनुकूलता जैसे पहलू भी शामिल हैं।

उच्च उत्पादन देने वाली विदेशी फार्म पशु प्रजातियों के साथ संकरीकरण का कार्य भारत में दूध, ऊन, अंडों तथा मांस का उत्पादन बढ़ाने के लिए आरंभ किया गया था। इसके अंतर्गत देसी नस्ल की मादाओं का विदेशी नस्लों के नरों/वीर्य का उपयोग करके, संकरण कराया गया। अधिकारिक प्रजनन नीति में केवल अवर्णित गोपशुओं का विदेशी नस्लों के साथ संकरीकरण कराया गया और इसी को मान्यता प्रदान की गई, जिसका उद्देश्य दूध उत्पादन को सुधारना था तथा विदेशी वंशानुगतता की अनुशंसित सीमा को 50 से 75 प्रतिशत के बीच निर्धारित किया गया था।

8.3.1 संरक्षण कार्यनीतियां

गोपशुओं तथा भैंसों की नस्लों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण का सर्वश्रेष्ठ तरीका उन्हें उनके परिस्थिति विज्ञानी सीमित स्थलों में टिकाऊ रूप में उपयोग में लाना है, ताकि इन्हें उत्पादन के लिए निरंतर उपयोग में लाया जा सके और ये स्वयं को परिवर्तित होते पर्यावरण के अनुसार ढाल सकें। फार्म पशुओं की देसी नस्लों के निरंतर आनुवंशिक सुधार के लिए दीर्घावधि प्रजनन योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता है। पशु पालकों/स्वामियों चरागाह स्वामियों और स्थानीय समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका पशुधन संसाधनों का उपयोग व विकास करना है जिसे मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। देसी या घरेलू पशुओं के विशिष्ट गुणों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि उनसे लाभ प्राप्त करने के दौरान इन गुणों का ईमानदारीपूर्ण व समान बंटवारा सुनिश्चित हो सके तथा भावी नीति तथा विनियमन संबंधी उपायों को परिस्थितियों के अनुसार विकसित किया जा सके।

संरक्षण संबंधी कार्यनीतियों को स्वःस्थाने संरक्षण (इसके अंतर्गत पशु उन पर्यावरणों या उत्पादन प्रणालियों में रखे जाते हैं जिनमें वे विकसित किए गए थे) या बहिर्स्थाने संरक्षण (अन्य सभी मामले)। बाद वाले संरक्षण अर्थात् बहिर्स्थाने संरक्षण को बहिर्स्थाने – इन वीवो व बहिर्स्थाने – इन विट्रो, दो समूहों में बांटा जा सकता है। बहिर्स्थाने – इन विट्रो के अंतर्गत पशुधन जनसंख्या में आनुवंशिक विविधता का अनुरक्षण, प्रबंधन, इस प्रकार किया जाता है कि उनके पालकों या स्वामियों की आजीविका में सक्रिय रूप से योगदान होता रहे या इसके अंतर्गत पशुओं को अनुसंधान अथवा प्रदर्शन फार्मों में कम संख्या में रखा जाता है। आनुवंशिक संसाधन के बहिर्स्थाने – इन विट्रो भंडारण के अंतर्गत इनका उपयोग सजीव जनसंख्या में विविधता को बढ़ाने के लिए या जनसंख्या को पुनर्स्थापित करने के लिए बाद में किया जाता है। नस्लों के उत्पादन निष्पादन में सुधार के लिए हरियाणा में दोनों प्रकार की क्रियाविधियों को अपनाया है। प्रमुख नस्लों के उपलब्ध श्रेष्ठ जीन पूल का परिरक्षण सुनिश्चित करने के लिए हिम संरक्षण की विधियों को भी अपनाने की आवश्यकता है।

8.3.2 संरक्षण व टिकाऊ उपयोग के साथ प्रजनन कार्यक्रमों का समेकन

देसी फार्म पशु नस्लों को पालने के साथ–साथ पशुधन उत्पादन सर्वाधिक आजीविका उन्मुख प्रणाली है और इससे अनेक कार्य सम्पन्न होते हैं। परंपरागत उत्पादकता मूल्यांकन के आधार पर्याप्त हैं क्योंकि ये देसी पशुधन के गैर–विपणन योग्य लाभों को समझने में असफल रहते हैं। अतः आनुवंशिक सुधार सहित पशु आनुवंशिक संसाधन प्रबंध से संबंधित कार्यक्रमों को सदैव समुदायों के अनेक प्रजनन लक्ष्यों, सांस्कृतिक प्रश्रयों तथा स्थानीय उत्पादन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रजनन लक्ष्यों की सावधानीपूर्ण समझ, नियोजन, प्रभावी निष्पादन रिकॉर्डिंग के लिए उचित स्थापना व अनुरक्षण तथा प्रजनन संबंधी कार्यनीतियों

की आवश्यकता होगी, ताकि जिन स्थानीय नस्लों ने स्वयं को स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लिया है वे उत्पादन प्रणाली के क्रियाशील भाग के रूप में टिकाऊ बनी रहें। मादा पशु फार्मों को प्रत्येक नस्ल के मामले में प्रजनन क्षेत्र में स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि आनुवंशिक रूप से श्रेष्ठ जननद्रव्य उत्पन्न हो सके जिसके हिमीकृत वीर्य का उपयोग किसानों के पशुओं के प्रजनन के लिए किया जा सके जिससे आनुवंशिक वृद्धि हो सके और देसी नस्लों के संरक्षण के साथ–साथ उनका टिकाऊ उपयोग किया जा सके। राज्य/केन्द्र सरकार के सभी पशुधन फार्मों को देसी नस्लों के स्वःस्थाने संरक्षण केन्द्रों के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। प्रत्येक फार्म में उस क्षेत्र की स्थानीय नस्ल (नस्लों) के पशु रखे जाने चाहिए।

शुद्ध प्रजनित कुछ रोमंथी पशुओं की संख्या अत्यधिक कम हो गई है तथा इस प्रकार की नस्लों को देश की संकटप्राय नस्लों की श्रेणी में रखा गया है। उनके सम्बद्ध प्रजनन क्षेत्रों में फार्म तथा कृषक इकाइयां स्थापित की जानी चाहिए, जिसके अंतर्गत इन पशुओं की नस्लों के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। यद्यपि केन्द्र सरकार ने 10,000 से कम जनसंख्या तक ही अपनी सहायता को सीमित रखा है, लेकिन राज्य सरकार एक नई सुधार स्कीम लागू कर सकती है जिसके अंतर्गत राज्य के कुल लगभग 30,000 मूल्यवान साहिवाल पशुओं को लाया जा सकता है।

8.3.3 प्रजनकों/नस्ल सोसायटियों/समुदायों/स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी

पशुधन स्वामी/पालक व्यावहारिक रूप से फार्म पशु आनुवंशिक संसाधन के एक महत्वपूर्ण कस्टोडियन हैं और ये त्रणमूल स्तर के सर्वाधिक महत्पूर्ण पणधारी (स्टेकहोल्डर) हैं। पशुधन स्वामी/पालक व्यावहारिक प्रजनन कार्य तथा प्रत्येक पशु के दिन–प्रतिदिन के प्रबंध के लिए उत्तरदायी हैं। अधिकांश व्यावहारिक कार्य विभिन्न विधियों से सम्पन्न किए जाते हैं जो व्यक्तिगत पशुधन स्वामियों/पालकों के मामले में कुछ अलग–अलग हो सकते हैं। प्रजनन एसोसिएशनों को नस्लों के प्रजनन लक्ष्यों, प्रजनन योजनाओं तथा प्रजनन पर परामर्श देने के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है और ये नस्लों/प्रजनकों के हितों की रक्षा कर सकते हैं। पशु आनुवंशिक संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ संरक्षण व उपयोग एक ऐसे सम्मिलित दृष्टिकोण के माध्यम से किया जा सकता है जिसमें पशुधन स्वामियों/पालकों, किसानों, स्वयंसेवी संगठनों, गौशालाओं, नस्ल सोसायटियों तथा अन्य पणधारियों को शामिल किया जा सकता है। नस्ल सोसायटियां/एसोसिएशनें टिकाऊ प्रबंध करते हुए पशु पालकों/स्वामियों की भागीदारी को संरक्षण प्रदान कर सकती हैं तथा आहार की बढ़ती हुई मांग व जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में देसी नस्लों के टिकाऊ प्रबंध व विवेकपूर्ण उपयोग के संबंध में निर्णय ले सकते हैं। इन्हें पशु आनुवंशिक संसाधन के प्रबंध से संबंधित सभी क्रियाकलापों को समझना होगा तथा इनमें सक्रिय भागीदार बनना होगा। ये क्रियाकलाप हैं – सुधार तथा संरक्षण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, पशुओं की पहचान, निष्पादन की रिकॉर्डिंग, पशु उत्पादों का विपणन तथा ब्रांडिंग, चरागाह भूमियों का विकास, चारा निष्पादन आदि।

8.3.4 रोल मॉडल प्रजनकों को उनके योगदानों के लिए मान्यता प्रदान करना

नस्ल विकास तथा संरक्षण के लिए उत्कृष्ट/नव–प्रवर्तक किसानों के क्रियाकलापों तथा योगदानों को पहचानकर उन्हें मान्यता प्रदान की जानी चाहिए और उनकी सराहना करते हुए उन्हें औपचारिक रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए। पुरस्कार संबंधी कार्यक्रम न केवल विद्यमान रोल मॉडल प्रजनकों को नस्ल के टिकाऊपन के लिए किए गए उनके योगदानों को पुरस्कृत करने की दृष्टि से लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं बल्कि अन्य प्रजनकों को भी नई तकनीकें लागू करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, ताकि वे भविष्य में रोल मॉडल प्रजनक बन सकें।

8.3.5 संरक्षण के लिए मूल्य वर्धन

देसी नस्लों (हरियाणा और मुर्रा) के आर्थिक मूल्य को मूल्यवर्धन के माध्यम से बढ़ाया जाना चाहिए जिसके लिए इस नस्ल के पशुओं के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय गुणों का प्रवर्धन किया जाना चाहिए तथा उनके पशु उत्पादों (जैसे A2 दूध और मोजरेला चीज़) के उपयोगी औषधीविज्ञानी व पोषणिक गुणों को भी प्रचारित किया जाना चाहिए। सक्रिय जैव–अणुओं का उनके पोषणिक या चिकित्सीय गुणों (कोलेस्ट्राल मुक्त दूध) गुणों के लिए उम्दा पृथक्करण व पहचान की जानी चाहिए। पशु आनुवंशिक उत्पादों से पहचान कर उनको अलग करना बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। इससे देसी पशु आनुवंशिक संसाधनों का मूल्यवर्धन होगा और अंततः उनके संरक्षण व उपयोग में सहायता मिलेगी। इस प्रकार के कार्यक्रम के परिणामस्वरूप फार्म पशुपालकों/स्वामियों की आय में भी वृद्धि होगी।

8.3.6 स्थानीय बाजारों के माध्यम से संरक्षण

विश्वभर में नस्लों के ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो उच्च गुणवत्ता वाले विशेष प्रकार के उत्पाद उत्पन्न करती हैं तथा इन उत्पादों के कारण इनका प्रभावी नस्ल संरक्षण किया जाता है। नस्ल विशिष्ट उत्पादों के मूल्यवर्धन संबंधी प्रयास ऐसे प्रयासों के रूप में मान्य होते हैं जिससे किसी नस्ल का उत्पादन स्तर बढ़ता है तथा ये किसी प्रजाति की उन नस्लों के लिए और अधिक यथार्थ परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं जिसमें से कुछ अत्यधिक उत्पादनशील होने के कारण बाजार में अपना प्रभुत्व बनाए हुए हैं। जब नस्ल विशिष्ट उत्पाद किसी बाजार में अच्छे या प्रीमियम मूल्य पर प्राप्त होते हैं तो इसके परिणामस्वरूप उत्पादकों को होने वाली आय बढ़ती है तथा नस्ल सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है।

8.4 आनुवंशिक सुधार संबंधी मुद्दे

पशु पंजीकरण व पहचान

मैदानी स्थितियों के अंतर्गत निष्पादन की रिकॉर्डिंग

विशेष रूप से श्रेष्ठ मुर्रा भैंसों (राज्य में तथा राज्य के बाहर) और श्रेष्ठ हरियाणा व साहिवाल पशुओं की गति पर नजर रखना

मांस उत्पादन के लिए अतिरिक्त नर भैंसों का उपयोग (भैंस ब्रायलर वाणिज्यीकरण)

सांड मूल्यांकन – संतति परीक्षण कार्यक्रम

संतति परीक्षण क्षेत्रों में बेकार हो चुके सांडों को हटाना

जनकता की पुष्टि

आनुवंशिक दोषों से युक्त सांडों को हटाने के लिए उनकी कैरियोटाइपिंग

नस्ल सोसायटी का निर्माण तथा प्रजनन सुधार कार्यक्रमों में उन्हें शामिल करना

गाय की हरियाना नस्ल को दोहरे उद्देश्य से दुधारू नस्ल में बदलने को लोकप्रिय बनाना

नस्लवार पशु गणना

पशु कार्ड

अध्याय 9

9.0 पशु स्वास्थ्य

राज्य में पशुधन स्वास्थ्य संबंधी देखभाल प्रणाली के अंतर्गत पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं के सार्वजनिक क्षेत्र के सेवा प्रदानकर्ता आते हैं और इन्हें मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि राज्य की अर्थव्यस्था तथा यहां के कुल कृषि उत्पादन में पशुपालन की उपस्थिति काफी अधिक है, व्यवसायविद व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है और विशेष रूप से विकसित होते विशेषज्ञता के क्षेत्र/विशेषज्ञ मांग के नाजुक क्षेत्रों में इनके द्वारा दी जाने वाली सेवा बहुत सीमित है। चिकित्सालयों के लिए बुनियादी ढांचा, नैदानिकी, इंडोर देखभाल, अति विशिष्टताकरण, अति आधुनिक नैदानिक चिकित्सालय तथा निधियों की भी इस क्षेत्र में बहुत कमी है। यदि इन कमजोरियों तथा कमियों को एक बार दूर कर दिया जाए तो इससे पशुओं की कार्य शक्ति बढ़ेगी, उनकी मृत्युदर कम होगी, किसानों व पशु उद्योग को अधिक लाभ होगा, रोजगार के माध्यम से आय सृजित होगी और पशुओं तथा मवेशियों में प्रभावी रोग नियंत्रण के माध्यम से मानव जनसंख्या के स्वास्थ्य में सुधार होगा, गुणवत्तापूर्ण खाद्य प्रोटीन उपलब्ध होगा तथा राज्य की अर्थव्यवस्था का निष्पादन भी बेहतर होगा। पशुधन स्वास्थ्य के सबलीकरण में निम्नलिखित पहलू शामिल हैं :

क) बचाव तथा नैदानिक उपायों के लिए टीकों तथा नैदानिक युक्तियों का मात्रा की दृष्टि से पर्याप्त होना।

ख) संचारी तथा गैर –संचारी रोगों से निपटने के लिए निश्चित कार्यक्रम बनाते हुए उपाय अपनाना।

ग) रोग नियंत्रण के लिए नियम निर्धारित करना

घ) सेवाओं के साथ–साथ सामग्री उपलब्धता सुनिश्चित करना

ड.) विशेष रूप से स्वास्थ्य की सुरक्षा, प्रजनन–पुनरोत्पादन व कृत्रिम गर्भाधान की सेवाओं तक पहुंच।

च) औषधियों के मूल्य इतने हों कि सामान्य व्यक्ति भी उन्हें वहन कर सके।

छ) समर्पित अति आधुनिक क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय रोग अन्वेषण प्रयोगशालाएं

ज) लक्षित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

झ) सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी और निपुणता का संचार

ट) नवजातों की मृत्यु तथा परजीवों का नियंत्रण

ठ) प्रति गर्भाधान/गर्भधारण उपयुक्ततम उर्वरता दर, इष्टतम जनन तथा जनन पश्चात उचित अंतराल

ड) गौण स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सेवाओं का गठन

ढ) प्रदानीकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में और सार्वजनिक–निजी साझीदारी के मोड में अनुसंधान एवं विस्तार अंतर–प्रावस्था

ण) स्वास्थ्य के लक्ष्यों को निर्धारित करना और इस क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि को पहचानना।

पशुधन स्वास्थ्य के लिए एकमात्र एजेंडा

- सेवाओं तक पहुंच
- उपचार और कृत्रिम गर्भाधान के लिए घर के दरवाजे पर सेवा का उपलब्ध होना
- सामुदायिक औषधि तथा स्वास्थ्य लाभ
- व्यक्तिगत पशुओं के लिए स्वास्थ्य कार्ड
- कार्यक्रमों की निगरानी व उनका मूल्यांकन
- द्वितीय स्तर के मध्यवर्तियों के रूप में सेवा हेतु महिलाओं तथा पशुधन कर्मियों का प्रशिक्षण
- परजीवी संक्रमण नियंत्रण
- खनिज तथा पोषक तत्व संबंधी कमियां
- स्वास्थ्य बीमा

स्वास्थ्य परिदृश्य :

- संचारी तथा संक्रामक रोग
- अ–संक्रामक रोग
- प्रजनन संबंधी रोग
- पोषण संबंधी रोग
- चयापचयजी रोग/गड़बड़ियां
- चोटें तथा गहन देखभाल

9.1 प्रमुख पशु रोगों का प्रकोप, उनकी स्थिति

अन्वेषणशील नैदानिकी तथा सीरो–सर्विलेंस या चौकसी को पूरे देश में पशु स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ में बहुत कम अपनाया जाता है और हरियाणा भी इसका अपवाद नहीं है। दिन–प्रतिदिन के क्रम में पशु चिकित्सक रोग की नैदानिक स्थिति तथा पहचान के आधार पर उपचार करते हैं और

आधुनिक नैदानिक सुविधाओं व युक्तियों तक अत्यधिक सीमित पहुंच होने के कारण रोग के कारण या कारक एजेंटों की पहचान को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। धन की कमी संबंधी बाधाएं इस समस्या को और गहन बनाती हैं तथा पिछले कुछ दशकों के दौरान यह स्थिति लगभग अपरिवर्तित रही है। अन्वेषण संबंधी कार्य सामान्यतः तभी किया जाता है जब किसी रोग का कोई गंभीर प्रकोप होता है जिसमें पशुओं की अधिक संख्या में मृत्यु हो जाती है अथवा रोगी पशु मनुष्यों के स्वास्थ्य के प्रति खतरा बन जाते हैं। विशेष रूप से उभरते हुए प्राणिरुजा (जूनोसिस) के मामले में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी आपात स्थितियों में रोग संबंधी अन्वेषण क्षेत्रीय/राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की सहायता से किए जाते हैं और अधिकांश मामलों में पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की सहायता ऐसे रोगों के त्वरित निदान व उनकी रोकथाम में ली जाती है। ऐसी परिस्थितियों में अधिकांश रोगों की उचित रूप से रिपोर्ट भी नहीं हो पाती है। रेाग अन्वेषण (डीआई) प्रयोगशाला अथवा पशुपालन एवं डेरी विभाग द्वारा रिपोर्ट किए गए रोगों के प्रकोप संबंधी आंकड़ों से रोग के प्रकोप तथा पशुधन व कुक्कुटों में रोग के महामारी विज्ञान के आयाम तथा उसकी स्थिति का सही–सही पता नहीं चल पाता है।

पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय के संकाय, फील्ड कार्यकताओं, पशुपालकों/स्वामियों तथा अन्य पणधारियों के साथ कार्यदल की हुई चर्चाओं के आधार पर यह तथ्य उभरकर सामने आया कि राज्य में पशुधन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण रोग हैं हेमेरेजिक सैप्टिसीमिया (एचएस), थनैला या मेस्टाइटिस, रेबीज़, ब्रुसेलॉसिस, रक्त में आदिजीवियों या प्रोटोज़ोआ संक्रमण, चयापचयजी गड़बड़ियां, एंटेरोटॉक्सीमिया, भेड़ का चेचक, शूकर ज्वर तथा अनेक अंतः एवं वाह्य परजीवी संक्रमण और इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कुक्कुट रोग। खुरपका तथा मुंहपका रोग जिससे पहले राज्य को काफी क्षति होती थी, अब प्रभावी रूप से नियंत्रित हो चुका है। भैंसो में गर्भाशय का ऐंठ जाना तथा योनि का बाहर निकलना जो विदेशी नस्लों तथा उनके संकरों में बार–बार के प्रजनन के कारण होता है और जो वर्षा ऋतु के बाद होते हैं, विशेष रूप से तब जब बाढ़ आती है। इसके अलावा शरद ऋतु में तापमान के बहुत कम हो जाने पर भी पशु रोग ग्रस्त हो जाते हैं। बांझपन भी एक प्रकार का रोग है जिसके अनेक कारण हो सकते हैं। तद्नुसार किसानों को परिस्थितियों के अनुकूल उपाय अपनाने की सलाह दी जाती है।

इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उपयुक्त स्थानों पर अत्याधुनिक नैदानिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएं जिनका कार्य क्षेत्र पूरा राज्य हो और इसके लिए इनकी चल इकाइयां भी हो सकती हैं। इस प्रकार की प्रयोगशाला की स्थापना हिसार में केन्द्रीय संदर्भित प्रयोगशाला के रूप में की जा सकती है। महत्वपूर्ण रोगों की सीरो चौकसी तथा महामारी विज्ञान संबंधी आंकड़ो को एकत्र करना एक निरंतर प्रक्रिया होना चाहिए। इसके साथ ही रोग को रिपोर्ट करने वाली प्रणाली को अद्यतन व आधुनिक बनाने की आवश्यकता है जिसके लिए उपलब्ध त्वरित संचार साधनों का लाभ उठाया जा सकता है।

9.2 टीके, नैदानिकी एवं जीवविज्ञानी उपाय

सामान्य रूप से पाए जाने वाले रोगों के विरुद्ध प्रोफाइलैक्टिक टीकाकरण पशु स्वास्थ्य को बनाए रखने का मुख्य उपाय है क्योंकि इन रोगों के होने पर इनका उपचार करना बहुत महंगा पड़ता है और किसान इसका भार वहन करने में भी सक्षम नहीं होते हैं। पशुपालन तथा डेरी विभाग हिसार स्थित हरियाणा पशु चिकित्सा टीका संस्थान पिछले 65 वर्षों से अधिक समय से पशुओं की चिकित्सा से संबंधित टीके विकसित कर रहा है। यह राज्य एचएस, बीक्यू, एंटेरोटॉक्सीमिया, भेड़ के चेचक, शूकर ज्वर और पीपीआर के टीकों के मामले में आत्म निर्भर है। यह टीका संस्थान वर्तमान में निम्नलिखित वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार छह से अधिक टीके तैयार कर रहा है।

1. एच.एस.एलम और ऑयल एड्जुवेंट टीका :	130 लाख खुराकें
2. एंटेरोटॉक्सीमिया रोग का टीका :	6 लाख खुराकें
3. भेड़ की चेचक रोग का टीका :	6 लाख खुराकें
4. पी.पी.आर. रोग का टीका :	6 लाख खुराकें
5. शूकर ज्वर का टीका :	0.90 लाख खुराकें
6. बी.क्यू रोग का टीका :	आवश्यकतानुसार ~1.0 लाख खुराकें

खुरपका तथा मुंहपका रोग, ब्रुसेलॉसिस तथा अन्य रोगों के लिए औसत तथा सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के अंतर्गत टीके तैयार करने के लिए संस्थान में एक अलग गुणवत्ता नियंत्रण अनुभाग है। इसके साथ ही जैव वस्तुएं/नैदानिक सामग्री बाजार से तथा इज्जतनगर स्थित भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान से खरीदी जाती हैं। इस टीका संस्थान को अन्य वांछित टीके, नैदानिक तथा जैव सामग्री तैयार करने का प्रयास करना चाहिए जो वर्तमान में बाहर से खरीदे जा रहे हैं। इसके लिए पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्पर्क करते हुए उसे इसमें शामिल किया जाना चाहिए या सार्वजनिक–निजी–साझेदारी मोड में भी किया जा सकता है।

टीका संस्थान द्वारा पहले तैयार किए जा रहे कुक्कुट रोगों के टीकों का विनिर्माण इस क्षेत्र में बढ़ते हुए व्यावसायीकरण के कारण अब बंद कर दिया गया है। ये टीके अब निजी जैविक इकाइयों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं जिनमें हिसार स्थित इंडोवैक्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। यह फर्म कुक्कुट टीकों के विकास, विनिर्माण तथा विपणन के कार्य में रत है और इसका दावा है कि यह विभिन्न कुक्कुट टीकों की 4 बिलियन से अधिक खुराकें तैयार कर रही है।

ऐसी सस्ती, नई कम्बाइंड/पालीवेलेंट/तापरोधी पशु टीकों की खुराकें उत्पन्न करने के लिए विशेष अनुसंधान एवं विकास प्रयासों की आवश्यकता है, जो सुरक्षित हों और प्रभावी हों, जिन्हें लगाना आसान हो और जिसका प्रभाव देर तक रहता हो। प्रभावी तथा सस्ती नैदानिकी/नैदानिक किट/पालन स्थल पर परीक्षण सुविधाओं/जीवविज्ञानी विधियों की बहुत मांग है और जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाना चाहिए।

9.3 नियंत्रण के उपाय

'प्रोफाइलैक्सिस या प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करना उपचार से बेहतर है'। पशु स्वास्थ्य देखभाल की यह मूल संकल्पना है। समय पर रोग नियंत्रण के उपाय अपनाना उसी रोग के उपचार से 1 प्रतिशत से कम लागत वाला पड़ता है। इसके अतिरिक्त टीकाकरण की सफलता की दर बेहतर है तथा बचाव नियंत्रण उपायों से युक्त होने के कारण यह अधिक सुनिश्चित है, जबकि रोग होने पर उपचार करना रोग के ठीक होने की गारंटी नहीं है और इसमें अनिश्चितता बनी रहती है। एफएमडी–सीपी (जिसका वर्णन अन्यत्र किया गया है) को छोड़कर राज्य में किसी अन्य पशु रोग के नियंत्रण के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है। अन्य घातक रोगों जैसे एच.एस.,पीपीआर, शूकर ज्वर, ब्रुसेलॉसिस आदि के लिए भी ऐसे ही नियंत्रण संबंधी कार्यक्रमों की आवश्यकता है। तथापि, पक्षी इन्फ्लुएंजा के लिए नियमित नैदानिक निगरानी तथा सीरो चौकसी का कार्य राज्य द्वारा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है।

पशुपालन विभाग का 2789 पशुचिकित्सा संस्थानों से युक्त एक गहन नेटवर्क है। ये संस्थाएं कुछ संक्रामक रोगों के विरुद्ध प्रोफाइलेक्टिक टीकाकरण के लिए उत्तरदायी हैं। इन रोगों में एचएस, बीक्यू, एंटेरोटॉक्सिमिया, भेड़ का चेचक, शूकर ज्वर तथा पीपीआर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त खुरपका तथा मुंहपका रोग तथा कभी–कभी ब्रुसेलॉसिस रोग के विरुद्ध भी टीके लगाए जाते हैं। प्रत्येक पशुचिकित्सा संस्थान को निर्धारित लक्ष्य दिए गए हैं जो उस संस्थान की क्षमता और उसके कार्यक्षेत्र पर निर्भर करते हैं। विभाग का दावा है कि पिछले एक दशक से अधिक समय से राज्य में किसी रोग का गंभीर प्रकोप नहीं हुआ है। पर्यवेक्षण स्टाफ द्वारा प्रभावी निगरानी तथा टीकाकरण के पश्चात् मूल्यांकन से भविष्य में किसी टीकाकरण कार्यक्रम के असफल होने की संभावना का पता लगाया जा सकता है। इस संबंध में ग्राम पंचायत का सहयोग बहुत सहायता प्रदान कर सकता है। जो ग्राम पंचायतें 100 प्रतिशत सफल टीकाकरण सुनिश्चित करें (अर्थात् जिनके अंतर्गत आने वाले गांवों में रोग का कोई प्रकोप न हो) उन्हें नकद प्रोत्साहन और अतिरिक्त विकास अनुदान आदि देकर उपयुक्त रूप से पुरस्कृत किया जा सकता है। पशु स्वास्थ्य सुरक्षा तथा प्रवर्धन की दिशा में निरंतर प्रयास करने से हरियाणा राज्य को पशुधन व कुक्कुटों के प्रमुख रोगों से मुक्त किया जा सकता है।

राज्य सरकार द्वारा रोग नियंत्रण के अपनाए जाने वाले अन्य उपायों में नियमित रूप से पशुओं के पेट के कीड़ों को मारना है। ऐसा प्रत्येक पशुचिकित्सा संस्थान द्वारा विशेष पशु स्वास्थ्य देखभाल शिविर आयोजित करके किया जाता है। औसतन पिछले एक दशक के दौरान 33 लाख से अधिक पशुओं को प्रति वर्ष कृमिहीन (पेट के कीड़े मारने की क्रिया) किया गया है। इसी अवधि के दौरान पूरे राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 6,800 पशु स्वास्थ्य देखभाल के शिविर आयोजित किए गए जिनमें से कुछ में विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया। इन शिविरों में खनिज मिश्रण, पेट के कीड़े मारने की दवाएं तथा अन्य औषधियां दी जाती हैं और अनुवर्रता का उपचार किया जाता है और ये सब

निःशुल्क होता है। इस मंच का उपयोग किसानों को रोग नियंत्रण के विभिन्न उपायों के महत्व तथा खनिज मिश्रण की आहार में निरंतर आपूर्ति के बारे में शिक्षित किया जाता है। पशुओं की उर्वरता बढ़ाने तथा अनुवर्रता के कारण होने वाली क्षतियों को न्यूनतम करने के लिए विशेष अनुवर्रता शिविर भी आयोजित किए जाते हैं।

चूंकि रोग नियंत्रण संबंधी उपायों की सफलता भरोसेमंद तथा सशक्त महामारी विज्ञानी आंकड़ा आधार, रोग पैटर्न के पूर्वानुमान, प्रशिक्षित तथा अत्यंत निपुण जनशक्ति व निवेशों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अतः राज्य इस क्षेत्र में बेहतर और निरंतर सफलता के लिए उपरोक्त मामलों में अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है।

9.4 प्रमुख कार्यक्रम/हल

पशु पालन एवं डेरी विभाग का उत्तरदायित्व पूरे राज्य में पशुधन तथा कुक्कुटों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना व उसे बढ़ाना है। इन उपायों में रोगी पशुओं का उपचार, मौजूद छूत के रोगों के विरुद्ध प्रोफाइलेक्टिक टीकाकरण तथा पशुचिकित्सा संस्थानों और सेवा प्रदानकर्ताओं के संजाल के माध्यम से प्रजनन सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल हैं। यह विभाग उन क्षेत्रों में भी पशु स्वास्थ्य देखभाल शिविर तथा प्रजनन स्वास्थ्य प्रबंध शिविर (शून्य उनुवर्रता कार्यक्रम के अंतर्गत) आयोजित करता है जहां पशु पालकों/स्वामियों को उनके घर के दरवाजे पर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पशुचिकित्सा संस्थान नहीं हैं। वर्तमान में, एफएमडी – सीपी के अलावा कोई अन्य कार्यक्रम नहीं है तथा स्वास्थ्य देखभाल संबंधी अन्य कार्यक्रमों को केन्द्र सरकार द्वारा अपनी – पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

नैदानिकी, नैदानिक तथा प्रजनन संबंधी सेवाओं सहित पशुचिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित सभी भावी कार्यक्रमों को अनिवार्य रूप से सचल बनाना होगा तथा इन कार्यक्रमों को किसानों/पशुपालकों के घर के दरवाजे तक ले जाना होगा क्योंकि व्यस्त सड़कों पर पशुओं का परिवहन कठिन और असुरक्षित होता है। ऐसे रोगों के नियंत्रण, उनसे बचाव व उनके उन्मूलन के लिए प्रमुख कार्यक्रमों को चलाने की आवश्यकता है जो पशुधन उत्पादन, मानव स्वास्थ्य के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक दृष्टि से अत्यधिक क्षति पहुंचाते हैं अथवा जिनके कारण पशु उत्पादों का निर्यात करना कठिन हो जाता है।

9.5 पशुचिकित्सा औषधियां

राज्य में 291 ऐसी इकाइयां हैं जो जेनेरिक (सामान्य) औषधियां, संरुप व उनके मूल पदार्थ आदि चिकित्सीय तथा पशुचिकित्सा के उपयोग हेतु तैयार कर रहे हैं। तथापि, इस राज्य में कोई स्वतंत्र पशुचिकित्सा औषध नियंत्रक नहीं है। राज्य में 3215 औषध फुटकर बिक्री केन्द्रों में से अधिकांश मानव तथा पशुओं, दोनों के लिए औषधियों की बिक्री करते हैं। पशुचिकित्सा संबंधी औषधियां

सामान्य तौर पर बहुत महंगी होती हैं, तथापि विभाग मूल उपचार के लिए निःशुल्क औषधियां उपलब्ध कराता है। टीकों को छोड़कर अन्य सभी औषधियां स्थानीय बाजार से खरीदी जाती हैं। पशुचिकित्सा संबंधी औषधियों के मामले में कोई कठोर गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था नहीं है।

सस्ती और कारगर औषधियां उत्पन्न करने व पशुचिकित्सा में उपयोग के लिए आहार सम्पूरकों व नैदानिकी को तैयार करने के लिए विशेष अनुसंधान एवं विकास प्रयासों की आवश्यकता है। पशुचिकित्सा औषधियों, दवाइयों, टीकों व जीवविज्ञानी पदार्थों आदि के उत्पादन के वर्तमान आयतन तथा उनके विपणन को ध्यान में रखते हुए किसी स्वतंत्र पशुचिकित्सा औषधि नियंत्रक का होना अनिवार्य है, ताकि मानक से कम स्तर वाली औषधियों, टीकों, आहार सम्पूरकों आदि का वितरण व विनिर्माण रोकने के लिए और इनकी गुणवत्ता की प्रभावी निगरानी के लिए उचित व्यवस्था हो सके। पशुचिकित्सा स्नातकों को कैमिस्ट दूकानों/औषधियों की बिक्री के आउटलेट का लाइसेंस प्राप्त करने का पात्र माना जाना चाहिए।

9.6 प्राणिरुजा (जूनोटिक) रोगों का प्रकोप, उनकी निगरानी व नियंत्रण

अन्य प्राणिरुजा रोगों में से ब्रुसेलॉसिस, साल्मोनेला और ट्यूबरकुलोसिस के वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 के आंकड़े उपलब्ध हैं। वर्ष 2007–08 में 14,387 पशुओं की जांच की गई जिनमें से 5 को ब्रुसेला एंटिबॉडी के लिए सकारात्मक पाया गया, जबकि 2008–09 के दौरान 393 पशुओं की जांच की गई जिनमें से 2 सीरो रिएक्टर पाए गए। क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस और साल्मोनेला के मामले में क्रमशः 4780 व 2160 पशुओं की जांच की गई और इनमें से कोई भी रोग के प्रति सकारात्मक रिएक्टर नहीं पाया गया।

9.7 सीमापार के रोग : प्रकोप निगरानी और नियंत्रण

पक्षी इन्फ्लूएंजा (H_5N_1) को छोड़कर राज्य में किसी अन्य सीमापार के रोग से संबंधित कोई विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। पक्षी इन्फ्लूएंजा के विरुद्ध सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं उनमें शामिल हैं : सक्रिय चौकसी के माध्यम से स्रोत (संक्रमित पक्षियों) पर ही रोग की रोकथाम, कुक्कुटों में सामान्य तथा असामान्य मृत्यु के बीच भेद, संदेहास्पद पक्षियों के नमूनों को उचित प्रकार से डिस्पैच करना, रोग से ग्रस्त पक्षियों तथा उनके सम्पर्क में आए पक्षियों का वध तथा परिसरों की सफाई व उनका विसंदूषण तथा चौकसी। जहां कहीं भी आवश्यक होती है, पशुपालन विभाग जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, जन–स्वास्थ्य, वानिकी विभागों, पुलिस, स्थानीय निकायों, पंचायतों, लोक निर्माण विभाग आदि के सहयोग से कार्य करता है।

अध्याय 10

10.0 पशुधन उद्योग

10.1 डेरी उद्योग

सामान्य तौर पर हरियाणा के लोग दूध और दुग्धोत्पादों के शौकीन हैं, लेकिन इस संबंध में कोई प्रमाणित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान में प्रति व्यक्ति 0.35 लिटर दूध की खपत को देखते हुए घरेलू खपत के लिए दूध की दैनिक आवश्यकता लगभग 89 लाख लिटर हो जाती है अर्थात् राज्य में उत्पन्न होने वाले कुल दूध (182 लाख लिटर) का लगभग 50 प्रतिशत। राज्य में 27 निजी दूध संयंत्र हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 23.40 लाख लिटर प्रति दिन है। इसके अतिरिक्त सहकारी क्षेत्र में पांच संयंत्र हैं जिनकी स्थापित क्षमता 8.80 लाख लिटर है। इसके अलावा करनाल स्थित राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान के आदर्श डेरी संयंत्र की दूध संभालने की क्षमता प्रतिदिन 0.60 लाख लिटर है। संयंत्र की परिचालन की उपयुक्ततम स्थितियों के अंतर्गत अतिरिक्त दूध (कुल का 16.2 प्रतिशत) का केवल 35 प्रतिशत भाग इन डेरी संयंत्रों द्वारा संभाला जाता है। पिछले एक दशक के दौरान 12 नए डेरी संयंत्र राज्य में स्थापित किए गए हैं जो सभी निजी क्षेत्र में हैं तथा जिनकी स्थापित क्षमता 7.00 लाख लिटर है तथा जिनका परास 0.15 और 2.20 लाख लिटर के बीच में है। तथापि, उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य में दूध का उत्पादन 42 लाख लिटर हो गया है। अधिकांश अतिरिक्त दूध की साज–संभाल अभी भी असंगठित क्षेत्र (मिठाई की दूकानों, फुटकर दूध बेचने वालों आदि) द्वारा की जाती है। मिठाई के दूकानदार व हलवाई ब्राण्डहीन परंपरागत भारतीय उत्पाद बेचते हैं जिससे उत्पादकों को कोई लाभ नहीं होता है। अतिरिक्त दूध की एक बड़ी मात्रा निकट के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कच्चे दूध के रूप में बेची जाती है।

संगठित क्षेत्र द्वारा अतिरिक्त दूध की साज–संभाल के अनुपात में पंजाब को छोड़कर अन्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में कोई अंतर नहीं है। पंजाब राज्य में 77 दूध संयंत्र हैं तथा इनमें राज्य में उत्पन्न

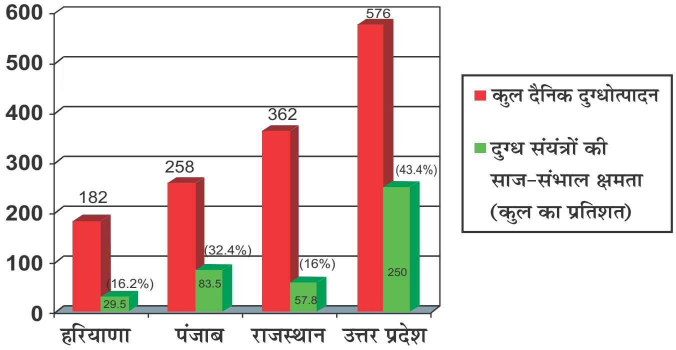

चित्र 10.1: दुग्धोत्पादन व दूध संयंत्रों की साज–संभाल क्षमता (लाख लिटर में)

होने वाले कुल दूध के एक तिहाई भाग की साज–संभाल की जाती है। राजस्थान में उत्पन्न होने वाले 362 लाख लिटर दूध में से केवल 16 प्रतिशत को ही राज्य में स्थित 38 संयंत्रों द्वारा संभाला जाता है। जैसा कि चित्र 10.1 से स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश में स्थिति इससे बेहतर नहीं है जहां उत्पन्न होने वाले कुल दूध का 43 प्रतिशत से अधिक भाग 215 डेरी संयंत्रों द्वारा संभाला जाता है।

चूंकि दूध लाखों छोटी इकाइयों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, अतः दूध संयंत्र लाखों घरों से बहुत कम मात्रा में दूध को खरीदना कठिन, अनाकर्षक व आर्थिक रुप से महंगा पाते हैं। इसके अतिरिक्त किसान/पशु स्वामी भी दूध के मूल्य निर्धारण के फार्मूले से संतुष्ट नहीं हैं। जिन किसानों/पशु स्वामियों के पास एचएफ तथा उनके संकर हैं वे विशेष रूप से घाटे में रहते हैं क्योंकि वर्तमान नियमों के अनुसार गाय के दूध में भी कम से कम 4 प्रतिशत वसा का होना वांछित है। एचएफ गायों/उनके संकरों के दूध में वसा का प्रतिशत लगभग 3.5 प्रतिशत होता है जो वैधानिक मानकों से कम है। राज्य को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर अन्य सभी वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करनी चाहिए जिससे गाय के दूध में मौजूदा 3.5 प्रतिशत वसा के लिए इन मानकों को कम करते हुए कई अन्य राज्यों में स्थापित मानकों के बराबर लाया जा सके। इस मामले के तत्कालिक होने के कारण इसे प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाना चाहिए, ताकि संकर नस्ल के पशुपालन को बढ़ावा दिया जा सके। निःसंदेह डेरी फार्मिंग को टिकाऊ बनाने के लिए दूध का लाभदायक मूल्य निर्धारित करना एक महत्वपूर्ण घटक है। वर्तमान में, दूध का मूल्य उसमें मौजूद वसा तथा अन्य ठोस पदार्थों के बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है तथा यह उत्पादन की लागत पर आधारित नहीं है। दूध का आधार मूल्य इसकी उत्पादन लागत के अलावा इतना होना चाहिए कि उत्पादक को कम से कम 30 प्रतिशत लाभ मिल सके। विभिन्न निवेशों की निरंतर बढ़ती हुई लागत से निपटने के लिए दूध के मूल्य को समय–समय पर संशोधित किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो डेरी सहकारिताओं को कम से कम प्राथमिक प्रावस्था के दौरान मौलिक मूल्य के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अनुदान सहायता/अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए। विशेषज्ञों की सक्रिय साझीदारी सहित विभिन्न पणधारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले **एक विशेष दुग्ध मूल्य निर्धारण निकाय का राज्य में गठन किया जाना चाहिए जिसमें डेरी संस्थानों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए।**

राज्य में बड़े पैमाने पर अधिक से अधिक वाणिज्यिक डेरियां स्थापित की जानी चाहिए जो बड़ी मात्रा में दूध उत्पन्न कर सकें जिससे खरीद के स्तर में सुधार होने की संभावना उत्पन्न हो सकती है। पिछले 5 वर्षों के दौरान लगभग 15000 छोटी डेरियां (3/5/10 दूध देने वाले पशु) तथा 1000 मध्यम से बड़े आकार की उच्च डेरी इकाइयां (20 से अधिक दूध देने वाले पशु) स्थापित किए गए हैं। विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से इस प्रवृत्ति को और अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत तकनीकी सहायता प्रदान करना, उदार शर्तों पर ऋण व अतिरिक्त अनुदान जैसे

प्रावधान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त डेरी फार्मिंग को कृषि संबंधी कार्यों का दर्जा दिया जाना चाहिए तथा इस क्षेत्र को भी उसी प्रकार से लाभ मिलने चाहिए जैसे सस्ती बिजली, पानी, ऋण संबंधी सुविधाएं, अनुदान आदि जो कृषि क्षेत्र में दिए जाते हैं, ताकि इस क्षेत्र की भी दीर्घावधि प्रगति हो सके। स्थानीय स्तर पर मूल्यवर्धन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि यह उद्योग और लाभप्रद सिद्ध हो सके व गुणवत्तापूर्ण उत्पाद की मांग को पूरा कर सकें।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत डेरी उद्योग को बढ़ावा देने तथा अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है :

क) उत्पादकता के स्तर पर स्वच्छ दुग्धोत्पादन तथा दूध में नाशकजीवों, प्रतिजैविकों, औषधियों, हार्मोनों, भारी धातुओं अन्य संदूषकों आदि के अपशिष्टों के संदूषण से बचना जिसके लिए उचित विधियां अपनाई जानी चाहिए।

ख) शीत श्रृंखला का उपयोग करके दूध के संकलन व परिवहन के दौरान स्वच्छता तथा सुरक्षा की उपयुक्त विधियों को अपनाना।

ग) संयंत्र पर श्रेष्ठ विनिर्माण विधियों को अपनाना।

घ) सटीक, त्वरित और लागत प्रभावी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए प्रत्यायित प्रयोगशालाओं द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण तथा संकट विश्लेषण के कठोर मानक अपनाना।

ड.) स्वास्थ्य के प्रति ऐसे नए अनुकूल डेरी उत्पादों को डिज़ाइन करना जो लक्षित उपभोक्ताओं व स्वाद के अनुरूप हों।

च) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व अन्य प्रवर्धनात्मक उपायों के माध्यम से वाणिज्यिक डेरी उद्यमियों को प्रोत्साहित करना।

छ) प्रत्येक गांव में पशुओं के लिए सामुदायिक आवास या होस्टलों का निर्माण डेरी उद्योग के लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ऐसा करने से ग्रामीण परिवारों तथा गलियों की साफ–सफाई में सुधार होने के साथ–साथ ऐसे सामुदायिक पशु आवासों से संसाधनों को पूल करने, फार्म संबंधी कार्यों के स्वचालन, वैज्ञानिक पशुपालन को अपनाने तथा मूल्य वर्धन के लिए दूध के प्रसंस्करण में सहायता मिलेगी। इससे निःसंदेह पशु की उत्पादकता बनाम आर्थिक लाभ का अनुपात बढ़ेगा। प्राणिरुजा या छूत के रोगों का नियंत्रण भी आसानी से हो सकेगा।

ज) असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र की ओर अतिरक्त दूध की साज–संभाल तथा प्रसंस्करण को हस्तांतरित करने से डेरी फार्मिंग को टिकाऊ रूप से लाभदायक बनाया जा सकता है।

विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों जैसे स्वच्छ दुग्धोत्पादन, गहन डेरी विकास और सभी महिला डेरी सहकारिताओं को विशेष प्रोत्साहन, के माध्यम से हरियाणा डेरी विकास

सहाकारी फेडरेशन के हाल के प्रयासों को चालू रखने तथा व्यापक रूप से प्रचारित–प्रसारित करने की आवश्यकता है, ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। विद्यमान डेरी संयंत्रों की साज–संभाल की क्षमता को बढ़ाकर उनका उन्नयन किया जाना चाहिए।

10.2 कुक्कुट उद्योग

कुक्कुट पालन पशु पालन के अंतर्गत सबसे तेजी से बढ़ने वाले उप–क्षेत्रों में से एक है। अब यह घर के पिछवाड़े चलाए जाने वाले क्रियाकलाप से आगे निकलकर एक संगठित उद्योग बन गया है तथा कुक्कुट पालन का राष्ट्रीय मानचित्र में विशेष स्थान हो गया है। कुछ दशक पूर्व हाईलाइन, शेवर, बैबकोक, रौस और कॉब आदि जैसी संकर नस्लों के आने से इस उद्योग की संरचना में जबरदस्त परिवर्तन हुआ है और इस उप क्षेत्र में अभूतपर्वू वृद्धि रिकॉर्ड की जा रही है। पिछले एक दशक के दौरान कुक्कुटों की संख्या दुगनी से अधिक हो गई है। सामान्य सम्पन्नता के साथ–साथ निरंतर हो रही विपुल आर्थिक वृद्धि के कारण समाज के मध्यम वर्ग की भोजन संबंधी आदतों में बदलाव आया है और उनकी व्यय क्षमता बढ़ी है। मुर्गी के मांस तथा अंडों की मांग में वृद्धि हो रही है। जनसंख्या का एक भाग अंडों को शाकाहारी आहार मानता है तथा अनिवार्य पोषक तत्वों के स्रोत के रूप में इसके मूल्य को पहचानने लगा है। ऐसे सुझाव हैं कि अंडे को विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के मध्याह्न आहार में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं की जा सकती है तथा विकासशील बच्चों के लिए इसका पोषण मान बेमेल है।

राज्य में कुक्कुट उद्योग पूरी तरह निजी उद्यमियों के हाथों में है। कुक्कुट उत्पादन के तीनों स्वरूप नामतः अंडा उत्पादन के लिए वाणिज्यिक लेयर्स, ब्रायलर फार्म तथा हैचरियों ने पिछले कुछ दशकों के दौरान अत्यधिक वृद्धि रिकॉर्ड की है। लेयर फार्मिंग प्राथमिकतः पंचकुला के बरवाला क्षेत्र में की जाती है और इसके साथ–साथ यहां से पानीपत तक ग्रांड ट्रंक रोड (जीटी मार्ग) के साथ–साथ लगे इलाके में फैली हुई है। ब्रायलर प्रजनन फार्म तथा हैचरियां सफीदों, जींद तथा पानीपत क्षेत्र में स्थित हैं। हैचरियों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है तथा ये पड़ोसी राज्यों की मांग को भी पूरा कर रही हैं। ब्रायलर फार्म व्यापक रूप से फैले हुए हैं और पूरे राज्य में मौजूद हैं। राज्य में विविधीकृत कुक्कुट पालन के क्षेत्र में तेजी से प्रगति होनी बाकी है। बटेर, टर्की, गिनीफाउल तथा एमू पालन की राज्य में शुरूआत भर हुई है। इस संबंध में पंजाब, हरियाणा से बेहतर स्थिति में है। कुक्कुटों के विपणन के लिए संगठित सुविधाएं नहीं हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः भोज्य अंडों तथा सजीव पक्षियों की बिक्री स्थानीय बाजारों में तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में की जाती है। मूल्यवर्धन नहीं के बराबर है क्योंकि राज्य में कुक्कुटों के लिए संगठित वध गृह या प्रसंस्करण संयंत्र नहीं हैं। इसके साथ ही मुर्गियों के ताजे मांस को अधिक पसंद किया जाता है और यह सस्ता भी है।

कुक्कुट रोगों की निगरानी व चौकसी राज्य के पशुपालन एवं डेरी विभाग का दायित्व है। अधिक गहन कुक्कुट पालन के साथ–साथ कुछ स्थानों पर फार्मों की अधिक सघनता होने के कारण

संक्रामक रोगों के फैलने के अवसर कई गुने बढ़ गए हैं। इसलिए नियमित टीकाकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अधिकांश कुक्कुट फार्मों में अपनाए जाने वाले स्वच्छता, खाद प्रबंध तथा सफाई संबंधी उपाय सामान्यतः अपर्याप्त हैं। कुक्कुट फार्मों तथा उसके आस–पास बड़ी संख्या में मक्खियां रहती हैं (नियंत्रित क्षेत्र की तुलना में 18 गुनी तक) तथा ये अत्यधिक संक्रमणकारी हैं। सभी कुक्कुट फार्मों पर जैव–सुरक्षा संबंधी उपायों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता है और इसमें मृत पक्षियों के निपटान के लिए उपयोग में आने वाले गड्ढों, चारदीवारी, प्रतिबंधित प्रवेश, खाद का प्रबंधन तथा नियमित रूप से निर्जर्मीकरण आदि जैसे उपाय शामिल हैं। इन न्यूनतम अनिवार्य विनियमों की अनुपस्थिति में इस उद्योग के पूरी तरह समाप्त हो जाने का जोखिम बना रहता है क्योंकि यदि इस क्षेत्र में पक्षी फ्लू जैसा रोग फैल जाता है तो यह सभी पक्षियों को नष्ट कर सकता है। वर्तमान में, रोग अन्वेषण संबंधी सेवाएं पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं।

कुक्कुट आहार गोपशु आहार आदेश – 1999 के अंतर्गत नहीं आता है। यह उत्पादन का प्रमुख लागत संबंधी घटक है। अधिकांश गोपशु आहार सृजनकर्ता कुक्कुट आहार भी तैयार करते हैं। कुक्कुट आहार के लिए गुणवत्ता नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं है, यदि कुक्कुट उपयोग को वृद्धि की यही गति बनाए रखनी है तो सोयाबीन तथा मक्का का उत्पादन 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ाना होगा क्योंकि कुक्कुट आहार के लिए ये दो महत्वपूर्ण घटक हैं। कुक्कुट आहार तथा सम्पूरकों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी प्रयोगशालाओं की स्थापना से बहुत अधिक लाभ हो सकता है। क्योंकि उनके कारण इस उद्योग की दक्षता और उत्पादकता बढ़ सकती है। इस उद्देश्य से किसी नियमित प्राधिकरण के स्थापित किए जाने की भी आवश्यकता है।

उचित होगा यदि कुक्कुट पालन को वे सभी सुविधाएं प्रदान की जाएं जो कृषि संबंधी कार्यों के मामले में दी जाती हैं जैसे सस्ती बिजली, पानी, ऋण सुविधाएं, अनुदान आदि। ऐसा कम से कम उन छोटे कुक्कुट फार्मों के मामले में तो किया ही जाना चाहिए जहां 20,000 से कम पक्षी हैं, ताकि स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा सके।

10.3 ग्रामीण क्षेत्र में घर के पिछवाड़े कुक्कुट पालन का विकास

ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन विकास संबंधी घटकों में राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को दी जाने वाली सहायता और उप परियोजना के माध्यम से उद्यमशील निपुणताओं में सुधार करना है और इस प्रकार, एक कुक्कुट एस्टेट की अवस्था का निर्माण करना है। इसका उद्देश्य शिक्षित, बेरोजगार युवाओं तथा छोटे किसानों द्वारा अल्प धनराशि से कुक्कुटों से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों को वैज्ञानिक तथा जैव–सुरक्षा संबंधी क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाते हुए एक लाभदायक उद्यम शुरू करने में सक्षम बनाना है।

ग्रामीण परिवारों से लाभ प्राप्तकर्ताओं को शामिल करते हुए तथा उन्हें अतिरिक्त आय व पोषणिक सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाते हुए 'ग्रामीण घर के पिछवाड़े कुक्कुटपालन विकास' घटक को

लागू किया गया है। इस स्कीम का उद्देश्य गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले या बीपीएल लाभ प्राप्तकर्ता परिवारों को सहायता प्रदान करना है जहां 4 सप्ताह की आयु के चूजे उन लोगों को घर के पिछवाड़े पालने के लिए दिए जाते हैं जिन्हें मूल इकाइयों पर पालकर 20, 15 और 10 पक्षियों के तीन बैचों में ऐसे परिवारों को प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन पक्षियों को जैव–सुरक्षित विधि से उगाने के लिए इस स्कीम में रात्रि–शरण आदि के लिए प्रति लाभ प्राप्तकर्ता 750/–रु. का प्रावधान भी किया जाता है।

ग्रामीण कुक्कुट उत्पादन

निम्न निवेश प्रौद्योगिकी से प्रबंधित किए जाने वाले पक्षियों के प्रजनन फार्मों की स्थापना, आहार गोदामों की स्थापना, आहार कारखानों, आहार विश्लेषण प्रयोगशालाओं की स्थापना, कुक्कुट उत्पादों के विपणन, अंडों के श्रेणीकरण, निर्यात क्षमता के लिए पैकिंग तथा भंडारण, फुटकर कुक्कुट ड्रेसिंग इकाइयां, कुक्कुट उत्पादों की बिक्री के लिए अंडा/ब्रायलर गाड़ियां उपलब्ध कराने से ग्रामीण कुक्कुट उत्पादन में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी।

10.4 मांस उद्योग

राज्य में मांस प्रसंस्करण पूरी तरह असंगठित व उपेक्षित है तथा यह उन छोटे कसाइयों के हाथ में है जो स्थानीय खपत के लिए छोटे रोमंथियों और सूअरों का ताजा मांस उत्पन्न करने के लिए छोटी–मोटी दूकानें चलाते हैं। पशुओं का वध अस्वच्छ स्थितियों में बिना किसी योग्य पशुचिकित्सक के पर्यवेक्षण के लिए किया जाता है। शीत श्रृंखला की सुविधाएं नहीं हैं। जल्दी खराब होने वाली उत्पाद के कारण मांस खाद्य वाहित रोगों तथा पर्यावरण प्रदूषण का एक सक्षम स्रोत है।

वर्तमान में, अल–नफीस – प्रोटीन प्रा.लि. राज्य में भेड़ व बकरियों के लिए एकमात्र आधुनिक, स्वचालित व समेकित वधगृह है। मेवात जिले के सटकपुरी गांव में 2006 में स्थापित इस वधगृह की क्षमता 3000 पशु प्रति दिन है। यह 100 प्रतिशत निर्यात की दृष्टि से स्थापित किया गया संयंत्र है जहां प्रतिदिन 1500 पशुओं का वध किया जाता है। यह राजस्थान से भी पशु प्राप्त करता है। इस संयंत्र को हाल ही में राज्य सरकार ने भैंसों के वध की भी अनुमति प्रदान की है जिसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा व सुविधाएं सृजित की जा रही हैं। राज्य में सूअरों तथा कुक्कुटों के लिए कोई समेकित वधगृह नहीं है। राज्य की तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की कुक्कुटों के ताजे मांस की मांग को पूरा करने के लिए सजीव पक्षी ही बेचे जाते हैं।

मांस पशुओं का विपणन निजी एजेंटों के हाथ में है। एक पशु कई हाथों से गुजरते हुए वध गृह तक पहुंचता है। प्रत्येक अवस्था पर इसका मूल्य लगभग 15–20 प्रतिशत बढ़ जाता है। यह क्रियाविधि बिचौलियों/एजेंटों के लिए अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध होती है, लेकिन पशु स्वामियों के लिए सबसे

कम लाभप्रद। तौलने की सुविधाओं सहित साप्ताहिक बाजार ग्राम समूहों में स्थापित किए जा सकते हैं, ताकि यहां मांस पशुओं की बिक्री हो सके। पशु स्वामियों को पशुओं के सजीव भार के आधार पर भुगतान किया जाना चाहिए। ड्यूटी पर मौजूद पशु चिकित्सक को उसी समय वध से पूर्व पशु की प्राथमिक स्वास्थ्य जांच कर लेनी चाहिए।

2–3 जिलों के समूह के लिए एक आधुनिक वध गृह स्थापित किया जाना चाहिए जहां पशुओं के अखाद्य अंगों जिनमें पाचन प्रणाली, अस्थियां, ग्रंथियां आदि शामिल हैं, के प्रसंस्करण की सुविधा भी होनी चाहिए, ताकि उनका मूल्यवर्धन किया जा सके और सम्बद्ध उद्योगों के लिए उपोत्पाद तैयार किए जा सकें। मांस उत्पादन के साथ–साथ चमड़ा उत्पादन को भी विकसित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक वध गृह के आस–पास के क्षेत्र को रोग मुक्त पशुओं और विशेष रूप से नर भैंसों के कटड़ों के उत्पादन स्थल के रूप में तैयार किया जाना चाहिए, बशर्ते कि यहां गहन भरण या आहार की स्थितियों के अंतर्गत इन पशुओं को वैकल्पिक ढंग से पाला जाए। कम से कम एजेंटों/बिचौलियों को शामिल कर मांस पशुओं के लिए लाभदायक मूल्य उपलब्ध कराने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण विपणन व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए, ताकि इस उद्योग को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। बिजली चले जाने पर उचित वैकल्पिक व्यवस्था के साथ शीत श्रृंखला संबंधी सुविधाओं, मांस की गुणवत्ता तथा सुरक्षा के लिए प्रमाणीकरण के साथ–साथ आक्रामक विपणन कार्यनीति जैसी बुनियादी सुविधाएं मांस उत्पादन को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसरों को सृजित करने के लिए आवश्यक हैं। इन मूल आवश्यकताओं में से एक अन्य है – रोगमुक्त अंचलों का सृजन। वध गृह अनिवार्य स्वच्छता तथा संक्रमण विहीनता संबंधी उपायों को लागू करने में बेहतर स्थिति में होते हैं और इस प्रकार, मांस के निर्यात को बढ़ाया जा सकता है। भैंस जिसने राज्य में श्वेत क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, अब गुलाबी क्रांति के लिए भी मार्ग प्रशस्त कर सकती है। नर कटड़ों की अभी तक बहुत उपेक्षा होती रही है और इन्हें बोझ ही माना जाता रहा है। अब ये किसानों, पशुपालकों आदि के लिए सम्पत्ति सिद्ध हो सकते हैं और उन्हें अत्यधिक आर्थिक लाभ दिला सकते हैं।

इसके साथ ही राज्य के सभी बधिकों को मांस के स्वच्छतापूर्वक उत्पादन, भंडारण और बिक्री के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए तथा इसके लिए सभी संभव उपाय किए जाने चाहिए। राज्य में पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय ने पिछले 5 वर्षों के दौरान 240 बधिकों को प्रशिक्षित करके इस दिशा में एक छोटी शुरूआत की है। वध गृह के लिए निपुण कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु एक विशेष कार्यक्रम आरंभ किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, योग्य पशुचिकित्सकों को पशुओं के वध के पश्चात्, पशुओं की शव परीक्षा व प्रमाणीकरण के लिए गुणवत्ता नियंत्रण व मांस की श्रेष्ठ गुणवत्ता संबंधी पहलुओं के ज्ञान को और अधिक उन्नत बनाने के लिए भी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

10.5 आहार विनिर्माण

सम्पूर्ण मात्रा में गुणवत्तापूर्ण आहार की उपलब्धता विशेष रूप से उच्च उत्पादन देने वाले पशुओं के टिकाऊ उत्पादन के लिए बहुत जरुरी है। वास्तव में, आहार की अपर्याप्तता व उसकी घटिया गुणवत्ता भारत में पशुधन की उत्पादकता को बढ़ाने के मार्ग में आने वाली प्राथमिक बाधाओं में से एक है और हरियाणा भी इसका अपवाद नहीं है। परंपरा से पशुओं को फसलों के अपशिष्ट जैसे गेहूं का भूसा और कड़वी खिलाए जाते हैं तथा मौसम में उपलब्ध होने पर हरे चारे के साथ–साथ उन्हें भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए आटा, पानी में भिगोई हुई खलियां और अतिरिक्त अनाज आदि दिए जाते हैं। खनिज सम्पूरण तथा संतुलित सांद्र राशन का आहार सामान्यतः पशुओं को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इन पोषक तत्वों की चिरकालिक कमी बनी हुई है जिससे हमारे पशुधन की आनुवंशिक क्षमता प्रभावित हुई है। मनुष्यों को आहार उपलब्ध कराने के लिए अनाजों की निरंतर बढ़ती हुई मांग और इसके साथ–साथ अनाज उत्पादन की वृद्धि का धीमा पड़ जाना पशु आहार के लिए पर्याप्त अनाज उपलब्ध कराने के सभी प्रयासों को निष्फल कर देते हैं। लागत–लाभ का कम अनुपात भी गोपशुओं को आहार में अनाज मिलाकर खिलाने के मार्ग में बाधक बन रहा है। इसी प्रकार, खलियों के अनियंत्रित निर्यात के कारण राज्य में पशुधन उद्योग के लिए प्रोटीन के इस महत्वपूर्ण स्रोत की उपलब्धता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है। पशु आहार के लिए चोकर तथा ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण घटकों के मामले में भी स्थिति कोई अधिक बेहतर नहीं है।

उत्पादन के वर्तमान स्तर पर संतुलित पशु आहार की वार्षिक आवश्यकता लगभग 7.0 मिलियन टन है। यदि दूध का उत्पादन 2022 तक वर्तमान की तुलना में दुगना करना है तो उस समय इसमें 10 मिलियन टन की वृद्धि करनी होगी, बशर्ते कि पशुओं की संख्या में कोई परिवर्तन न हो। राज्य में गोपशु आहार आदेश 1999 के अंतर्गत 1400 से अधिक पंजीकृत विनिर्माता/डीलर हैं। ये विनिर्माता और डीलर सभी विभिन्न घटक विनिर्मित करते हैं/बेचते हैं जैसे दले हुए अनाज, कुचले हुए अनाज, खलियां और चोकर आदि। इसके साथ ही ये ब्राण्ड युक्त या ब्राण्डहीन मिश्रित पशु आहार भी बेचते हैं। ऐसे आहारों की गुणवत्ता सदैव समस्या बनी रहती है तथा पशु स्वामियों का बाजार में उपलब्ध उत्पादों के प्रति विश्वास जीतना भी कड़ी चुनौती होती है।

राज्य बीआईएस के मानकों के अंतर्गत आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं रहा है। पशु आहारों की गुणवत्ता की निगरानी करने व उसे सुनिश्चित करने के लिए कोई स्वतंत्र विनियमनकारी निकाय नहीं है। कुक्कुट आहार पशु आहार आदेश – 1999 के अंतर्गत नहीं आता है। दुर्लभ संसाधनों के कारगर उपयोग तथा आहार की लागत को कम करने (जो कुल उत्पादन लागत की लगभग 70 प्रतिशत होती है) के लिए बाईपास प्रोटीन तथा बाई–पास वसा प्रौद्योगिकियों को गहन रूप से लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त खलियों के निर्यात और तिलहनों के आयात पर प्रतिबंध होना चाहिए, न कि तेलों पर प्रतिबंध होना चाहिए तथा

इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दूसरी श्रेणी के अनाज को अनुदानित दरों पर पशुओं के आहार के रूप में प्रयुक्त करने के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। विनिर्मित किए जाने वाले तथा बाजार में बेचे जाने वाले पशु एवं कुक्कुट आहारों की गुणवत्ता के कठोर नियंत्रण से किसानों/पशुपालकों के विश्वास को जीता जा सकता है तथा इसका अधिक से अधिक उपयोग करते हुए उच्चतर उत्पादकता स्तर को प्राप्त किया जा सकता है।

10.6 गहन पशुधन उत्पादन

पशुधन उत्पाद/उत्पादों की उच्च बाजार मांग, बढ़ती हुई क्रय शक्ति, दुर्लभ भूमि, उच्च उत्पादनशील पशुओं की उपलब्धता, इन सभी ने मिलकर पशुधन उत्पादन को गहन उत्पादन मोड में आगे बढ़ा दिया है तथा उद्यमशील उद्यमियों को गहन उत्पादन प्रणालियों को अपनाने के प्रति प्रेरित किया है, चाहे यह डेरी हो, मांस, अंडा या पशुधन हो। ये सभी उद्यम निवेश द्वारा संचालित होते हैं। जहां एक ओर कुक्कुट उत्पादन ने राज्य में अपने अच्छी तरह पैर जमा लिए हैं वहीं दूसरी ओर अन्य क्षेत्र भी गति पकड़ रहे हैं लेकिन इन्हें सही प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। ताकि, प्रोत्साहनों/रियायतों तथा कर में छूट आदि के द्वारा इस उद्योग को आगे बढ़ाया जाए व राज्य में और फले–फूले। राज्य द्वारा सहायता प्रदान करके इसमें तेजी लाने से यह क्षेत्र आगे बढ़ेगा तथा राज्य में पशुधन उत्पादन के लिए अनुकूल व सकारात्मक पर्यावरण सृजित होगा।

अध्याय 11

11.0 जैवप्रौद्योगिकीय अनुप्रयोग

11.1 पशु उत्पादन एवं स्वास्थ्य में जैवप्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग

पशुधन जैवप्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों का विश्वभर में बहुत प्रभाव पड़ा है और इनसे आनुवंशिक रूप से सुधरे हुए जीवों या आनुवंशिक रूप से अभियंत्रित फसलों एवं पशुओं का विकास हो रहा है। सहायी प्रजनन संबंधी प्रौद्योगिकियों में प्रजनन एवं पशु स्वास्थ्य तथा उत्पादन सुधार कार्यक्रमों में क्रांति ला दी है। वीर्य हिमीकरण, जनन उपांगों का हिम परिरक्षण, गर्भधारण की क्रियाविधियों, वीर्य उर्वरता को बढ़ाने व परीक्षण, भ्रूण हस्तांतरण, परखनली में निषेचन, वीर्य एवं भ्रूण लिंग निर्धारण, प्रजनन चक्र का नियंत्रण व प्रजनन चक्र का विनियमन कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्होंने पशु सुधार कार्यक्रमों के मामले में देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओएनबीएस तथा एम्ब्रयो ट्रांसफर के माध्यम से सक्षम सांडों का उत्पादन व उत्पादकता बढ़ी है तथा इन जैवप्रौद्योगिकियों को शीघ्र अपनाने के कारण हमें इस क्षेत्र में बेहतर विकल्प उपलब्ध हुए हैं। त्वरित तथा उच्च क्षमता वाले सांडों के उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण वीर्य सृजन, प्रमाणित उर्वरता से युक्त वीर्य उत्पादन, लिंगित वीर्य आदि के संदर्भ में प्रौद्योगिकियों के लाभों को किसानों/पशुपालकों तक पहुंचाने की आवश्यकता है और अब इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। राज्य में इन प्रौद्योगिकियों को लागू किया है क्योंकि एक निश्चित समय सीमा में हमें लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इनके अलावा कोई अन्य मार्ग दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार, नई जैवप्रौद्योगिकी, नैदानिकी, औषधियों, जैविकों, टीकों ने पशु स्वास्थ्य के परिदृश्य को बहुत बदल दिया है क्योंकि इनसे रोगों का अधिक कारगर नियंत्रण संभव है।

पशुधन उत्पादों की मांग दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है क्योंकि मानव जनसंख्या में वृद्धि के साथ–साथ मनुष्यों की क्रय शक्ति तथा लोगों के स्वास्थ्य मानकों में भी वृद्धि हो रही है। इसलिए हमें बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए नई जैवप्रौद्योगिकियों (तकनीकों, प्रौद्योगिकियों, बुनियादी ढांचे, जनशक्ति तथा वित्तीय आबंटन) के अनुरुप स्वयं को ढालने की आवश्यकता है और इसके साथ ही यह इसलिए भी जरुरी है कि पुरानी प्रणाली/परंपरागत पशुपालन से वांछित वृद्धि को बनाए रखना संभव नहीं है।

पशुधन उद्यम में उर्वरता किसी अन्य उत्पादन उपाय की तुलना में पांच से दस गुना अधिक आर्थिक महत्व वाला है। उर्वरक क्षमता के आधार पर सांडों की पहचान के उपायों के परिणामस्वरूप गर्भधारण की दरें बढ़ाई जा सकती हैं जिसके परिणामस्वरूप अधिक संख्या में बछड़े/कटड़े उत्पन्न किए जा सकते हैं। अनुसंधानों से यह स्पष्ट हुआ है कि एफएए (उर्वरता से

संबंधित एंटिजैन) से युक्त सांड उन सांडों की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक उर्वर शुक्राणु वाले होते हैं जिनमें एफएए की कमी होती है।

यह भी समान रुप से अनिवार्य है कि जैवप्रौद्योगिकी संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लाभों के बारे में लोगों को ज्ञान कराया जाए तथा ऐसा सभी वर्गों के लिए होना चाहिए अर्थात् वैज्ञानिकों, राजनीतिज्ञों, सरकारी एजेंसियों, शिक्षा प्रदान करने वालों तथा जन–सामान्य में इस विषय के प्रति ज्ञान व जागरूकता का होना बहुत आवश्यक है। इन प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वित न होने, राज्य की ओर से किसी कार्यक्रम के लागू न होने और प्रतिबद्धता में कमी होने के परिणामस्वरूप पशु सुधार में उल्लेखनीय विलम्ब हो सकता है और ऐसा विशेष रूप से देसी पशु प्रजातियों के मामले में अधिक संभव है। यदि इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो सभी पणधारियों तथा सरकार के पशुपालन एवं डेरी विभाग और पशुपालकों को यह समझना होगा कि इस दिशा में समयबद्ध लक्ष्य प्राप्त करना केवल समर्पणपूर्ण कार्यान्वयन के द्वारा ही संभव है।

अध्याय 12

12.0 शिक्षा एवं अनुसंधान

12.1 अनुसंधान एवं शिक्षा का ढांचा

राज्य में पशुधन स्वास्थ्य एवं उत्पादन के संदर्भ में अनुसंधान एवं शिक्षा का ढांचा अपर्याप्त है और यह टुकड़ों में बंटा हुआ है। अनुसंधान एवं विकास कार्य नव सृजित पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय तक सीमित हैं और यहां निधियों, संकाय व कार्यक्रमों की चिरकालिक कमी बनी हुई है। राज्य में पशुधन क्षेत्र के महत्व के बावजूद यहां सकल पशुधन विकास से निपटने के लिए विशेष रूप से राज्य की कोई उपयुक्त संस्था नहीं है। पशुधन की ओर केन्द्रित राज्य का एकमात्र संस्थान अपना अधिकांश ध्यान पशुचिकित्सा व्यवसायविदों की शिक्षा की ओर दे रहा है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसके पास सशक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने व पशुधन स्वास्थ्य, उत्पादन प्रबंध, दूध व मांस सहित प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण और पशुधन उत्पादों से निपटने से संबंधित मुद्दों पर कार्य करने के लिए पर्याप्त ढांचा विकसित नहीं हुआ है। साथ ही, यहां पशुधन से संबंधित हर प्रकार की सूचना का भंडार भी उपलब्ध नहीं है।

अतः इस संस्था को पशुधन अनुसंधान एवं विकास के मामले में सम्पूर्ण रूप से नेतृत्व प्रदान करने के लिए अपने को अनुकूल बनाना होगा, जिसकी अत्यधिक कमी है वहां नवीन प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता नहीं है, बल्कि प्रौद्योगिकी का प्रदानीकरण है। यह पशुधन प्रजातियों के तेजी से विकास व वृद्धि के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। इसके साथ ही भैंस के दूध के चीज़, देसी दुग्धोत्पादों, न्यूट्रास्यूटिकल्स, मांस, चमड़ा तथा पशु अपशिष्ट की साज–संभाल के लिए विशेष रूप से शिक्षा एवं अनुसंधान की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों की साज–संभाल के लिए उपलब्ध संसाधन बहुत थोड़े हैं और इन्हें बढ़ाने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही प्रयासों, तथा लक्ष्यों में लगी विभिन्न एजेंसियों के बीच परस्पर समन्वयन व तालमेल स्थापित करने की भी आवश्यकता है।

अनुसंधान एवं शिक्षा के प्रमुख एजेंडे में **प्रदानीकरण** पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। अनेक तकनीकें व प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं जिन्हें उनके सम्पूर्ण रूप में अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उनका अनुप्रयोग व उन्हें परिस्थितियों के अनुकूल उद्योग योग्य बनाना, पशु स्वामियों तथा विज्ञान संस्थाओं के लिए एक चुनौती है जिससे निपटने के लिए इन सभी पक्षों को एकजुट होना होगा।

12.2 पाठ्यक्रम तथा नए प्रकार की जनशक्ति

वर्तमान में पशुचिकित्सा एवं पशुपालन सेवाओं को राज्य द्वारा निधि प्रदान की जाती है। सरकारी पशुचिकित्सक अलग–अलग रोगी पशुओं के उपचार, रोगों के प्रकोप के दौरान रोगों का इलाज करने या आपात स्थिति को संभालने के लिए प्रतिक्रियाशील (परिस्थिति उत्पन्न होने पर कार्रवाई करने) भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही वे कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं। यह बुनियादी ढांचा निरंतर कमजोर बना हुआ है तथा इसमें नैदानिकी पर बहुत कम बल दिया जाता है। बचाव केवल क्षेत्र में मौजूद कुछ महत्वपूर्ण रोगों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर टीकाकरण तक ही सीमित है। गहन इंडोर पालन प्रणाली के कारण वाणिज्यिक उद्यमों में मझोले तथा बड़े आकार के पशु झुण्डों को पालने की प्रवृत्ति पनपी है जो स्वागत योग्य है, लेकिन ऐसी स्थिति में रोगी पशुओं को पशुचिकित्सालयों तक पहुंचाना जोखिम भरा होने के साथ–साथ यातायात के लिए भी खतरा सिद्ध हो सकता है। इसे देखते हुए मूल सेवाओं का किसानों/पशुपालकों के घर के दरवाजे पर उपलब्ध कराना अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही गुणवत्ता नियंत्रण, नैदानिकी और महामारी सीरो–चौकसी के लिए सुविधाओं से युक्त रोग मुक्त अंचलों को सृजित करने की तात्कालिक आवश्यकता है, ताकि उच्च स्तरीय बाजारों में पशु उत्पादों को निर्यात के उपयुक्त बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा किया जा सके। इस प्रकार, फील्ड पशुचिकित्सकों की कार्य संबंधी आवश्यकताएं तेजी से बदल रही हैं। भावी पशुचिकित्सकों तथा फील्ड कार्यकर्ताओं को रोग से बचाव, पशु झुण्डों के स्वास्थ्य के प्रबंध व सेवाओं को घर के दरवाजे पर उपलब्ध कराने पर अधिक बल देते हुए पूर्व सक्रिय/परामर्शदायी भूमिका निभानी होगी। तद्नुसार, पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। आगामी दशकों में जिस नए प्रकार की मानव शक्ति की आवश्यकता होगी, उसमें शामिल है :

- डेरी फार्म प्रबंधक
- डेरी पोषण विशेषज्ञ
- पशु चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीकविद्
- पशु उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी
- निर्यात अभिमुख पशुधन उत्पादन प्रबंधक
- पशुचिकित्सा परिचारिक/परिचारिका
- घर के दरवाजे पर सेवा उपलब्ध कर्ता
- जन–स्वास्थ्य पशुचिकित्सक
- पशु फार्म यंत्र, मैकेनिक और तकनीकविद्
- पशुचिकित्सा विकिरणविज्ञानी या रेडियोलॉजिस्ट
- रोग अन्वेषण एवं सीरो–चौकसी वैज्ञानिक

इस क्षेत्र की जनशक्ति संबंधी परिवर्तित होती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष पाठ्यक्रम/डिप्लोमा/विशेषज्ञता युक्त कार्यक्रम आरंभ करने होंगे। भावी प्रशिक्षण मॉड्यूलों और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों को बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरुप तैयार करना होगा। मूल पाठ्यक्रम में झुण्ड के स्वास्थ्य प्रबंध, सटीक व त्वरित नैदानिक परीक्षणों, विनियमनकारी औषधि, खाद्य आपूर्ति पशुचिकित्सा औषधि, प्रभावी प्रोफाइलेक्सिस, टीका उत्पादन, पशु आहार की सुरक्षा, श्रेणीकृत या विशिष्ट पशु उत्पादन एवं संतुलित आहार जैसे विषयों पर अधिक जोर देना होगा।

12.3 अनुसंधान सुविधाएं

पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय तथा पशुपालन एवं डेरी विभाग में उपलब्ध उपकरणों, निपुण व कुशल जनशक्ति की उपलब्धता के संदर्भ में विद्यमान सुविधाएं इस क्षेत्र की उभरती हुई आवश्यकताओं और चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रतीत नहीं होती हैं। मात्स्यकी विज्ञान, पशु जैवप्रौद्योगिकी तथा डेरी प्रौद्योगिकी के साथ–साथ पशुचिकित्सा में डिप्लोमा के लिए एक स्वतंत्र संस्थान जैसी नई सुविधाओं का सृजन समय की मांग है। प्रत्यायित नैदानिकी के साथ–साथ गुणवत्तापूर्ण नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना हमारे अंतरराष्ट्रीय उत्तरदायित्वों (निर्यात के लिए) को पूरा करने तथा फार्म से रसोईघर तक पशु खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रभावी मुख्यालय में एक क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशाला होनी चाहिए। इसके साथ ही ब्लॉक स्तर पर नैदानिक प्रयोगशाला –व–चिकित्सालय (सचल) होना चाहिए जिसे जिला तथा क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के साथ इंटरनेट से जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही रोगों की जल्दी व सटीक पहचान व उनका पता लगाने के लिए संदर्भ केन्द्र भी होना चाहिए, ताकि बिना समय गंवाए सुधारात्मक उपाय अपनाए जा सकें। पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय तथा संबंधित विभाग परस्पर सहयोग से कार्य करते हुए विद्यमान सुविधाओं और संसाधनों को एक साथ पूल करते हुए परस्पर मिलकर कार्य कर सकते हैं।

12.4 अनुसंधान में राज्य की समस्याओं पर विशेष ध्यान

विश्वविद्यालय तथा अन्य अनुसंधान संस्थानों जैसे केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र आदि को सामान्य रूप से राज्य के पशुधन तथा फील्ड कार्यकर्ताओं द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा है, उन्हें हल करने पर ध्यान देते हुए अनुसंधान करना चाहिए। वैज्ञानिकों, किसानों तथा फील्ड कार्यकर्ताओं आदि सहित विभिन्न पणधारियों के बीच घनिष्ठ सहयोग तथा सक्रिय समन्वयन की तत्काल आवश्यकता है, ताकि फील्ड की वास्तविक समस्याओं की पहचान की जा सके और अंतिम उपभोक्ताओं तक पहले से हस्तांतरित की जा चुकी प्रौद्योगिकियों पर नियमित फीडबैक प्राप्त किया जा सके। कोई भी प्रौद्योगिकी, चाहे जितनी भी अच्छी क्यों न हो, अधिकांश लोगों द्वारा तब तक आसानी से नहीं अपनाई जाती है, जब तक वह उपयोगी न हो (अनेकों के लिए मूल्यवान) और सस्ती न हो (व्यय

किए गए धन का मूल्य वसूल करने वाली)। विश्वविद्यालय को किसानों की कार्यशालाओं, नैदानिक सम्मेलनों या किसी अन्य उचित मंच के रूप में किसानों व फील्ड कार्यकर्ताओं के साथ अधिक जल्दी–जल्दी बैठकें/पारस्परिक चर्चाएं आयोजित करनी चाहिए। अनुसंधान, विस्तार या नीति बनाने वाले सभी निकायों में संबंधित विभागों व कृषकों के निकायों के प्रतिनिधि शामिल किए जाने चाहिए। अधिदेशित अनुसंधान परियोजनाओं को सभी पणधारियों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श के पश्चात् आरंभ किया जाना चाहिए। 'बॉटम–टु–टॉप' अर्थात् नीचे से ऊपर की ओर वाले दृष्टिकोण में पशुओं, पशुपालन, किसानों व सेवा प्रदानकर्ताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और तद्नुसार उसे अपनाया जाना चाहिए।

विभिन्न पणधारियों के साथ उप–समूह की चर्चा के पश्चात् निम्नलिखित अनुसंधान प्राथमिकताएं उभरी :

क) घातक रोगों के विरुद्ध लंबे समय तक रोगरोधिता से युक्त सुरक्षित पॉलीवेलेंट/सम्मिलित टीके। आसानी से मुख द्वारा दिए जाने वाले टीकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

ख) त्वरित, संवदेनशील, सस्ते तथा पशुओं के पालन के स्थल पर नैदानिक परीक्षण जिन्हें किसानों/पशु स्वामियों के घर के दरवाजे पर शीघ्रता से उपयोग में लाया जा सके।

ग) महामारी विज्ञान और सीरो–चौकसी अध्ययनों के माध्यम से एक सशक्त आंकड़ा आधार के अनुसार रोगों की पहले से पहचान व उनका पूर्वानुमान।

घ) बचाव तथा प्राणि रुजा (जूनोटिक) रोगों का नियंत्रण

ड.) आधुनिक जैवप्रौद्योगिकियों व प्रजनन स्वास्थ्य प्रबंध के क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों के माध्यम से भैंसों में प्रजनन क्षमता या प्रजनन निष्पादन में सुधार।

च) भैंसे वीर्य का लिंग निर्धारण।

छ) रीति–रिवाजों से जुड़े भारतीय उत्पादों के उत्पादन के द्वारा स्थानीय स्तर पर मूल्यवर्धन के लिए प्रौद्योगिकियां।

ज) रोगमुक्त राज्य का सृजन।

झ) रोगों के निदान व पशु उत्पादों की गुणवत्ता के नियंत्रण के लिए प्रत्यायित प्रयोगशालाओं की स्थापना।

ट) परंपरागत आहार और चारा संसाधनों को बढ़ाते हुए सस्ते/प्रयोग में न आने वाले उप/व्यर्थ पदार्थों का उपयोग करके संपूर्ण मिश्रित राशन।

ठ) उच्च या अधिक उत्पादन देने वाले पशुओं को उत्पन्न करने के लिए उनका आनुवंशिक सुधार।

12.5 उपलब्ध व्यवसायविदों की संख्या

ऐसा अनुमान है कि राज्य में पशुओं की कुल संख्या अगले 20 वर्षों तक स्थिर रहेगी। वर्तमान में, 9000 पशुओं के लिए एक पशुचिकित्सक उपलब्ध है, जबकि 5000 पशुओं के लिए एक पशुचिकित्सक के होने की अनुशंसा की गई है (एनसीए 1976 के अनुसार)। इसके अतिरिक्त राज्य के लगभग सभी 6700 गांवों में, सेवा प्रदान कर्ताओं की तत्काल आवश्यकता है। वर्तमान में 1800 न्यूनतम पशुचिकित्सकों की आवश्यकता है, जबकि राज्य में केवल लगभग 1000 पशुचिकित्सक हैं और इसके साथ ही केवल 1145 सेवा प्रदानकर्ता हैं। पशु शल्य चिकित्सकों को उनके नेमी क्रियाकलापों में सहायता पहुंचाने के लिए पशुचिकित्सा औषधालयों में 2700 पशुचिकित्सा डिप्लोमाधारी कार्यरत हैं। राज्य का एकमात्र पशुचिकित्सा महाविद्यालय और अधिक छात्रों को प्रवेश देकर उनकी संख्या बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। उपाधि प्राप्त करने वाले वर्तमान छात्रों की संख्या नियमित रूप से सेवानिवृत्ति या अन्य कारणों से रिक्त हुई रिक्तियों को भरने के लिए ही पर्याप्त है। जब तक सरकार नए पशुचिकित्सा महाविद्यालय खोलने की अनुमति नहीं देती और इसमें निजी क्षेत्र को शामिल नहीं करती, तब तक जनशक्ति की यह कमी बनी रहेगी। इसी प्रकार, पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय में संकाय सदस्यों की कमी है क्योंकि यहां 200 वांछित शक्ति के विरुद्ध वर्तमान में 135 से कम संकाय सदस्य हैं।

12.6 व्यवससायविदों, फील्ड स्टाफ, उद्यमियों तथा किसानों/पशु स्वामियों की क्षमता का निर्माण

सभी क्षेत्रों में बहुत तेजी से वैज्ञानिक विकास हो रहे हैं तथा पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विज्ञान भी इसका अपवाद नहीं हैं। दक्षता बढ़ाने तथा उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना तथा नई—नई खोजों का होना बहुत आवश्यक है। पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय और राज्य के पशु पालन एवं डेरी विभाग पर पशुचिकित्सा व्यवसायविदों, फील्ड स्टाफ, सेवा प्रदानकर्ताओं, किसानों/पशुपालकों और उद्यमियों की क्षमता निर्माण का उत्तरदायित्व है और वह ऐसा तत्काल दिए जाने वाले प्रशिक्षण, निपुणता के उन्नयन और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के माध्यम से कर सकते हैं। जहां एक ओर विश्वविद्यालय पशुचिकित्सा व्यवसायविदों तथा प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है वहीं विभाग को हिसार स्थित मुख्य प्रशिक्षण संस्थान व जिला तथा उप प्रभागीय स्तर पर स्थित अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से फील्ड स्टाफ, सेवा प्रदानकर्ताओं और किसानों/पशुपालकों को प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए तथा उन्हें निपुणता विकास के पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। पशुपालन संबंधी मूल कार्यों जैसे स्वच्छ दुग्धोत्पादन, मद चक्र की पहचान, आहार देना और नवजात बछड़ों/कटड़ों की देखभाल में अल्पावधि, अंशकालिक प्रशिक्षण, विशेष रूप से उन महिलाओं और किसानों/पशुपालकों के लिए आयोजित किए जाने चाहिए जो इस क्षेत्र में कार्यबल का एक बड़ा भाग (70 प्रतिशत हैं)। यह प्रशिक्षण

पशुचिकित्सालयों में एक दिन में 3–4 घंटों के लिए दिया जाना चाहिए, ताकि उनके दैनिक घरेलू कार्य तथा बच्चों की देखभाल संबंधी उत्तरदायित्वों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण मॉडयूलों और विषयों को पहले से निर्धारित कर लिया जाना चाहिए तथा हितधारियों के साथ चर्चा करके इन्हें नियमित रूप से अद्यतन करते हुए सुधारते रहना चाहिए। पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय का विस्तार निदेशालय क्षमता निर्माण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर सकता है। निदेशालय आवश्यकताओं का मूल्यांकन करते हुए विशेषज्ञों की सहायता से मॉडयूल विकसित कर सकता है और राज्य के संबंधित विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्रों व विश्वविद्यालय की रोग अन्वेषण प्रयोगशालाओं के सहयोग से लक्ष्य केन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकता है। किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन कराया जाना भी वांछित है। निःसंदेह मानव संसाधन किसी भी संगठन के लिए सर्वश्रेष्ठ संपदा सिद्ध होते हैं।

12.7 क्लीनिकल तथा नैदानिक सेवाएं

पशुपालन एवं डेरी विभाग 2751 पशुचिकित्सा संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से क्लीनिकल सेवाएं उपलब्ध कराता है। विशेषज्ञ तथा रेफरल क्लीनिकल सेवाएं 4 पॉली क्लीनिकों में उपलब्ध हैं। विभाग को और अधिक पॉली क्लीनिक स्थापित करने की आवश्यकता है और इस प्रकार, प्रत्येक दो जिलों के लिए एक पॉली क्लीनिक होना चाहिए, ताकि किसानों को विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए बहुत दूर तक जाना न पड़े। मूल नैदानिक सेवाएं जिला रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं में उपलब्ध हैं लेकिन इन्हें प्राथमिकता के आधार पर सबल बनाते हुए पर्याप्त रूप से सुसज्जित किया जाना चाहिए, ताकि उभरती हुई आवश्यकताओं व चुनौतियों से निपटा जा सके। यह विभाग पंचकुला में अति विशिष्ट पालतू पशु चिकित्सालय भी चला रहा है।

पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय का हिसार में एक बड़ा, भली प्रकार सुसज्जित, अति विशेषज्ञतापूर्ण संदर्भ चिकित्सालय है। विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केन्द्र, उचानी (करनाल) में भी एक रेफरल चिकित्सालय चला रहा है। पशु रोग अन्वेषण संबंधी सुविधाएं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा पशुचिकित्सा जन–स्वास्थ्य एवं महामारी विज्ञान, पशुचिकित्सा रोगविज्ञान, पशुचिकित्सा सूक्ष्मजीवविज्ञान, खुरपका और मुंहपका रोग के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, महाविद्यालय की केन्द्रीय प्रयोगशाला तथा इसके मुख्य परिसर में स्थित अनुसंधान प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त अम्बाला, करनाल, सिरसा, जींद, रोहतक, भिवानी और बावल स्थित रोग अन्वेषण प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।

पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय तथा राज्य के संबंधित विभाग के बीच बेहतर समन्वयन की तत्काल आवश्यकता है, ताकि ये दोनों अपने संसाधन पूल कर सकें तथा प्रत्येक पॉलीक्लीनिक पर संदर्भ नैदानिकी, क्लीनिकल तथा रोग अन्वेषण संबंधी सेवाएं उपलब्ध करा सकें। वर्तमान में नैदानिकी

सबसे कमजोर क्षेत्र है। तथापि, भविष्य नैदानिकी का ही है। ओआईई / डब्ल्यूटीओ की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय निकाय द्वारा उपयुक्त रूप से सबल बनाया जाना चाहिए, उनका उन्नयन किया जाना चाहिए व उन्हें प्रत्यायित किया जाना चाहिए।

12.8 उद्यमशीलता के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण

पशुधन क्षेत्र में युवा उद्यमियों के प्रशिक्षण के अवसर अत्यंत अपर्याप्त हैं। तथापि, पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय व्यापार नियोजन एवं विकास इकाई के तत्वावधान में 'बिजनैस इन्क्यूबेटर' को संचालित कर रही है, ताकि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के आधार पर नए उद्यम स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण व सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

डेरी, सूअर या कुक्कुटपालन के साथ–साथ जो लोग दूध व मांस प्रसंस्करण में रुचि रखते हैं, ऐसे नव उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अल्पावधि व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी प्रकार, राज्य विभाग भी उन युवाओं के लिए उप प्रभागीय स्तर पर अल्पकालीन व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है जो आजीविका के संसाधन के रूप में पशु फार्मिंग को अपनाना चाहते हैं और इसके लिए राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहनों व अनुदानों का लाभ उठाना चाहते हैं। इनमें से अधिकांश प्रशिक्षण प्राथमिक व मौलिक होते हैं। व्यवसायिक प्रशिक्षणों को और अधिक व्यापक, प्रयोगात्मक तथा जमीनी स्तर पर बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भली प्रकार केन्द्रित होना चाहिए।

अध्याय 13

13.0 विस्तार

13.1 पशुधन के लिए विस्तार मॉडल

पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने तथा उनके स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अपनाने हेतु पशु पालकों/स्वामियों में जागरूकता सृजित करने, उन्हें शिक्षित करने व प्रेरित करने के लिए एक कारगर विस्तार प्रणाली की आवश्यकता है। परंपरा से पशुधन क्षेत्र में लगे विस्तार कर्मियों की संख्या अत्यंत अपर्याप्त होने के बावजूद भी सूचना के प्रचार–प्रसार के लिए व्यक्तिगत किसानों या किसानों के समूहों से अलग–अलग सम्पर्क करने की विधि अपनाई जाती है। फील्ड कर्मी मुख्यतः स्वास्थ्य देखभाल तथा प्रजनन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं परन्तु वे विस्तार संबंधी क्रियाकलापों को भी सम्पन्न करते हैं। राज्य में स्वतंत्र विस्तार कर्मी नहीं हैं। विस्तार अब भी उपेक्षित बना हुआ है तथा पशुपालन क्षेत्र का एक निर्बल हिस्सा है।

सृजक से अंतिम उपयोगकर्ता तक प्रौद्योगिकी के प्रभावी हस्तांतरण के लिए बहुआयामी कार्यनीति की आवश्यकता है जिसमें परंपरागत के साथ–साथ संचार के आधुनिक साधन भी अपनाए जाने चाहिए, ताकि पशुधन स्वामियों की विभिन्न श्रेणियों की विविधतापूर्ण सूचना संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। विस्तार कर्मी को सूचना के प्रसारक की बजाय एनिमेटर के रूप में कार्य करना चाहिए। उसे संबंधित पणधारियों के बीच पारस्परिक सम्पर्कों, संवादों तथा चर्चाओं की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। इसी प्रकार किसान/पशुपालक को भी सूचना का एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होने की बजाय एक सक्रिय सहयोगी होना चाहिए। विद्यमान पशुपालन संबंधी कार्य अपने आरंभिक स्थल से पशुपालकों/किसानों के ज्ञान आधार तथा निपुणता के स्तर को बढ़ाने वाले होने चाहिए।

वर्तमान में सभी पशु चिकित्सालय व औषधालय विस्तार इकाइयों के रूप में कार्य कर रहे हैं। सूचना को परंपरागत ढंग से प्रसारित–प्रचारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा परिचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों में पशुपालक विस्तार विशेषज्ञ भी हैं जो इस कार्य को सम्पन्न करने में सहायता पहुंचाते हैं।

13.2 पशु ज्ञान केन्द्र

कृषि विज्ञान केन्द्रों के तहत या स्वतंत्र इकाइयों के रूप में पशु ज्ञान केन्द्रोंको स्थापित किए जाने से पशु विस्तार प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। वर्तमान में पशुधन क्षेत्र

निश्चित रूप से फसलों की खेती वाले क्षेत्र द्वारा उपेक्षित रह गया है। पशु ज्ञान केन्द्रों में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होने चाहिए। दूरभाष–वैश्वीकरण के इस युग में सभी केन्द्रों को इंटरनेट तथा मोबाइल फोनों के माध्यम से जोड़ा जाना चाहिए। इस प्रकार, अनुसंधानकर्ता से अंतिम उपयोगकर्ता तक सूचना का प्रसार अधिक कारगर ढंग से व तेजी से होगा। किसानों को सभी प्रकार की सूचना एसएमएस के माध्यम से मांगनी व प्राप्त करनी चाहिए। पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही निःशुल्क टेलीफोन सेवा को बढ़ाकर इस प्रकार किया जाना चाहिए कि यह सप्ताह के सातों दिन, प्रत्येक दिन 12 घंटे उपलब्ध रहे। 'करते हुए सीखने और देखना ही विश्वास है' यह सिद्धांत पशुधन के क्षेत्र में यदि अधिक नहीं तो समान रूप से प्रासंगिक है। पशुपालकों के लिए कृषक प्रशिक्षण विद्यालय उपयुक्त स्थलों पर स्थापित किए जा सकते हैं और बेहतर हो यदि ये आधुनिक (सफल) पशु/डेरी फार्मों के आस–पास स्थापित किए जाएं, ताकि क्षमता निर्माण के लिए उनकी सुविधाओं का लाभ उठाया जा सके।

सूचना प्रौद्योगिकी संचार के गढ़ सूचना के प्रचार–प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं तथा उपलब्ध ज्ञान तथा अनुभव का उपयोग करते हुए फसलों की खेती में सफलतापूर्वक प्रयोग में आ रहे हैं। इसी प्रकार के मिलते–जुलते मॉडल पशुपालन क्षेत्र में भी अपनाए जा सकते हैं। प्रवर्धनात्मक फिल्में तथा सफलता की कहानियां इन हबों के माध्यम से लक्षित दर्शकों को दिखाई जा सकती हैं। पशु गोपाल या पशु सेवक किसानों/पशु स्वामियों को उनके घर के दरवाजे पर सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। ये किसानों/पशुपालकों के सीधे सम्पर्क में रहते हैं। इन सेवा प्रदानकर्ताओं को मूल विस्तार कार्यों/परामर्शों के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। उन्हें विस्तार इकाइयों/पशु ज्ञान केन्द्रों से सूचना प्राप्त करने के लिए वैब के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। अनेक किसानों ने दूरदर्शन के ऐसे समर्पित चैनल का अनुरोध किया है और साथ ही इस क्षेत्र के लिए अलग से आकाशवाणी केन्द्र से कार्यक्रम प्रसारित करने की मांग की है।

13.3 पशुधन विस्तार में अभूतपूर्व परिवर्तन

कुछ समय से यह ज्ञात है और हाल ही में स्थापित भी हो चुका है कि परंपरागत विस्तार प्रणाली के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं तथा अनेक अध्ययनों में इसमें कई कमियों की पहचान की गई है। कृषि ज्ञान केन्द्र तथा 'आत्मा' कार्यक्रम के संदर्भ में राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम में जो नई–नई बातें संचालित की गई हैं उनसे कुछ हद तक प्रदानीकरण की प्रणाली में सुधार हुआ है, लेकिन इस प्रणाली से भी पशुधन क्षेत्र की समस्याओं व उनके समाधानों के लिए कोई बहुत अधिक सार्थक दृष्टिकोण तैयार नहीं हो सका है। वास्तव में इस प्रणाली में सप्ताह के सातों दिन व 24 घंटे गतिशील पशु–मानव संबंधों को समझने में कमी रही है। पशु विस्तार के लिए सामग्री तथा सेवाओं को किसानों के दरवाजे पर उनके तत्काल प्रदानीकरण के लिए मानव–पशु जैव–जेनेरिक संबंध की आवश्यकता होती है। परामर्शदायी मॉडल न्यूनतम रूप से तभी कार्य करता है जब इस मॉडल

में पशुओं को शामिल किया जाए और इसके साथ ही व्यक्तिगत पशु स्वामी एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती की भूमिका निभाएं। किसानों को अधिकांश जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है उनमें निवेश की लागत अधिक होती है तथा किसानों तक पहुंचने की ऐसी विधियां जिनमें सूचना का हस्तांतरण करना हो, पशुधन स्वामी के लिए फलदायक सिद्ध नहीं होती हैं।

कारगर संचार प्रणाली ने न केवल परंपरागत मॉडल को परिवर्तित किया है, लेकिन देश में संचार प्रणाली के मोड को भी बदला है। भावी संचार इकाइयां प्रत्यक्ष संचार (इंटरनेट, टेलीफोनी) से प्रकट हो रही हैं और इस प्रकार, विस्तार संचार विधियों के लिए भी एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए ऐसे सूचना पैकेजों व मॉडयूलों की आवश्यकता है जो उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखकर विकसित किए गए हों।

विस्तार के द्वारा वास्तव में पशु स्वामी की क्षमता का इस प्रकार सशक्तिकरण किया जाना चाहिए कि वह सुरक्षित पशु खाद उत्पादों को टिकाऊ व रोग रहित रखते हुए तैयार करने के लिए संसाधनों का कारगर और किफायती उपयोग कर सकें। इसके लिए विस्तार क्रियाविधि में अभूतपूर्व बदलाव लाने की आवश्यकता है।

अतः पशुधन व्यवसायविदों/विस्तार विशेषज्ञों के पारस्परिक संबंध में प्रत्येक के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों को शामिल किया जाना चाहिए :

उच्च क्षमतावान पशुओं की पहचान

नस्ल तथा प्रबंध परामर्श

उत्पादन कार्यनीति

निवेश दक्षता

स्वास्थ्य तथा प्रजनन सेवाएं

निवेश गुणवत्ता नियंत्रण

संसाधन सृजन और संरक्षण

पर्यावरण का टिकाऊपन

जैव–संरक्षण, ऊर्जा/कैलोरी बैंकिंग

पशुधन उत्पादों का स्थानीय भंडारण या प्रसंस्करण

स्थानीय विनिर्माण तथा विपणन

स्वयं सहायता समूहों, महिला या युवा समूहों का गठन

निधि प्रदान करने वाले संगठनों द्वारा स्कीमों/अनुदानों/ऋणों की आदि की सुविधा प्रदान करना।

अध्याय 14

14.0 हरियाणा में गौशालाएं

14.1 संरचना तथा कार्य

हरियाणा में सिरसा (43), हिसार (29), भिवानी (26), फतेहाबाद (21) जिलों में कुल 256 पंजीकृत गौशालाएं हैं। यहां इनकी संख्या अत्यधिक उच्च है (चित्र 14.1)। इनमें से अधिकांश दान की गई भूमियों पर धर्मार्थ योगदानों/दानों के आधार पर चलाई जा रही हैं। इन गौशालाओं में मौजूद बड़ी संख्या में पशु देसी गोपशु जनसंख्या का एक वृहत संसाधन हैं। यद्यपि इनमें से कुछ साहीवाल व हरियाणा नस्ल के श्रेष्ठ गोपशु हैं, लेकिन इन पशुओं के प्रबंध व पालन की विधियों (प्रजनन, पोषण, स्वास्थ्य नियंत्रण आदि) के मामले में इन गौशालाओं में अभी बहुत कुछ किया जाना वांछित है।

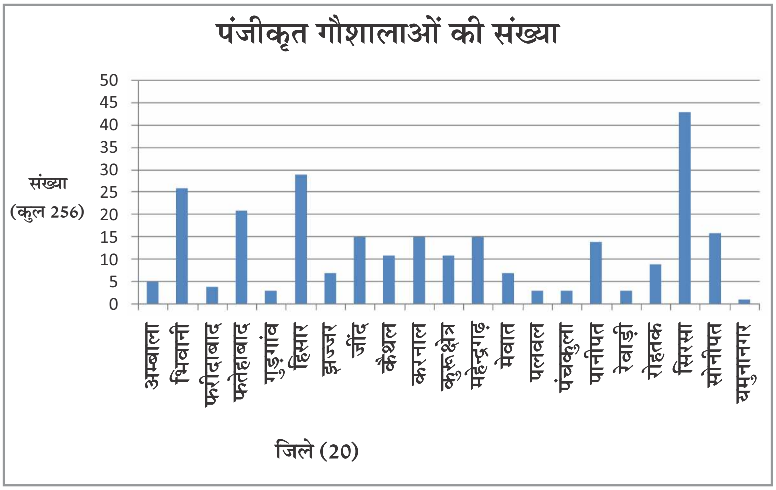

चित्र 14.1

इन अनेक गौशालाओं की प्रबंध समितियां न केवल अपने बुनियादी ढांचे, पशुओं, जनशक्ति तथा भूमि को सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों व स्कीमों को लागू करने के लिए देने हेतु इच्छुक हैं, बल्कि उत्सुक भी हैं। बशर्ते कि ऐसा करने से उनके धार्मिक तथा सामाजिक पहलुओं में कोई हस्तक्षेप न हो। गौशालाओं ने हरियाणा किसान आयोग के पशुपालन कार्यदल के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें उसी प्रकार के प्रोत्साहन व अनुदान दिए जाएं जो राज्य के डेरी किसानों को दिए जाते हैं। 24x7 ध्यान देने वाले क्रियाकलापों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए गौशालाओं ने उन्हें श्रम अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने का भी अनुरोध किया है। गौशाला कर्मियों को निरंतर प्रशिक्षण व जागरुकता पाठ्यक्रमों का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

गौशालाओं को भारत के पशु कल्याण मण्डल (एडब्ल्यूबीआई) तथा राज्य पशु कल्याण मंडल (एसएडब्ल्यूबी) के माध्यम से मान्यता तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2011 से सभी राज्यों तथा भारत के संघ राज्यों में एसएडब्ल्यूबी स्थापित किए गए हैं। राज्य के इन मंडलों का उद्देश्य पशुओं के किसी दुरुपयोग, उन्हें पीड़ा पहुंचाने या उनके प्रति क्रूरता बरतने से बचाने के साथ–साथ पशुओं के प्रति मानवता का व्यवहार करते हुए उनके कल्याण के साथ–साथ गौशाला कर्मियों को शिक्षित करना है। एडब्ल्यूबी अधिनियम में अब राज्य मंडलों को गौशालाओं में पशु कल्याण के क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, अतः ये इन संस्थाओं के बेहतर प्रबंधन में उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। गौशालाओं में अपनाई जाने वाली अनायास प्रजनन संबंधी विधियों (अधिकांश प्राकृतिक) के कारण व उच्च गुणवत्तापूर्ण/श्रेष्ठ संतति वाले सांडों का उपयोग करते हुए कृत्रिम गर्भाधान न कराने के कारण प्रबंधन के मामले में व्यावसायिक दृष्टिकोण सीमित है। इस प्रकार, इन गौशालाओं में उपलब्ध पशुधन के इस वृहत संसाधन को पशु सुधार के विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तथापि, भिवानी, नारनौल, कुरुक्षेत्र और हिसार की कुछ प्रमुख गौशालाओं में साहीवाल और हरियाणा जैसी गोपशुओं की श्रेष्ठ नस्लों के पशु बेहतर प्रबंधन विधियां अपनाते हुए पाले जा रहे हैं। अतः इनका आनुवंशिक सुधार कार्यक्रमों में लाभदायक उपयोग किया जा सकता है।

चूंकि गौशालाएं हरियाणा के राज्य पशु कल्याण मंडल का उत्तरदायित्व हो गई हैं अतः मंडल द्वारा एक समन्वयन समिति गठित की जानी चाहिए, ताकि इन सभी गौशालाओं में संसाधनों का बेहतर प्रबंध तथा कारगर उपयोग सुनिश्चित हो सके। जल प्रबंधन, भूमि समतलीकरण, चारा उगाने, साइलेज बनाने, निपुणता सशक्तिकरण आदि के मामले में गौशालाओं को सहायता पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए। इसी प्रकार, फसल अपशिष्ट प्रबंध और चारा प्रसंस्करण की स्कीमें भी सभी गौशालाओं में कार्यान्वित की जानी चाहिए। कार्बन प्रच्छालन तथा कार्बन फुट प्रिंट प्रबंध संबंधी कार्यक्रमों को प्रत्येक गौशाला में लागू किया जाना चाहिए जिसके अंतर्गत आहार, चारा, कृषि वानिकी, खाद, गोबर गैस और गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त होने वाली गाद के प्रबंध जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। स्टाफ को कार्बन फुट प्रिंट के प्रबंधन में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

प्रत्येक गौशाला की वहन क्षमता निर्धारित की जानी चाहिए तथा इसे हरियाणा के राज्य पशु कल्याण मंडल द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए। गौशालाओं में, प्रश्रयतः निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा सकते हैं :

- वैज्ञानिक आधार पर देसी नस्लों का संरक्षण
- गौशालाओं को राज्य चारा बीजोत्पादन कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। गौशालाओं को उनकी अपनी खपत के लिए चारा उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

सभी गोशालाओं में श्रेष्ठ पशुओं के उत्पादक रिकॉर्ड रखे जाने चाहिए।

वैज्ञानिक आधार पर मूल्यवर्धित उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

14.2 गौशाला प्रबंध पर नीतिगत सुधार

गौशालाओं को राज्य सरकार के कार्यक्रमों व स्कीमों के माध्यम से प्रोत्साहनों, रियायतों व अनुदानों के संदर्भ में उसी प्रकार की सहायता प्रदान की जानी चाहिए जिस प्रकार की किसानों/पशुपालकों को प्रदान की जाती है।

गौशाला के क्रियाकलाप सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे चलते हैं, अतः पशुओं की देखभाल को श्रम अधिनियम के अंतर्गत श्रम के रूप में श्रेणीकृत किया जाना चाहिए।

राज्य के पशुपालन विभाग व राज्य पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय को गौशाला कार्मिकों में जैविक खाद्योत्पादन के लिए उनकी निपुणता सशक्तिकरण व प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने चाहिए।

गौशाला कर्मियों की शिक्षा व प्रशिक्षण मुफ्त में दिए जाने चाहिए तथा ये नियमित रूप से आयोजित होने चाहिए।

सभी गौशालाओं में पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए।

गौशालाओं को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए भली प्रकार निर्धारित मानदंड विकसित किए जाने चाहिए।

अध्याय 15

15.0 अनुसंधान एवं विकास प्राथमिकताएं

15.1 अनुसंधान के क्षेत्र तथा क्रियाकलाप

किसानों, पशु स्वामियों, पशु पालन से जुड़े व्यवसायविदों व अन्य पणधारियों की समस्याओं व संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित अनुसंधान एवं विकास संबंधी क्रियाकलापों को अपनाने का सुझाव दिया जाता है। समेकित फार्मिंग प्रणाली अनुसंधान में प्रत्येक प्राथमिकता वाले क्षेत्र में घटक क्रियाकलापों को पहचानते हुए, प्राथमिकता देते हुए कार्यनीतियां, कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हो सके। पहचाने गए प्रमुख क्षेत्र हैं :

क. गहन पशुधन उत्पादन

ख. अर्ध गहन परिनगरीय या ग्रामीण समेकित पशुधन उत्पादन प्रणाली

ग. आहार संसाधनों को बढ़ाना तथा वैकल्पिक पशुधन पोषक तत्व संसाधन

घ. भेड़, बकरियों और सूअरों के लिए आनुवंशिक सुधार की कार्यनीतियां तथा नीतियां

ङ.. सहायी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से कुशल प्रजनन प्रबंध

च. भैंस ब्राण्ड के लिए उत्पाद विकास/मूल्यवर्धन; पशुधन उत्पाद का प्राथमिक प्रसंस्करण, पैकेजिंग तथा विपणन

छ. सीमा पार के तथा उभरते हुए रोगों के विरुद्ध स्वास्थ्य सुरक्षा

ज. चारा, आहार, नस्लों, पशुधन के व्यवहार, स्वास्थ्य तथा उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

झ. परंपरागत प्रमाणित बुद्धि/ज्ञान का प्रलेखन तथा लागत प्रभावी परीक्षण, पर्यावरण रक्षण एवं हरित पशुधन उत्पादन

ज. पशु स्वास्थ्य, कार्यिकी, उत्पादन, प्रजनन व व्यवहार पर जैविक व अजैविक प्रतिबलों (आर्द्रता, तापमान) का प्रभाव

झ. फार्म इकाइयों, डेरी फार्मों, कुक्कुट पालन फार्मों, डेरी और मांस संयंत्रों, चमड़ा शोधन संयंत्रों, आहार कारखानों आदि से सृजित पशुधन अपशिष्ट का प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन।

य. नीलगाय तथा आवारा कुत्तों के मामले में जन्म नियंत्रण के उपायों को अपनाना।

15.2 कार्यनीतियों और कार्य बिंदुओं का भावी दिशानिर्देश मानचित्र

वृद्धि के लिए निवेश

यदि अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास होता है तो इससे संसाधनहीनों को सहायता मिलती है। अतः राज्य को अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों में वृद्धि को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए जो सर्वाधिक निर्धनों पर प्रभाव डालते हैं, **जैसे पशुधन।**

इसे ध्यान में रखते हुए सरकार को एक नया पशुधन मिशन अपनाना चाहिए जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के वृद्धि को दुगना करना होना चाहिए। विकास परियोजनाओं तथा परिणाम देने वाली स्कीमों में बड़ी मात्रा में धनराशि के आबंटन को पशु क्षेत्र पर केन्द्रित करना चाहिए तथा निवेशों को **निम्न उत्पादकता** की समस्या की जड़ों पर आक्रमण करने के उद्देश्य से पशुधन सुधार व एकीकरण में लगाया जाना चाहिए।

सरकार को गैर–सरकारी एजेंसियों के साथ साझीदार बनकर अपने पशुधन कार्यक्रम को लागू करना चाहिए। एक बार यदि उचित लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाए तो कुछ अपवादों को छोड़कर इन प्रयासों को निश्चित सफलता मिलनी चाहिए।

दुग्धोत्पादन बढ़ाने का कार्यक्रम मुख्यतः गोपशुओं की देसी दुधारू नस्लों (साहिवाल, हरियाणा, थारपार्कर मुख्य नस्लों के रूप में), संकर गायों (होल्सटेइन और जर्सी संकर) तथा भैंसों (मुर्रा, नीली–रावी) पर केन्द्रित होना चाहिए जिसे ए2 दूध लीनियज से युक्त डेरी फार्मिंग द्वारा गठित किया जाना चाहिए। कुक्कुट पालन में मुख्य ध्यान अंडों तथा कुक्कुट मांस पर दिया जाना चाहिए जिसमें भूमिहीन तथा छोटी जोत वाले किसानों के लिए उनके घर के पिछवाड़े मुर्गीपालन को शामिल किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, दूध की उत्पादकता व उत्पादन बढ़ाने और पशु मूल के उच्च जैविक मूल वाले प्रोटीन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए समेकित फार्मिंग प्रणाली में अर्ध शुष्क जिलों के लिए भेड़ व बकरी पालन के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों में मछली पालन को भी समेकित किया जाना चाहिए। सूअर पालन में विकास के लिए एक विशेष प्रोत्साहन संचालित कार्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें जनसंख्या के सबसे कमजोर वर्ग पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों से सर्वाधिक लाभ उठाने के लिए **'पशुधन मिशन'** स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि आहार और चारा संसाधनों के विकास, स्वास्थ्य देखभाल व सुरक्षा, कृत्रिम गर्भाधान के व्यापक उपयोग, संतति परीक्षित सांडों के प्रमाणित लिंगित वीर्य के उपयोग, देसी आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व विकास, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की सुरक्षा तथा मुर्रा

भैंस के लिए भौगोलिक सूचना या जीआई; मोजेरेला चीज़ सहित दूध तथा डेरी उत्पादों के मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने, किसानों के घर के दरवाजे तक सूचना संचार प्रौद्योगिकी आधारित विस्तार सेवाएं पहुंचाने, सभी स्तरों पर मानव संसाधन व उद्यमशीलता के विकास, विपणन बुद्धिमत्ता तथा सम्पर्क; पशुधन के स्वास्थ्य, पोषण, प्रजनन और उत्पादकता में सुधार के लिए जैव–प्रौद्योगिकी युक्तियों के उपयोग; सभी दुधारू पशुओं के लिए उचित बीमा व्यवस्था, कठोर संगरोध संबंधी उपायों, अपशिष्ट विश्लेषण, प्रजाति पंजीकरण व उनकी पहचान करने जैसे महत्वपूर्ण मामलों में वांछित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

चारा उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य को गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन को सहायता पहुंचाने व इसके प्रावधान के साथ–साथ उत्पादन, अनुसंधान व मानव संसाधन के विकास को आगे बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम, प्रोत्साहन नीति तथा प्रौद्योगिकी सहायता को आरंभ करना चाहिए जिसमें फसलें उगाने की कृषि में विविधीकरण करते हुए राज्य में आहार और चारे की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए उचित उपाय अपनाए जाने चाहिए।

आहार और चारा संसाधनों के लिए अनुसंधान एवं विकास हेतु विशेष अभियान की आवश्यकता है, ताकि इस क्षेत्र में संसाधन इन्वेंटरी के साथ–साथ विकास हो सके जिसके लिए राज्य सरकार को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए और इसमें चारा फसलों की बेहतर किस्मों को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। वर्षभर हरा चारा उगाने के लिए रबी और खरीफ मौसम हेतु गुणवत्तापूर्ण चारा बीजों के उत्पादन व इसकी उपलब्धता को उचित प्रोत्साहनों के साथ सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

किसानों, सरकारी, एवं निजी क्षेत्र तथा गौशालाओं के पशुओं/झुण्डों के प्रजनन हेतु नेटवर्किंग मोड में प्रजनन हेतु परीक्षित संतति/वंशावली वाले सांडों के प्रमाणित, स्वच्छ वीर्य का उपयोग किया जाना चाहिए।

तेजी से प्रगुणन तथा वांछित लिंग के पशुओं को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों हेतु श्रेष्ठ व बेहतर चुनी गई पशु नस्लों में भ्रूण हस्तांतरण और मार्कर सहायी चयन जैसी आधुनिक जैवप्रौद्योगिकीय युक्तियों को अपनाना चाहिए।

गोपशुओं के संरक्षण व नस्लों के आनुवंशिक सुधार के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए।

राज्य को डेरी, भेड़, बकरियों तथा सूअरों के उत्पादन के लिए पृथक अंचलों की पहचान करनी चाहिए। नर भैंसों तथा चुक गई मादाओं के काया जीव भार (बॉडी मास) का उपयोग गुणवत्तापूर्ण मांस के विशेष निर्यात हेतु किया जाना चाहिए। आवश्यक बुनियादी

ढांचा सृजित करके जैविक खाद, बायोगैस तथा गोपशु गोबर व मूत्र से नाशकजीवनाशियों / कीटनाशियों के उत्पादन के लिए कार्यक्रम आरंभ किए जाने चाहिए, ताकि जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सके और चिकित्सा के उद्देश्य से गोपशु मूत्र को आसवित किया जा सके। बायोगैस संयंत्रों को मझोले तथा बड़े आकार की डेरियों का एक अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए।

नैदानिक सुविधाओं से युक्त पशुचिकित्सा सेवाओं को पशुपालकों के घर के दरवाजे पर प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने के लिए सचल बनाया जाना चाहिए। प्रत्येक जिले में कम से कम एक पॉलीक्लिनिक होना चाहिए। रोग अन्वेषण तथा पूर्वानुमान प्रणाली को सबल बनाया जाना चाहिए। राज्य में एक सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय हो जिसमें आधुनिकतम निदान व उपचार की सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं उपलब्ध हों।

राज्य स्तर की एक रोग नैदानिक प्रयोगशाला (एसडीडीएल) होनी चाहिए जिसकी तीन क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं भी होनी चाहिए, ताकि रोग नियंत्रण कार्यक्रमों व रोगों की निगरानी के लिए महामारी विज्ञान व चौकसी के अधिदेश को पूर्णतः लागू किया जा सके।

एफएमडी टीकाकरण कार्यक्रम को अन्य रोगों जैसे पीपीआर, ब्रुसेलोसिस, एचएस, शूकर ज्वर, मुर्गियों के चेचक, आईबीडी आदि के लिए भी लागू किया जाना चाहिए, ताकि पशुधन व कुक्कुटपालन में होने वाली अत्यधिक आर्थिक क्षतियों को न्यूनतम किया जा सके।

राज्य में केन्द्रीय या उच्च स्तर की आहार मूल्यांकन प्रयोगशाला (एफईएल), संभवतः सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोड में होनी चाहिए जहां आहार उद्योग तथा निजी पशु स्वामी गुणवत्ता का पता लगाने तथा पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात करने के लिए आहार के नमूनों की जांच करा सकें। यह किसानों के लिए एक बड़ी सुविधा होगी (किसानों के लिए नाममत्र की लागत पर परीक्षण), जो उन्हें लागतों तथा पोषण मूल्यों के संदर्भ में मिलावटी खाद्य पदार्थों से बचा सकेगी।

साजो सामान तथा सेवाओं के लिये सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोड के रूप में कुक्कुटों सहित पशुधन के लिए विस्तार सेवाओं को सबल बनाया जाना चाहिए तथा किसानों के घर के दरवाजे पर इन्हें सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे उपलब्ध कराने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की आधुनिक युक्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए।

उचित प्रवर्धन नीति तथा प्रोत्साहनों सहित विस्तार कर्मियों का एक पृथक संवर्ग होना चाहिए, ताकि पशुपालकों तक पशुपालन संबंधी प्रौद्योगिकियों का कारगर व कुशल हस्तांतरण समय पर हो सके।

डेरी फार्मिंग को लाभदायक उद्यम बनाने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए, जैसे आहार और चारा घटकों पर वैट को हटाना; डेरी संयंत्रों के लिए बिजली की दरें कृषि के समकक्ष

लाना; सभी पशु कार्यों, उपकरणों व यंत्रों, औजारों आदि के लिए ऋण की कम ब्याज दर (3–4 प्रतिशत); डेरी उपकरणों, दूध व चारा उत्पादन यंत्रों पर अनुदान को बढ़ाना (50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत); डेरी पशुओं के लिए आधुनिक पशु आवास, शीत साज–संभाल तथा दूध भंडारण के लिए उचित उपकरणों की व्यवस्था; क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रणों, सूक्ष्म पोषक तत्वों, पोषक तत्वों से समृद्ध सम्पूर्ण चारा ब्लॉकों का उत्पादन व आपूर्ति; तथा पशु टीकाकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

छोटे डेरी कार्यों के संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए उन भूमिहीन पशु स्वामियों को ऋण दिए जाने चाहिए जिनके पास केवल 2 से 4 बीघा की बहुत छोटी जोत है या जिनके पास केवल पशु हैं और यह ऋण भू–स्वामियों को दिए जाने वाले ऋण के बराबर होना चाहिए।

दूध संघ केन्द्र (डीएसके), छोटे और बड़े दूध संकलन केन्द्रों को गठित करने के लिए प्रोत्साहन सहायता दी जानी चाहिए जिसके अंतर्गत महिला क्लबों या डेरी क्लबों या स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रूप से सामूहिक क्रियाकलापों में शामिल किया जाना चाहिए।

भूमिहीन डेरी, कुक्कुट तथा मछली पालक किसानों/स्वामियों तथा अन्य पशुपालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि वे ऋण, अनुदान, बीमा आदि की सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रजननशील सांडों के उत्पादन के लिए सांड माता फार्म स्थापित किए जाने चाहिए। पशुधन विकास संबंधी क्रियाकलापों में शामिल सुविख्यात स्वयं सेवी संगठनों को प्रोत्साहन देते हुए इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

पशुधन की संख्या को कम करने हेतु गोपशुओं तथा भैंसों में और अधिक मादाएं उत्पन्न की जा सकती है जिसके लिए लिंगित वीर्य का उपयोग किया जा सकता है। इससे आहार और चारे की बचत होगी। नर भैंस कटड़ों को मांस के उद्देश्य से पाल–पोसकर बड़ा किया जाना चाहिए।

किसानों को पशुधन प्रजातियों (गोपशु, भैंस, भेड़, बकरियों, सूअरों, घोड़ों) के श्रेष्ठ प्रजननशील नरों का गुणवत्तापूर्ण वीर्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके साथ ही इन्हें चूजे तथा कुक्कुट आहार भी सुलभ होना चाहिए। गायों तथा भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान को अगले 3 वर्षों के दौरान दुगना किया जाना चाहिए।

एचएसीसीपी को अपनाते हुए दूध, अंडों, मांस के नए उत्पादों के संदर्भ में मूल्यवर्धन हेतु इनके लंबे समय तक गुणवत्ता के बने रहने, लंबी निधानी आयु तथा पोषणिक गुणों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि स्वस्थ आहार/डिजाइनर खाद्य पदार्थ व पेय के रूप में उत्पादों का पोषणिक मान बढ़ सके जिससे किसानों/पशु स्वामियों को अधिक आय हो सके। क्योंकि हरियाणा को अधिक मात्रा में भैंस के दुग्धोत्पादन का लाभ प्राप्त है, अतः

घरेलू खपत तथा निर्यात के माध्यम से आय सृजित करने के लिए मोजरेला चीज़ का निर्माण किया जाना चाहिए।

जोखिम से निपटने के लिए सभी जिलों को केन्द्रीय/राज्य की स्कीमों के माध्यम से पशुधन बीमा स्कीम के अंतर्गत लाया जाना चाहिए तथा पशुधन की सभी प्रजातियों के लिए बीमा उपलब्ध होना चाहिए और इसकी किस्तें ऐसी होनी चाहिए जिन्हें किसान/पशु स्वामी आसानी से अदा कर सकें। बीमा के लिए केन्द्रीय सहायता की उपलब्धता प्रतिकृषक केवल एक या दो दूध देने वाली गायों या भैंसों तक ही सीमित है और यह केवल उन्हीं के लिए सुलभ है जो सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर खरीदी जाती हैं। अतः राज्य को सभी श्रेष्ठ पशुओं के लिए बीमा कार्यक्रम के लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। राज्य की सहायता को श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली हरियाणा, साहिवाल, गोपशुओं तथा भैंसों के मामले में 75 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहिए।

भैंस उत्पादन के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रमों को गोपशुओं के मामले में भी पूरी तरह से व उचित रूप से लागू किया जाना चाहिए।

आहार, औषधियों, चारा बीजों, टीकों, पशुधन उत्पादों के अपशिष्टों की गुणवत्ता के परीक्षण; रोगमुक्त वीर्य की उचित खुराकों के उत्पादन; पशुधन उत्पाद के लिए चूजों, टीकों, नैदानिकी, शीत श्रृंखला, अंतस्थ बाजारों की व्यवस्था; किसानों/पशुपालकों के घर के दरवाजे पर पशुचिकित्सा सेवाओं को उपलब्ध कराना जैसे क्षेत्रों में क्षमता निर्माण को विकसित किया जाना चाहिए।

पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को पर्याप्त निधिकरण, नीति तथा कार्यात्मक स्वायत्तता की सहायता दिए जाने की आवश्यकता है, ताकि स्थान विशिष्ट अनुसंधान की आवश्यकता को पूरा किया जा सके और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। उद्यमशीलता के विकास के लिए पशुपालन के विभिन्न पहलुओं पर खेतिहर महिलाओं तथा विद्यालय से बीच में ही अध्ययन छोड़ चुके युवाओं तथा सेवानिवृत्त सेनाकर्मियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

राज्य के पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय (एसवीयू) को पशुधन, डेरी व कुक्कुट क्षेत्रों में निपुण व प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराने के लिए उचित व्यावसायिक व अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने चाहिए।

राज्य के तीन कृषि पारिस्थितिक अंचलों में से प्रत्येक के लिए विकेन्द्रित नियोजन के मोड में स्थान विशिष्ट समूह आधारित कार्य नीतियां विकसित करनी चाहिए। पशु पालन तथा कुक्कुटपालन कार्यक्रमों को सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साझीदारी (सार्वजनिक–निजी क्षेत्र साझीदारी, पीपीपी) में चलाना चाहिए, ताकि सरकार पर वित्तीय बोझ कम किया जा सके।

अध्याय 16

16.0 सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के साथ मेल-मिलाप तथा एकीकरण

16.1 पशुधन क्रियाकलापों में मेल तथा एकीकरण

कृषि, स्वास्थ्य, वानिकी, पर्यावरण व ग्रामीण विकास, शिक्षा, सहयोग, पंचायतों तथा वित्त से जुड़े कई ऐसे कार्यक्रम / स्कीमें / परियोजनाएं हैं जिनमें पशुधन तथा पशुधन विकास और पशुपालकों के बीच ताल–मेल की बहुत आवश्यकता है। इन कार्यक्रमों / स्कीमों / परियोजनाओं के कार्यान्वयन की 'अवस्था' तथा 'स्थिति' को उचित प्रदानीकरण न होने के कारण बहुत क्षति हो रही है। विभागों की कुछ उन प्रमुख स्कीमों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें पशुधन क्षेत्र में सुस्पष्टता प्राप्त है तथा उचित रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। चूंकि अधिकांश कल्याणकारी व विभागीय स्कीमें छोटे सीमांत भूमिहीन निर्धन ग्रामीणों तथा पशुपालकों के लिए हैं, अतः यदि इन्हें पशुधन की समस्याओं को सुलझाने के लिए चलाया जाए तो इसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाली जनसंख्या के कल्याण, महिला सशक्तिकरण, बाल–स्वास्थ्य आदि पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है।

16.2 स्कीमों की सूची

1.	आरकेवीवाई	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
2.	एनएफएसएम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
3.	एनएचएम	राष्ट्रीय बागवानी मिशन
4.	आईएसओपीएम	तिलहनों, दालों तथा मक्का के लिए समेकित स्कीम
5.	आईडब्ल्यूएमपी	समेकित जल संभर प्रबंध
6.	एनएआईएस	राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम
7.	डब्ल्यूबीसीआईएस	मौसम आधारित फसल बीमा योजना
8.	एनआरएचएम	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
9.	एसजीएसवाई	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना – स्वयं सहायता समूह
10.	आरएसईटीआई	ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण – बीपीएल– ग्रामीण युवा क्षमता निर्माण एवं निपुणता उन्नयन
11.	एमजीएनआरईजीएस	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम

12.	आईडब्ल्यूडीपी	डीपीपी तथा समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम
13.	एचडब्ल्यूडीसी	हरियाणा महिला विकास निगम। शहरी महिला स्वयं सहायता समूह

16.3 पशुधन पर लक्षित वे कार्यक्रम जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है

1. स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना (एसजेजीआरवाई) (स्वयं सहायता समूह) स्वयं सहायता समूह प्रशिक्षण महिला लाभार्थी – स्वयं सहायता समूह के रूप में कार्य करने वाली स्थानीय इकाइयां

   – चारा

   – दूध दुहना

   – दूध

   – भेड़ व बकरी

   – कुक्कुट

   – आहार

   – स्वास्थ्य निगरानी तथा प्रोफाइलेक्टिक्स

2. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटील) बीपीएल –ग्रामीण युवा क्षमता निर्माण एवं निपुणता उन्नयन – इसे पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय से जोड़ा जाना चाहिए।
3. आईडब्ल्यूडीपी – पिछड़ा क्षेत्र अनुदान (डीपीपी) समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना – इसे चारा उत्पादन से जोड़ा जाना चाहिए।
4. एचडब्ल्यूडीसी (हरियाणा महिला विकास निगम) – इसे स्वयं सहायता वाले पशु स्वामियों से जोड़ा जाना चहिये।
5. एसजेएसआरवाई (स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना) – मूल्यवर्धन तथा विपणन से जुड़े पहचाने गए पशुधन क्रियाकलापों के लिए शहरी महिला स्वयं सहायता समूह।
6. एमजीएनआर (रोजगार गारंटी स्कीम) – ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा – अकुशल मानवीय कार्य के 100 दिन – पशुधन क्षेत्र में कार्य को शामिल किया जाना चाहिये।

16.4 एकीकरण पर ध्यान

विभिन्न विभागों के बीच पिछले दशक के दौरान उनके सम्बद्ध क्रियाकलापों में कुछ परिवर्तन हुए हैं जिनका अर्थव्यवस्था, सामाजिक मांग तथा पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है।

उन कुछ अन्य विभागों के पहचाने गए सम्बद्ध क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं जो सीधे–सीधे पशुधन से संबंधित हैं :

– जन–स्वाथ्य, रोग महामारी विज्ञान तथा नियंत्रण

– प्राणिरुजा रोग

– खाद्य सुरक्षा

– चारा तथा आहार उपलब्धता

– पशुधन उत्पाद प्रबंध तथा विपणन

– कम संसाधन वाले या संसाधनहीन पशु स्वामियों को सम्बद्ध सामग्री तथा सेवाओं का प्रदानीकरण

– पर्यावरण–अवस्था तथा नियंत्रण

– पंचायत भूमियां, वर्तमान परती भूमि, चराई वाली भूमि तथा जलयुक्त तालाब।

– कृषि निवेश आधार, निवेश संसाधन तथा निर्गत मूल्य।

– महिलाओं पर केन्द्रित कार्यक्रम तथा सामाजिक समग्रता

– कृषि तथा पशुधन कार्यों के लिए कार्यदल

– संसाधन प्रबंधन

– सहकारिता तथा ग्रामीण विकास की स्कीमें

अध्याय 17

17.0 पर्यावरण, पशु कल्याण तथा खाद्य सुरक्षा

17.1 पशुधन तथा स्वास्थ्य पर्यावरण

अच्छे स्वास्थ्य की संकल्पना को राज्य की ग्रामीण जनसंख्या के लिए पुनः निर्धारित किया जा रहा है क्योंकि इसके अंतर्गत हमें इन नए मुद्दों पर ध्यान देना होगा : क) पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्धता, ख) कैलोरी खपत तथा ग) उपलब्ध प्रोटीन की गुणवत्ता व मात्रा। स्वास्थ्य संबंधी बहस मात्र कैलोरी की आवश्यकताओं को अनाजों के माध्यम से पूरा करने से हटकर सम्पूर्ण पोषणिक पर्याप्तता पर केन्द्रित हो गई है, ताकि टिकाऊ आधार पर प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्वों की कमी को दूर किया जा सके। दूध, मांस और अंडों के रूप में केवल पशुधन उत्पाद ही वर्तमान जनसंख्या की स्वास्थ्य संबंधी मांगों को सुनिश्चित कर सकते हैं। वास्तव में, सुरक्षित तथा स्वस्थ पशु उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए उत्पादक पशु का स्वास्थ्य भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

हरियाणा जैसे राज्य में जहां पशुधन कुल अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तथा जिसने कृषि मे प्रमुख उपयोगी जिंस का स्थान प्राप्त कर लिया है, हमें अच्छे पर्यावरण जैसे मुद्दे पर भी ध्यान देना होगा। मांस और अंडों के उत्पादन के साथ बड़ी मात्रा में दुग्धोत्पादन से जुड़े पशु संबंधी क्रियाकलापों से पर्यावरण में बड़े परिवर्तन आने की संभावना है और इसके साथ ही हरित व स्वच्छ पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं भी उत्पन्न होंगी। पर्यावरणीय क्षति के साथ उत्पादन निवेशों के लिए संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा से गहन पशुपालन तथा फसलोत्पादन दोनों क्षेत्रों में उत्पादन के मामले में अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकता है जिसके अंतर्गत प्रतिस्पर्धी उद्यम एक–दूसरे के साथ सम्पूरक व सहायी अवस्था में परस्पर सहयोग करते हुए उत्पादन प्रणाली में सामाजिक–आर्थिक व पर्यावरणीय संतुलन स्थापित कर सकते हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि हाल के वर्षों में समेकित उत्पादन प्रणाली का परंपरागत स्वरूप चावल और गेहूं की एकल फसल प्रणाली से प्रतिस्थापित हुआ जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणाली व जन–समुदाय की आजीविका को क्षति पहुंची तथा हम पशुधन से दूर हो गए। हाल ही में यह प्रवृत्ति पुनः पशुधन की ओर लौट रही है क्योंकि लोगों की आहार संबंधी पसंद परिवर्तित हो रही है, पशु उत्पादों की मांग बढ़ रही है तथा समाज की आय बढ़ रही है।

हरियाणा राज्य में तथा पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इसके पड़ोसी राज्यों में वर्तमान आजीविका प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उर्वर भूमि, जल तथा पशुधन से जुड़े पर्याप्त परिसम्पत्ति आधार पर निर्भर है जो जलवायु तथा सबल मानवीय जनशक्ति के द्वारा अनुकूल रूप से प्रभावित हुआ है। तथापि, हरियाणा राज्य को जल तथा जलवायु संबंधी स्थितियों का पूर्ण वरदान प्राप्त नहीं है। चावल–गेहूं प्रणाली फार्म परिवारों को न्यूनतम जोखिम के साथ टिकाऊ व

आकर्षक आय उपलब्ध कराती है। इस सुरक्षित तथा लाभदायक प्रणाली में बाजार जोखिम (सुनिश्चित बाजार तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य) और उत्पादन जोखिम (सुरक्षित सिंचाई) न्यूनतम है। पशुधन द्वारा अंतर्निहित सुरक्षा तथा लाभदायकता के परिपेक्ष में इसकी कृषि विविधिकरण में बहुत संभावनाएं हैं।

17.2 परिनगरीय पशुधन (ग्रामीण-शहरी विभाजन), शहरी डेरियां तथा पर्यावरणीय टकराव

हरित क्रांति के बाद की अवधि में दूध तथा दुग्धोत्पादों की तेजी से बढ़ती हुई मांग के परिणामस्वरूप बढ़ी हुई जनसंख्या और उनकी उच्च उत्पादन क्षमता के फलस्वरूप दूध, मांस, अंडों आदि की उत्पादन क्षमता के संदर्भ में इस क्षेत्र में तेजी से विस्तार हुआ है। शहरी पर्यावरणों में जहां क्रय शक्ति अधिक है व जनसंख्या में घनत्व अधिक है, अधिक लाभ के साथ, इन उत्पादों की मांग भी बढ़ती जा रही है। इससे, विशेष रूप से परिनगरीय पर्यावरणों में भैंसों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। पशुओं, पशु उत्पादों व पर्यावरण के प्रबंध हेतु किसी विनियमनकारी ढांचे के न होने, प्रशासनिक कानून लागू करने की मशीनरी की अनुपस्थिति के कारण पशु स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के अपघटन से संबंधित चिंताओं में बढ़ोतरी हुई है। जहां एक ओर दूध तथा मांस व्यापार ने गति पकड़ी है वहीं दूसरी ओर हमारे समक्ष एक साथ विकासात्मक समस्याओं के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें शामिल हैं :

क) बहिर्स्रावों तथा अपशिष्टों के अपर्याप्त व अनुचित निपटान से पर्यावरण में बहुत गिरावट आई है जिसका प्रभाव मानव तथा पशुओं पर पड़ा है और इसके कारण अनेक आनुवंशिक व अन्य रोग उत्पन्न हुए हैं, मानवीय स्वास्थ्य संकट में पड़ा है, पशु उत्पादों की गुणवत्ता संदेहास्पद हुई है, आदेशों का उल्लंघन हुआ है तथा पहले से ही सीमित जन–उपयोगी सुविधाएं विखंडित हो गई हैं।

ख) खाद्य श्रृंखला में नाशकजीवनाशियों तथा प्रतिजैविकों या एंटिबायोटिक्स के बने रहने और खाद्य सुरक्षा से जुड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर अधिक जोखिम के कारण विशेष ध्यान देने की आवश्यकता अनुभव हुई है।

ग) पशु संबंधी क्रियाकलापों के कारण जल, जलनिकासी तथा बिजली संबंधी सुविधाओं पर अधिक दबाव पड़ रहा है।

17.3 पशुधन उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव

पशुधन तथा चावल–गेहूं उत्पादन प्रणाली वाली कृषि के पर्यावरणीय प्रभाव राज्य की आजीविका सुरक्षा संबंधी कार्यनीतियों के लिए प्रमुख खतरा बन सकते हैं। हरियाणा राज्य में वर्ष 2005 में किए गए एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन से तीन प्रमुख पर्यावरणीय प्रभावों का पता चला। चावल–गेहूं प्रणालियों में विशेष रूप से नलकूपों के व्यापक उपयोग के कारण भू–जल का अत्यधिक दोहन हुआ जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक पुनर्भरण न हो पाने के कारण जल का तल नीचे चला गया। निरंतर चावल–गेहूं की खेती से मृदा और भूमि की गुणवत्ता भी घट गई। तीसरे, कार्बनिक पदार्थों

की खेत से अधिकांशतः एकमार्गीय पोषक तत्वों की निकासी हुई जिसके परिणामस्वरूप मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बहुत घट गई।

अगली फसल की बुवाई के लिए फसल अपशिष्टों, विशेष रूप से धान की पुआल को जलाने से ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में अत्यधिक वायु प्रदूषण (धुंयें के कारण) होता है। कृषि क्रियाकलापों की प्रमुखता ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन और कार्बन डाईऑक्साइड के निर्माण के संदर्भ में गंभीर संकट उत्पन्न करती है। चावल–गेहूं प्रणाली में फसल–पशुधन अंतरक्रियाओं के कारण अभी हाल तक विविधीकरण के अवसर उपलब्ध होने के कारण आजीविका सुरक्षा बनी रही है। इससे विशेष रूप से शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में तथा भूमिहीन किसानों को भी टिकाऊ पारिवारिक रोजगार उपलब्ध हुआ है। यह सामाजिक ढांचा ग्रामीण हरियाणा में सामुदायिक समूहों को बनाए रखने में सक्षम रहा है, जो अपने सामाजिक मूल्यों के कारण एक–दूसरे पर निर्भर थे। खंडित होती हुई कृषि भूमि, अपनी सक्षमता को खो चुकी निवेश गहनता फसलोत्पादन प्रणाली तथा फसलों से होने वाली आय में गिरावट के परिणामस्वरूप अब लोग पशुधन की ओर आकृष्ट हो रहे हैं जहां अधिक लाभ होने की अपेक्षा की जा रही है। लेकिन इस बदलाव से पर्यावरण क्षति से संबंधित पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं जो जलवायु परिवर्तन के कारण और अधिक गहन हो रही हैं।

कृषि में, **धान तथा रोमंथी प्रणालियां** (लाइवस्टॉक लॉन्ग शैडो : एफ.ए.ओ) ग्रीन हाउस गैसों के संचयन के दोषी दो महत्वपूर्ण योगदाता बताए गए हैं जो हरियाणा में भी मुख्य धारा में विद्यमान हैं। राज्य में देश में वन, चरागाहों व चरणभूमियों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का प्रतिशत न्यूनतम है (स्टेटस ऑफ फोरेस्ट इन द स्टेट्सः रिपोर्ट – पृष्ठ 133–137, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, वर्ष 2011)। इस प्रकार इसमें कार्बनडाईऑक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रसऑक्साइड के समाहन हेतु बहुत कम अवसर उपलब्ध है। इसके लिए इन गैसों के समाहन हेतु भैंसों तथा गोपशुओं के मामले में निपटान संबंधी कार्यनीति विकसित करने पर समेकित दृष्टिकोण आधारित पर्यावरण सृजित करने की आवश्यकता है।

सारिणी 17.1: भारतीय राज्यों में वनों की स्थिति (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 2011)

राज्य	भौगोलिक क्षेत्र का वन प्रतिशत	29 राज्यों के बीच स्थान	कार्बन सुरक्षा पर संवेदनशीलता
हरियाणा	3.53	अंतिम	सर्वाधिक संवेदनशील
पंजाब	6.12	अंतिम से एक पहले	सर्वाधिक संवेदनशील
अंडमान व निकोबार / सिक्किम / मिज़ोरम	86.93 / 82.31 / 79.30	प्रथम / द्वितीय / तृतीय	सुरक्षित राज्य

17.4 खाद्य सुरक्षा तथा पर्यावरण सुरक्षा

हरित एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए चिंता के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के तत्व आते हैं जो किसी विकसित सभ्य समाज के दो स्तंभ हैं। पिछले दशक के दौरान राज्य ने कुक्कुट व मात्स्यकी और डेरी क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शायी है जिसमें पर्यावरणीय समस्याएं जैसे भूमि का अपघटन, जल का प्रदूषण तथा जैवविविधता की क्षति जैसी समस्याएं महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे दिन–प्रतिदिन की उत्पादन प्रणाली पर अब और अधिक प्रभाव डालेंगे, अतः इनसे निपटने के लिए सुरक्षित क्रियाविधियों व विनियमनकारी कानूनों को लागू करने की आवश्यकता होगी।

खाद्य वाहित रोग, खाद्य सुरक्षा संबंधी कानूनों के कार्यान्वयन की अनुपस्थिति में एक अन्य गंभीर खतरा हैं। खाद्य सुरक्षा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन या डब्ल्यूएचओ मिशन में सरकारों से (राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर की सरकारों) अपने खाद्य उत्पादन संबंधी कार्यक्रमों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खपत की ओर मोड़ने पर बल देने को कहा है। स्थानीय जैव–सुरक्षा के लिए राज्य के कानूनों को बनाने व उन्हें कार्यान्वित करने में हरियाणा को पूर्व सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभाग को खाद्य वाहित रोगों से निपटने के लिए एक समन्वित कार्यनीति विकसित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार का दृष्टिकोण मुख्यतः संकट विश्लेषण क्रांतिक नियंत्रण बिंदु प्रणाली (एच.ए.सी.सी.पी.) पर आधारित होना चाहिए।

सुरक्षा के रूप में निम्नलिखित 4 क्षेत्रों से निपटने की आवश्यकता है :

- जोखिम रहित स्वच्छ एवं हरित पशु उत्पादन प्रणाली
- जोखिम रहित पशु आहार सुरक्षा प्रणाली
- आहार रिकाल संबंधी क्रियाविधियां व विनियम
- निगरानी तथा शासन के बुनियादी ढांचे का प्रभावी आकार

17.5 हरित पशु मानव पर्यावरण मंडल – 'गेम बोर्ड' की स्थापना

पशुपालन से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए एक हरित पशु पर्यावरण मंडल जिसे संक्षेप में '**गेम बोर्ड**' कहा जा सकता है, राज्य में गठित किए जाने की आवश्यकता है।

खाद्य एवं पोषणिक सुरक्षा के बाद पर्यावरणीय सुरक्षा के पहलू सामने आते हैं। पशु आधारित खाद्य उत्पादों की उच्च मांग और आपूर्ति प्रणाली के पर्यावरणीय प्रभावों के अपने पहलू हैं जिनमें पारिस्थितिकीय व्यवधान व जन–स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं जैसे असुरक्षित खाद्य पदार्थ, प्रदूषण व जैव–विविधता में क्षति और अंततः ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों में होने वाली क्षति जैसे पहलू शामिल हैं।

गेम बोर्ड का अधिदेश हरित तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए संहिता और विधियां तैयार करना है। यह गेम बोर्ड जैव–सुरक्षा संबंधी मूल्यांकनों तथा राज्य में मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, पैकेजिंग, लेबलीकरण तथा विपणन के लिए संहिता और विधियां भी विकसित करेगा।

17.6 पशुधन उद्यमों के संगठन में पशु कल्याण का अनुप्रयोग

हरित तथा स्वच्छ पर्यावरण से संबंधित चिंताओं में पशु कल्याण के रूप में वर्णित दृष्टिकोण के माध्यम से पशु तथा मानव कल्याण से जुड़ी चिंताओं से निपटना भी शामिल है।

अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त 'पांच स्वतंत्रताएं' (भूख, प्यास तथा कुपोषण से स्वतंत्रता; भय तथा कष्ट से स्वतंत्रता; भौतिक तथा तापीय कष्ट से स्वतंत्रता; पीड़ा, आघात और रोग से स्वतंत्रता; तथा व्यवहार के सामान्य पैट्रनों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) पशु कल्याण के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन उपलब्ध कराती हैं। इनका उपयोग पशुओं तथा मानवों, दोनों की खपत के लिए दूध, मांस और अंडा उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है। इनका उपयोग गहन तथा सघन डेरी, कुक्कुट व सूअर उत्पादन प्रणालियों से जुड़ी समस्याओं को हल करने में भी किया जा सकता है।

पशु कल्याण का अर्थ है कि पशु अपने को उन स्थितियों के अनुकूल किस प्रकार ढाले, जिनमें वह रह रहा है। कल्याण की श्रेष्ठ अवस्था में कोई पशु तभी होता है जब वह स्वस्थ, आरामदायक स्थिति में, भली प्रकार पोषित, सुरक्षित, जन्मजात व्यवहार को व्यक्त करने में सक्षम होता है और इसके साथ ही पीड़ा, भय व तनाव जैसी स्थितियों से मुक्त होता है। (जैसा कि वैज्ञानिक प्रमाणों से भी पता चलता है)। श्रेष्ठ पशु कल्याण के लिए रोग से बचाव व उचित पशु चिकित्सा उपचार, शरण, प्रबंधन व पोषण, मानवीयतापूर्ण साज–संभाल व मानवीय वध या मृत्यु जैसे पहलुओं का होना वांछनीय है। पशु कल्याण का अर्थ पशु की अवस्था; वह उपचार जो पशु को रोग मुक्त होने के लिए दिया जाता है तथा अन्य शब्दों में पशुओं की देखभाल, पशु पालन तथा पशुओं के प्रति मानवतापूर्ण व्यवहार करना है। ऐसे पशुओं का यथासंभव व्यावहारिक सीमा तक कल्याण करने के लिए पशुओं का धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उपयोग करते हुए उनसे उदारतापूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। फार्म पशु कल्याण में सुधार से अक्सर उत्पादकता के साथ–साथ खाद्य सुरक्षा में भी सुधार होता है और इस प्रकार इसके आर्थिक लाभ भी प्राप्त होते हैं।

पशु कल्याण के कुछ उपायों में शामिल हैं : चोट, रोग तथा कुपोषण से संबंधित पशुओं के कार्य में आने वाली गिरावट के दौरान उन्हें उचित सहायता पहुंचाना। अन्य उपायों के अंतर्गत पशुओं की आवश्यकताओं पर पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराना व भूख, पीड़ा तथा भय जैसी अवस्थाओं से उन्हें बचाना। इनका आकलन अक्सर पशुओं की पसंदगियों, उन्हें प्रेरित करने वाली स्थितियों व उन्हें संतुष्ट रखने के उपायों के माध्यम से किया जाता है। अन्य मूल्यांकन कार्यिकीय, व्यवहारात्मक

और रोगरोधी परिवर्तनों के आधार पर या उन प्रभावों के आधार पर किए जाते हैं जो पशु विभिन्न चुनौतियों की प्रतिक्रिया की विरुद्ध दर्शाते हैं। पशु कल्याण संबंधी क्रियाविधियों तथा प्रोटोकालों में यह सुनिश्चित किया जाता है कि पशुओं की साज–संभाल इस प्रकार की जाए कि उससे मनुष्यों तथा पशुओं के बीच सकारात्मक संबंध बने तथा इससे पशुओं को कोई चोट न पहुंचे, वे घबराएं नहीं, उनमें भय उत्पन्न न हो तथा वे तनाव से बचे रहें। पशु स्वामियों तथा उनकी साज–संभाल करने वाले व्यक्तियों में इतना पर्याप्त ज्ञान और निपुणता होनी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पशुओं को इन सिद्धांतों के अनुसार पाला–पोसा जाए।

पशु कल्याण ओ.आई.ई. कार्यनीति योजना में वर्ष 2001 से प्राथमिकता का विषय है तथा इससे संबंधित नवीनतम दिशानिर्देश ओ.आई.ई. द्वारा टेरीस्ट्रियल पशु स्वास्थ्य संहिता–2012 द्वारा प्रकाशित किए गये । ये दिशानिर्देश स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा तथा शिक्षण का एक भाग होने चाहिए तथा इन्हें फील्ड तथा फार्म स्थितियों के अंतर्गत अपनाया जाना चाहिए, ताकि पशुओं का स्वास्थ्य तथा खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

17.7 पशु कल्याण संहिताएं व मानक : हरियाणा का राज्य पशु कल्याण मंडल

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पी.सी.ए.–अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों तथा संघ शासित राज्यों में राज्य पशु कल्याण मंडल स्थापित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं और इसके साथ–साथ ए.डब्ल्यू.बी.आई., पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा समय–समय पर सुझाए गए सुधारों व नियमों पर दिशानिर्देश देने से संबंधित अनुदेश भी दिए हैं। पशुपालन एवं पशुचिकित्सा के महानिदेशक हरियाणा राज्य पशु कल्याण मंडल के प्रमुख हैं।

एस.ए.डब्ल्यू.बी. – हरियाणा को उपरोक्त सुझाई गई संहिताओं तथा मानकों को लागू करना चाहिए तथा एबीसी (पशु स्वास्थ्य नियंत्रण व रेबीज़ रोग से छुटकारे के लिए टीकाकरण) कार्यक्रम को लागू करने व शहरों में आवारा पशुओं की समस्याओं से निपटने के लिए एस.पी.सी.ए. संगठनों में पशुचिकित्सकों के पदों को तत्काल भरना चाहिए।

अध्याय 18

18.0 नीतिगत प्रभाव

18.1 नस्ल तथा प्रजनन नीति

राज्य में वर्तमान में भैंसो की कुल संख्या की लगभग 76 प्रतिशत मुर्रा नस्ल की हैं। राज्य की प्रजनन नीति में केवल मुर्रा नस्ल के साथ भैंसों के चयनित प्रजनन को शामिल किया गया है जिसमें माता द्वारा दिए जाने वाला न्यूनतम दूध 3200 लिटर होना चाहिए। गैर–मुर्रा भैंसों को मुर्रा जननद्रव्य के साथ उन्नत किया जाना चाहिए।

गोपशु प्रजनन नीति में हरियाणा और साहिवाल की शुद्ध देसी नस्लों का उस जननद्रव्य के साथ चयनित प्रजनन कराना है जो हरियाणा नस्ल के मामले में 2000 लिटर तथा साहिवाल पशुओं के मामले में 3000 लिटर का न्यनूतम मानक पूरा करते हों। अवर्णित देसी गायों का संकरण होल्सटेइन फ्राइसियन (न्यूनतम 6000 लिटर दूध देने की क्षमता) के साथ कराया जाता है, ताकि विदेशी रक्त 50 प्रतिशत के स्तर पर बनाए रखा जा सके। हरियाणा, साहिवाल अथवा किसी अन्य निर्धारित गोपशु नस्ल की अधिक दूध देने वाली (श्रेष्ठ) गायों को इस संकर प्रजनन कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता है। अपवाद केवल वह स्थिति है जिसमें इंटर–से युग्मन के लिए एफ–1 सांड उत्पन्न करने के लिए मातृ फार्मों में पहले से इसकी अनुमति ली गई हो। इस स्थिति के लिए आवारा तथा कम संतति क्षमता वाले सांडों का यथाशीघ्र बधियाकरण किया जाना चाहिए।

जब राज्य में लगभग 100 प्रतिशत पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान/संगठित प्रजनन करा दिया जाएगा तभी प्रजनन नीति का सही कार्यान्वयन होना सुनिश्चित होगा।

बकरियों, भेड़ों, सूअरों आदि जैसी पशुओं की अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियों के लिए भी, बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रजनन नीति बनाने की आवश्यकता है।

नस्ल तथा प्रजनन संबंधी कार्यक्रम कृषक अभिमुख पशुपालन संबंधी पहलों पर आधारित होने चाहिए, ताकि कम निवेश लागत पर किसानों द्वारा अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए पाले गए बड़े पशुओं के आर्थिक मूल्यांकन को और उनसे होने वाले लाभ का निर्धारण किया जा सके। इसके साथ ही निर्धन भूमिहीन ग्रामीण जनसंख्या के लिए रोज़गार सृजन, पोषणिक सम्पूर्णता के साधन उपलब्ध हों; महिलाओं का सशक्तीकरण हो व युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। नीति के मुख्य केन्द्र बिंदु में निम्नलिखित को शामिल किया गया है :

1. प्रजनकों/पशु स्वामियों की एक एसोसिएशन का गठन
2. विभिन्न नस्लों के पशुओं का पंजीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए। हरियाणा डेरी पशु प्रजनन एसोसिएशन (गोपशु तथा भैंस) इस कार्यक्रम का एक अंग होगा तथा इसे राज्य का पशुपालन एवं डेरी विभाग संचालित करेगा।

3. समूह पुस्तिका : डेरी तथा कार्योद्देशीय प्रयुक्त होने वाले अन्य पशुओं के लिए गोपशु नस्लों पर अनंतिम आंकड़े गोपशु जनगणना – 2007 में एकत्र किए गए हैं। प्रमुख नस्ल समूह जैसे (क) हरियाणा, (ख) साहिवाल, (ग) विभिन्न ग्रेडों की संकर नस्लों, (घ) शुद्ध विदेशी बॉस टाउरस पशुओं के लिए अलग रजिस्टर/पुस्तिकाएं होंगी। शुरुआत में सभी पशुओं को पंजीकृत किया जाएगा और इनमें अवर्णित गौपशु तथा विभिन्न ग्रेडों के बॉस टाउरस संकरों व उत्पादन प्रणाली के निवेश स्तर को दर्ज किया जाएगा।

   यद्यपि सभी निवेश स्तरों में मध्यवर्ती ग्रेड मौजूद होते हैं, तथापि निम्न निवेश वाले छोटे फार्मों में अपेक्षाकृत अधिक समुत्थानशील निम्न बॉस टाउरस ग्रेडों के गायों का अधिक अनुपात में उपयोग करने, जबकि बड़े फार्मों में अधिक दूध देने वाली बॉस टाउरस ग्रेड की गाय का उपयोग करने की प्रवृत्ति होती है।

4. गौपशुओं में संकर ओज प्रभावों को बनाए रखने के लिए तारुण्यता प्राप्त दाताओं का क्रमिक उपयोग करते हुए संकरण कराया जाता है। सर्वाधिक प्रभावी प्रक्रिया वह है जिसमें वीर्य का उपयोग हो तथा प्रजनन केवल कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से दोनों जनक नस्लों की उच्च वीर्य क्षमता के साथ कराया जाए। इस प्रोटोकाल में शामिल हैं : (क) सावधानीपूर्वक नियोजित डिजाइन, (ख) विभिन्न आनुवंशिक समूहों के समकालिक फार्मरों की तुलना, (ग) वाणिज्यिक तथा छोटे झुण्ड से संबंधित, दोनों प्रकार के पशुओं की रिकॉर्डिंग, (ड.) उर्वरता तथा सम्पूर्ण जीवनकाल के निष्पादन की रिकॉर्डिंग (जिनका निष्पादन घटिया है, मानक उत्पादन/प्राप्ति से न्यून को छोड़कर अधिकांश पशुओं के लिए 12 वर्ष), (च) कृषक प्रबंध के अंतर्गत निष्पादन आंकड़ों का मूल्यांकन तथा निष्पादन का विश्लेषण बनाम सरकारी फार्म प्रबंधन संबंधी आंकड़े (श्रेष्ठ पशुओं के श्रेष्ठ युग्मन से जन्मे नर कटड़े/बछड़े का चयन) तथा किसानों द्वारा जिसे नव सांड के रूप में पाला गया हो।

5. भैंसों के मामले में मुर्रा के लिए शुद्ध प्रजनन विधि अपनाना तथा केवल स्वीकृत संतति का प्रयोग करना जिसे जांचा परखा जा चुका हो और/अथवा संतति वीर्य का उपयोग करना जो राज्य में प्रजनन हेतु नर भैंसों के मामले में भी लागू होता है। सी.एम.यू. द्वारा प्रमाणित शुक्राणु केन्द्रों से प्राप्त केवल अनुमोदित वीर्य को ही राज्य में प्रजनन के लिए पशुपालन विभाग द्वारा आपूर्त किया जाना चाहिए।

18.2 गोपशु केन्द्रित विकास स्कीम/कार्यक्रम 'गोवर्धन'

इस तथ्य के बावजूद कि राज्य में भैंसों की संख्या काफी अधिक है और इन बड़े रोमंथियों की संख्या 80 प्रतिशत होने के कारण भैंस एक प्रमुख डेरी पशु होती जा रही है। राज्य में गोपशु अभिमुख बड़े रोमंथियों के विकास कार्यक्रम की अत्यधिक आवश्यकता है।

ऐसा अनिवार्य होता जा रहा है क्योंकि : (क) गोपशुओं में लाभदायक डेरी पालन के सभी प्रमाणित

अनिवार्य घटक मौजूद हैं, (ख) किसान/पशुपालक बेहतर आर्थिक लाभ देने वाले उत्पादन गुणों से युक्त गोपशुओं को पालने में इच्छुक हैं, (ग) पड़ोस के राज्य पंजाब से यह सीखा गया है कि जिस प्रकार यहां उच्च दुग्धोत्पादन के साथ–साथ गोपशुओं में किसानों की अधिक रुचि होने से डेरी क्षेत्र की श्रेष्ठता सिद्ध हुई है और यह दूध की मात्रा, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता व गोपशुओं को पालने से पशुपालकों को होने वाले लाभ से प्रदर्शित हुआ है, (घ) जैव–विविधता संबंधी प्रभाव जिनके अंतर्गत डेरी पालन में हमारी देसी गायों को एक महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए, (ङ.) हमारे मूल्यवान देसी गोपशु जननद्रव्य के संरक्षण का परिदृश्य, (च) श्रेष्ठ टाउरस नस्लों के राज्य में आने के कारण कम दूध देने वाले व अवर्णित डेरी पशुओं की क्षमता में कई गुनी वृद्धि, (छ) अनुकूलनशीलता, रोग प्रतिरोध, आहार के लिए जलवायु की दृष्टि से पशुओं का स्वयं को अनुकूल ढालने व इसी प्रकार आहार, चारे व सूक्ष्मजीवों के संदर्भ में स्वयं को सक्षम बनाने हेतु आनुवंशिक श्रेष्ठता व जीन उत्कृष्टता का उपयोग करना। भैसों की तुलना में गोपशुओं की श्रेष्ठता भी कई गुनी है जिनका गायों के मामले में अनेक उत्पादन संबंधी गुणों से संबंध है और जो संक्षेप में इस प्रकार हैं :

क) गाय का शीघ्र युवा होना, विशेष रूप से इंडिकस पशुओं के मामले में जिनमें बॉस टाउरस के विभिन्न आनुवंशिक ग्रेड होते हैं।

ख) अधिक दूध और अपेक्षाकृत अधिक तरल दूध इस प्रकार प्रति पशु प्रति दिन अधिक प्रोटीन, ठोस एवं वसा विशेष रूप से उन पशुओं के मामले में जो उच्च संकर क्षमता से युक्त होते हैं और ऐसा शुद्ध विदेशी नस्लों के मामले में और अधिक होता है जिनसे अधिक नकद लाभ प्राप्त होता है।

6. अल्प गर्भधारणकाल, लंबा दुग्धकाल, गर्मी में सरलता से आना व आसान गर्भ धारण व बछड़ा जनन में कम मौसमीपन से युक्त बछड़ा जनन व दूध देने में नियमितता। राज्य द्वारा प्रायोजित नई स्कीम/कार्यक्रम **'गोवर्धन'** के अंतर्गत नए गोपशु विकास कार्यक्रम को आरंभ करना व उसे लागू करना। यह कार्यक्रम किसानों द्वारा सामना की जा रही अधिकांश समस्याओं को हल करने व राज्य में पशुधन संबंधी कार्यक्रमों में पहचाने गए अंतरालों को पाटने के लिए विकसित किया गया है।

7. आहार तथा चारा स्कीम/कार्यक्रम '**चारामणि**' को एक साथ आरंभ करके लागू करना। यह चारा संसाधन को बढ़ाने का पूर्ण कार्यक्रम होगा और इसमें निम्न स्वनिर्मित प्रणाली पर ध्यान दिया जाएगा :

क) लक्ष्यों और विभागीय उत्तरदायित्वों की पहचान सहित एक निर्धारित चारा उत्पादन संगठनात्मक इकाई/अनुभाग का सृजन।

ख) प्रजाति पहचान तथा चारा बीजोत्पादन

ग) चारा प्रदर्शन

घ) वाणिज्यिक चारा उत्पादन

ड.) चारा बैंक

च) चारा फसलों के लिए ठेके पर कृषि

छ) प्रोत्साहन संचालित साइलेज उत्पादन

ज) निवेश से युक्त आहार तथा चारा उत्पादन को बढ़ाना

(आहार एवं चारा उत्पादन का विस्तार से वर्णन अलग से किया गया है)

'गोवर्धन' और 'चारामणि' स्कीमों के कार्यान्वयन से गोपशु विकास कार्यक्रम को नया बल मिलेगा, जैसा कि किसानों ने सशक्त रूप से अनुरोध किया है और इससे पशुधन स्वामियों / किसानों को अर्थव्यवस्था का आधार प्राप्त होगा तथा हरियाणा के किसान इस क्षेत्र में आगे बढ़कर उभरेंगे व पड़ोसी राज्यों से आगे निकलते हुए कृषि / पशुधन के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकेंगे।

गोपशु विकास के लिए विशेष प्रोत्साहन

निम्न कार्यनीतियों को अपनाते हुए कुल दुग्धोत्पादन पूल में गायों का योगदान वर्तमान 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जाना चाहिए :

क) मुर्रा भैंसों के विकास के लिए वर्तमान में चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों व स्कीमों को गोपशुओं के मामले में भी लागू किया जाना चाहिए।

ख) नरों के जन्म को नियंत्रित करने, अवांछित लिंग के पशुओं से बचने के लिए लिंगित वीर्य प्रणाली को तत्काल अपनाया जाना चाहिए।

ग) हरियाणा (सर्वोच्च दुग्धोत्पादन > 10 कि.ग्रा.) और साहिवाल (सर्वोच्च दुग्धोत्पादन >15 कि.ग्रा.) जैसी श्रेष्ठ नस्लों की गायों वाले क्षेत्रों को नकद प्रोत्साहन के साथ विशेष फील्ड निष्पादन रिकॉर्डिंग कार्यक्रम के माध्यम से पहचाने जाने की आवश्यकता है।

घ) फील्ड संतति परीक्षण कार्यक्रमों के साथ माता गायों के फार्मों पर स्वस्थाने श्रेष्ठ सांडों के उत्पादन की आवश्यकता है जिसे पहचानी गई नस्लों की स्थानीय गायों के मामले में तत्काल आरंभ किया जाना चाहिए। ये नस्लें किसानों / पशुपालकों और गोशालाओं में हो सकती हैं तथा इनसे अब तक उपेक्षित नस्लों की आनुवंशिक संरचना में सुधार करते हुए उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है।

ड.) अवर्णित तथा कम दूध देने वाली स्थानीय नस्लों का अनुपात बढ़ाने के लिए उनका संकर प्रजनन कराया जाना चाहिए।

च) स्थानीय नस्लों तथा संकर नस्ल की मादाओं की श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली संततियों के पालन को सस्ते / उच्च अनुदानित आहार व अन्य निवेश उपलब्ध कराते हुए बढ़ावा दिया जाना

चाहिए। इस उद्देश्य से पशु राशन कार्ड जारी किए जा सकते हैं।

छ) गाय के दूध का मूल्य भैंस के दूध के मूल्य के बराबर होना चाहिए और इस मामले में वसा अंश पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए।

18.3 विभिन्न जिलों के लिए प्रजातियों तथा नस्लों पर विचार

चूंकि पशुधन की विभिन्न प्रजातियों व नस्लों की संख्या विभिन्न जिलों में समान रूप से वितरित नहीं है, अतः किसी विशेष प्रजाति, नस्ल या श्रेणी के सुधार के उद्देश्य से चलाए जा रहे कार्यक्रमों व स्कीमों को उन पशुओं के समूहों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों में चलाया जाना चाहिए, ताकि बेहतर प्रभाव व त्वरित परिणाम प्राप्त हो सकें।

18.4 पशु पहचान एवं पंजीकरण

क) विशेष मिशन मोड दृष्टिकोण अपनाते हुए राज्य के प्रत्येक पशु को श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले कान में लगाए जाने वाले टैगों (प्रश्रयतः दोनों कानों में लगाने के लिए) के साथ उनकी पहचान की जानी चाहिए तथा इसके लिए विशिष्ट संख्याओं का प्रयोग किया जाना चाहिए।

ख) श्रेष्ठ पशुओं को इलेक्ट्रॉनिक टैगों/माइक्रो चिपों से पहचाना जाना चाहिए।

ग) प्रत्येक पहचाने गए पशु को कोई दस्तावेज/कार्ड/पशु पासपोर्ट जारी किया जाना चाहिए।

घ) गैर पहचाने गए पशुओं को गोपशु प्रदर्शनियों, मेलों, पशु मंडियों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और उन्हें मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल व प्रजनन सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिए, ताकि कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन होने के साथ–साथ आवारा पशुओं के उत्पाद को नियंत्रित किया जा सके।

18.5 प्रजनन एसोसिएशनों/सोसायटियां/यूनियनें

राज्य को बड़े और छोटे पशुओं की विभिन्न प्रजातियों/नस्लों के पशु स्वामियों को आरंभ में भूमि तथा अन्य वांछित सहायता उपलब्ध कराते हुए एसोसिएशनें/सोसायटियां/यूनियनें गठित करने के लिए बढ़ावा देते हुए सहायता प्रदान करनी चाहिए।

अन्य महत्वपूर्ण पशु प्रजातियों जैसे बकरे–बकरियों, भेड़ों, सूअरों आदि के लिए भी परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रजनन नीति निर्धारित करने व उसे अधिसूचित करने की आवश्यकता है।

18.6 महिला स्वयं सहायता समूहों का निर्माण व उनके लिए सहायता प्रणाली

महिलाएं इस क्षेत्र का 70 प्रतिशत कार्य बल हैं, अतः राज्य को पशुओं की देखभाल में लगी महिलाओं को नियमावली/विनियम बनाकर, आरंभिक वित्तीय सहायता तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए महिला स्वयं सहायता समूहों को गठित करने में मदद करनी चाहिए।

18.7 जननद्रव्य विकास एवं वितरण

क) हिमीकृत वीर्य का उत्पादन दुगना किया जाना चाहिए।

ख) मुर्रा भैंसों के लिंग–भंडारित वीर्योत्पादन की प्रौद्योगिकी को तत्काल लागू किया जाना चाहिए।

ग) होल्सटेइन फ्रीइसियन के प्रत्यक्ष हस्तांतरणशील लिंगित भ्रूणों को स्थानीय स्थितियों के अंतर्गत अति उच्च गुणों वाले गुणवत्तापूर्ण सांडों तथा प्रजनन के लिए प्रयुक्त होने वाली गायों के उत्पादन के लिए आयात किया जाना चाहिए, ताकि गुणवत्तापूर्ण जननद्रव्य की चिरकालिक कमी को दूर किया जा सके।

घ) उच्च गुण वाले फ्रीइसियन वीर्य के आयात को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

18.8 राज्य के ब्राण्ड के रूप में भैंस

अनूठी गुणवत्ता वाले भैंस के दूध से तैयार किए गए प्रीमियम उत्पादों को 'मुर्रा' प्रत्यय (प्रीफिक्स) लगाते हुए ब्राण्ड नाम देते हुए बाजार में उतारा जाना चाहिए। इस ब्राण्ड को सरकारी एजेंसियों और/अथवा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोड में लोकप्रिय बनाते हुए बाजार में उसकी बिक्री की जानी चाहिए।

इसी प्रकार, शुद्ध भैंस दूध उत्पादों जैसे मोजरेला, चीज और/अथवा छेना उत्पाद जैसे पनीर आदि को मुर्रा–हरियाणा ब्राण्ड नाम दिया जाना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण पनीर का बड़ा राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजार है तथा इससे विनिर्माता को बहुत अधिक मूल्य लाभ प्राप्त हो सकता है।

18.9 पशुधन/नस्ल संरक्षण

उन नस्लों के लिए जिनकी संख्या तेजी से कम हो रही है या जिनमें ऐसे विशिष्ट गुण हैं जो आर्थिक दृष्टि से बदलती हुई परिस्थितियों के अंतर्गत अधिक आर्थिक प्रासंगिकता वाले हैं, के लिए विशेष संरक्षण कार्यक्रम आरंभ किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए देसी मुर्गों, मुंजाल भेड़ तथा दोहरे उद्देश्य वाली बकरी की नस्लों को गहन फार्मिंग स्थितियों के अंतर्गत अपनाया जाना चाहिए।

18.10 आवारा पशु जनसंख्या

उपयुक्त उपाय अपनाते हुए गोपशु उत्पादकता में होने वाली क्षतियों को कम करने के लिए आवारा पशुओं की समस्या को तत्काल नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इनमें से कुछ उपाय निम्नानुसार हो सकते हैं :

1. जैसा कि अन्यत्र बताया गया है, पशुओं का अनिवार्य पंजीकरण व उनकी पहचान।
2. जिन पशुओं के स्वामियों का पता न चले उन्हें विद्यमान नियमों के अंतर्गत जब्त कर लिया जाना चाहिए।

3. यदि पहचाने गए/पंजीकृत पशुओं को सड़क पर आवारा घूमते हुए पाया जाए तो उनके स्वामियों पर उचित रूप से दंड लगाया जाए।
4. इन कम उत्पादन देने वाले पशुओं से उच्च दुग्धोत्पादन देने वाली संततियां उत्पन्न करने के लिए संकर प्रजनन को गहन रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
5. जिन पशुओं पर कोई दावा न करे, आवारा तथा कम गुणवत्ता वाले नर पशुओं को तत्काल ही अनिवार्य रूप से बधिया कर देना चाहिए।

18.11 चारा, आहार, नस्लों, पशुधन स्वास्थ्य एवं उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

बढ़ते हुए तापमान तथा ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण जलवायु परिवर्तन पशुधन के स्वास्थ्य, उत्पादकता, उत्पादन और जैव–विविधता के समक्ष वास्तविक संकट उत्पन्न कर रहा है। गर्म तथा आर्द्र जलवायु होने के कारण इस प्रकार का पर्यावरण, यदि सुधार के तात्कालिक उपाय नहीं अपनाए गए तो पशुओं के निष्पादन पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसके लिए नई प्रौद्योगिकियां, अपनाए जाने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधियां व हानियों व क्षतियों को न्यूनतम करने के उपाय विकसित करने के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

साथ ही, पशुओं व पक्षियों के स्वास्थ्य, उनकी कार्यिकी, उनके उत्पादन, प्रजनन व व्यवहार पर जैविक व अजैविक प्रतिबल (आर्द्रता, तापमान) के प्रभाव के अध्ययन की आवश्यकता है। सर्वाधिक संकर ओज के उपयोग के लिए पशुधन प्रजातियों में विदेशी संकरों से एफ–1 संतति के उत्पादन के लिए अन्य मॉडलों में से क्लोन प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विशेष रूप से अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है।

सस्ते चारे का विकास, रोमंथियों में मीथेन के कम उत्सर्जन वाली नई–नई आहार विधियों को अपनाना, ऐसी नस्लों की पहचान व उनका लक्षण–वर्णन जो कम मीथेन गैस उत्पन्न करती हों, पशुधन पर जलवायु परिवर्तन के पड़ने वाले प्रभावों से निपटने के लिए और अधिक अनुसंधान किए जाने आवश्यक हैं। ऐसी चारा फसलों/किस्मों की पहचान/विकास की आवश्यकता है जो विभिन्न प्रतिबलों (सूखा, तापमान आदि) को सह सकें और जलवायु परिवर्तन के कारण सी.ओ.2 की उच्च सांद्रता के प्रति बेहतर अनुक्रिया प्रदर्शित कर सकें।

18.12 पशु बीमा तथा सूक्ष्म वित्तकरण

राज्य में सभी पंजीकृत व उचित रूप से पहचाने गए पशुओं के लिए एक सार्वभौम बीमा स्कीम होनी चाहिए जिसमें डेरी पशुओं में स्थायी उत्पादन व प्रजनन क्षतियों की क्षतिपूर्ति के प्रावधान के साथ–साथ कार्यशील पशुओं के अपंग होने को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस बीमा तथा क्षतिपूर्ति स्कीम के कार्यान्वयन के लिए एक कॉर्पस निधि गठित की जानी चाहिए।

सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए दिए जाने वाले कुल ऋण के निश्चित अनुपात (30 प्रतिशत) को इस उप क्षेत्र के लिए भी लागू करने व निर्धारित करने की आवश्यकता है। बचत

से जुड़े स्वयं सहायता समूहों और इसके साथ–साथ ऋण से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि पशुधन क्षेत्र के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए सूक्ष्म वित्त का विषय क्षेत्र व्यापक किया जा सके।

18.13 स्वास्थ्य की निगरानी तथा राज्य/निजी स्वास्थ्य प्रबंध

श्रेष्ठ स्वास्थ्य बेहतर वृद्धि, शीघ्र तारुण्यता, उपयुक्तम उत्पादन एवं प्रजनन तथा मांस, दूध, अंडों, ऊन आदि का उत्पादन बढ़ाकर पशुधन व कुक्कुट उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संक्रामक व असंक्रामक, दोनों प्रकार के रोगों के परिणामस्वरूप पशुओं के सुस्त पड़ जाने, उनकी मृत्यु, उपचार तथा रोग नियंत्रण की लागत के कारण अत्यधिक आर्थिक क्षति होती है। रोगों के प्रकोप की समय पर पहचान के लिए महत्वपूर्ण रोगों की संरचनात्मक चौकसी व निगरानी पशुधन स्वास्थ्य एवं उत्पादन को टिकाऊ बनाए रखने की पूर्व आवश्यकता है। अभी तक यह कार्य राज्य के पशु पालन एवं डेरी विभाग और/अथवा पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय हिसार व राज्य की रोग अन्वेषण प्रयोगशाला द्वारा किया जाता रहा है। तथापि कुक्कुटों के मामले में चूजों के टीकाकरण, स्वच्छ पेयजल के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी व विधियां विकसित करने और स्वच्छ व पोषक चारा निर्मित करने के रूप में निजी क्षेत्र भी आगे आया है। कुक्कुटों के आहार में प्रोबाइयोटिक्स, एंटिबायोटिक्स तथा अन्य वृद्धि वर्धक पदार्थों के अतिरिक्त माइकोटॉक्सिनो के लिए बाइंडरों का उपयोग स्वास्थ्य प्रबंध के लिए किया जा रहा है।

इस प्रकार, संगठित डेरी फार्मिंग के उभरते हुए परिदृश्य में निजी क्षेत्र से पशुधन स्वास्थ्य के प्रबंध में और अधिक भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है और ऐसा उत्कृष्ट पशुपालन स्थल पर प्रयुक्त की जाने वाली नैदानिकी, प्रभावशाली टीकों के साथ–साथ फील्ड स्तर पर नैदानिक सेवाएं उपलब्ध कराते हुए किया जा सकता है।

18.14 रोग निगरानी, अंचलीकरण, टीकाकरण व नियंत्रण

प्रभावी रोग नियंत्रण व बचाव के लिए नियमित चौकसी व निगरानी, कार्यनीतिपरक टीकाकरण, पड़ोसी राज्यों से पशुओं के अनाधिकृत आवागमन को नियंत्रित करने के लिए अंतरराज्यीय जांच चौकियों की स्थापना ऐसे विषय हैं जिन पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए। नीति के अनुसार केवल उन्हीं पशुओं का उचित रूप से टीकाकरण किया जाना चाहिए/उन्हें पहचान संख्या टैग/चिप दी जानी चाहिए जो हरियाणा के हैं तथा भली प्रकार पहचाने गए हैं। जांच चौकियों पर बाहरी राज्यों से आने वाले पशुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जानी चाहिए। इन जांच चौकियों पर संगरोध के लिए भी प्रावधान होना चाहिए। महत्वपूर्ण रोगों के प्रगामी नियंत्रण के लिए अंचलीकरण पर विचार किया जाना चाहिए और इसके बारे में समय–समय पर राज्य द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए। अंतरराज्यीय जांच चौकियों व संगरोध की सुविधाओं, रोग चौकसी व निगरानी, रोगों के प्रकोप का निदान व उनका नियंत्रण, टीकों की उपलब्धता व टीकाकरण नीति के संबंध में उपलब्ध

बुनियादी ढांचे की समीक्षा करने की आवश्यकता है तथा इसका डब्ल्यू.टी.ओ. की अपेक्षाओं व ओ.आई.ई. के दिशानिर्देशों के अनुसार उन्नयन किया जाना चाहिए। इन नीतियों को तब अपनाया जाना चाहिए जब राज्य के विभिन्न स्थानों में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न पशु मेलों में बिक्री/प्रतियोगिता के लिए एक स्थान पर बड़ी संख्या में पशु एकत्र हों।

हरियाणा को रोगों के टीका उत्पादन में आत्म निर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि खुरपका और मुंहपका रोग के टीके सहित कार्यनीतिपरक टीकाकरण के लिए कम से कम 80 प्रतिशत पशु जनसंख्या को टीके लगाए जा सकें जिससे रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए टीका/टीकों की कोई कमी महसूस न की जाए।

18.15 पंजीकरण के लिए राज्य की सहायता और पंजीकृत पशुओं का अनिवार्य टीकाकरण

विभिन्न नस्ल के पशुओं के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए नीति के रूप में राज्य की सहायता से महत्वपूर्ण रोगों के लिए टीकाकरण को प्रोत्साहन के रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्रत्येक पशु के लिए संतति–व–स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाना चाहिए जिसमें उसकी जन्म–तिथि, पहचान संख्या, दाता का निष्पादन, टीकाकरण के रिकॉर्ड, कृमिहीनकरण व उपचार आदि का विवरण दर्ज होना चाहिए। इसी प्रकार, उत्पादन तथा प्रजनन से संबंधित अन्य रिकॉर्ड भी इस कार्ड में दर्ज किए जा सकते हैं। अद्यतन रिकॉर्ड रखने वाले किसानों/पशु स्वामियों को सरकार द्वारा उचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

18.16 राज्य पशुचिकित्सा सेवाओं, डेरी विकास एवं डेरी फेडरेशन का पुनर्गठन

वर्तमान में, डेरी फेडरेशन, राज्य पशुचिकित्सा सेवाओं और पशुधन विकास मंडल की सेवाओं के बीच कोई समन्वयन व तालमेल नहीं है, ये विभिन्न मंत्रालय के अंतर्गत हैं तथा इन्हें अपने दिन–प्रतिदिन के क्रियाकलापों और नीतियों के मामले में कार्य की वांछित स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। इसके परिणामस्वरूप दूध के दामों के निर्धारण में विलम्ब, बाजार बलों के अनुसार खरीद व प्रसंस्करण, मांगों व प्रवृत्तियों के अनुसार दूध की खरीद व इससे संबंधित अन्य कार्यों में विलम्ब हो जाता है। उचित होगा यदि डेरी फेडरेशन को और अधिक कार्यशील बनाया जाये व वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जाए।

18.17 पशुपालन के लिए राज्य की सरकारी योजनाओं का पुनर्गठन

वर्तमान आवश्यकताओं और पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन व वैश्विक ऊष्मन के संभावित प्रभाव सहित वर्तमान चुनौतियों के संदर्भ में पशुपालन, पशुधन, कुक्कुटपालन व डेरी विकास से संबंधित राज्य सरकार की स्कीमों को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। जैविक व अजैविक प्रतिबलों को न्यूनतम करने, पशुधन उत्पाद और उत्पादों के मूल्यवर्धन के साथ–साथ बाजार के साथ उचित सम्पर्कों के लिए स्कीमों के प्राथमिकीकरण पर सरकार द्वारा पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए, तथा उचित धनराशि व नीतिगत सहायता उपलब्ध करानी चाहिए।

18.18 पशुधन उत्पादन में परिवर्तन

वर्तमान में पशुधन उत्पादन प्रणाली में गहन निम्न निवेश–निर्गत वाली ग्रामीण और अर्ध गहन परिनगरीय प्रणाली शामिल हैं। तथापि, वर्तमान परिदृश्य में, विशेष रूप से पशुधन उत्पादों जैसे दूध, अंडों, चूजों और मांस की बढ़ती हुई मांग, मांग व आपूर्ति में बड़े अंतराल के कारण इन जिंसों के बढ़ते हुए मूल्य के कारण किसान तथा उद्यमी विशेष रूप से कस्बों व शहरों में मध्यम व बड़े आकार की डेरियों को अपना रहे हैं। उपभोक्ताओं को ताजा व संपूर्ण दूध तो ये डेरियां उपलब्ध करा रही हैं, लेकिन पशु अपशिष्ट (गोबर, मूत्र तथा बचा हुआ चारा) के उचित निपटान के साथ–साथ डेरी संयंत्रों से निकलने वाले बहिर्स्रावों व अपशिष्टों का ठीक ढंग से निपटान न करके ये डेरियां प्रदूषण में भी अपना योगदान कर रही हैं। तद्नुसार पर्यावरण में प्रदूषण से बचने के लिए उचित कानून लागू करते हुए इन शहरी व उप नगरीय डेरियों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए सरकार को डेरी फार्मिंग की अर्ध गहन प्रणाली से गहन प्रणाली की ओर हस्तांतरण के लिए आवश्यक प्रोत्साहन उपलब्ध कराने चाहिए, ताकि डेरी व्यवसाय को अधिक लाभदायक बनाया जा सके। इसके साथ ही बिचौलियों, परिवहन तथा प्रसंस्करण लागतों को कम करके उपभोक्ताओं को दूध तथा दुग्धोत्पाद कम कीमत पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

18.19 पशुधन तथा कुक्कुट स्कीमों का एकीकरण

वर्तमान में पशुधन विकास से संबंधित केन्द्र सरकार की विभिन्न स्कीमें हरियाणा सरकार के 9 विभागों द्वारा चलाई जा रही हैं। इन स्कीमों के मामले में परस्पर सम्पर्क व समन्वयन के अभाव में इन स्कीमों पर व्यय की जाने वाली धनराशि से सर्वाधिक लाभ व परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं, अतः इन सभी स्कीमों को एकीकृत करते हुए राज्य के पशुपालन एवं डेरी विभाग के अंतर्गत लाया जाना चाहिए और ऐसा संरचनात्मक कार्यान्वयन व निगरानी की योजना के माध्यम से किया जाना चाहिए।

18.20 पशुधन उत्पादन के लिए वांछित क्रियाविधियों, उत्पादों व निवेशों का गुणवत्ता नियंत्रण

पशुधन उत्पादन के लिए प्रयुक्त होने वाले विभिन्न निवेशों और पशुधन उत्पाद/उत्पादनों की गुणवत्ता के नियंत्रण, स्वास्थ्य के मामले में अपनाई जाने वाली उपचार विधियों के बीच एकरुपता की अपर्याप्त क्रियाविधि के कारण डेरी किसानों को लाभ नहीं हो पाता है। उचित नीतियों, विधियों व पर्याप्त बुनियादी ढांचे के माध्यम से पशुपालकों की उत्पादन क्षमता व लाभ, दोनों को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही घटिया गुणवत्ता वाले चारे, औषधियों तथा अन्य निवेशों की आपूर्ति को भी नियंत्रित किया जा सकता है। पशुपालन एवं डेरी विभाग को अति श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं से सुसज्जित किया जाना चाहिए, ताकि आहार, चारे, माइकोटॉक्सीनो, दूध, मांस, अंडों, ऊन, कम्पोस्ट, वर्मीकम्पोस्ट आदि के विश्लेषण की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हों।

18.21 पशुधन क्षेत्र के योगदान व आबंटन का पुनर्मूल्यांकन

कुक्कुटपालन तथा मात्स्यकी सहित पशुधन क्षेत्र भारत के कृषि जीडीपी में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान करता है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह योगदान 40 प्रतिशत है और कुछ देशों में कृषि जीडीपी का 50 प्रतिशत तक है। कुल कृषि जीडीपी में हरियाणा के मामले में पशुधन क्षेत्र का योगदान 33 प्रतिशत से अधिक है तथा फसल जीडीपी का लगभग 50 प्रतिशत है। तथापि, सार्वजनिक–और निजी क्षेत्रों से इस क्षेत्र को उपलब्ध होने वाली वित्तीय सहायता अत्यधिक अपर्याप्त है (कुल योजनागत परिव्यय का मात्र 0.55 प्रतिशत) और यह इस प्रमुख क्षेत्र के विकास के मार्ग में एक प्रमुख बाधा है। खाद्य एवं पोषणिक सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, लिंग समानता, समग्र विकास, मृदा के स्वास्थ्य एवं उर्वरता में पशुधन क्षेत्र द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए पशुधन के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के लिए उचित धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता है जो इस क्षेत्र द्वारा दिए जाने वाले योगदान के अनुरूप होने चाहिए।

18.22 कृषि वृद्धि को 5 प्रतिशत वार्षिक से आगे ले जाने के लिए क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने हेतु राज्य पशुधन मिशन कार्यक्रम

पशुधन क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों के दौरान समग्र रूप से कृषि क्षेत्र या खाद्यान्न फसलों के क्षेत्र में हुई वृद्धि की तुलना में उच्च्व वृद्धि दर प्रदर्शित की है। पशुधन क्षेत्र के घटकों में से मात्स्यकी तथा कुक्कुट पालन में काफी बेहतर 10–15 प्रतिशत की वृद्धि दर प्रदर्शित की है। डेरी क्षेत्र में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। भारत सरकार के योजना आयोग ने 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कृषि के लिए 4 प्रतिशत की वृद्धि दर प्रस्तावित की थी। तथापि, समस्त प्रयासों व चल रही योजनाओं के बावजूद अभी तक कृषि में 4 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त नहीं हो पाई है। जबकि इसके विपरीत पशुधन क्षेत्र की वृद्धि दर 4 प्रतिशत से अधिक रही है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने पशुधन एवं मात्स्यकी के क्षेत्र के लिए 6 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा है, ताकि फसल कृषि में जो निम्न वृद्धि दर (2 प्रतिशत से कम) है उसकी प्रतिपूर्ति की जा सके और कृषि क्षेत्र में कुल 4 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की जा सके। यदि हमें हरियाणा राज्य में कृषि में 5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर प्राप्त करनी है तो पशुधन क्षेत्र को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसा **राज्य पशुधन विकास मिशन** की स्थापना के माध्यम से ही संभव है। इस मिशन में पशुधन, कुक्कुट, मात्स्यकी से संबंधित विभिन्न स्कीमों जैसे आहार व चारा विकास, रोगों से बचाव व उनका नियंत्रण, जैव–विविधता का संरक्षण, प्रजनन नीति व कार्यनीतियां, पशुधन उत्पादन का मूल्यवर्धन व विपणन को शामिल किया जाना चाहिए।

अध्याय 19

19.0 पशुधन मिशन

प्रभावी वृद्धि व विकास के लिए यह बहुत आवश्यक है कि पहचाने गए क्षेत्रों में मात्रात्मक एवं गुणात्मक दृष्टि से कार्य किया जाए, ताकि जो कार्यक्रम/स्कीमें/परियोजनाएं वर्तमान में चल रही हैं या निकट भविष्य में चलाई जाने वाली हैं, उनमें प्राथमिक रूप से या गौण रूप से प्रभावी राज्य कार्यक्रमों को सामाजिक कृषि/पशुधन उत्पादन प्रणाली मोड में ग्रामीण विकास के लिए कार्यान्वित किया जा सके।

12वीं योजना के अंतर्गत अब यह राष्ट्र तथा राज्य के स्तर पर माना गया है कि विकास की कार्यनीति मुख्यतः उस निर्धन भूमिहीन ग्रामीण जनसंख्या पर केन्द्रित होनी चाहिए जिनमें से अधिकांश अपनी आजीविका पशुधन के माध्यम से कमाते हैं। अतः विभागीय कार्यक्रमों के संचालन में इस वर्ग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य के लिए **पशुधन मिशन** के अंतर्गत एक समन्वित दृष्टिकोण, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, पशुपालन कार्यक्रमों में सुचारू बनाया जाना चाहिए जिसमें कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा मानदंड स्थापित करने (अन्य बातों के साथ) राज्य के विभागों में तालमेल पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, ताकि कार्यक्रमों का उचित मूल्यांकन कर निगरानी हो सके।

पशुधन **मिशन** को पशुधन के वर्तमान और भावी परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय तथा विभागीय संदर्भों की जांच करनी चाहिए क्योंकि राज्य में अनूठे पशु संसाधन व जीन श्रेष्ठता की, स्थानीय पशुधन उत्पादों व ब्राण्ड समानताओं के विकास के मामले में, अच्छी स्थिति है, जिसके अंतर्गत राज्य का पशुधन, पशु उत्पादन, कृषि पारिस्थितिकी, भौगोलिक स्थिति, पशुधन श्रेष्ठता, ग्रामीण खाद्य पदार्थों की पसंद, कृषि अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक–आर्थिक विश्वास में आहार, दूध तथा दुग्धोत्पादों, मांस तथा मांस उत्पादों, पशुचिकित्सा की औषधियों, डेरी फार्मिंग आदि को उपयुक्त रूप से शामिल किया जा सकता है।

ऐसा पशुधन मिशन पशुपालन व अन्य विभागीय कार्यक्रमों में वांछित प्रोत्साहनों व सहायता की जांच करेगा, ताकि इनसे गरीबी को दूर करने, त्वरित लाभ उठाने और लाभ को तेजी से बढ़ाने जैसे पहलुओं पर गहरा प्रभाव पड़े, ग्रामीण तथा शहरी रोजगार उपलब्ध हो, स्थानीय तथा छोटे पैमाने के उद्योग तथा उद्यमशीलता को बढ़ाया जा सके, आनुपातिक फसल उत्पादकता प्राप्त हो सके, महिलाओं के लिए लाभदायक रोजगार सृजित हो सकें, बच्चों के लिए व परिवारें के लिए बेहतर पोषण व प्रोटीन की उपलब्धता के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सके। ये ऐसे पहलू हैं जो पशुधन तथा

पशुपालन के परिप्रेक्ष्य में गहरी जड़ें बनाए हैं और इनके आगे उभरने की संभावना है।

अनुदानित कृषि उत्पादन के वर्तमान युग में यद्यपि कुछ प्रोत्साहन अत्यंत सार्थक कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य/केन्द्रीय कार्यक्रमों/स्कीमों के द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे हैं जिन्हें कुल उत्पादकता से युक्त पर्यावरण या टिकाऊ उत्पादन के लिए पर्याप्त मानते हुए भी यह पाया गया है कि उनसे वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। **पशुधन मिशन** यह सुझाएगा कि पशु स्वामियों को टिकाऊ लाभ दिलाने के लिए कौन–से सुधारात्मक फेर–बदल किए जाएं या वांछित परिवर्तन लाए जाएं।

राज्य में दुग्ध सहकारिताओं व डेरी फेडरेशन सहित डेरी क्षेत्र की मिशन मोड में पुनः व्यापक जांच करने की आवश्यकता है, ताकि पड़ोसी राज्य में रिकॉर्ड की गई उत्पादन व उत्पादकता की नोट करने योग्य सफलताओं के संदर्भ में इसके निष्पादन व इसकी संरचना का मूल्यांकन किया जा सके। राज्य के किसान गाय के दूध के मूल्य निर्धारण; देसी, संकर नस्ल के तथा शुद्ध विदेशी श्रेष्ठ पशुओं/उनके वीर्य के विपणन, बिक्री व उपलब्धता के संबंध में भी बहुत चिंतित थे।

स्वच्छ तथा सुरक्षित दूध एवं मांस उत्पादन राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें स्वच्छ दुग्धोत्पादन, परिवहन व स्थानीय दुग्धोत्पादन के निर्माण पर अधिक बल देना चाहिए। मांस उत्पादन के बड़े असंगठित क्षेत्र के कारण सुरक्षित व स्वस्थ मांस उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे को मिशन के अंतर्गत राज्य के **एबेटोयर** पहल के रूप में लाया जाना चाहिए, ताकि पशुओं के वध, वध स्थलों व वध की क्रिया को सुचारू बनाते हुए पशु स्वामियों व राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद बनाया जा सके। निर्यात की दृष्टि से समर्पित वध गृहों को बड़े पैमाने पर मिशन की पहल के अंतर्गत लाना चाहिए।

पशुधन मिशन से संबंधित अन्य प्रमुख मुद्दों में उत्पादन एवं स्वास्थ्य के लिए पशुधन विकास के साथ–साथ स्वास्थ्य की निगरानी और सीमा पार से आने वाले रोगों की चौकसी, जैव–सुरक्षा तथा जीवाणु संक्रमण सुरक्षा संबंधी संकल्पनाएं, उत्तरदायित्व और कर्तव्य जैसे मुद्दे शामिल किए जाने होंगे। यह **मिशन** पशुधन उत्पादन कार्यक्रमों के लिए सक्षम व्यवसायविदों का संवर्ग विकसित करेगा और स्वास्थ्य प्रबंध सेवाओं के लिए व्यवसायविद तैयार करेगा और इसके साथ ही पशुचिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य के स्नातकों (बी.वी.एस.सी. व ए.एच.) के हितों में आने वाले टकरावों को दूर करेगा तथा सामाजिक मांगों को पूरा करते हुए व्यवसायविदों की उचित सेवाओं को सुलभ करायेगा। संरक्षण कृषि की संकल्पनाओं को पशुधन उत्पादन व ऐसे क्षेत्रों तक विस्तारित किया जाना चाहिए जो आर्थिक, पर्यावरण मित्र तथा टिकाऊ पशुधन उत्पादन व स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

19.1 समेकित मवेशी विकास कार्यक्रम के लिए मिशन

वर्ष 2007 की गणना के अनुसार राज्य में मवेशियों की संख्या में कुल गोपशु संख्या 20.6 प्रतिशत

थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 65.4 प्रतिशत थी। पंजाब में गोपशु मवेशियों की संख्या थोड़ी अधिक है (26 प्रतिशत), लेकिन इनमें अधिक दूध देने वाली होल्सटेइन फ्राइसियन नस्ल तथा उनके संकरों की प्रमुखता है। उत्तर प्रदेश (44.2 प्रतिशत), राजस्थान (52.2 प्रतिशत) और हिमाचल प्रदेश (74.9 प्रतिशत) में यह प्रतिशत 2 से 3 गुना अधिक है। कुल दुग्ध पूल में, हरियाणा में गायों का योगदान 15.0 प्रतिशत तक सीमित है जिसमें से 9.4 प्रतिशत योगदान संकर नस्ल के मवेशियों का है, जबकि इसकी तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर गोपशुओं का योगदान 45.1 प्रतिशत होने के साथ–साथ संकर नस्ल के मवेशियों का हिस्सा 24.3 प्रतिशत है। हरियाणा में गाय के दूध का हिस्सा आसपास के राज्यों की तुलना में सबसे कम है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 60.7 प्रतिशत जिसमें से 46.9 प्रतिशत हिस्सा संकर नस्लों का, राजस्थान में 38 प्रतिशत जिसमें से 6.9 प्रतिशत योगदान विदेशी संकरों का, पंजाब में 32.6 प्रतिशत जिसमें से 90 प्रतिशत योगदान विदेशी नस्लों व उनके संकरों का और उत्तर प्रदेश में 25.4 प्रतिशत जिसमें से 7.8 प्रतिशत हिस्सा विदेशी संकरों का है।

राज्य में 1966 में इसकी स्थापना के समय गाय गोपशु मवेशियों की कुल संख्या का 53.5 प्रतिशत भाग था (41.62 लाख में से 22.27 लाख) और यहां उत्पन्न होने वाले दूध में इनका योगदान 24.9 प्रतिशत था। इसके बाद के दशक में कुल 24.42 लाख की संख्या में थोड़ी सी बढ़ोतरी के बावजूद मवेशियों की संख्या में इनका अनुपात घटकर 45 प्रतिशत रह गया। जिससे यह पता चलता है कि तब से लेकर अब तक गायों की तुलना में भैंसों को अधिक पसंद किया जा रहा है। वर्ष 1997 तक मवेशियों की संख्या लगभग अपरिवर्तित रही, लेकिन कुल दुग्ध पूल में इनका हिस्सा धीरे–धीरे घटकर 19 प्रतिशत रह गया। मवेशियों की संख्या में अत्यधिक कमी (23.9 लाख से घटकर 15.6 लाख) होने के पश्चात्, जो 1997 और 2003 के दौरान रिकॉर्ड किया गया था, वर्ष 2007 में हुई अगली जनगणना तक मवेशियों या भैंसों की संख्या में कोई और परिवर्तन नहीं हुआ। जैसा कि नीचे दिये गए आंकड़ों से स्पष्ट है, गोपशुओं की संख्या जो 1967 में 53.5 प्रतिशत थी, वह 1997 में घटकर 33 प्रतिशत रह गई और 2003 में और अधिक कम होते हुए 20.3 प्रतिशत रह गई। भैंसों का कुल हिस्सा गोपशुओं के कुल जनसंख्या की तुलना में 46.5 प्रतिशत से बढ़कर 79 प्रतिशत हो गया, जिसके परिणामस्वरूप इनकी संख्या में 300 प्रतिशत से अधिक का उछाल आया (19.35 से 60.35 लाख)।

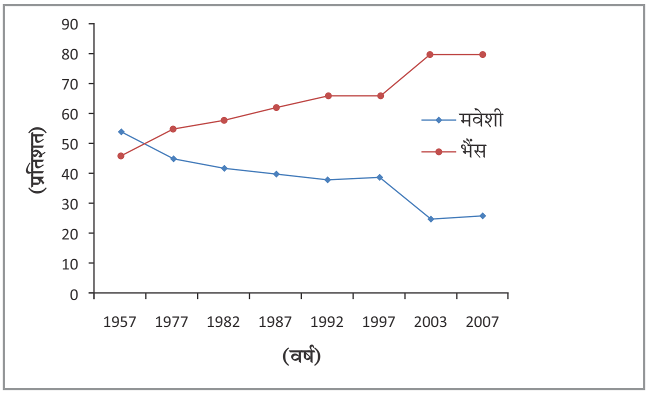

चित्र 19.1 हरियाणा में मवेशियों और भैंसों की संख्या का प्रतिशत हिस्सा

यह राज्य हरियाना गाय की नस्ल वाला मूल राज्य है, यद्यपि इस प्रजाति में यहां दूध का उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है, अपने सशक्त व मजबूत बैलों के कारण ही जानी जाती है। इनकी संख्या में कमी वर्ष 1970 के दशक के आरंभ में कृषि कार्यों के यंत्रीकरण के कारण हुई जिसके अंतर्गत फसलों की खेती में बैलों की परंपरागत भूमिका घटती चली गई। इसके साथ ही इसी समय के आस–पास हरित क्रांति के परिणामस्वरूप सामान्य सम्पन्नता के कारण दूध की मांग बढ़ गई। परिणामस्वरूप भैंसों और विशेष रूप से मुर्रा भैंसों के पालन को प्रश्रय दिया जाने लगा जो इस राज्य की प्रसिद्ध मूल नस्ल है और जिसका दूध अधिक होने के साथ–साथ उसमें वसा का अंश भी अधिक होता है। देसी मवेशियों की नस्लों के आनुवंशिक सुधार की ओर गहन प्रयासों की कमी और/अथवा कम दूध देने वाली नस्लों के संकर प्रजनन पर कम बल तथा बेहतर आर्थिक परिणामों के लिए गैर–वर्णित गायों पर ध्यान न देना, ऐसे कारण थे जिनसे गायों की संख्या में कमी आई। इसके अतिरिक्त चरागाह भूमियों व सामुदायिक चरागाहों का लुप्त होना तथा बूढ़ी, इस्तेमाल हो चुकी, अनुत्पादक व अनुपयोगी गायों तथा अतिरिक्त नर गोपशुओं के सार्थक उपयोग/निकास द्वार की कमी के कारण गायों की तुलना में भैंस को अधिक प्रश्रय दिये जाने का अतिरिक्त कारण माना जा सकता है। मवेशियों की संख्या वर्तमान में पिछले समय की तुलना में अपने निचले स्तरों पर पहुंच गई है। राज्य में किसानों की गोपशुओं को पालने में अरुचि को उभरती हुई गौशालाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में जैसे गलियों, सड़कों, उच्च मार्गों, पार्कों, सब्जी व अनाज की मंडियों आदि में आवारा घूमते हुए पशुओं की बढ़ी हुई संख्या से देखा जा सकता है। हरियाणा जैसे छोटे राज्य में मात्र 15.5 लाख गोपशु जनसंख्या है तथा यहां 256 पंजीकृत व अपंजीकृत गोशालाएं हैं।

समेकित मवेशी विकास के लिए राज्य में एक बहु–आयामी कार्यनीति की तत्काल आवश्यकता है। विभिन्न प्रवर्धनात्मक स्कीमों का उद्देश्य आगे आने वाले दशकों में गाय के दूध के हिस्से को बढ़ाकर दुगना होना चाहिए (30 प्रतिशत) और इसके साथ ही इसकी आधार जनसंख्या में भी वृद्धि होनी चाहिए। प्रवर्धनात्मक कार्यनीतियों में शामिल हैं :

क) गाय के दूध के स्वास्थ्य संबंधी गुणों जैसे इसका आसानी से पचना तथा इसमें कम वसा का होना आदि को प्रचारित किया जाना चाहिए।

ख) प्रत्येक गोपशु या मवेशी की पहचान व उनका पंजीकरण करते हुए उन्हें विभिन्न समूहों में श्रेणीकृत किया जाना चाहिए जो उनके उत्पादन निष्पादन के आधार पर होना चाहिए। प्रत्येक पशु के लिए एक पहचान पुस्तिका जारी की जानी चाहिए जिसे **पशु पासपोर्ट** नाम दिया जा सकता है। इसमें उस पशु की वंशावली, स्वास्थ्य, उत्पादन व प्रजनन आदि संबंधी सभी रिकॉर्ड होने चाहिए।

ग) कम दूध देने वाली तथा अवर्णित गायों को गहन संकर प्रजनन कार्यक्रम के अंतर्गत लाया

जाना चाहिए और इसके लिए पशुपालक के घर के दरवाजे पर कृत्रिम गर्भाधान सेवा तथा अन्य निवेश मुफ्त उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

घ) संतति परीक्षण, फील्ड निष्पादन की रिकॉर्डिंग तथा सांड उत्पादन कार्यक्रमों सहित पहचानी गई देसी नस्लों (हरियाणा और साहिवाल) के लिए विशेष पहलें आरंभ की जानी चाहिए जिसमें अधिक दूध देने वाली गायों को नकद प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

ड.) प्रत्येक गोपशु या मवेशी के लिए पशुपालक के घर के दरवाजे पर मुफ्त बीमा सुविधा, स्वास्थ्य, प्रजनन तथा परामर्शदायी सेवाएं उपलब्ध कराने से सही दिशा में कदम बढ़ाया जा सकेगा।

च) गुणवत्तापूर्ण गायों की खरीद, उनके वैज्ञानिक ढंग से पालन, दूध दुहने के पार्लरों, दूध दुहने के यंत्र, फसल कटाई यंत्र, चारा की कुट्टी काटने के यंत्र, साइलो–टावर/गड्ढों आदि के लिए पूंजीगत निवेशों हेतु भारी अनुदान दिया जाना चाहिए, ताकि गोपशुओं या मवेशियों के पालन को बढ़ावा दिया जा सके।

छ) उच्च आनुवंशिक गुणों वाली मादा संतति या नर बछड़ों के आहार पर तब तक अनुदान दिए जाने की आवश्यकता है, जब तक वे उत्पादन न देने लगें। इसके लिए उन्हें श्रेष्ठ गुणवत्ता वाला संकुल आहार, खनिज सम्पूरक व आहार योगज आदि दिए जाने चाहिए, ताकि उनकी बढ़वार उचित हो और वे शीघ्रता से जवान हो सकें। ऐसी सभी पात्र संततियों को **पशु राशन कार्ड** जारी किए जाने चाहिए, ताकि इस स्कीम की प्रभावी निगरानी व कार्यान्वयन हो सके।

ज) **गाय के दूध के लिए सुनिश्चित बाजार के साथ प्रश्रयपूर्ण मूल्य निर्धारण** होना चाहिए। गाय के दूध को 4 प्रतिशत वसा होने पर वही मूल्य मिलना चाहिए जो भैंस के दूध में 6.5 प्रतिशत वसा होने पर दिया जाता है। भैंस के दूध में मिलावट से बचने के लिए एस.एन.एफ. अंश के लिए कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए।

झ) गोशालाओं को दिए जाने वाले सभी अनुदान/सहायताएं उनके संगठित प्रजनन, आनुवंशिक सुधार तथा वैज्ञानिक प्रबंधन आदि की दिशा में किए गए प्रयासों के आधार पर होनी चाहिए।

ट) गोपशु या मवेशी पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य वाली सभी स्कीमों में इच्छुक गोशालाओं को शामिल किया जाना चाहिए।

ठ) मवेशी पालन में रत खेतिहर महिलाओं सहित सभी कृषकों की क्षमता निर्माण पर ध्यान देते हुए उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण प्राथमिकता के आधार पर दिया जाना चाहिए।

19.2 लाभदायक एवं स्वच्छ मांसोत्पादन

पशुधन मिशन को छोटे रोमंथियों, सूअरों तथा कुक्कुटों के लिए ऐसे कार्यक्रम तैयार करने का अधिदेश सौंपा जाना चाहिए जिससे उन किसानों को पहले से ही सहायता प्राप्त हो सके जो इन प्रजातियों के माध्यम से अपनी आजीविका को कमाते हैं तथा ऐसा सूअर, भेड़, बकरों व कुक्कुट मांस उद्योग को इस प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए किया जा सकता है जिसे वे सुरक्षित ढंग से स्वच्छ पर्यावरण में लाभदायक उत्पादन कर सकें। इस प्रकार का **मिशन** उन संभावित कारणों की भी जांच करेगा कि पशुधन स्वामी/पालक सूक्ष्म वित्त, ऋणों, बीमा, अन्य निवेशों (ऊर्जा, जल, मशीनरी, चारा बीज आदि) के लाभों से वंचित क्यों हैं और इस प्रकार, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद या कुल जीडीपी में वृद्धि के लिए कृषि की कुल वृद्धि को बढ़ाने हेतु इस क्षेत्र/उप क्षेत्र के लिए धनराशि का आनुपातिक व उचित वितरण किया जा सकेगा।

अध्याय 20

20.1 पशुधन विकासात्मक कार्यनीतियां – 2020 के लिए मात्रात्मक दृष्टि

20.1.1 उत्पादन में पशुओं के अनुपात में वृद्धि

वर्ष 2007 की जनगणना के अनुसार राज्य में गोपशुओं का केवल 32.1 प्रतिशत भाग (75.05 लाख में से 24.1 लाख) दुग्धोत्पादन कर रहा था जिसमें 2.27 लाख देसी मवेशी, 1.95 लाख विदेशी मवेशी तथा उनके संकर और 19.87 लाख भैंसें थीं जो कुल जनसंख्या का क्रमशः 23.1 प्रतिशत, 34.5 प्रतिशत और 33.4 प्रतिशत थी। कृषि कार्यों में गहन यंत्रीकरण के कारण नर गोपशुओं की भूमिका कम हो जाने के बावजूद ये कुल जनसंख्या का एक प्रमुख भाग बने हुए हैं और ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि इनकी निकासी का कोई मार्ग नहीं है। नरों का गोपशु की संख्या में 19 प्रतिशत हिस्सा है जिसमें से देसी गोपशुओं की संख्या 40 प्रतिशत है जिसके पश्चात् 18 और 15.4 प्रतिशत क्रमशः विदेशी नस्लों व उनके संकरों तथा भैंसों का है। नरों के अधिक अनुपात से आवारा सांडों की समस्या भी उत्पन्न होती है (जो अधिकांशतः अज्ञात/निम्न वंशावली होते हैं)। यह राज्य के विभाग के स्टॉक के संगठित प्रजनन के माध्यम से आनुवंशिक सुधार में किए जाने वाले प्रयासों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। यदि उत्पादन में मादाओं का अनुपात बढ़ाना है तो नरों की संख्या को नियंत्रित करना होगा।

आदर्श स्थिति में गोपशु संख्या का कम से कम 50 प्रतिशत भाग प्रत्येक समय दुग्धोत्पादन देने में सक्षम होना चाहिए। यदि यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाता है तो 13.4 लाख अतिरिक्त पशुओं से उत्पादन प्राप्त होने लगेगा, बशर्ते कि गोपशु संख्या व इसकी गतिकी निकट भविष्य में अपरिवर्तित बने रहे। परिणामस्वरूप ऐसी अपेक्षा है कि इससे 3.71 मिलियन टन अतिरिक्त दूध उत्पन्न किया जा सकता है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीचे बताई गई बहु–आयामी कार्यनीति वांछित होगी :

क) लिंग–चिन्हित भंडारित वीर्य के व्यापक उपयोग के माध्यम से मादाओं के पक्ष में लिंग अनुपात में परिवर्तन।

ख) निम्न उत्पादनशील देसी तथा अवर्णित गोपशुओं का होल्सटेइन फ्राइसियन के साथ गहन संकर प्रजनन के माध्यम से विदेशी संकरों की संख्या में 20 प्रतिशत की वृद्धि। संकर प्रजनित संततियों को अधिक दूध देने वाला माना जाता है तथा वे देसी गोपशुओं की तुलना में जल्दी जवान होने वाली संततियों को जल्दी–जल्दी जन्म देने में सक्षम होती है।

ग) बेहतर प्रजनन एवं स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, उन्नत प्रबंधात्मक व भरण या आहार संबंधी विधियों को अपनाकर प्रथम प्रसव की आयु को कम करना (5–6 माह तक) और 2 प्रसवों के बीच की अवधि को कम करना (3–4 माह तक)। इससे उत्पादन में मादाओं की संख्या को बढ़ाने में और सहायता मिलेगी।

घ) अगेती परिपक्वता, उच्च उर्वरता तथा अन्य संबंधित गुणों को गहन फील्ड संतति परीक्षण कार्यक्रम के माध्यम से, लाते हुए प्रजननशील सांडों के चयन से इस क्षेत्र में अधिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है।

20.1.2 उत्पादकता को 10 और 25 प्रतिशत के बीच बढ़ाना

उत्पादकता (प्रतिदिन प्रति पशु) को देसी गोपशुओं, विदेशी नस्लों व उनके संकरों तथा भैंसों के मामले में बढ़ाकर क्रमशः 4.9 से 5.7 कि.ग्रा., 7.9 से 10.00 कि.ग्रा. और 7.1 से 8.75 कि.ग्रा. करने के प्रयास किए जाने चाहिए। ऐसा निम्न के द्वारा संभव है :

क) संतति परीक्षित सांडों, उनके पुत्रों या संतति सांडों का उपयोग करते हुए आनुवंशिक सुधार । इसके अंतर्गत स्थानीय गोपशु नस्लों के संरक्षण और प्रवर्धन के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए जिसमें इन विशिष्ट गुणों वाले सांडों को शामिल किया जाना चाहिए।

ख) कृत्रिम गर्भाधान/संतति प्रजनन को बढ़ाते हुए 90 प्रतिशत से अधिक प्रजनन योग्य पशुओं को इसके अंतर्गत लाया जाना चाहिए तथा प्रत्येक गांव में भली प्रकार प्रशिक्षित व निपुण सेवा प्रदानकर्ताओं के माध्यम से सप्ताह के सातों दिन, 24 घंटे पशुपालक/स्वामी के घर के दरवाजे पर उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रजनन सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।

ग) प्रशिक्षणों, क्षमता निर्माण, विभिन्न प्रोत्साहनों तथा प्रवर्धनात्मक स्कीमों के माध्यम से बेहतर देखभाल, प्रबंधन, आवास तथा पालन संबंधी कार्य।

घ) डेयरी पशुओं की पोषणिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए दुर्लभ आहार और चारे का कारगर उपयोग जो निवेश लागत का 70 प्रतिशत भाग होता है। कुल मिश्रित राशन (टीएमआर), बाई–पास पोषक तत्वों तथा आहार के साथ खनिज मिश्रणों और ट्रेस तत्वों के नियमित सम्मिश्रण का उपयोग करते हुए इस लक्ष्य को और अधिक सुलभ बनया जाना चाहिए।

ड.) पशुओं के पेट के कीड़ों को नियमित रूप से मारने के साथ–साथ प्राफाइलैक्टिक टीकाकरण तथा कारगर पशुचिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सेवाओं के महत्व को कम नहीं आंका जाना चाहिए।

यदि उत्पादन में मादाओं के बढ़े हुए अनुपात व उत्पादकता के संदर्भ में उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त कर

लिए जाते हैं तो राज्य में दूध का वार्षिक उत्पादन वर्तमान में 6.6 मिलियन टन से बढ़कर 12 मियिलन टन हो सकता है और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता बढ़कर 1000 ग्रा. से अधिक हो सकती है।

20.1.3 आहार और चारे की उपलब्ध्तता

राज्य में गोपशु या मवेशी आहार की सम्मिश्रित (संतुलित) वार्षिक आवश्यकता लगभग 7 मिलियन टन है जिसे दूध का उत्पादन बढ़ने के साथ–साथ और अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता होगी। हरियाणा देश के खाद्यान्न उत्पादन वाले प्रमुख राज्यों में से है और यहां खाद्यान्न का सरप्लस उत्पादन होता है। तथापि, खाद्यान्न का पशु आहार उत्पादन के लिए उपयोग, लागत लाभ के अनुपात पर निर्भर करेगा। जैसे–जैसे अधिक दूध देने वाले पशुओं की संख्या बढ़ेगी वैसे–वैसे संतुलित राशन की मांग भी बढ़ेगी, ताकि इन पशुओं की पोषणिक आवश्यकताओं को कम लागत में पूरा किया जा सके। राज्य के विभिन्न भागों से आए किसानों के साथ हुई पारस्परिक चर्चा से यह पता चला कि उनमें से अधिकांश परंपरागत आहार उपलब्ध कराने की विधियां अपनाते हैं। 25 प्रतिशत से भी कम किसानों ने अपने पशुओं को संतुलित सांद्र युक्त राशन खिलाने की विधि अपनाई थी। भीगा हुआ, दला व कुटा हुआ अनाज (चूरी), चोकर तथा खलियां आदि भी कटे हुए चारे की कुट्टी/भूसे के साथ सानी के रूप में मिलाए जाते हैं ताकि आहार को पशुओं के लिए और अधिक स्वादिष्ट व पोषक बनाया जा सके।

यदि बढ़ी हुई उत्पादकता और टिकाऊ उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो हमें तत्काल श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले सम्मिश्रित या संतुलित आहार की 7.00 मिलियन टन की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त इसके लिए उचित विस्तार संबंधी कार्यनीतियों के माध्यम से किसानों के बीच सुनिश्चित आर्थिक लाभ को देखते हुए सम्मिश्रित या संतुलित आहार के उपयोग को लोकप्रिय बनाने की भी तत्काल आवश्यकता है। आहार तथा भरण संबंधी प्रौद्योगिकियों ने निश्चित रूप से यह प्रदर्शित किया है कि दुर्लभ संसाधनों के लाभदायक व कारगर उपयोग के लिए बाई–पास पोषक तत्वों (प्रोटीन, वसा) प्रौद्योगिकी का कोई अन्य विकल्प नहीं है। सस्ते, प्रभावी व श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले खनिजों व आहार सम्पूरकों की उपलब्धता से सुनिश्चित लाभ प्राप्त होता है। उच्च लाभ के लिए स्थानीय उपयोग हेतु उपलब्ध कराने के लिए खलियों के निर्यात को तत्काल बंद किया जाना चाहिए। तेल के आयात के स्थान पर तिलहनों के आयात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। द्वितीय श्रेणी के अनाज को केवल पशु आहार उत्पादन के लिए ही निर्धारित किया जाना चाहिए। अति आधुनिक आहार परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्थापित करके आहार की गुणवत्ता की निगरानी की आवश्यकता है।

जैसा कि पहले बताया गया है, राज्य के लिए चारे की कुल आवश्यकता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि जहां एक ओर यह राज्य अनाज वाली फसलों के अपशिष्ट जिसे सूखे चारे के

रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, के मामले में सरप्लस की स्थिति में है, वहीं यहां हरे चारे की 40 प्रतिशत तक अर्थात् 27 मिलियन टन की कमी है। निम्न उपायों से युक्त एक केन्द्रीकृत कार्यनीति अपनाने से हरे चारे के इस अंतराल को भरने में मदद मिलेगी :

क) विभिन्न प्रोत्साहनों, प्रवर्धनात्मक स्कीमों व सुनिश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा निश्चित आर्थिक लाभ के माध्यम से चारा फसलों की खेती वाले क्षेत्र को बढ़ाना। गेहूं–चावल चक्र से बाहर निकलते हुए विविधीकरण के विकल्प के रूप में चारा उत्पादन पर बल देने की आवश्यकता है जिससे अच्छा लाभ प्राप्त होता है और इसके साथ ही भूमि और जल का अधिक टिकाऊ उपयोग भी सुनिश्चित होता है।

ख) चारा बैंकिंग तथा साइलेज बनाने को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। साइलो गड्ढों, साइलो टावरों, भंडारण स्थलों व संबंधित यंत्रों/उपकरणों आदि के लिए विभिन्न राज्य/राष्ट्र स्तर के कार्यक्रमों के लिए पहले से ही उपलब्ध अनुदान को बढ़ाकर कम से कम 25 प्रतिशत किया जाना चाहिए और इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सामुदायिक चारा बैंकिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फसल अपशिष्टों/भूसे के कारगर उपयोग व आसानी से परिवहन के लिए इन्हें अनाज, सम्पूरकों आदि से समृद्ध बनाया जाना चाहिए तथा इन्हें सम्पीड़ित करते हुए सम्पूर्ण आहार के रूप में इस्तेमाल के लिए छोटे ब्लॉकों में बदल लिया जाना चाहिए।

ग) सभी कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए चारे की विभिन्न फसलों की उच्च उपजशील किस्मों के विकास हेतु और अधिक अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को सम्पन्न करने की आवश्यकता है।

घ) उत्पाद के विपणन व उसके अच्छे मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए चारा उत्पादन हेतु अनाज की फसलों के उत्पादन के समान ठेके पर खेती और वाणिज्यिक चारा उत्पादन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

ङ.) सीमांत व छोटे किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण चारा बीजों के मुफ्त वितरण के साथ–साथ उन्हें वांछित ज्ञान व प्रौद्योगिकियां भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

च) गांवों में सामान्य भूमियों का उपयोग चारा वाली फसलों व चरागाहों के विकास के लिए करने हेतु उन्हें एकमात्र इस उद्देश्य से आरक्षित किया जाना चाहिए।

छ) आहार और चारे की उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों के नियोजन व प्रभावी कार्यान्वयन हेतु पशुपालन एवं डेरी निदेशालय में अनुभवी विशेषज्ञों से युक्त एक पृथक आहार एवं चारा कोष्ठ स्थापित किया जाना चाहिए।

20.1.4 वाणिज्यिक डेरी फार्मिंग

मांग आधारित वाणिज्यिक डेरियां पशुधन क्षेत्र का भविष्य हैं। इस प्रकार की डेरियों से बेहतर प्रौद्योगिकीय उपायों को अपनाने, स्वच्छ दुग्धोत्पादन, मूल्यवर्धन, उच्चतर उत्पादकता व संसाधनों के कारगर उपयोग आदि की दिशा में प्रगति होगी व तेजी आएगी। इससे अधिक दूध देने वाले पशुओं, गुणवत्तापूर्ण आहार व चारे, डेरी फार्म संबंधी कार्यों के स्वचालन के लिए यंत्रों व उपकरणों, सस्ती व नई–नई प्रौद्योगिकियों तथा प्रबंधकों सहित उचित रूप से निपुण मानव संसाधनों की मांग में भी वृद्धि होगी। इसके परिणामस्वरूप संगठित क्षेत्र में दूध की साज–संभाल के हिस्से में भी बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में राज्य में ऐसी लगभग 1000 डेरियां हैं (20 पशुओं से अधिक)। विशेष प्रवर्धनात्मक स्कीमों के माध्यम से अगले 10 वर्षों में प्रतिवर्ष 500 वाणिज्यिक डेरियां स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित करने व इसके लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराने से इस क्षेत्र के तेजी से आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध होंगे। इस प्रक्रिया में छोटी घरेलू इकाइयों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये हजारों परिवारों की आजीविका का साधन बनी रहेंगी।

उच्च तकनीक वाली डेरियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य वाली वर्तमान स्कीमों, प्रोत्साहनों व अनुदानों को अधिक से अधिक वाणिज्यिक डेरियां स्थापित करने के लिए न केवल और अधिक सुधारा/बढ़ावा दिया जाना चाहिए, बल्कि इस दिशा में अधिक से अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन तथा बाजार संबंधी उपयुक्त नीतियों से इस क्षेत्र को वांछित बल मिलेगा व प्रगति प्राप्त होगी।

20.1.5 पशु स्वास्थ्य देखभाल

हमारा लक्ष्य पशु रोगों के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता होना चाहिए। एफ.एम.डी.–सी.पी. के मामले में सफलता की दास्तान को उन अन्य रोगों के मामलों जैसे एचएस के लिए भी दोहराए जाना चाहिए जो अत्यंत घातक हैं तथा अक्सर पशुधन को अत्यधिक आर्थिक क्षति पहुंचाते हैं। ब्रुसेलोसिस, रैबीज़ तथा जठरांत्रीय संक्रमणों जैसे महत्वपूर्ण प्राणिरुजा रोगों का नियंत्रण व उन्मूलन हमारा लक्ष्य होना चाहिए जो एक वैश्विक स्वास्थ्य संकल्पना के रूप में विश्वभर में अपनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पशुधन को प्रभावित करने वाले अन्य विषाण्विक तथा जीवाण्विक रोगों के प्रकोप में 50 प्रतिशत कमी लाई जानी चाहिए।

इस स्वप्न को साकार करने के लिए राज्य सरकार को निम्न उपाय अपनाने होंगे :

क) अपने नियोजन में 'बॉटम टू टॉप' दृष्टिकोणों को अपनाते हुए उच्च गुणवत्तापूर्ण चल रोग नैदानिक व सीरो–चौकसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना।

ख) ऊपर बताए गए रोगों के गहन नियंत्रण व उन्मूलन कार्यक्रम चलाना।

ग) गांवों में 100 प्रतिशत प्रोफाइलैक्टिक टीकाकरण को सुनिश्चित करने के लिए इस

कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों को शामिल करना। इस संबंध में अच्छा निष्पादन करने पर पंचायतों को प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं और अच्छा निष्पादन न करने पर निरुत्साहित किया जा सकता है।

घ) पशुचिकित्सालयों तक पशुओं को ले जाना जोखिमभरा होने तथा इसके कारण यातायात की समस्या उत्पन्न होने की दृष्टि से चल पशुचिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सेवाओं का अधिक से अधिक सृजन करना।

ड.) घातक/प्राणिरुजा रोगों के विरुद्ध लंबी रोगरोधिता से युक्त और अधिक प्रभावी व बेहतर पोलीवेलेंट/संयुक्त टीकों को विकसित करने के लिए गहन अनुसंधान व विकास संबंधी प्रयास करना।

20.1.6 प्रजनन दक्षता

यह सिद्ध हो चुका है कि सफल डेरी फार्मिंग के लिए उपयुक्ततम प्रजनन दक्षता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए प्रथम प्रसव की आयु विदेशी व उनके संकरों, देसी गोपशुओं तथा भैंसों के मामले में घटाकर क्रमशः 26 और 36 माह की जानी चाहिए। इसी प्रकार, प्रसव के अंतराल को 14 माह से कम किया जाना चाहिए। प्रति गर्भधारण के लिए गर्भाधानों की संख्या 2.0 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए फील्ड कार्यकर्ताओं को, विशेष रूप से महिलाओं एवं, पशु स्वामियों को शिक्षित करने के साथ–साथ, प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में प्रशिक्षित करने व उनकी क्षमता का निर्माण करने की आवश्यकता है। गर्भधारण के दौरान बेहतर देखभाल करने तथा गर्भधारण के आसपास की अवधि, पशुओं के गर्मी में आने की पहचान करने, बछड़ा/कटड़ा प्रबंधन जिसमें बेहतर गुणवत्तापूर्ण प्रजनन निवेशों आदि के लिए वृद्धि की निगरानी सहित बछड़ों/कटड़ों का प्रबंध करना भी शामिल है, जैसे विषयों पर उच्च स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त विशिष्ट खनिज मिश्रण के क्षेत्र में पशुओं को आहार देने, दूध देने वाले पशुओं में सकारात्मक ऊर्जा संतुलन सुनिश्चित करने व नियमित अंतरालों पर गुणवत्ता की निगरानी से प्रजनन दक्षता को इष्टतम बनाने में सहायता मिलेगी। राज्य में पहले से चल रहे शून्य–उर्वरता कार्यक्रम को और अधिक विस्तार देते हुए अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है जिसके लिए ब्लॉक स्तर के संस्थानों में अल्ट्रा साउंड मशीनें उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि अनुर्वरता के उपचार के लिए डिम्बाशय की क्रिया/मदचक्र काल आदि की बेहतर निगरानी की जा सके जो इसके लिए बहुत आवश्यक है।

20.1.7 टीके तथा नैदानिकी

टीकों तथा नैदानिक युक्तियों की समय पर उपलब्धता पशुओं के रोगों के नियंत्रण तथा पशुओं के

स्वास्थ्य की प्रभावी व सस्ती स्वास्थ्य देखभाल के लिए पूर्व आवश्यकता है। राज्य के पशुधन के लिए वांछित सभी टीकों तथा नैदानिक युक्तियों के उत्पादन का लक्ष्य टीका संस्थान, हिसार को पहले सौंपा गया था। अब इस उद्देश्य से, प्रश्नयतः सार्वजनिक–निजी साझेदारी के मोड में सार्वजनिक व निजी चिंताओं के साथ प्रभावी प्रबंध/सहयोग को वैकल्पिक रूप से अपनाया जाना चाहिए। वर्तमान में महत्वपूर्ण रोगों जैसे ब्रुसेलोसिस, एच.एस. और ट्रिपेनोसोमियासिस आदि के विरुद्ध राज्य में आधुनिक नैदानिक उपकरणों व युक्तियों का उत्पादन नहीं हो रहा है जिन्हें संभवतः पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय के सहयोग से उत्पन्न किया जा सकता है। जैसा कि पहले बताया गया है, दीर्घ रोग रोधिता से युक्त बेहतर टीकों की उपलब्धता समय की मांग है।

20.1.8 मांसोत्पादन

इस तथ्य के बावजूद कि हरियाणा में भैंसों की प्रमुखता है और इनके वध पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है, मेवात जिलें में निर्यातोन्मुख वधगृह को छोड़कर कोई अन्य आधुनिक वधगृह नहीं है। यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक 3–4 जिलों के लिए कम से कम एक आधुनिक, स्वचालित वधगृह होना चाहिए। ऐसे प्रत्येक वधगृह में मानवतापूर्ण वध तथा वध किए गए पशुओं के कंकाल,खाल तथा अन्य अखाद्य अंगों के मूल्य संवर्धन द्वारा निपटान की पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए, ताकि उच्च आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। छोटे पशुओं के वध के लिए स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे वर्तमान परिसर जो विभिन्न कस्बों में उपलब्ध हैं, उन्हें उपयुक्त रूप से आधुनिक बनाने, सुविधाओं से सम्पन्न करने व उन्हें नवीनतम करने की आवश्यकता है, ताकि उत्पन्न होने वाले मांस की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। निपुण जनशक्ति की मांग को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 200 कसाइयों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य होना चाहिए। उद्यम पूंजी, अनुदानों तथा अन्य प्रोत्साहनों के माध्यम से नए अति आधुनिक वधगृहों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मांस उत्पादन की गुणवत्ता का नियंत्रण अभी तक एक उपेक्षित क्षेत्र है जिसे प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। इन सभी उपायों से राज्य में मांस उद्योग को निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी।

औसतन सभी नरों; क्षमता चुक जाने वाली, बूढ़ी, कम दूध देने वाली व अनुर्वर या बांझ मादाओं सहित 25 प्रतिशत भैंस जनसंख्या (कुल संख्या 15 लाख के आसपास) को प्रति वर्ष मांस उत्पादन के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यदि इस उपलब्ध संख्या का उचित उपयोग किया जाए तो राज्य में मांस उत्पादन जो वर्तमान में 3.24 लाख टन है (2011–12 में), वह तेजी से बढ़कर 7.0 लाख टन हो सकता है। आगामी दशक में कुक्कुटों की संख्या के बढ़कर 50 मिलियन हो जाने की अपेक्षा है जिनसे 7500 मिलियन अंडे प्राप्त हो सकते हैं। हमारा लक्ष्य हिमीकृत चूजों के मांस, अंडा पाउडर आदि जैसे खाद्य पदार्थ तैयार करते हुए मूल्यवर्धन हेतु कुक्कुट उत्पाद के कम से कम 25 प्रतिशत भाग को प्रसंस्कृत होना चाहिये।

20.1.9 श्रेष्ठ हरियाणा तथा साहिवाल गायों की पहचान

हरियाणा तथा साहिवाल गोपशुओं का संरक्षण व प्रवर्धन 'गोवर्धन' के अंतर्गत वर्णित समेकित मुर्रा विकास कार्यक्रम के समान समेकित गोपशु विकास कार्यक्रम के रूप में किया जाना चाहिए। हरियाणा नस्ल की सर्वोच्च अवधि में 10लिटर दूध देने वाली तथा साहिवाल नस्ल की सर्वोच्च अवधि में 15 लिटर दूध देने वाली गायों को उनके फील्ड निष्पादन रिकॉर्डिंग के आधार पर पहचानते हुए उन्हें नकद प्रोत्साहन कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। पहचानी गई नस्लों के लिए प्रत्येक में कम से कम 10 श्रेष्ठ गायों से युक्त कम से कम 100 सीमित स्थलों या पॉकेटों की पहचान की जानी चाहिए। प्रत्येक पहचानी गई गोपशु नस्ल के लिए कम से कम 100 श्रेष्ठ सांड स्वस्थाने/सांड माता फार्मों में उत्पन्न किए जाने चाहिए।

20.1.10 जननद्रव्य उत्पादन

पशुधन के वृहत पैमाने पर आर्थिक सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान का कोई विकल्प नहीं है। अतः हिमीकृत वीर्य के उत्पादन का लक्ष्य गोपशुओं तथा भैंसों के लिए दुगना बढ़ाते हुए क्रमशः 2.00 मिलियन तथा 6.00 मिलियन निर्धारित किया जाना चाहिए, ताकि उभरते हुए वीर्य बाजार का लाभ उठाने के लिए संगठित प्रजनन में सफलता प्राप्त की जा सके। राज्य में वर्तमान में उत्कृष्ट मुर्रा नर भैंसों की कोई कमी नहीं है क्योंकि मुर्रा भैंसों के मामले में फील्ड निष्पादन रिकॉर्डिंग कार्यक्रम तथा फील्ड संतति परीक्षण स्कीम गुणवत्तापूर्ण भैंसों के उत्पादन के श्रेष्ठ साधन हैं। लगभग 200 नर भैंसा स्थल/शालाएं तथा नए अत्याधुनिक शुक्राणु केन्द्र लिंगित वीर्य उत्पन्न करने में सक्षम हैं, बशर्ते कि प्रौद्योगिकी को (जो पहले से ही मौजूद है) हिमीकृत वीर्य के उत्पादन को दुगना करने के लिए इन केन्द्रों से प्राप्त किया जाए। विदेशी नर भैंसों/ विदेशी सांडों की पूरे देश में कमी है। श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले वीर्य या भ्रूणों द्वारा संततियों को जन्म देने या उनका आयात करने के लिए लगभग 20 सांडों/नर भैंसों की आवश्यकता होगी। सर्वोच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले प्रजनन सांडों/नर भैंसों के उत्पन्न करने के लिए भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मादाओं का अनुपात बढ़ाने के लिए शुरुआत में कम से कम कुल वीर्य खुराकों के 20 प्रतिशत भाग को लिंग निर्धारित वीर्य के रूप में होना चाहिए। भैंसों, संकर नस्ल के और देसी गोपशुओं के लिंगित वीर्य के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी (पेटेंट कराई गई) को किसी समझौते के माध्यम से खरीदना होगा।

20.1.11 हरियाणा पशुधन उत्पादों के लिए स्थानीय विपणन की व्यवस्था

हरियाणा में मुर्रा नस्ल की प्रमुखता है जो अपने उच्च गुणवत्तापूर्ण उत्पादों जैसे मोजेरेला चीज़, उच्च गुणवत्ता वाले दही, स्वस्थ ए–2 प्रकार के दूध तथा निम्न कोलेस्ट्राल वाले मांस आदि के लिए विख्यात है। सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोड में सरकार को प्रीमियम मूल्य पर इन विशेष

गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन व उनके विपणन के लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है, ताकि स्थानीय पशुधन उत्पादों के मामले में प्रतिवर्ष कम से कम 15–20 प्रतिशत की न्यूनतम वृद्धि प्राप्त की जा सके। भैंस के दूध में अनूठे गुण होते हैं। दूध को भैंस या गाय के दूध में बाजार में बेचा जाना चाहिए, न कि, जैसी कि वर्तमान प्रथा है, उसमें मौजूद वसा अंश के आधार पर।

20.2 सारांश – पशुधन विकास के लिए – 2020 के मात्रात्मक दृष्टि

हरियाणा में 'पशुधन की अवस्था और स्थिति' की समझ के आधार पर इस रिपोर्ट के एक भाग के रूप में भावी कार्य निर्देश विकसित किया गया है, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था के इस सर्वाधिक ऊर्जावान क्षेत्र के चहुंमुखी विकास का पथ प्रशस्त किया जा सके। कार्यक्रम, परियोजनाएं तथा नीतियां कुल मिलाकर इस प्रकार तैयार की गई हैं कि यदि इनका कार्यान्वयन किया जाता है तो राज्य के किसानों के लिए अग्रणी स्थिति में आने को सुनिश्चित किया जा सकता है, उसके साथ ही पशु स्वामियों की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, प्राथमिक क्षेत्र के जी.डी.पी. की वृद्धि सक्षम हो सकती है तथा हरियाणा राज्य देश में कृषि वृद्धि व विकास के लिए आदर्श राज्य के रूप में रूपांतरित हो सकता है। इस प्रकार, की वृद्धि प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण प्राचलों के बारे में बताया गया है तथा विकासात्मक परिदृश्य में उनकी गुणात्मक व मात्रात्मक भूमिका की पहचान की गई है।

विकास परिदृश्य के लक्ष्य – एक झलक

क्र.सं.	प्राचल	लक्ष्य	वर्तमान स्थिति
1.	**उत्पादन में मादाओं का अनुपात**	जनसंख्या का 50%	32%
2.	**पशु उत्पादकता**		
	क) देसी गोपशु	5.7 कि.ग्रा.	4.9 कि.ग्रा.
	ख) विदेशी / संकर	10.0 कि.ग्रा.	7.9 कि.ग्रा.
	ग) भैंस	8.75 कि.ग्रा.	7.1 कि.ग्रा.
3.	**कृत्रिम गर्भाधान** (प्रजनन स्टॉक का%)	90%	~ 60%
4.	**पशुपालन एवं डेरी सेवा प्रदानकर्ता (24×7)**	सभी गांव	~ 20% गांव
5.	**संतुलित बड़े रोमंथियों का चारा (वार्षिक)**	7 मी.टन	< 2 मी.टन
6.	**हरा चारा (वार्षिक)**	65 मी.टन	38 मी. टन

7.	**नई वाणिज्यिक डेरियां**	500 प्रति वर्ष	कुल ~1000
8.	**पशु स्वास्थ्य देखभाल**	(i) रोगों के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता (ii) एच.एस., ब्रुसेलोसिस और रेबीज़ के लिए नियंत्रण कार्यक्रम (iii) वांछित टीकों और नैदानिक युक्तियों का 100%	ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं केवल एफ.एम.डी.–सी.पी. केवल कुछ टीके
9.	**प्रथम बछड़ा / कटड़ा जनन की अवस्था** क) देसी गाय और भैंस ख) विदेशी / संकर	 36 माह 26 माह	 > 42 माह > 32 माह
10.	**प्रसव अंतराल**	14 माह	~ 18 माह
11.	**गर्भाधान / गर्भधारण**	1.8	> 2.5
12.	**मांस उत्पादन** क) आधुनिक वध गृह ख) मांस उत्पादन (000 टन)	 6 (संख्या) 700	 केवल एक 324
13.	**कुक्कुट** क) संख्या ख) अंडा उत्पादन ग) कुक्कुट उत्पाद प्रसंस्करण	 50 मिलियन 7500 मिलियन कुल का 25 प्रतिशत	 28.7 मिलियन 4114 मिलियन लगभग बिल्कुल नहीं
14.	**श्रेष्ठ गायों / सांडों की पहचान** क) हरियाणा और साहिवाल गायें ख) पहचानी गई नस्लों के सांड	 प्रत्येक में 10 गाय के 100 स्थानीय क्षेत्र या पॉकेट प्रत्येक नस्ल के 100 सांड	 ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं प्रत्येक नस्ल के ~ 50 सांड

15.	**जननद्रव्य उत्पादन** क) हिमीकृत गोपशु वीर्य खुराकें ख) हिमीकृत भैंसा वीर्य खुराकें ग) लिंगित वीर्य मवेशी खुराकें घ) भैंसे के लिंगित वीर्य की खुराकें	 2.0 मिलियन 6.0 मिलियन 0.4 मिलियन 1.2 मिलियन	 1.0 मिलियन 3.0 मिलियन 2000 खुराकें आयातित कोई नहीं
16.	**स्थानीय पशुधन उत्पादों का विपणन**	15–20% वार्षिक वृद्धि के साथ सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोड	ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं
17.	**कुल दुग्धोत्पादन***	> 12 मी.टन	6.66 मी.टन
18.	**दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता**	> 1000 ग्राम	708 ग्राम
	*कार्यक्रमों के कार्यान्वित होने पर लक्ष्य		

अध्याय 21

21.0 प्रमुख अनुशंसाएं

भू–स्वामियों या भूमिहीन, दोनों प्रकार के किसानों की पोषणिक सुरक्षा एवं आर्थिक लाभदायकता के साथ–साथ भोजन के लिए कृषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है और इसमें भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटक – पशुधन है।

हरियाणा के किसानों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सबल देसी पशुधन पर आधारित उत्पादन प्रणाली से संबंधित अनेक ऐसी अनुशंसाएं की जा रही हैं जिनसे पशुधन से टिकाऊ आधार पर अधिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए पशुधन उत्पादन को अधिक से अधिक सक्षम बनाया जा सके।

इन अनुशंसाओं से राज्य के कृषि उत्पादन, आर्थिक वृद्धि की दर, पशु उत्पादन एवं उत्पादकता, पशु चिकित्सा औषधियों, पशु स्वास्थ्य व पशुचिकित्सा शिक्षा के संदर्भ में इस क्षेत्र की गुणवत्ता तथा मात्रा पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ने की संभावना है।

सारांश में पशुधन उत्पादन से संबंधित प्रमुख अनुशंसाओं में प्रजनन व श्रेष्ठ पशुओं की पहचान व उनका पंजीकरण, पशुधन उत्पादों के लिए हरियाणा ब्राण्ड का विकास, भैंस के ब्राण्ड उत्पादों का स्थानीय विपणन, मांस के लिए भैंसों की पहचान व उनका उपयोग, देसी गोपशुधन विकास पर केन्द्रित – गोवर्धन, उत्पादन सेवाओं का प्रदानीकरण, उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन एवं अनुदान, आहार एवं चारा उपलब्धता संबंधी कार्यक्रम – चारामणि, वृहत पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में घर के पिछवाड़े मुर्गी उत्पादन प्रणाली, पशु विपणन, स्वास्थ्य सहायता, टीकाकरण तथा सीमा पार से आने वाले रोगों का नियंत्रण, राज्य में तथा राज्य से बाहर आने वाले पशुओं के आवागमन पर निगरानी, पशुओं के पालने हेतु प्रोत्साहन, प्रजनन व आनुवंशिक सुधार के लिए नर पशुओं का पालन, उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले ही वीर्य का उपयोग, लिंगित वीर्य तथा जैवप्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, पशु संरक्षण, आवारा पशुओं का नियंत्रण, दूध एवं दुग्धोत्पादों का मूल्य निर्धारण, विपणन संबंधी सुविधाएं, स्वच्छतापूर्ण पशु वध तथा पशु गृह जिनकी अलग–अलग क्षमता हो तथा जिनमें कुक्कुटों सहित विभिन्न प्रजातियों का मानवतापूर्ण वध किया जा सके, ग्रामीण कुक्कुट कार्यक्रम और राज्य स्वास्थ्य/रोग चौकसी/ निगरानी व नियंत्रण तथा आंकड़ा प्रबंधन, सामग्री तथा सेवाओं की प्रदानीकरण प्रणालियां, उत्पादों की जैव सुरक्षा, उत्पादन निवेशों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, पशु कल्याण, पर्यावरणीय प्रबंधन तथा पारिस्थितिकी का टिकाऊपन, और गुणवत्ता नियंत्रण विनियमों तथा मूल्यांकन के लिए नीतियां जैसे पहलू शामिल किए गए हैं।

पशु सुधार

1. निश्चित उद्देश्यों, लक्ष्यों तथा कार्य योजना से युक्त **एक पशुधन मिशन** के बारे में इस रिपोर्ट में विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसे तत्काल आरंभ किए जाने की आवश्यकता है, ताकि पशुधन क्षेत्र में त्वरित वृद्धि व विकास के साथ–साथ राज्य की कुल कृषि उत्पादन व अर्थव्यवस्था में भी तीव्र वृद्धि व विकास सुनिश्चित किया जा सके। P-1

2. पशुधन स्टॉक तथा क्षेत्रीय आबंटन के लिए बजट संबंधी सहायता इस क्षेत्र द्वारा जी.डी.पी. में दिए जाने वाले इसके योगदान तथा सामाजिक–आर्थिक लाभों के अनुरूप होनी चाहिए। P-1

3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना या आरकेवीवाई की तर्ज पर पशुधन से संबंधित तथा सभी सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को एक साथ लाने व उनमें समन्वय बिठाने के लिए **एक राज्य 'पशु विकास योजना' (पी.वी.वाई.)** आरंभ की जानी चाहिए। P-1

4. पशुपालन से संबंधित सभी पहलुओं पर आंकड़े सृजित करते हुए सभी पशुओं का **पंजीकरण व पहचान** किसी भी भावी नियोजन तथा सुधार कार्यक्रम की एक पूर्व आवश्यकता है जिसे यथाशीघ्र सम्पन्न किया जाना चाहिए। P-1

5. उचित रिकॉर्ड रखने के लिए पशु स्वास्थ्य कार्ड, पशु राशन कार्ड और पशु पहचान कार्ड या **पशु पासपोर्ट** सभी पशुओं के लिए जारी किए जाने चाहिए। इसे प्रवस्थावार शुरू किया जाना चाहिए तथा पहली अनिवार्य प्राथमिकता बड़े रोमंथियों को दी जानी चाहिए। P-2

6. राज्य में हाल के दशक में देशी हरियाना और साहिवाल गोपशुओं की जनसंख्या व उत्पादन में आने वाली गिरावट को ध्यान में रखते हुए यह अनिवार्य माना गया है कि सरकार को इन **गोपशुओं को पालने के लिए प्रोत्साहन/निवेश** उसी प्रकार उपलब्ध कराने चाहिए जिस प्रकार भैंसों के पालने के मामले में दिए जा रहे हैं। P-1

7. **आवारा तथा नर गोपशुओं** की बड़ी संख्या की समस्या के कारण पशुधन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा इससे रोगों का प्रकोप/प्रसार बढ़ रहा है। अतः इससे उचित प्रशासनिक व नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रभावी रूप से निपटना चाहिए। P-2

8. राज्य के सभी किसानों के लिए प्रासंगिक पशुधन की सभी प्रजातियों के लिए **प्रजनन सोसायटियां/एसोसिएशन/मंच** स्थापित किए जाने चाहिए जिनका दायित्व नस्लों के लिए रजिस्टरों का रखरखाव, नस्लों के लिए प्रजनन लक्ष्य निर्धारित करना, प्रजनन योजनाएं बनाना तथा नस्लों/प्रजनकों के हितों की रक्षा होना चाहिए। P-2

9. **पशु आनुवंशिक संसाधन या** AnGR का सर्वश्रेष्ठ संरक्षण व उपयोग पशुधन पालकों, किसानों, स्वयं सेवी संगठनों, गौशालाओं, प्रजनन सोसायटियों तथा अन्य सभी

पणधारियों को शामिल करते हुए एक सम्मिलित दृष्टिकोण अपनाकर हो सकता है। P-3

10. देसी गोपशुओं की नस्लों के संरक्षण व आनुवंशिक सुधार के लिए फील्ड **निष्पादन प्रदर्शन** और फील्ड संतति परीक्षण कार्यक्रमों को चलाया जाना चाहिए। P-1

11. **गोवर्धन** नामक समेकित गोपशु विकास कार्यक्रम क्षेत्र के संतुलित विकास तथा कुल दुग्धोत्पादन में अगले दशक में गाय के दूध का हिस्सा 30 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए (वर्तमान में 15%) कार्यान्वित किया जाना चाहिए। P-1

12. भैंसों के मामले में इसके दूध तथा अन्य पशु उत्पादों का महत्व कुल गोपशु उत्पादों के दबाव में कम हो गया है। अतः **'ब्राण्ड'** के रूप में परियोजना भैंस के माध्यम से भैंस उत्पादन के महत्व को व्यापक बनाने की दिशा में गहन प्रयास किए जाने चाहिए। P-2

13. रफेज तथा सांद्रों का उपयोग करके, स्वास्थ्य देखभाल, प्रोफाइलैक्सिस और नियंत्रण, पशुओं की पहचान को बनाए रखने व गुणवत्ता नियंत्रण व पशु अपशिष्टों के पुनश्चक्रण संबंधी मुद्दों को शामिल करते हुए **भैंस स्पॉट (बी.एस.)** के रूप में परिभाषित गहन नर भैंसों के पालन के कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। ये भैंस स्पॉट उन केन्द्रीय वध गृह सुविधाओं के निर्यात इकाइयों के रूप में इस्तेमाल किए जाने में सहायक सिद्ध होंगे जहां सर्वाधिक लाभ के साथ मृत पशुओं के समस्त शरीर का उपयुक्ततम उपयोग करना संभव होगा। P-3

14. उत्पादन तथा प्रजनन के मामले में अस्थाई असफलता मिलने, प्राकृतिक आपदाओं तथा कार्यशील पशुओं के अपंग होने पर जो क्षतियां होती हैं उनकी पूर्ति के लिए सम्पूर्ण पशुधन **बीमा स्कीम** को कॉर्पस निधि के साथ लागू किया जाना चाहिए। P-1

15. किसान क्रेडिट कार्ड के समान आसान ऋण सुविधाओं से युक्त **पशुपालन क्रेडिट कार्ड** पशुपालकों/पशु स्वामियों/किसानों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। P-3

16. पशुधन उत्पादों के द्वारा मानवीय पोषणिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने के कारण खाद्यान्नों की पोषणिक मांग में एक सुस्पष्ट बदलाव देखने को मिल रहा है जिसका प्रभाव खाद्यान्नों की परिवीक्षित (प्रोजेक्टिड) मांग पर पड़ रहा है। इसके लिए खाद्यान्न उत्पादन हेतु भूमि उपयोग नियोजन में भी बदलाव की आवश्यकता है, ताकि पशुओं के आहार के लिए विशेष **चारा अन्न फसलों** का चयन करते हुए एक कार्यनीतिपरक परिवर्तन लाया जा सके। P-2

17. प्राथमिक तथा मूल्यवर्धित पशुधन, दोनों प्रकार के उत्पादों से बेहतर लाभ लेने के लिए एक कुशल **विपणन सम्पर्क** उपलब्ध कराया जाना चाहिए।P-2

18. राज्य में बड़ी संख्या में **गोशालाओं** के स्वामित्व में मौजूद बड़े पशुधन संसाधनों व

बुनियादी ढांचे को पर्यावरण के लिए अनुकूल ढंग से पशुधन में संरक्षण व सुधार लाने के लिए एक बहु–आयामी कार्यनीति को भली प्रकार सुनियोजित किया जाना चाहिए। P-3

निधि तथा बजट संबंधी सहायता

1. राज्य वित्तीय आबंटन तथाभावी नीतिगत दस्तावेज में सफल घरेलू उत्पाद या जी.डी.पी. में पशुधन के बढ़े हुए योगदान की मात्रा को स्वीकार किया जाना चाहिए और यह पहचाना जाना चाहिए कि कृषि की वृद्धि पशुधन की वृद्धि के माध्यम से ही संभव है। अतः इस क्षेत्र के योगदान में उचित तथा पर्याप्त **वित्तीय आबंटन** किया जाना चाहिए, ताकि इससे प्राप्त होने वाले लाभ का उचित प्रतिदान किया जा सके। P-1

2. **संस्थागत ऋण** का एक निर्धारित अनुपात (जी.डी.पी. में योगदान के अनुसार) निधियों की कमी से ग्रस्त पशुधन क्षेत्र के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। P-1

3. सभी **अनुदानों** को ऋण से जोड़ने के बजाय पशु स्वामियों/पालकों को सीधे–सीधे दिए जाने चाहिए। P-2

4. चूंकि पशु उत्पादन के क्षेत्र में वैकल्पिक कृषि की दिशा में सशक्त परिवर्तन हो रहे हैं जो पशुधन (डेरी फार्मिंग, सूअर पालन, कुक्कुट पालन व गौण उद्योगों से संबंधित हैं) संबंधी कार्यों से संचालित हो रहे हैं तथा कृषि विविधीकरण उच्च मूल्य वाले पशुधन के पक्ष में है, अतः **गहन पशुधन उत्पादन** संबंधी कार्यक्रमों को विशेष रूप से परिनगरीय व ग्रामीण स्थितियों में बढ़ाने के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन व अनुदानों की व्यवस्था की जानी चाहिए। P-2

5. गहन, उच्च निवेश, मांग आधारित दुग्धोत्पादन प्रणाली का उपयोग करने वाली **वाणिज्यिक डेरी इकाइयां** पशुधन क्षेत्र का भविष्य हैं, अतः इन्हें विभिन्न प्रोत्साहनों, उदार अनुदानों, क्षमता निर्माण व अन्य प्रवर्धनात्मक उपायों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।P-1

6. नव–सृजित **पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को पर्याप्त वित्तीय सहायता** प्रदान की जानी चाहिए। यह सहायता नीतिगत संबंधी पहलों के माध्यम से इसके विस्तार हेतु दी जानी चाहिए, ताकि प्रस्तावित नई सुविधाएं स्थापित हो सकें और आवश्यकता पर आधारित अधिदेशित अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्य सम्पन्न हो सकें। P-1

पशु उत्पादन

1. अवर्णित देशी गोपशुओं के बीच संकर प्रजनन कार्यक्रम के आनुवंशिक लाभों को **बढ़ाने** के लिए यह अनुशंसा की जाती है कि विदेशी वंशानुगतता की सीमाओं को बढ़ाकर 50

प्रतिशत से अधिक किया जाए। P-3

2. ज्ञात संतति/प्रमाणित सांडों का उपयोग करते हुए **कृत्रिम गर्भाधान के हिस्से** को अगले 5 वर्षों में गोपशुओं के मामले में बढ़ाकर 90 प्रतिशत से अधिक किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उच्च संतति युक्त, गुणवत्तायुक्त हिमीकृत वीर्य का उत्पादन दुगना किया जाना चाहिए। P-2

3. अधिक दूध देने वाली (श्रेष्ठ) गायों और भैंसों की संततियों को रियायती दरों पर आहार दिया जाना चाहिए, ताकि उनकी बेहतर वृद्धि सुनिश्चित हो सके व वे जल्दी प्रजनन योग्य हो सकें। इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए '**पीले पशु राशन कार्ड**' जारी किए जाने चाहिए। P-2

4. दूध को वसा अंश के आधार पर टोंड या डबल टोंड दूध के रूप में न बेचते हुए इसे **गाय या भैंस के दूध के रूप में बाजार में बेचा जाना चाहिए।** इसके लिए अधिसूचना जारी करने के साथ–साथ गाय के दूध में वसा अंश को वर्तमान के 4.0 प्रतिशत से घटाकर 3.5 प्रतिशत के अंश का मानक निर्धारित करते हुए इसे भैंस के दूध के मूल्य के समकक्ष लाया जाना चाहिए। जैसा कि कुछ अन्य राज्यों में किया जा रहा है और इस प्रकार संतति प्रजनन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। P-1

5. दूध का आधार मूल्य इसकी उत्पादन लागत तथा उत्पादक को कम से कम 30 प्रतिशत लाभ मार्जिन के साथ निर्धारित किया जाना चाहिए। इस आधार मूल्य को अनुदान सहायताओं आदि के माध्यम से सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जानी चाहिए। यह सहायता आरंभिक अवस्था में डेरी सहकारिताओं को प्रदान की जा सकती है। इस दृष्टि से दूध के मूल्य निर्धारण के लिए एक विशेष निकाय का गठन किया जाना चाहिए। P-1

6. **अतिरिक्त दूध** की साज–संभाल तथा मूल्यवर्धन की संगठित क्षेत्र की क्षमता को अगले 5 वर्षों में कम से कम दुगना किया जाना चाहिए। P-2

7. स्थानीय स्तर पर **रीति–रिवाजों से जुड़े भारतीय उत्पादों या स्थानिक उत्पादों** के विनिर्माण हेतु प्रसंस्करण व मूल्यवर्धन को सहायता प्रदान की जानी चाहिए। सरकार द्वारा गठित चल माडुलर प्रसंस्करण सुविधाओं का उपयोग करते हुए किसानों के स्तर पर अनंतिम या अस्थायी प्रसंस्करण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में किसान/पशु पालक को कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। P-1

8. **भैंस के दूध की श्रेष्ठता का उपयोग** स्थानीय उत्पादों के निर्माण व विपणन को बढ़ावा देते हुए किया जाना चाहिए और **भैंस आधारित डेरी उत्पादों** को ब्राण्ड हरियाणा के नाम से बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा इन उत्पादों को प्रत्यय – **मुर्रा** नाम दिया जाना चाहिए। P-2

9. पशुओं की खरीद, आधुनिक पशु आवासों, डेरी फार्म संबंधी क्रियाओं के स्वचालीकरण, स्वच्छ दुग्धोत्पादन, बड़े पैमाने पर कूलरों व प्रशीतित वैनों सहित शीत श्रृंखलाओं, टीएमआर मिक्सर, चारे की खेती व चारा बैंकिंग, चारा कटाई यंत्रों व चारे की कुट्टी काटने के औजारों की खरीद के लिए **सहायता व अनुदानों** का वर्तमान स्तर उचित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। P-1

10. गायब होते हुए चरागाहों तथा चरणभूमियों को ध्यान में रखते हुए **भेड़ और बकरियों को घर में पालने के लिए गहन** पालन विधियों के पैकेज को तैयार करते हुए उसे लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। P-2

11. स्वयं सहायता समूहों, पणधारियों के समूहों या रुचि रखने वाली एजेंसियों के माध्यम से **सामुदायिक पशु आवासों** को बढ़ावा देते हुए उन्हें सहायता प्रदान की जानी चाहिए। छोटे और सीमांत किसानों को फसलों की मिश्रित खेती के स्थान पर पशुधन फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए,ताकि पशु पालन से बेहतर लाभ प्राप्त हो सके। P-2

12. अस्पतालों या चिकित्सालयों के प्रबंध तथा उत्पादन संबंधी क्रियाकलापों, जिन्हें व्यवसायविदों द्वारा न्यूनतम प्राथमिकता वाला विषय माना जाता रहा है, के लिए व्यवसायविदों का **एक विशेष प्रबंधात्मक संगठन** सृजित किया जाना चाहिए। P-3

13. नई पशुधन उत्पादन प्रौद्योगिकियों, नवप्रवर्तनों, सर्वश्रेष्ठ विधियों, मौसम की भविष्यवाणी, बाजार मूल्यों का ज्ञान तथा निवेश उपलब्धता को मोबाइल फोनों, कियॉस्कों, सामुदायिक आकाशवाणी कार्यक्रमों, समर्पित टीवी चैनल, प्रिंट तथा मल्टीमीडिया के माध्यम से **किसानों के ज्ञान को अद्यतन बनाए रखा जाना चाहिए।** P-2

14. निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए डेरी फार्मिंग को यदि पूरी तरह कर मुक्त नहीं किया जा सकता है तो कम से कम इसके लिए कर में कुछ छूट दी जानी चाहिए। सभी डेरी निवेशों पर वैट को हटा दिया जाना चाहिए। P-2

15. **सभी ऋणों** पर ब्याज की दर सहित ऋण की सभी शर्तों को फसलों की खेती पर दिए जाने वाले ऋणों के समकक्ष लाना चाहिए। P-1

16. डेरी तथा कुक्कुट पालन के लिए बिजली प्रभार तथा अन्य **रियायतें** फसलें उगाने तथा मछली पालन के समकक्ष होनी चाहिए। P-1

17. **छोटी डेरी इकाइयां** स्थापित करने के लिए, जिनके पास भूमि भी नहीं है उन्हें भी, उदार ऋण उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इस उद्देश्य से पशुधन को सम्पत्ति माना जाना चाहिए। P-1

18. बचत तथा ऋण से जुड़े **महिला स्वयं सहायता समूहों** का गठन करते हुए उन्हें बढ़ावा

दिया जाना चाहिए, ताकि पशुधन के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए सूक्ष्म वित्त के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जा सके। P-2

मांसोत्पादन

1. गुणवत्तापूर्ण भेड़ व बकरा–बकरी मांस पशुओं को पालने के लिए **आहार–लॉट संकल्पनाएं** स्थापित की जानी चाहिए जिनमें निवेशों का प्रावधान होना चाहिए। राज्य द्वारा तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के साथ–साथ ऋण की उदार सुविधा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। P-1

2. **मांस के उद्‌देश्य से उपयुक्त भेड़** को विकसित करने व उसे लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है क्योंकि ऊन की मांग तेजी से कम होती जा रही है। इसी प्रकार, **बकरी की दोहरे उपयोग वाली नस्लों** (दूध तथा मांस के लिए) जिन्हें घर में या घर के आस–पास पालना संभव है, पाले जाने चाहिए क्योंकि बदलती हुई परिस्थितियों में इनका भविष्य उज्ज्वल है। P-2

3. आधुनिक स्वच्छ वध गृहों के निर्माण सहित राज्य को एक विस्तृत संगठित वध कार्यक्रम विकसित करना चाहिए। स्थानीय निकायों को **स्वच्छ वध** की सुविधाएं सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिए। P-3

4. प्रत्येक 2–3 जिलों के समूह के लिए एक **आधुनिक वध गृह** स्थापित किया जाना चाहिए जिसमें पशुओं के अखाद्य अंगों जैसे पाचन तंत्र, अस्थियों, ग्रंथियों आदि के मूल्यवर्धन व सम्बद्ध उद्योगों के लिए उपोत्पाद तैयार करने के लिए **प्रसंस्करण** के लिए सुविधाएं होनी चाहिए। P-3

5. कसाइयों के स्वास्थ्य की नियमित जांच तथा उनका नियमित **प्रशिक्षण** अनिवार्य किया जाना चाहिए। P-3

6. जब तक किसी प्राधिकृत पशुचिकित्सक द्वारा **मांस की गुणवत्ता प्रमाणित न हो** तब तक मांस की बिक्री को स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। मांस की दुकानों में पर्याप्त पावर बैक अप सहित शीत भंडारण की सुविधाएं होनी चाहिए।

7. **भैंस** के मांस में कम वसा होती है, अतः इसे लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण मांस तथा खाद्य स्वच्छता के मानकों से युक्त मांस के उत्पादन के लिए आधुनिक प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

8. **भैंस के नर कटड़ों** के लिए चारे की खेप को निष्पादनशील सम्पत्तियों के रूप में परिवर्तित करने की दृष्टि से सहायता देते हुए बढ़ावा दिया जाना चाहिए, न कि उपेक्षा के कारण इसे व्यर्थ गंवा देना चाहिए। P-3

9. बेहतर लाभ के लिए कम से कम 25 प्रतिशत **कुक्कुट उत्पाद** को प्रसंस्कृत करते हुए उसका मूल्यवर्धन किया जाना चाहिए। P-3

10. राज्य में मांस उत्पादन के साथ–साथ चमड़ा उत्पादन को भी विकसित करने की आवश्यकता है जिसके लिए राज्य को **खाल तथा हड्डियों की प्रसंस्करण इकाइयों** को सहायता प्रदान करनी चाहिए। स्थानीय निकायों द्वारा मृत पशुओं का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि पर्यावरण की रक्षा की जा सके और रोगों को फैलने से बचाया जा सके। P-2

कुक्कुट उत्पादन

1. बेहतर अर्थव्यवस्था, गरीबी को दूर करने व निर्धन भूमिहीन ग्रामीण जनसंख्या को पोषणिक सुरक्षा प्रदान करने और विशेष रूप से गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले या बीपीएल परिवारों को अतिरिक्त लाभदायक आय व पोषणिक सुरक्षा दिलाने के लिए एक विस्तृत **'ग्रामीण घर के पिछवाड़े कुक्कुटपालन विकास'** कार्यक्रम की तत्काल आवश्यकता है। P2

2. कुक्कुट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अंडों (अनुर्वर) को स्कूलों हेतु **मध्याह्न भोजन** में एक विकल्प के रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें मिलावट नहीं हो सकती है। P3

आहार, चारा और पोषण

1. स्थानीय कृषि जलवायु संबंधी अंचलों के अनुसार उच्च उपजशील, बेहतर पोषक तत्वों वाली एवं कम जल की आवश्यकता वाली **चारा किस्मों** को विकसित करने के लिए गहन अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रयास किए जाने चाहिए। P-1

2. **चारामणि** नामक अंत्योदय कार्यक्रम के माध्यम से चारा उत्पादन को बढ़ाया जाना चाहिए जिसके अंतर्गत चारा वाली फसलों के अंतर्गत अधिक क्षेत्र को लाने के लिए विशेष प्रोत्साहन तथा सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, नई व उच्च उपजशील किस्मों के लिए बीजों की निःशुल्क आपूर्ति होनी चाहिए, प्रदर्शन इकाइयां स्थापित होनी चाहिए, चारा बैंकिंग, चारा परिरक्षण तथा चारा फसलों की ठेके पर खेती आदि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। P-1

3. **गुणवत्तापूर्ण चारा बीजों** का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रोत्साहन तथा सुनिश्चित विपणन की व्यवस्था होनी चाहिए। P-1

4. कृषि–वानिकी तथा अन्य **गैर–परंपरागत** स्रोतों का उपयोग पशुधन को चारा उपलब्ध कराने के लिए किया जाना चाहिए। P-3

5. खलियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तेलों के स्थान पर तिलहनों का आयात किया जाना चाहिए।P-2

6. कुक्कुटों तथा पशुधन के लिए **आहार संबंधी घटकों के आयात** को सीमा शुल्क से छूट दी जानी चाहिए। P-2

7. गोपशुओं तथा कुक्कुटों के आहार की गुणवत्ता की निगरानी और घटिया गुणवत्ता के या खराब आहारों के प्रसार को रोकने के लिए **अति उत्कृष्ट आधुनिक आहार परीक्षण प्रयोगशाला** होनी चाहिए। P-2

8. चारे के समृद्धिकरण व विविधीकरण के लिए **बाई–पास पोषक तत्वों, क्षेत्र–विशिष्ट खनिज मिश्रणों** के उपयोग के साथ–साथ संबंधित प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाना चाहिए। P-2

9. किफायती तथा संतुलित आहार उपलब्ध कराने के लिए कम से कम वाणिज्यिक डेरी फार्मों में **कुल मिश्रित राशन (टीएमआर)** की संकल्पना को गहन रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। P-2

10. **शामिल भूमियों को** केवल चारा उत्पादन या सामुदायिक चरागाहों के विकास हेतु **पट्‌टे पर** दिया जाना चाहिए। P-3

11. विशेष प्रोत्साहनों के माध्यम से **सामुदायिक/स्वयं सहायता समूह या एस.एच.जी. चारा बैंकों** को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। P-3

12. जैसा कि खाद्य संबंधी वर्तमान पसंदगियों तथा बाजार संबंधी मांगों के वर्तमान रुझानों से स्पष्ट है, आने वाले वर्षों में पशु आहार की मांग संबंधी प्रोजेक्शन मानव भोजन की अनाजों की मांग को पीछे छोड़ देंगे, अतः **मोटे अनाज उत्पादन** के लिए एक प्रतिस्थापन के रूप में नीति संरचना तैयार की जानी चाहिए। P-3

13. **चारों के उत्पादन के लिए भूमि को पट्‌टे पर देने** के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। बरसीम, ल्यूसर्न, मक्का, तिलहन (सरसों, मूंगफली तथा अन्य) ऐसी फसलें हैं जो इन भूमियों पर उगाई जा सकती हैं क्योंकि ये चावल–गेहूं प्रणाली की तुलना में ग्रीन हाउस गैस की कम समस्या उत्पन्न करती हैं तथा पशुओं के लिए उच्च प्रोटीन सम्पूरक उपलब्ध कराती हैं। P-2

पर्यावरण एवं पशु कल्याण

1. **बायोगैस, जैविक खाद (केंचुए की खाद) के** उत्पादन **तथा सौर ऊर्जा के उपयोग को मध्यम से बड़े आकार की डेरी इकाइयों के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए।** P-2

2. जैविक तथा अजैविक प्रतिबलों से होने वाले जोखिम को कम करने तथा पशु कल्याण को प्राथमिकता देते हुए **पर्यावरण मित्र** आहारण, प्रबंधन तथा आवास संबंधी विधियां अपनाई जानी चाहिए। P-2

स्वास्थ्य तथा प्रजनन प्रबंधन

1. रोगाणुओं, माइकोटॉक्सीनो, प्रतिजैविकों के अपशिष्टों, नाशकजीवनाशियों, परिरक्षकों तथा भारी धातुओं के अपशिष्टों के संदर्भ में **पशु उत्पादों के एसपीएस प्रमाणीकरण के लिए अति उत्कृष्ट आधुनिक संदर्भ प्रयोगशाला** स्थापित की जानी चाहिए। P-2
2. **हरियाणा पशुचिकित्सा टीका संस्थान** को संयुक्त/पॉलीवेलेंट व लगाने में आसान टीकों को उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह सुसज्जित करते हुए और अधिक सबल बनाया जाना चाहिए। ये टीके सभी मौजूदा रोगों के विरुद्ध होने चाहिए तथा वांछित नैदानिकी भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। P-3
3. प्रभावी तथा समय पर सुरक्षात्मक/बचावात्मक उपायों को अपनाने के लिए सशक्त महामारी रोग विज्ञान आंकड़ा आधार सृजित करने के लिए अन्वेषणशील **नैदानिकी तथा सीरो–चौकसी** को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। निजी या सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोड में नैदानिक प्रयोगशालाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। P-2
4. पर्याप्त सचलता से युक्त संभागीय स्तर पर **अति उत्कृष्ट आधुनिक रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं** स्थापित की जानी चाहिए तथा हिसार में इसका संदर्भ केन्द्र स्थापित होना चाहिए। P-2
5. प्रोत्साहनों तथा अतिरिक्त विकासात्मक अनुदानों के माध्यम से 100 प्रतिशत टीकाकरण के लिए ग्राम पंचायतों का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए तथा उनके **कार्य विषय सूची या चार्टर में टीकाकरण को शामिल किया जाना चाहिए**। P-1
6. निर्यातोन्मुख उत्पादन पर विशेष बल देते हुए **छोटे रोगमुक्त क्षेत्रों/अंचलों** के सृजन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। P-2
7. पशुचिकित्सा संबंधी औषधियों, दवाइयों, टीकों व अन्य जीवविज्ञानी युक्तियों आदि की तेजी से बढ़ती हुई मात्रा को ध्यान में रखते हुए इनकी गुणवत्ता की प्रभावी निगरानी के लिए एक स्वतंत्र **पशुचिकित्सा औषधि नियंत्रक** नियुक्त किया जाना चाहिए। P-3
8. प्रत्येक दो जिलों के लिए एक **पॉलीक्लिनिक** होना चाहिए, ताकि किसानों को विशेष सेवाएं प्राप्त करने के लिए दूर तक न जाना पड़े। P-2
9. नैदानिक प्रयोगशालाओं सहित सभी चिकित्सा सेवाएं अनिवार्य रूप से सचल होनी चाहिए। प्रत्येक जिले में पशुधन की संख्या के अनुसार किसानों के घर के दरवाजे पर

24x7 पशुचिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए **सचल पशुचिकित्सा क्लिनिकों** का एक दस्ता तैयार किया जाना चाहिए। P-1

10. पशुपालन विभाग के अंतर्गत जिला स्तर पर उप समितियों से युक्त एक राज्य स्तरीय **प्राणिरुजा या जूनोसिस समन्वयन समिति** गठित की जानी चाहिए, ताकि पशुचिकित्सकों, चिकित्सा व्यवसायविदों, वन–जीवन विशेषज्ञों तथा अन्य विभागों के बीच 'एक विश्व एक स्वास्थ्य' संकल्पना पर ध्यान देते हुए बेहतर ताल–मेल स्थापित हो सके। ऐसा विशेष रूप से प्राणिरुजा महत्व के नए उभरने वाले तथा पुनः उभरने वाले घातक रोगों की उचित रोक–थाम के लिए किया जाना आवश्यक है। P-3

11. प्रति एक गाय/भैंस एक वर्ष एक बछड़ा/कटड़ा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चल रहे **शून्य अनुर्वरता** कार्यक्रम को और अधिक सबल बनाना चाहिए/विस्तारित करना चाहिए। P-1

12. हार्मोनों तथा अन्य औषधियों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से **सहायी प्रजननात्मक तकनीकों/**मादा रोगविज्ञानी निपुणताओं में फील्ड कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण को और अधिक सबल बनाया जाना चाहिए। P-1

13. **एफ.एम.डी.–सी.पी. की सफलता की कहानी** को एच.एस., ब्रुसेलोसिस तथा अन्य घातक रोगों के मामले में अपनाया जाना चाहिए। P-2

14. **रोज/नीलगाय के साथ–साथ आवारा कुत्तों और बंदरों** के लिए क्षेत्र की स्थितियों के अंतर्गत आसानी से अपनाए जाने योग्य जन्म नियंत्रण की विधियां पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की जानी चाहिए।

15. **विश्वविद्यालय के लिए अनुसंधान एजेंडा आवश्यकता आधारित होना चाहिए, न कि परियोजना अभिमुख होनी चाहिए तथा इसे संबंधित विभागों व अन्य हितधारियों के परामर्श से निर्धारित/विकसित किया जाना चाहिए।** P-2

16. **पशु चिकित्सा उपाधि पाठ्य**क्रम को इस प्रकार परिवर्तित किया जाना चाहिए कि इससे जनशक्ति की परिवर्तित होती हुई आवश्यकता को पूरा किया जा सके, नई चुनौतियों का सामना हो सके तथा गुणवत्तापूर्ण व्यवसायविद सेवाएं प्राप्त हो सकें। P-2

17. पशुपालन, उत्पादन, पशु उत्पादों के प्रसंस्करण व विपणन आदि सहित सभी प्रासंगिक पशुधन प्रजातियों के लिए आधुनिक **फार्म से फॉर्क तक प्रदर्शन इकाइयां** स्थापित की जानी चाहिए, ताकि तत्काल प्रशिक्षण दिया जा सके तथा इस ओर सक्षम उद्यमियों को आकर्षित किया जा सके। P-2

18. सस्ते (धन का उचित मूल्य दिलाने वाली) तथा आसानी से अपनाई जाने वाली (अनेक के लिए मूल्यवान) तकनीकों पर पर्याप्त बल देते हुए पशुपालकों और विशेष रूप से

महिलाओं तथा फील्ड कर्मियों का प्रशिक्षण, **क्षमता निर्माण तथा निपुणता उन्नयन** नियमित अंतराल पर निरंतर प्रक्रिया के रूप में किया जाना चाहिए। P-2

19. हमारी जेबू गोपशु तथा भैंस की नस्लों में दूध में प्रोटीन कैसीन **ए2 या ए1 जीन अभिव्यक्ति** की आनुवंशिक बनावट के संदर्भ में हाल के विवादों को हल किया जाना चाहिए, क्योंकि ए1 दूध को मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले कई रोगों से जोड़ा गया है। P-3

सहायी प्रौद्योगिकियां

1. राज्य को **इन प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन** करना होगा क्योंकि निश्चित समय–सीमा में उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। इसी प्रकार, नई जैव–प्रौद्योगिकी नैदानिकियों, औषधियों, जीवविज्ञानी युक्तियों, टीकों आदि में अधिक कारगर ढंग से रोगों का नियंत्रण करके पशु स्वास्थ्य के परिदृश्य को ही बदल दिया है। P-1

2. भैंसों तथा संकर प्रजनित गोपशुओं के लिए **लिंग– निर्धारित वीर्य उत्पादन** को इस उद्देश्य से प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करते हुए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। P-2

3. श्रेष्ठ जननद्रव्य के संरक्षण व तेजी से प्रवर्धन के लिए **ई.टी.टी., आई.वी.एफ./आई.वी.सी., ओ.एन.बी.एस.** जैसी आधुनिक जैवप्रौद्योगिकी तकनीकों का उपयोग आरंभ किया जाना चाहिए। P-1

एकीकरण (कनर्वजेंस)

1. पशुधन के ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों व स्कीमों के बीच ताल–मेल बैठाते हुए उनका **एकीकरण** किया जाना चाहिए, जो विभिन्न विभागों व एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे हैं, ताकि सम्मिलित प्रयासों से व दोहराव तथा बार–बार एक ही कार्य को किए जाने की स्थिति से बचने के लिए संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके। P-1

2. एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रहे कृषि तथा पशुधन संबंधी कार्यक्रमों के लिए **समेकित एकीकरण दृष्टिकोण** की आवश्यकता है, ताकि कम खर्च में अधिक लाभ उठाने के लिए एकीकरण व समन्वयन से बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकें। P-1

विस्तार

1. रोगमुक्त आधार पर उपयुक्त विधि से सुरक्षित पशु खाद्य उत्पाद तैयार करने के लिए पशु स्वामियों/पालकों की क्षमता व संसाधनों के कारगर उपयोग के लिए उन्हें सशक्तिकृत करते हुए विस्तार कार्यक्रमों को लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए **सेवाओं तथा सामग्री के प्रदानीकरण से युक्त** विस्तार क्रियाविधि में आमूल–चूल परिवर्तन की आवश्यकता होगी। P-1

2. हरित तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की संकल्पना पर आधारित संहिताएं तथा कार्यविधियां सूत्रबद्ध करने के अधिदेश से युक्त एक **हरित पशु पर्यावरण मंडल** (गेम मंडल) सृजित किया जाना चाहिए। P-2

3. अंतिम उपयोगकर्ताओं को आधुनिकतम सूचना/ज्ञान को पहुंचाने पर उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।P-1

4. आहार, चारा, पोषक तत्वों, गुणवत्ता, स्वच्छता, मूल्यवर्धन और विपणन जैसे विषयों सहित किसानों की आवश्यकताओं के उत्तरों को सही दिशा में शामिल करते हुए व इन उत्तरों के दिए जाने के लिए सजीव परिचर्चात्मक युक्तियां इस्तेमाल में लाते हुए **पोर्टल** www.pasugyan.gov.in **या** www.pashukhabar.gov.in को आरंभ करने की आवश्यकता है। P-1

वैबसाइटें

आर्थिक एवं सांख्यिकी विश्लेषण विभाग, हरियाणा
http://esaharyana.gov.in/

पशुपालन एवं डेरी विभाग, हरियाण
www.pashudhanharyana.gov.in/

पशुपालन, डेरी एवं मात्स्यकी विभाग
www.dahd.nic.in/

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
www.mospi.nic.in/

अनुबंध–1

हरियाणा किसान आयोग

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय परिसर, हिसार

<u>अधिसूचना</u>

संख्याः एचकेए / 10 / ____________ दिनांक, हिसार, : ___________

अध्यक्ष, हरियाणा किसान आयोग, हरियाणा के लिए पशुपालन पर निम्न कार्यदल का सहर्ष गठन करते हैं।

1. **डॉ. एम.एल.मदान, पूर्व, उप महानिदेशक (पशु विज्ञान) तथा कुलपति – अध्यक्ष**
2. **डॉ. एन.के.खुराना, प्राचार्य, एचटीआई, हिसार – सदस्य**
3. **डॉ. अरुण वर्मा, पूर्व उपमहानिदेशक, भा.कृ.अ.प. – सदस्य**

संदर्भ की शर्तें

राज्य में पशुपालन तथा पशुधन क्षेत्र की वर्तमान शक्तियों, निर्बलताओं, खतरों तथा अवसरों का विश्लेषण तथा उपयुक्त सुधारात्मक उपायों को प्रस्तावित करना।

हरियाणा में पशुधन स्वामियों/पालकों की समस्याओं का अध्ययन तथा उनकी समस्याओं/बाधाओं को दूर करने के लिए उपाय सुझाना।

सकल विकास तथा समग्र वृद्धि के लिए पशुधन उत्पादन को बढ़ाने हेतु निर्धनों के लिए अनुकूल नीतियां सुझाना और राज्य/केन्द्र सरकारों से पशुधन क्षेत्र के लिए उपलब्ध वर्तमान सहायता की जांच के लिए कार्यदल को कार्रवाई करना।

मुर्रा भैंस, हरियाणा गोपशु और हरियाणा में अन्य पशुधन नस्लों के संरक्षण व उनकी उत्पादकता को बढाने के लिए उचित उपाय सुझाना।

पशुधन की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आहार तथा चारा संसाधनों की स्थिति में सुधार के लिए अल्पावधि व दीर्घावधि उपाय सुझाना।

पशुधन स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध वर्तमान तकनीकी सहायता और अवसंरचनात्मक सुविधाओं की जांच करना तथा रोग निदान, बचाव व नियंत्रण; टीकों व नैदानिक युक्तियों के विकास, संगरोधी उपायों के माध्यम से सीमा पार से फैलने वाले व विदेशी रोगों से बचाव और राज्य में पशुचिकित्सा सेवाओं के प्रदानीकरण सहित पशुधन स्वास्थ्य प्रबंध के लिए उपाय सुझाना।

निर्यात/आंतरिक खपत के साथ–साथ सुनिश्चित आय प्राप्त करने के लिए मोजरेला चीज़ के उत्पादन सहित उचित प्रसंस्करण के माध्यम से डेरी उत्पादों के मूल्यवर्धन में सुधार के लिए उपाय और साधन सुझाना।

कार्यदल राज्य में विशेष रूप से कुक्कुटपालन, नर भैंस कटड़ों, भेड़, बकरी व सूअर पालन, एमू पालन आदि के क्षेत्र में पशुधन क्षेत्र के विविधीकरण की संभावना के बारे में भी सुझाव देगा।

वित्तीकरण के लिए विद्यमान बुनियादी ढांचे तथा नीतिगत सहायता के अंतर्गत पशुधन व पशुधन उत्पादों के बीमे की स्थिति व विपणन की समीक्षा करना और पशुपालकों/स्वामियों/किसानों के जोखिम को न्यूनतम करने व आय को बढ़ाने के लिए उचित सुझाव देना।

कार्य की अन्य शर्तें व स्थितियां

1. रिपोर्ट की प्रस्तुतीकरण पर सदस्य 25,000/–रु. (प्रत्येक के लिए) एकमुश्त मानदेय के रूप में प्राप्त करने के पात्र होंगे, जबकि अध्यक्ष को मानदेय के रूप में 50,000/–रु. दिए जाएंगे।
2. सदस्यों को बैठकों में भाग लेने के लिए वास्तविक आधार पर यात्रा भत्ता के साथ–साथ प्रत्येक बैठक में भाग लेने पर 2000/–रु. का मानदेय दिया जाएगा।
3. आयोग टंकण, मुद्रण आदि तथा बैठकें आयोजित करने पर लगने वाली सभी लागतों को वहन करेगा। यदि दल द्वारा कोई बैठक अन्यत्र आयोजित की जाती है तो उस पर होने वाले व्यय की अदायगी वास्तविक आधार पर की जाएगी।
4. कार्यदल को प्रश्रयतः अपनी रिपोर्ट इसकी गठन की तिथि के 4 माह के अंदर प्रस्तुत करनी होगी।

टिप्पणी : आयोग की ओर से डॉ. एम.पी.यादव, परामर्शक नोडल अधिकारी होंगे जो सभी वांछित तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएंगे, जबकि डॉ. आर.एस.दलाल, सदस्य–सचिव, वांछित प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराएंगे।

सदस्य–सचिव
हरियाणा किसान आयोग

पृष्ठांकन सं./10/_______________ **दिनांक, हिसार :**

1. डॉ. एम.एल.मदान, पूर्व उप महानिदेशक, पशुविज्ञान तथा कुलपति, मकान नं.842/6, अर्बन एस्टेट, करनाल–132001, हरियाणा, दूरभाषः 09896017878; ईमेलः mlmadan@hatmail.com
2. डॉ. एन.के.खुराना, प्राचार्य, हरियाणा पशुचिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान, हिसार, दूरभाष 09416627881; 01662–239937; ईमेलः nkumarkhuarana@gmail.com
3. डॉ. अरुण वर्मा, पूर्व सहायक महानिदेशक, भा.कृ.अ.प. (विषय : पशु पोषण), मकान नं. बी–4, सैक्टर–12, नोएडा–201301; दूरभाषः 09313033642; 0120–2546233
4. डॉ. एम.पी.यादव, परामर्शक, हरियाणा किसान आयोग, मकान नं.365, सैक्टर–45, गुड़गांव, दूरभाषः 09810820093; ईमेलः yadav_mp@hotmail.com
5. वित्तीय आयुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि विभाग, चंडीगढ़
6. हरियाणा किसान आयोग के अध्यक्ष के प्रधान सचिव

सदस्य–सचिव
हरियाणा किसान आयोग

आयोजित बैठकें/दौरे

दिनांक	स्थान	टिप्पणी
28 फरवरी 2011	हरियाणा किसान आयोग, शिविर कार्यालय, गुड़गांव	गुड़गांव प्रभाग के किसानों के साथ बैठक
07 अप्रैल 2011	चंडीगढ़	पशुपालन एवं डेरी तथा हरियाणा सरकार के अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परिचर्चा बैठक
26 अप्रैल 2011	टास कार्यालय, पूसा, नई दिल्ली	हरियाणा किसान आयोग के अध्यक्ष, डॉ. आर.एस.परोदा के साथ भावी कार्य योजना / कार्य बिंदुओं पर पशुधन क्षेत्र के संबंध में चर्चा के लिए कार्यदल की बैठक
22–23 जुलाई 2011	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय तथा लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार के वरिष्ठ अधिकारियों व वैज्ञानिकों के साथ परामर्श बैठक
15 सितम्बर 2011	चंडीगढ़	पशुपालन एवं डेरी विभाग, हरियाणा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक
12 अक्तूबर 2011	लुधियाना	पंजाब डेरी किसानों तथा उद्योग के साथ परिचर्चा तथा डेरियों का दौरा
13 अक्तूबर 2011	चंडीगढ़	पशुपालन विभाग, पंजाब के निदेशक व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परिचर्चा बैठक
02–03 जनवरी 2012	हिसार, भिवानी, जींद	कार्य दल का हिसार व भिवानी स्थिति गोशालाओं व धरौली व जींद स्थित वीर्य केन्द्र का दौरा
03 जनवरी, 2012	जींद	लक्ष्य डेरी, जींद का भ्रमण तथा पशुपालन एवं डेरी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परिचर्चा
19 अप्रैल 2012	हरियाणा किसान आयोग शिविर कार्यालय, गुड़गांव	कार्यदल की बैठक

13 अगस्त 2012	हरियाणा किसान आयोग शिविर कार्यालय, गुड़गांव	कार्यदल की बैठक
22 अगस्त 2012	हरियाणा किसान आयोग शिविर कार्यालय, गुड़गांव	कार्यदल की बैठक
28 अगस्त 2012	टास कार्यालय, पूसा, नई दिल्ली	कार्यदल की बैठक
11 अक्तूबर 2012	टास कार्यालय, पूसा, नई दिल्ली	कार्यदल की बैठक
16 अक्तूबर 2012	टास कार्यालय, पूसा, नई दिल्ली	कार्यदल की बैठक
30 अक्तूबर 2012	टास कार्यालय, पूसा, नई दिल्ली	कार्यदल की बैठक
29—30 नवम्बर 2012	टास कार्यालय, पूसा, नई दिल्ली	कार्यदल की बैठक
23—24 जनवरी 2013	टास कार्यालय, पूसा, नई दिल्ली	कार्यदल की बैठक
26—27 फरवरी 2013	टास कार्यालय, पूसा, नई दिल्ली	कार्यदल की बैठक
7 मार्च 2013	टास कार्यालय, पूसा, नई दिल्ली	कार्यदल की बैठक
06 अप्रैल 2013	एनएएससी काम्प्लैक्स, नई दिल्ली	हरियाणा में पशुपालन विकास पर मसौदा रिपोर्ट पर चर्चा हेतु विचारोत्तेजक सत्र
04 मई 2013	हरियाणा किसान आयोग शिविर कार्यालय, गुड़गांव	विचारोत्तेजक सत्र के दौरान प्राप्त संशोधनों एवं सुझावों को शामिल करने के लिए कार्यदल की बैठक
25 मई 2013	हरियाणा किसान आयोग शिविर कार्यालय, गुड़गांव	कार्यदल की बैठक
31 मई 2013	निदेशक, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल का समिति कक्ष	दूध के मूल्य निर्धारण पर परामर्श बैठक

सारणियों की सूची :

सारणी 2.1 वर्ष 2003–07 के दौरान भारत में पशुधन जनसंख्या की प्रवृत्तियां (मिलियन में)

सारणी 2.2 आहार और चारे की मांग व उपलब्धता (शुष्क पदार्थ – मिलियन टनों में)

सारणी 2.3 प्रमुख पशुधन उत्पादों की वार्षिक वृद्धि दरें – अखिल भारतीय

सारणी 2.4 वर्तमान मूल्यों पर प्रमुख पशुधन उत्पादों के आकलनों के अनुसार वृद्धि दर

सारणी 2.5 कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी

सारणी 2.6 पशुधन जनसंख्या (मिलियन में) – हरियाणा बनाम भारत

सारणी 2.7 हरियाणा में जिलावार पशुधन जनसंख्या (000′ में)

सारणी 2.8 हरियाणा में जिलावार पशुधन जनसंख्या (000′ में)

सारणी 3.1 कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से प्रजनन में प्रगति

सारणी 3.2 पशुचिकित्सा संस्थानों का विवरण

सारणी 3.3 राज्य के योजनागत परिव्यय में पशुपालन एवं डेरी का हिस्सा (करोड़ रुपयों में)

सारणी 3.4 हरियाणा में डेरी फेडरेशन की संरचना (2012)

सारणी 3.5 हरियाणा में दुग्ध संयंत्रों की क्षमता, उत्पादों तथा प्रमाणीकरण की स्थिति

सारणी 3.6 हरियाणा में डेरी फेडरेशन द्वारा दूध की खरीद, औसत मूल्य तथा निवल लाभ

सारणी 3.7 हरियाणा में विभिन्न यूनियनों द्वारा चलाए जा रहे कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का विवरण

सारणी 4.1 हरियाणा में जिलावार वार्षिक दुग्धोत्पाद (2010–11)

सारणी 4.2 हरियाणा में दुग्धोत्पादनवार आकलित मौसम व प्रजातियां (2011–12)

सारणी 4.3 हरियाणा में दुग्धोत्पादन व पशु प्रजातियां

सारणी 4.4 हरियाणा तथा इसके आसपास के राज्यों में पशुधन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति

सारणी 6.1 2007 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में भैंस नरों की जनसंख्या

सारणी 6.2 विभिन्न मांस श्रेणियों के फुटकर मूल्य (मूल्य–रुपये / कि.ग्रा.)

सारणी 6.3 दूध तथा दुग्धोत्पादों पर प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोक्ता व्यय

सारणी 6.4 अंडों, मछली और मांस पर प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोक्ता व्यय

सारणी 6.5 खपत की मदों के विभिन्न समूहों पर प्रति व्यक्ति मासिक व्यय का प्रतिशत वितरण (ग्रामीण)

सारणी 6.6 खपत की मदों के विभिन्न समूहों पर प्रति व्यक्ति मासिक व्यय का प्रतिशत वितरण (शहरी)

चित्रों की सूची

चित्र 2.1	हरियाणा में भैंस, गोपशुओं, भेड़ों और बकरे–बकरियों की संख्या
चित्र 2.2	हरियाणा में पशुधन जनसंख्या (2007)
चित्र 2.3	हरियाणा में भैंसों की जनसंख्या
चित्र 3.1	हरियाणा में गायों और भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान की प्रगति (2003–04 से 2011–12)
चित्र 3.2	हरियाणा में एफएमडी के प्रकोपों पर एफएमडी–सीपी का प्रभाव
चित्र 6.1	हरियाणा तथा पड़ोसी राज्यों में औसत व्यय
चित्र 6.2	अंडों, मांस और मछली पर प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोक्ता व्यय
चित्र 6.3	खपत की मदों के विभिन्न समूहों पर प्रति व्यक्ति मासिक व्यय का प्रतिशत वितरण (ग्रामीण)
चित्र 10.1	हरियाणा में दुग्ध संयंत्रों की दुग्धोत्पादन व साज–संभाल क्षमता (लाख लिटर में)
चित्र 14.1	हरियाणा में पंजीकृत गोशालाएं
चित्र 19.1	हरियाणा में मवेशियों और भैंसों की संख्या का प्रतिशत हिस्सा

मानचित्रों की सूची

मानचित्र 4.1	हरियाणा में भैंस जनसंख्या का जिलावार वितरण
मानचित्र 4.2	हरियाणा में भैंस जनसंख्या का जिलवार घनत्व
मानचित्र 4.3	हरियाणा में देसी, विदेशी तथा संकर नस्ल के गोपशुओं का जिलावार वितरण
मानचित्र 4.4	हरियाणा में बकरे–बकरियों की जनसंख्या का जिलावार वितरण
मानचित्र 4.5	हरियाणा में भेड़ जनसंख्या का वितरण

Head Office

Haryana Kisan Ayog
Anaj Mandi, Sector-20
Panchkula - 134116
Tel. : +91-172-2551664, 2551764
Fax : +91-172-2551864

www.haryanakisanayog.org

Camp Office

Haryana Kisan Ayog
Kisan Bhawan, Khandsa Mandi,
Gurgaon-122001
Tel.: +91-124–2300784